खण्ड-363, अंक-4
मंगलवार, 15 भाद्रपद, शक संवत् 1905
(6 सितम्बर, 1983 ई0)

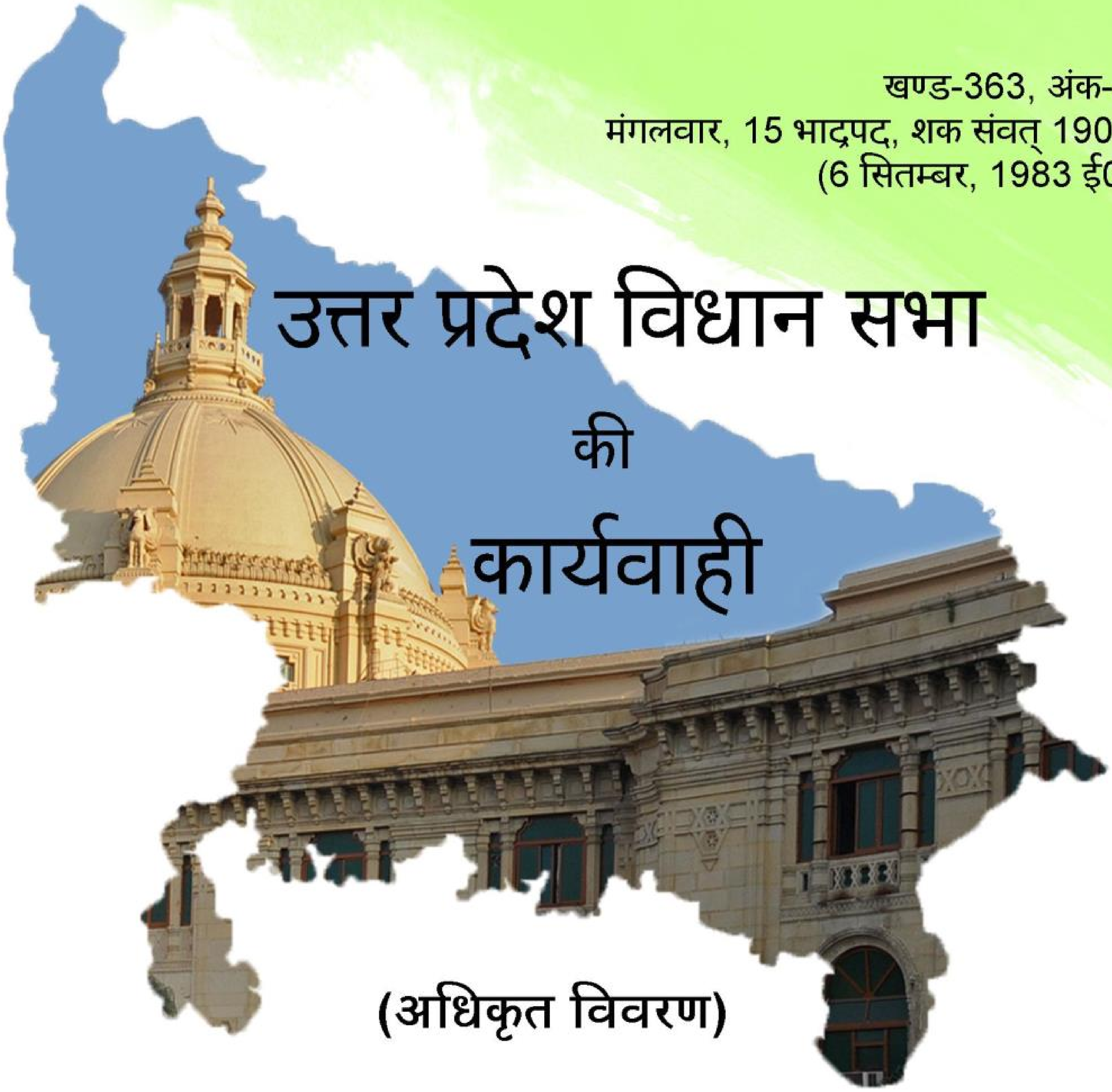

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 363 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1-5
प्रश्नोत्तर ..	7-109
विधान सभा के उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन कार्यक्रम को निरस्त किए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	109
जिला मुजफ्फरनगर के मोरना क्षेत्रान्तर्गत खादर के कतिपय ग्रामों में सोलानी एवं गंगा नदी के कटाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	109-110
गोरखपुर जनपद के बेलघाट ब्लाक के अन्तर्गत घाघरा नदी से कतिपय ग्रामों के कटाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	110
प्रदेश के बुनकरों को दिए गए ऋण को जमा करने की समयावधि में वृद्धि की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	111
खलीलाबाद के पत्रकार श्री श्यामाचरण श्रीवास्तव को खलीलाबाद के कोतवाल द्वारा धमकी भरा पत्र दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	111
जनपद गोंडा के तहसील क्षेत्र खलीलाबाद के अधिवक्ताओं द्वारा चलाये जा रहे क्रमिक अनशन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	112
सचिवालय कांड से सम्बन्धित कर्मचारियों के मामले पर निर्णय न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	112-114
उत्तर प्रदेश विधान सभा के 1983 के प्रथम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं की सूची तथा कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ..	114
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	115
उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन), विधेयक, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	115
उत्तर प्रदेश कृषि उपज मंडी समिति (अल्प-कालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	115-116
श्री बी० के० बनर्जी, अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर के विरुद्ध उठाये गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	116

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्य मंत्री हरिजन एवं समाज कल्याण के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	117–118
श्री अजय स्वरूप, पासपोर्ट अधिकारी के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	118–119
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	119–120
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1983 (वापस लिया गया) ..	120
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी) ..	120–128
श्री अकबर अहमद व श्री सुरेश दत्त पालीवाल का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	129
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	129–130
1983–84 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा ..	131–154
1983–84 के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 1--आबकारी विभाग....(स्वीकृत) ..	154
अनुदान संख्या-2--आवास एवं नगर भूमि विभाग.... (स्वीकृत) ..	155
अनुदान संख्या-3--उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज).... (स्वीकृत) ..	155
अनुदान संख्या-4--उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग).... (स्वीकृत) ..	155
अनुदान संख्या-5--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग).... (स्वीकृत) ..	155
अनुदान संख्या-6--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण).... (स्वीकृत) ..	156
अनुदान संख्या-7--ऊर्जा विभाग....(स्वीकृत) ..	156
अनुदान संख्या-8--कार्मिक विभाग....(स्वीकृत) ..	156
अनुदान संख्या--9-कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)....(स्वीकृत)	156–157
अनुदान संख्या-10--कृषि विभाग (कृषि) ....(स्वीकृत) ..	157
अनुदान संख्या-11--खाद्य तथा रसद विभाग....(स्वीकृत) ..	157
अनुदान संख्या-13--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग).... (स्वीकृत) ..	157
अनुदान संख्या-14--गृह विभाग (कारागार)....(स्वीकृत) ..	158
अनुदान संख्या-15--गृह विभाग (पुलिस)....(स्वीकृत) ..	158

विषय		पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-16--गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	..	158
अनुदान संख्या-17--गोपन विभाग.... (स्वीकृत)	..	158-159
अनुदान संख्या-18--ग्राम्य विकास विभाग....(स्वीकृत)	..	159
अनुदान संख्या-19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)....(स्वीकृत)..		159
अनुदान संख्या-20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण).... (स्वीकृत)	..	159
अनुदान संख्या-21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य).... (स्वीकृत)	..	160
अनुदान संख्या-22--नगर विकास विभाग....(स्वीकृत)	..	160
अनुदान संख्या-23--नागरिक उड्डयन विभाग ....(स्वीकृत)	..	160
अनुदान संख्या-24--नागरिक सुरक्षा विभाग....(स्वीकृत)	..	160-161
अनुदान संख्या-26--नियोजन विभाग....(स्वीकृत)	..	161
अनुदान संख्या-27--निर्यात प्रोत्साहन विभाग....(स्वीकृत)	..	161
अनुदान संख्या-29--न्याय विभाग....(स्वीकृत)	..	161
अनुदान संख्या-30--पंचायती राज विभाग....(स्वीकृत)	..	162
अनुदान संख्या-31-परिवहन विभाग....(स्वीकृत)	..	162
अनुदान संख्या-32--पर्यटन विभाग....(स्वीकृत)	..	162-163
अनुदान संख्या-33--पर्वतीय विकास विभाग....(स्वीकृत)	..	163
अनुदान संख्या-34--पशुधन विभाग....(स्वीकृत)	..	163
अनुदान संख्या-35--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास).... (स्वीकृत)	..	163-164
अनुदान संख्या-36--प्रशासनिक सुधार विभाग....(स्वीकृत)	..	164
अनुदान संख्या-37--प्राविधिक शिक्षा विभाग....(स्वीकृत)	..	164
अनुदान संख्या-38--मत्स्य विभाग....(स्वीकृत)	..	164
अनुदान संख्या-39--मुस्लिम वक्फ विभाग....(स्वीकृत)	..	165
अनुदान संख्या-42--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)....(स्वीकृत)	..	165
अनुदान संख्या-44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग....(स्वीकृत)	..	165
अनुदान संख्या-47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय).... (स्वीकृत)	..	165-166

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-49--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) ....(स्वीकृत) ..	166
अनुदान संख्या-52--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)....(स्वीकृत)	166
अनुदान संख्या-53--विधान परिषद् सचिवालय....(स्वीकृत) ..	166
अनुदान संख्या-54--विधान सभा सचिवालय....(स्वीकृत) ..	167
अनुदान संख्या-55--विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग....(स्वीकृत) ..	167
अनुदान संख्या-56--शिक्षा विभाग....(स्वीकृत) ..	167
अनुदान संख्या-57--श्रम विभाग (श्रम कल्याण)....(स्वीकृत)..	167-168
अनुदान संख्या-58--श्रम विभाग (सेवायोजन)....(स्वीकृत) ..	168
अनुदान संख्या-60--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय).... (स्वीकृत) ..	168
अनुदान संख्या-61--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर).... (स्वीकृत) ..	168
अनुदान संख्या-62--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)....(स्वीकृत) ..	169
अनुदान संख्या-63--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) ....(स्वीकृत) ..	169
अनुदान संख्या-64--सचिवालय प्रशासन विभाग....(स्वीकृत) ..	169
अनुदान संख्या-66--सहकारिता विभाग....(स्वीकृत) ..	170
अनुदान संख्या-68--सांस्कृतिक कार्य विभाग....(स्वीकृत) ..	170
अनुदान संख्या-72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) ....(स्वीकृत) ..	170
अनुदान संख्या-73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन).... (स्वीकृत) ..	171
अनुदान संख्या-74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) ....(स्वीकृत) ..	171
अनुदान संख्या-75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन).. (स्वीकृत) ..	171
अनुदान संख्या-77--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)....(स्वीकृत)	172
अनुदान संख्या-78--सूचना विभाग....(स्वीकृत) ..	172
अनुदान संख्या-79--सैनिक कल्याण विभाग....(स्वीकृत) ..	172
अनुदान संख्या-80--स्पोर्ट्स विभाग....(स्वीकृत) ..	172-173
अनुदान संख्या-81--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग...(स्वीकृत)..	173

विषय	पृष्ठ–संख्या
अनुदान संख्या–82––क्षेत्रीय विकास विभाग. . . . (स्वीकृत) ..	173
उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का अनुपूरक) विधेयक, 1983 (परित) ..	173–180
1979–80 के अतिरिक्त अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या–5––निर्वाचन विभाग. . . . (स्वीकृत) ..	180
अनुदान संख्या–9––स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग. . . . (स्वीकृत) ..	180
अनुदान संख्या–23––राष्ट्रीय एकीकरण विभाग. . . . (स्वीकृत) ..	181
अनुदान संख्या–28––उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण). . (स्वीकृत) ..	181
अनुदान संख्या–29––सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) . . . . (स्वीकृत) ..	181
अनुदान संख्या–36––स्पोर्ट्स विभाग. . . . (स्वीकृत) ..	182
अनुदान संख्या–37––सांस्कृतिक कार्य विभाग. . . . (स्वीकृत) ..	182
अनुदान संख्या–41––चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य). . . . (स्वीकृत) ..	182
अनुदान संख्या–43––सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन). . . (स्वीकृत) ..	183
अनुदान संख्या 62––खाद्य तथा रसद विभाग. . . . (स्वीकृत) ..	183
अनुदान संख्या–65––मत्स्य विभाग. . . . (स्वीकृत) ..	183
अनुदान संख्या–72––सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य राजस्व लेखा) . . . . (स्वीकृत) ..	184
अनुदान संख्या 75––सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन). . . . (स्वीकृत) ..	184
अनुदान संख्या 76––सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) (स्वीकृत) ..	184
अनुदान संख्या 82––सार्वजनिक निर्माण विभाग––(अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय). . . (स्वीकृत) ..	185
अनुदान संख्या 85-ख–गृह (पुलिस) विभाग (पूंजीगत परिव्यय) . . . (स्वीकृत) ..	185
अनुदान संख्या 87––सार्वजनिक निर्माण–विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) . . . . (स्वीकृत) ..	185
90––विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत . . . . (स्वीकृत) ..	186

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 95--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय... (स्वीकृत) ..	186
अनुदान संख्या 103--मत्स्य-विभाग पूंजीगत परिव्यय .... (स्वीकृत) ..	186
अनुदान संख्या 105--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) ... (स्वीकृत) ..	187
अनुदान संख्या 106--सिंचाई विभाग (बहु प्रयोजनीय नदी-परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) .... (स्वीकृत) ..	187
अनुदान संख्या 107--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) .... (स्वीकृत) ..	187-188
अनुदान संख्या 113--स्वायत्त शासन-विभाग--ऋण तथा अग्रिम .... (स्वीकृत) ..	188
अनुदान संख्या 121--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण तथा अग्रिम .... (स्वीकृत) ..	188
उत्तर प्रदेश विनियोग (1979-80 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1983 (पारित) ..	188-192
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	193
प्रदेश के गन्ना काश्तकारों की चीनी मिलों पर बकाया भारी रकम की अदायगी न होने से उत्पन्न स्थिति पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (जारी) ..	193-195
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1983 के पुरःस्थापन पर उठायी गयी आपत्ति पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	195-196
प्रदेश के गन्ना काश्तकारों की चीनी मिलों पर बकाया भारी रकम की अदायगी न होने से उत्पन्न स्थिति पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (जारी) ..	196-205
आज दर्शक दीर्घा से नारे लगाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना ..	205-206
प्रदेश के गन्ना काश्तकारों के चीनी मिलों पर बकाया भारी रकम की अदायगी न होने से उत्पन्न स्थिति पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ..	206-214
परिशिष्ट	215-242

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 6 सितम्बर, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 388

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अंसारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला बरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल) (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)

गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चारु चन्द्र आझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोन्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नारायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव,, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झगड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेजबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पान्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परसाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागा लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)

प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहर, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवतीदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पान्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (गाजियाबाद)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पान्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा (आगरा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हारजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)

राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी) (इलाहाबाद)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कटियार, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री, (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ीगढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नारायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)

श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, (बदायूं)
सरजू प्रसाद सरोज, श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्र, श्रीमती (इटावा)
सूखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुंदेला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलाता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनरायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरबंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 6 सितम्बर, 1983

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

देवरिया जिलान्तर्गत रुद्रपुर, देवरिया मार्ग के संबंध में विभागीय अधिकारियों एवं सतर्कता सेल की जांच रिपोर्ट में भिन्नता

*2--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत रुद्रपुर, देवरिया मार्ग की जांच सन् 1979 में विभागीय अधिकारियों तथा सतर्कता सेल ने अलग-अलग किया था ? यदि हां, तो दोनों की रिपोर्ट क्या अलग अलग नहीं हैं ? यदि हां, तो गलत जांच कर रिपोर्ट करने वाले अधिकारी के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)--

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग की जांच के संबंध में विभागीय अधिकारियों एवं सतर्कता सेल की जांच रिपोर्ट में विभिन्नता पायी गयी है। गलत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये संबंधित विभागीय अधिकारी, जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं, की पेंशन से रु0 75 प्रतिमाह की कटौती करने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री हरिवंश सहाय--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने धन की गलत रिपोर्ट अधिकारियों ने की थी ? उनके नाम और पद क्या हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

इसमें पहली जांच जो हुई थी, वह मुख्य अभियन्ता, श्री मदन गोपाल भार्गव ने की थी । उसके बाद एक कमेटी बनाई गई ।

श्री हरिवंश सहाय--

मान्यवर, मैंने पूछा है कि जो दो बार जांच हुई, एक बार इसी विभाग ने जांच की और फिर सतर्कता विभाग ने की । तो वह कितने रुपये की सड़क बनाई गयी थी, जिसकी जांच की गयी ? जिन्होंने जांच की उन अधिकारियों के नाम और पद क्या हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, पहले जो हुई वह चीफ इंजीनियर ने की थी, उन्होंने बताया कि कोई नुकसान नहीं हुआ । फिर शिकायत की गयी तो 3 आदमियों की एक कमेटी बनायी गयी जिसमें तीन जूनियर इंजीनियरों के अतिरिक्त एक असिस्टेंट इन्जीनियर भी था । उनके नाम मैं बाद में बता दूंगा कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि

3461 रुपये का नुकसान हुआ । वह रिपोर्ट भी नहीं मानी गयी और मामला सतर्कता विभाग को दिया गया । उन्होंने बताया कि 30 हजार रुपये का नुकसान हुआ और 10 हजार रुपये का कम स्टैंडर्ड का माल दिया गया ।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या मंत्रीजी इस बात का पता करेंगे कि पहले यह जांच देवरिया जिले के पी0 डब्लू0 डी0 विभाग के अधिकारियों ने की । उन्होंने रिपोर्ट दी कि सड़क बनकर पक्की हो गयी, जबकि सतर्कता विभाग ने रिपोर्ट दी कि सड़क बनी नहीं। तो क्या मंत्री जी कागजात देखकर वस्तुस्थिति बतायेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जू देव--

श्रीमन्, अंतिम जांच सतर्कता विभाग की मानी जाती है । इसी आधार पर सम्बन्धित अधिकारी की पेंशन से 75 रुपये प्रति माह काटे जा रहे हैं ।

श्री रफी अहमद, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव की सुरक्षा की कथित व्यवस्था

*3--श्री राम सागर तथा श्री मोहन सिंह--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष 1982 में रफी अहमद पुत्र अब्दुल हमीद, कस्बा न्योतनी, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव की सरकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था करायी गयी ? क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्ति थाना हसनगंज, उन्नाव का पुराना हिस्ट्रीशीटर है ? यदि हां, तो ऐसे अपराधशील व्यक्ति की सुरक्षा करने का क्या औचित्य है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

जी नहीं । श्री रफी अहमद के सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गयी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम सागर--

मान्यवर, सम्बन्धित व्यक्ति डकैती, राहजनी और हत्या जैसे 23 संगीन अपराधों का मुलजिम है । मान्यवर, वह पुलिस का दलाल है । उसकी सुरक्षा के लिये 3 गार्ड घर पर और दो गार्ड साथ में तैनात हैं । मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है । मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस बात की पुनः जांच करा करके जिन लोगों दी उनको असत्य सूचना बताई, उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, माननीय सदस्य उत्तर को ठीक तरह से नहीं समझ पाये । उनको व्यक्तिगत रूप से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है ।

श्री भीखालाल--

मान्यवर, जिन रफी अहमद का प्रश्न यहां पर उठाया गया है, उनके बड़े भाई फरीद अहमद का कत्ल 13 जुलाई, 1982 को हो गया था और जो कातिल

हैं वे जाने-माने गुण्डे हैं उनकी वजह से पूरे कस्बे में आतंक व्याप्त है, फलस्वरूप जिला प्रशासन ने कस्बे में शांति व्यवस्था स्थपित करने के लिए गार्ड तैनात कर दिये, लेकिन बदमाशों का यह प्रयास है कि गार्डों को वहां से हटा दिया जाय ताकि वे खुलकर जो काम करना चाहें, कर सकें। इस पूरे प्रकरण की माननीय मंत्री जी को जानकारी है ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, इसकी जानकारी है। वहां पर जो केसेज हुए हैं, उसको देखते हुए वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई थी। जो गार्ड्स वहां पर तैनात किये गये थे, वे अब भी वहीं पर हैं।

बागेश्वर-कपकोट-भराड़ी मोटर मार्ग, जनपद अल्मोड़ा को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित न किये जाने के सम्बन्ध में जांच

*4—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बागेश्वरकपकोट-भराड़ी मोटर मार्ग, जनपद अल्मोड़ा, जो सन् 1953-54 में श्रमदान से 25 कि0 मी0 बना है, को अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब मार्ग का हस्तान्तरण विभाग को करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरे प्रश्न को देखें। मैंने यह प्रश्न दिनांक 28 दिसम्बर, 1982 को दिया था। इस सम्बन्ध में मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अल्मोड़ा जनपद के कपकोट क्षेत्र में एक सड़क, जो 25 किलोमीटर की है, को जनता ने श्रमदान द्वारा बनाया है, किन्तु अभी तक उस सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नहीं लिया है। उसमें गाड़ियां चलनी शुरू हो गई हैं। अभी तक माननीय मन्त्री जी इसकी सूचना एकत्र करने में लगे हुए हैं। यदि माननीय मन्त्री जी को इसकी पहले से जानकारी नहीं थी तो क्या वे तत्काल इसकी जांच करेंगे ? दूसरा, इतने लम्बे समय तक इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आयी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, मुझे खेद है। वैसे इस प्रश्न का जवाब बहुत सरल था किन्तु सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जीनियर से आज ही मैंने लिखा-पढ़ी की है। दूसरा, जहां तक आपका कहना है कि इसके नोटिफिकेशन हुए 20-25 साल हो गये हैं किन्तु अभी तक पी0 डब्लू0 डी0 इसका रख-रखाव नहीं कर रही है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है, सूचना मिलते ही आगे की कार्यवाही की जायेगी।

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस समय वहां पर कौन से इन्जीनियर तैनात थे और उन्होंने किस आधार पर इसकी पैमाइश की थी। क्या इसके लिये टेन्डर इनवाइट किये गये थे। यदि हां, तो कितने ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, इसमें टेन्डर इनवाइट नहीं किये थे। यह रोड तो जनता द्वारा श्रमदान से बनायी गयी थी।

ट्राली की चोरी के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र तथा जांच

*5--श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)--

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा अपनी ट्राली की चोरी के सम्बन्ध में एस0 एस0 पी0, मुरादाबाद को दिनांक 17 सितम्बर, 1981 को समय 4.15 सायं जो सूचना दी गयी थी उसकी जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

मुख्य मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार मास्टर इब्राहीम पुत्र अली मोहम्मद, निवासी ग्राम भोजपुर, थाना भगतपुर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को दिनांक 20 मई, 1981 को इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र दिया कि थानाध्यक्ष, भगतपुर ने प्रार्थी को दिनांक 19 मई, 1981 को धमकी दिया था कि वह अपनी ट्राली श्री रियासत हुसैन, विधायक के यहां पहुंचा दें तथा उसके ऐसा न करने पर उसकी ट्राली थानाध्यक्ष, भगतपुर द्वारा जबरदस्ती उठा ले जाई गई है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष, भगतपुर के विरुद्ध अपराध संख्या 126/81, धारा 379 भा0 द0 वि0, थाना भगतपुर पर पंजीकृत हुआ। इसी ट्राली के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 1981 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी, मुरादाबाद को एक आवेदन पत्र दिया गया। चूंकि उक्त प्रश्नगत ट्राली की चोरी के सम्बन्ध में पहले ही से अपराध पंजीकृत था, अतः प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच भी उपर्युक्त अपराध की विवेचना के साथ करने के आदेश दिये गये। विवेचना से कोई आपराधिक मामला नहीं पाया गया। ट्राली से सम्बन्धित लगाये गये आरोपों का सम्बन्ध दीवानी वाद से पाया गया। अतः इस सम्बन्ध में कार्यवाही के लिये दीवानी न्यायालय ही सक्षम है। विवेचना अंतिम रिपोर्ट में समाप्त की गई।

जलालपुर (जिला जौनपुर) विद्युत् उप केन्द्र के निर्माण हेतु ली गयी भूमि तथा मुआवजे का भुगतान

*6--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस स्थल पर विद्युत् उप केन्द्र, जलालपुर, जौनपुर निर्मित किया गया है, उसका अधिग्रहण कब, किससे और कितने मूल्य में किया गया ? क्या यह सत्य है कि उक्त भूमि का पूर्ण और बाजारू मूल्य भू-स्वामी को आज तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

जलालपुर (जिला जौनपुर) में 33/11 के0 वी0 3 एम0 वी0 ए0 क्षमता के विद्युत् उप केन्द्र के निर्माण हेतु 1.61 एकड़ भूमि तहसीलदार, केराकत (जिला जौनपुर) के माध्यम से रिक्वीजीशन की गई था तथा कब्जा जनवरी 1975 में मिल गया था। भूमि के मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि भूमि के वास्तविक भू-स्वामियों एवं मुआवजे को देय धनराशि का निर्धारण तहसीलदार, केराकत तथा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, जौनपुर द्वारा अभी तक नहीं किया जा सका है।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संरक्षण दें। मान्यवर, 1975 में इस भूमि पर कब्जा कर दिया गया था। वहां सब-स्टेशन बना दिया गया। लेकिन, आज तक यह पता नहीं लगाया जा सका कि उसका असली स्वामी कौन है, किसको उसका मुआवजा दिया जाय और यह भी पता नहीं कि सारे रिकार्ड्स वहां उपलब्ध हैं कि नहीं। क्या वह जमीन लावारिस थी या वह जमीन गांव समाज की थी। मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इनके पास कोई इस तरह की जानकारी है कि वह जमीन कुछ व्यक्तियों की या व्यक्ति विशेष की थी या वह सरकार की जमीन थी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं। 1.61 एकड़ जमीन में से 1.3 एकड़ भूमि चतुर्भुज दुबे, मिसर, इनकी है और इन्होंने यह मांग की है।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

मान्यवर, इतना बड़ा विभाग बना हुआ है, 9 साल के अन्दर आज तक यह पता नहीं लगा सके कि वह जमीन किसकी थी और उनको कैसे मुआवजा दिया जाय। एक व्यक्ति ने क्लेम किया है, जिसकी चिट्ठी का हवाला माननीय मन्त्री जी ने दिया। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक पूरी सूचना एकत्र कराकर सम्बन्धित व्यक्तियों, जिनकी भूमि एवार्ड की गयी है, उनको मुआवजा दे दिया जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, माननीय सदस्य की चिन्ता स्वाभाविक है। मैं इसमें यह आदेश कर रहा हूं कि कृपया अधिशासी अभियन्ता को आदेश दें कि वे भूमि स्वामियों से स्वयं संपर्क करके, आपसी समझौते से प्रतिकर भुगतान करा दें। यदि कोई कठिनाई हो, तो वे स्वयं शासन से सम्पर्क करके आदेश प्राप्त कर लें। यह समस्त प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाय।

पुलिस स्टेशन अधीक्षक, खेसरहा, बस्ती के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*7--श्री रामचरण सिंह (अनुपस्थित)--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस स्टेशन अधीक्षक, खेसरहा, बस्ती (श्री मिश्र) के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा आतंक से क्षुब्ध क्षेत्रीय जनता खेसरहा द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर तथा गृह मन्त्री को रजिस्टर्ड पत्र नम्बर क्रमशः

1957 तथा 1958 दिनांक 18 अगस्त, 1982 को भेजा गया, प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं? तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

[मंगलवार, 6 सितम्बर, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त अनुवादकों एवं उप सम्पादकों का विनियमितीकरण एवं स्थायीकरण की मांग

*1—श्री सरदार सिंह--

क्या सूचना मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में 1 जनवरी, 1977 के पूर्व अनुवादक एवं उप सम्पादक के संवर्गों में अलग-अलग स्थायी रिक्तियों पर विभागीय परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती से वर्ष 1973 से तदर्थ रूप में नियुक्त अनुवादकों एवं उप सम्पादकों को नियमानुसार पूर्वकालिक प्रभाव से विनियमित एवं स्थायी न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

उप सम्पादक के मात्र दो स्थायी पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित रूप से चयनित कर्मचारी कार्यरत हैं। अनुवादक संवर्ग की सेवा नियमावली दिनांक 20 दिसम्बर, 1982 को प्रख्यापित की गई है। अब इसके पूर्व नियमावली न होने के कारण नियमित नियुक्तियां नहीं की जा सकी थीं। उक्त सेवा नियमावली के आधार पर अब स्थायी नियुक्तियां करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री सरदार सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जो विनियमितीकरण नियमावली, 1979 तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण हेतु शासन के कार्मिक विभाग द्वारा मई, 1979 में ही निर्गत की गई थी उसके अन्तर्गत सभी तदर्थ रूप से नियुक्त अनुवादकों का विनियमितीकरण एवं स्थायीकरण किया जाना प्राकल्पित था जोकि अभी तक नहीं किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने, जिस जी0 ओ0 का हवाला दिया है, वह बात सत्य है कि जब यह नियमावली बन कर तैयार हुई तो यह समस्या सामने आई कि इस नियमावली के हिसाब से 50 प्रतिशत लोगों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से लिया जाना था और 50 प्रतिशत लोगों की विभागीय प्रोन्नति होनी थी। यह जब अड़चन सामने आई तो लोक सेवा आयोग को, जिस जी0 ओ0 का हवाला दिया गया है, उस जी0 ओ0 का हवाला देते हुये लिखा है कि आप इस पर कार्यवाही न करें। उस जी0 ओ0 के हिसाब से फैसला होना है, जो लोग कार्य कर रहे हैं, 50 प्रतिशत लोग उससे प्रभावी हो जायेंगे।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह भी सही है कि वर्ष 1973 में अनुवादकों की भर्ती हेतु जो परीक्षा ली गई थी वह सीधी भर्ती हेतु थी ? यदि हां, तो इन सब तदर्थ नियुक्तियों को उक्त विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के अन्तर्गत अब तक विनियमित क्यों नहीं किया गया और इस असाधारण परिहार्य विलम्ब हेतु कौन उत्तरदायी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, परीक्षा जो ली गई 1973 में, जिस प्रकार की परीक्षा का इन्होंने हवाला दिया है, उसमें 13 से लेकर, मान्यवर, मैं नम्बर बता दूं, 19 अधिकारी जो थे, उसमें उनकी परीक्षा ली गई थी। इस समय पूरे अधिकारियों की संख्या 41 है। कुछ की परीक्षा नहीं हुई थी, 19 अधिकारी जो थे, वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुये थे। मान्यवर, दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा कि उसके अन्दर अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? उसमें कहना यह है कि नियमावली तैयार की जा रही थी, उसके कारण यह विलम्ब हुआ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, इस प्रश्न के सन्दर्भ में आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं, माननीय सरदार सिंह जी ने अपने ढंग पूछा, माननीय मन्त्री जी ने उत्तर अपने ढंग से दिया। क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो लोग इस समय कार्यरत हैं विभिन्न पदों पर क्या सरकार उन सभी लोगों को स्थायी करने की कृपा करेगी या सेवा में लेने पर विचार करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

यह जी0 ओ0 1979 का है, जिसके अन्तर्गत यह है कि जिनके 3 साल पूरे हो गये हैं, उनका रेगुलराइजेशन हो जाना चाहिये। जैसे माननीय सदस्य श्याम लाल जी ने कहा है उसी के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ विद्युत् प्रदेय उपक्रम, लखनऊ में दैनिक श्रेणी लिपिकों का नियमितीकरण

*2--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विद्युत् प्रदेय उप क्रम, लखनऊ में मास्टर रोल दैनिक श्रेणी लिपिकों को लगातार सेवा करते 6 वर्ष बीत जाने पर भी उनका नियमितीकरण नहीं हुआ है ? इसका क्या कारण है ? उसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां।

लखनऊ विद्युत् प्रदेय उपक्रम, लखनऊ में इस समय केवल श्री सुरेश चन्द्र मास्टर रोल दैनिक श्रेणी लिपिक ही ऐसे कर्मचारी हैं जिनका 6 वर्ष का सेवाकाल बीत जाने पर भी अभी तक नियमितीकरण नहीं हुआ है। इनके द्वारा प्रस्तुत

औद्योगिक विवाद का निर्णय हो गया है और अब इनके नियमितीकरण का मामला राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा गठित विशेष समिति के समक्ष विचाराधीन है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

एक बात तो इन्होंने बताई कि 6 वर्ष का सेवाकाल पूरा हो गया है, लेकिन क्या उन्हें यह भी मालूम है कि ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद 2 साल 6 महीने का समय गुजर चुका है, फिर भी श्री सुरेश चन्द्र की नियुक्ति नियमित अ.र0 जी0 सी0 के पद पर न करके विशेष समिति को दी गई है, इसका क्या कारण है ? 7 अप्रैल, 1983 को इस सदन में माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने कहा था कि अदालत के आदेश का आदर किया जायगा और उसके बाद 5 महीने बीत जाने के बाद भी यह अभी तक पता नहीं चल रहा है कि सुरेश चन्द्र की नियुक्ति कैसे हो गई, अभी मामला विचाराधीन है । क्या निश्चित रूप से बता सकेंगे कि इसका उत्तर कब तक दिया जा सकेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त--

यह वर्ष 1976 में मस्टर रोल, दैनिक श्रेणी लिपिक के रूप में 6·50 रु0 रोज पर नियुक्त किये गये थे । इस बीच पालिसी बदली, वर्ष 1977 से मस्टर रोल पर काम कराना बन्द कर दिया गया । बाद में यह कोर्ट में गये । वहां कहा गया कि इनकी सेवा समाप्ति अनुचित थी, अतः इनको फिर सेवा में ले लिया गया । अब मस्टर रोल के कर्मचारी के रूप में लिया गया है । जहां तक नियमितीकरण का मामला है, विद्युत् परिषद् ने समिति बना दी है । 25 जुलाई, 1983 को सन्दर्भित कर दिया गया है, शीघ्र ही निर्णय हो जायगा ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

आपके माध्यम से फिर निवेदन करना चाहूंगी कि पिछला एक ऐसा ही केस है और जो व्यक्ति है वह सुरेश चन्द्र से जूनियर भी है और बिना किसी विशेष समिति को भेजे हुए 26-6-83 को अपने स्तर से रेगुलर जी0 सी0 आई0 के पद पर नियुक्त कर दिया गया है । इस दोहरी नीति का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, दोहरी नीति तो कभी होती नहीं । माननीय सदस्या इसके बारे में अवगत करा दें, मैं दिखवा लूंगा । नियमितीकरण तो समिति के द्वारा ही होना चाहिये । कैसे हुए, क्यों हुए, उससे अवगत करा दूंगा ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

माननीय मन्त्री जी ने कृपा की, मैं नाम भी बता रही हूं ।

श्री अध्यक्ष--

उनसे मिल लें, मिलकर बता दें ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

अगर सदन भी जान ले तो अच्छा है । इसी तरह का जो दूसरा मामला है, इनसे जूनियर रमेश चन्द्र हैं, जिनको बिना विशेष समिति को भेजे हुए परिषद् में 26-3-83 को अपने स्तर से जी0 सी0 आई0 के पद पर रेगुलर नियुक्त कर दिया गया है । इसलिए मान्यवर, मैंने आदरणीय सदन का समय लिया और माननीय

मंत्री जी से जानने का प्रयास किया कि यदि विभाग में दोहरी नीति अपनाई नहीं जा रही है तो इस मामले में कब तक निर्णय कर उचित कार्यवाही कर ली जायेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

दोहरी नीति का कोई सवाल नहीं है, यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुयी, इसे देखकर उचित कार्यवाही शीघ्र ही कर आपको अवगत कराया जायगा ।

शासकीय समितियों में भाग लेने हेतु राज्य सरकार का निर्णय

*3--श्री विद्यासागर नौटियाल--

विधायकों द्वारा ऐसी शासकीय समितियों की सदस्यता स्वीकार न किये जाने, जिसकी अध्यक्षता सरकारी अधिकारियों द्वारा की जाती है, विषयक उत्तर प्रदेश शासन संसदीय अनुभाग को, सचिव, विधान सभा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 3109 (167)/(सं0)-77, लखनऊ, 20 जुलाई, 1978 के सन्दर्भ में क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायकगण शासकीय समितियों में भाग लेने में सक्षम हो सकें इसके लिए राज्य सरकार की ओर से क्या कोई निर्णय लिये गये हैं ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश द्वारा सचिव, संसदीय अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित पत्र संख्या 3109 (167)/(सं0)-77, दिनांक 30-7-78 के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस सम्बन्ध में कोई कठोर सिद्धान्त नहीं अपनाया जा सकता क्योंकि ऐसी समितियां भी हो सकती हैं जिनके अध्यक्ष टेक्निकल एक्सपर्ट्स अथवा प्रशासक को बनाना लाभदायक हो । अतएव हर मामले में मेरिट के आधार पर निर्णय लेना होगा ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

श्रीमन्, यह प्रश्न इस आदरणीय सदन में अनेकों बार प्रस्तुत किया जा चुका है और आज 5 वर्षों बाद फिर आया है । मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो पूरे भारतवर्ष में हुए पीठासीन निर्णय थे, उसे इस सरकार द्वारा मनवाने में हम असमर्थ अपने आपको पा रहे हैं इसलिए श्रीमन्, हम आपसे संरक्षण की याचना करते हैं । पिछली बार जब यह प्रश्न उठाया गया था तब माननीय मुख्य मंत्री एवं अन्य नेतागण को बुलाकर विचार-विमर्श हुए और कुछ निर्णय ले लिये गये, लेकिन आज जो जबाब मिला है, उससे ऐसा लगता है कि इससे पहले के जितने निर्णय थे, उन सब को यह नकार गये और अब सरकार फिर से इस बात पर आ गयी कि जो हमारे तकनीकी एक्सपर्ट हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप केवल प्रश्न करें, आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मेरा स्पष्ट प्रश्न यही है कि क्या सरकार ने विधायकों के मुकाबले एस0 डी0 एम0, जिला विद्यालय निरीक्षकों एवं जिलाधिकारियों को बहुत बड़ा

तकनीकी एक्सपर्ट समझ रखा है, कि प्रदेश की जितनी भी समितियां हैं, उन सब को यही लोग प्रजाइड करें और दूसरा प्रश्न इसी में हमारा यह है कि इससे पहले जितने भी निर्णय लिये गये थे इस सम्बन्ध में उन निर्णयों को न माने जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, श्री विद्यासागर नौटियाल जी ने भी आपसे संरक्षण मांगा है और मुझे भी आपसे संरक्षण मांगना पड़ रहा है कि अब जो प्रश्न इन्होंने किये हैं, वह एक खास रिफरेंस से शुरू किये और एक खास पत्र का हवाला दिया है, इन पत्रों पर जो कार्यवाही हुई उसका जवाब इन्हें दे दिया गया, अब उसके आगे की कार्यवाही क्या हुई यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें अलग से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय नौटियाल जी द्वारा जो प्रश्न किया गया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से मैं दो चीजें सरकार से जानना चाहता हूं एक तो यह कि सन् 78 में जो पत्र भेजा गया था, उस पर निर्णय कब लिये गये और किसके द्वारा । दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि 78 और 80 के बीच में तत्कालीन नेता विरोधी दल ने तत्कालीन मुख्य मंत्री को कौन से वह पत्र लिखे और उन पत्रों पर क्या जवाब दिये गये, इन बातों को सदन में कृपया बताने की कृपा करें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इस पर निर्णय 1979 में लिया गया, यह वही निर्णय है जो कि इस पत्र के हवाले से इसके उत्तर में दिया गया है । 1978 का यह पत्र था, 1979 में निर्णय लिया गया । उस समय के तत्कालीन नेता विरोधी दल, श्री नारायण दत्त तिवारी ने उस समय लिखा था तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव जी को कि यदि आप कृपया इस सन्दर्भ में लिये गये शासन के निर्णय से अवगत करा दें और यदि यह सूचना अधिवेशन प्रारम्भ होने से पहले मिल सके तो उत्तम होगा । आगे पत्र का रिफरेंस है कि शासन ने निर्णय लिया था इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं बनाये जा सकते । इस सम्बन्ध में विभागों के विनिश्चत पर निर्णय छोड़ दिया जाय कि मेरिट के आधार पर वह निर्णय ले सके । यह बात मंत्रिपरिषद् में भी आयी थी और हर मामला चूंकि टेक्निकल एक्सपर्ट का जरूर होता है, इसलिय सब-कमेटी के अध्यक्ष माननीय विधायकों को बनाया जाना उचित नहीं होगा ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

जनता शासन के निर्णय के पाप हम लोग ढो रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह--

एक पत्र विशेष के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया । क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या सरकार ने कोई सर्वेक्षण इस प्रकार का कराया है कि कौन सी कमेटी ऐसी हैं जिसमें कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जरूरत है और कौन कमेटी ऐसी हैं जिसमें नान टेक्निकल लोगों की आवश्यकता है ? यदि यह सर्वेक्षण कराया गया है तो जिन कमेटीज में टेक्निकल लोगों की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें विधायकों को न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न बहुत व्यापक है, मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

पिछले सत्र में जब यह प्रकरण आया था, यदि आप इजाजत दें तो मैं बतला दूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि आपके कक्ष में क्या बातें हुईं, उसका हवाला देना उचित न होगा । मुख्य मंत्री जी का यह कथन है कि देश में जो सभायें हुई हैं उनकी अध्यक्षता सरकारी अधिकारी नहीं करेंगे । 7-4 को मीटिंग हुई थी उसके सन्दर्भ में आपने कहा था और 19 मई को एक शासनादेश ग्राम्य विकास विभाग से निर्गत हुआ है कि जिला ग्राम्य विकास अधिकरण की गवर्निंग बाडी ही सदस्यता का निर्धारण करेगी । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की गलत बयानी करने का क्या औचित्य है ? माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है, ग्राम्य विकास अनुभाग से जी० ओ० निर्गत हुआ है, तो वह किन परिस्थितियों में निर्गत हुआ है, क्या मंत्री जी उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय ओझा जी को मेरी बात शायद गलतबयानी लगी है मैंने वहां कोई अपनी बात नहीं रखी है, सब डाकूमेन्ट की बात रखी है । जहां तक उसके प्रति कार्यवाही करने की बात कही गयी है, माननीय विद्या सागर नौटियाल ने एक प्रश्न एक विशेष पत्र का हवाला देते हुए किया और उसका जवाब मैंने उसके रिफरेन्स से दिया, माननीय ओझा जी आगे की कार्यवाही को जानना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिये अलग से प्रश्न देना चाहिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यहां पर कहा था कि जितनी प्रदेश के अन्दर की कमेटीज हैं उनके बारे में उन्होंने निर्णय दिया । कुछ कमेटीज भारत सरकार के अन्तर्गत होती हैं जैसे एन० आर० पी० है, उसकी रूपरेखा वहां से ही तैयार की जाती है तो निश्चित है कि उस पर उसी के अनुसार कार्यवाही होगी, लेकिन उसमें क्या कार्यवाही हुई, उसके लिए अलग से प्रश्न की आवश्यकता है, उसका उत्तर दिया जायेगा ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है, उससे ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी से इतिहास के अभिलेखों के बारे में पूछा गया था । मान्यवर, 13-4-83 को यह प्रश्न मैंने दिया है । आज की तिथि तक सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है । मैंने यह नहीं पूछा था कि राम नरेश यादव को माननीय तिवारी जी ने क्या लिखा था । मैंने पूछा था कि कार्य पालिका के मदमस्त अधिकारी जो हैं उन पर विधान सभा का अंकुश कायम रहेगा या नहीं, इसका आश्वासन क्या मंत्री जी देंगे कि जो समिति होगा जिसमें विधायक सदस्य होगा उसकी अध्यक्षता कोई सरकारी अधिकारी नहीं करेगा । यह साफ-साफ आश्वासन देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय सदस्य ने इतिहास और हिस्ट्री की बात कही, विद्यासागर जी तो विद्या के सागर हैं लेकिन उनमें भंवर पड़ रही है । अगर वह इसी प्रश्न का उत्तर चाहते थे तो साफ-साफ प्रश्न करते, उन्हें उत्तर दे दिया जाता । इसके लिए प्रश्न कर उनको उत्तर दिया जायेगा ।

सब स्टेशन साण्डी, जनपद हरदोई में कार्यरत श्री झिल्लू राम विश्वकर्मा, अवर अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*4—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री खैरुल बशर--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के साण्डी नगर में स्थित 33/11 के0 वी0 सब स्टेशन पर कार्यरत अवर अभियन्ता के विरुद्ध वहां के उपभोक्ताओं का हाल में ही भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र अधिशासी अभियन्ता हरदोई व शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वे शिकायत क्या हैं तथा अब तक अवर अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बह्मदत्त--

जी हां । शिकायती-पत्र में 33/11 के0 वी0 सब-स्टेशन साण्डी जनपद हरदोई में कार्यरत श्री झिल्लू राम विश्वकर्मा, अवर अभियन्ता के विरुद्ध अनियमित विद्युत आपूर्ति, उपभोक्ताओं को परेशान कर घूस प्राप्त करना तथा अवैध कनेक्शन देने की शिकायत थी । आरोपों की जांच के उपरान्त विद्युत आपूर्ति ठीक पायी गयी । एक उपभोक्ता का खम्भा बदलने तथा दूसरे का मीटर बदलने में हुए विलम्ब के लिये श्री विश्वकर्मा की चरित्र पंजिका में निन्दा प्रविष्टि के आदेश पारित किए गए तथा इनको चेतावनी भी दी गई । घूस लेने के आरोप साबित नहीं हो सके, फिर भी उनका स्थानान्तरण साण्डी से अन्यत्र कर दिया गया है ।

श्री राम आसरे बर्मा--

माननीय मंत्री जी अपने उत्तर का सन्दर्भ लें, उत्तर में स्वयं इस बात को माना है कि अनियमित विद्युत आपूर्ति, उपभोक्ताओं को परेशान करना तथा अवैध कनेक्शन देने की शिकायत थी । उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि दो बातों की शिकायत थी और आरोप सिद्ध नहीं पाया गया, घूस लेने का । विद्युत आपूर्ति ठीक पायी गयी । अवैध कनेक्शन देने की शिकायत के बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है उसको जबाव से गायब कर दिया । इससे सिद्ध होता है कि विद्युत के अवैध कनेक्शन देने की शिकायत सही पायी गयी । साधारण उपभोक्ता अगर अवैध कनेक्शन लगा लेता है तो उसको जेल की हवा खानी पड़ती है, जूनियर इन्जीनियर अवैध कनेक्शन से नाजायज रूप से पैसा कमाने का काम करता है, उसके विरुद्ध चरित्र पंजिका में प्रतिकूल इन्ट्री की जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या अवैध कनेक्शन देने की भी शिकायत सही पायी गयी ? यदि पायी गयी, तो यह गम्भीर आरोप है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री बह्मदत्त--

मान्यवर, जो शिकायत थी उसमें आंख मिचौली बिजली द्वारा और तरह-तरह से परेशान करने की बात कही गयी, विद्युत का अभाव उपभोक्ताओं को आर्थिक हानि होना । अवैध कनेक्शन देने के बारे में जांच की गयी तो कोई भी अवैध कनेक्शन नहीं मिला ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, एक ओर तो जूनियर इन्जीनियर को सजा दी गयी चाहे वह ीकएदो गया हो और चाहे गम्भीर । चरित्र पंजिका में प्रविष्टि के आदेश पारित गए । सजा भी उनको दे दी गई और इसके बावजूद भी अवैध कनेक्शनों के

बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह आरोप सही नहीं पाये गये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इन आरोपों के बारे में जिसके बारे में उन्होंने वेग जवाब दिया है, पुनः जांच करायेंगे और गम्भीर आरोप सिद्ध होने पर वे कड़ी कार्यवाही करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

अगर माननीय सदस्य हमको बता दें कि अवैध कनेक्शन कहां-कहां दिये गये हैं तो उनकी हम जांच करा लेंगे । इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है....

(व्यवधान)

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि आप उन्हें लिखकर दे दें । वे बता देंगे ।

थाना मड़ियाहूं, जिला जौनपुर में सुदनीपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन लूटने की योजना की दर्ज रिपोर्ट

*5—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1/2-3-83 को थाना मड़ियाहूं, जिला जौनपुर में स्थान सुदनीपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन लूटने की योजना बनाने की एक रिपोर्ट लिखी गयी है ? यदि हां, तो उसमें दूधनाथ, स्टेशन रोड, मड़ियाहूं, जौनपुर को भागा हुआ फरार दिखाया गया है और परगना हाकिम मड़ियाहूं, जौनपुर को भी 2-3-83 को जो रिपोर्ट 4 बजे दिन में दी गयी है उसमें भी फरार दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि दूधनाथ को एनकाउन्टर करने हेतु थानाध्यक्ष ने थाने के अन्दर छिपा रक्खा था और फर्जी रिपोर्ट फरार की लिखा कर परगना हाकिम को दिया है ?

श्री गुलाब सेहरा—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय की रिपोर्ट दिनांक 1/2-3-83 की रात्रि में 2.15 बजे दर्ज की गयी जिसमें दूधनाथ के फरार होने का भी उल्लेख है । इस सम्बन्ध में दिनांक 2-3-83 को परगना मजिस्ट्रेट को कोई रिपोर्ट नहीं दी गयी । दिनांक 2-3-83 को दिन में लगभग 12 बजे फरार दूधनाथ को गिरफ्तार कर दिनांक 3-3-83 को जेल भेजा गया । उक्त मामले में की गई जांच से थानाध्यक्ष पर लगाए गए आरोप सही नहीं पाए गए ।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, इसकी जांच किससे करायी गयी । दूसरी बात यह है कि जो हमारा पत्र गृह सचिव को मिला है उन्होंने हमको पत्र में लिखा है कि इसकी जांच आई० जी० से कराने की संस्तुति की गयी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी जांच आई० जी० से कराई गई अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा करायी गयी ? उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री गुलाब सेहरा—

इसकी जांच वहां के एस० पी० और सी० ओ० ने की है । जिनकी रिपोर्टें मेरे पास हैं ।

श्री ऊदल--

उसकी क्या रिपोर्ट है ? परगना मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देने की बात कही जा रही है कि नहीं दी है । मेरी बात को सत्य मानकर क्या मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे कि परगना मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दी गयी है और उसको फरार दिखाया गया है जब कि उसको उस वक्त थाने में बैठाया गया था ?

श्री गुलाब सेहरा--

इन दोनों जांचों में कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया ।

श्री ऊदल--

मैंने कहा कि मेरी जानकारी को सही मानकर कि परगना मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दी गई है, इसकी जांच पुनः करायेंगे ? दूसरे क्या आप इस मामले की जांच पुनः करायेंगे कि जिस रिपोर्ट का हवाला मंत्री जी ने दिया है उसको मैं पूरे का पूरा फर्जी कह रहा हूं, क्या इसकी जांच डी० आई० जी० के स्तर से या किसी उच्च अधिकारी अथवा सी० आई० डी० से कराने की कृपा करेंगे ? यह मुकदमा बिल्कुल फर्जी और मनगढ़ंत बनाया गया है ?

श्री गुलाब सेहरा--

यदि माननीय सदस्य कुछ तथ्यों को देंगे तो जिससे वे जांच कराना चाहेंगे, अवश्य करा दी जायेगी ।

राजकीय पालीटेक्निक विद्यालयों हेतु व्याख्याता अप्राविधिक अंग्रेजी का पद

*6--केदार नाथ सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, प्राविधिक शिक्षा ने प्रदेश के राजकीय पालीटेक्निक विद्यालयों हेतु व्याख्याता अप्राविधिक अंग्रजी के पदों को भरने के लिए विज्ञापित कराने हेतु दिनांक 5-3-83 को निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश को कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो इन पदों की अर्हताओं में अंग्रेजी को क्यों महत्व दिया जा रहा है जबकि प्रदेश के पालीटेक्निक विद्यालयों में हिन्दी माध्यम से पठन-पाठन कराया जाता है तथा सभी मानक पुस्तकें हिन्दी भाषा में हैं ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

जी हां । व्याख्याता अंग्रेजी के पद राजकीय पालीटेकनिक विद्यालयों हेतु आल इंडिया काउन्सिल फार टेक्निकल एजूकेशन, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार प्रत्येक प्रदेश के लिये स्वीकृत है । संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्रों को उद्योगों एवं अन्य प्रदेशों के अभियन्त्रण विभागों में नौकरी प्राप्त करने के लिये तथा अन्य अभियन्त्रण विभागों से और स्वतः रोजगार में उद्योगों से या अन्य प्रदेशों के विभागों से पत्राचार के लिये अंग्रेजी की अच्छी जानकारी होना अनिवार्य है, जिसके अभाव में इस प्रदेश के छात्र उद्योगों में नौकरी पाने में असमर्थ हो जायेंगे । अंग्रेजी विषय का अध्यापन भी प्रशिक्षण का ही एक अंग है । विभाग का मुख्यतः उद्देश्य सेवायोजन के लिये प्रशिक्षण देना

है, जिसकी पूर्ति उनमें उत्तीर्ण छात्रों के शत-प्रतिशत सेवायोजन से ही सम्भव है। अतः छात्रों को सेवायोजन के हित में प्रशिक्षण के एक अंग के रूप में अंग्रेजी पढ़ाना आवश्यक है। अभी मानक टेक्निकल पुस्तकें तथा प्रशिक्षण से सम्बन्धित जरनल्स आदि अधिकतर अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, यह प्रश्न राष्ट्रभाषा हिन्दी की प्रगति से जुड़ा हुआ है। अभी प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि आल इंडिया काउंसिल आफ टेक्निकल एजूकेशन के मानक के अनुसार तथा दूसरे प्रदेशों में रोजगार उपलब्ध कराये जाने के लिए अंग्रेजी आवश्यक है। मैं जानना चाहता हूं कि जब पालिटेक्निक्स में पढ़ाई का माध्यम हिन्दी है तब अंग्रेजी व्याख्याता रखने का क्या औचित्य है ?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, औचित्य तो उत्तर में ही दिया है कि पालिटेक्निक से पास छात्र अगर उत्तर प्रदेश से बाहर या किसी निजी उद्योग में काम करना चाहते हैं तो वहां पर अभी अंग्रेजी ही मानक के रूप में मानी गयी है।

दूसरा, पालिटेक्निक्स में अभी भी अधिकांश पुस्तकें, उनसे सम्बन्धित पत्र पत्रिकायें अंग्रेजी में हैं।

तीसरा, अगर अंग्रेजी का सही ज्ञान उनको नहीं दिया जायेगा तो हमारे छात्रों का अध्ययन अधूरा रह जाता है।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मैंने स्पष्ट प्रश्न किया कि पालिटेक्निक्स में जो पढ़ाई की जाती है वह हिन्दी के माध्यम से की जाती है फिर अंग्रेजी का प्रशिक्षक रखने का क्या औचित्य है, उसको रखने से अंग्रेजी का ज्ञान कहां बढ़ रहा है। प्रशिक्षक रख देने से अंग्रेजी का ज्ञान कैसे हो जायेगा जब तक कि प्राविधिक शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से न दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं। इसका उत्तर दे दिया गया है।

(व्यवधान)

(श्री राम स्वरूप वर्मा का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री केदार नाथ सिंह—

यह उत्तर कहां आया।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रदेश देश का हृदय है और हिन्दी भाषा को बढ़ाने के लिए, उसे प्रचारित करने के लिए कि इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार की है और जो कठिनाई मानक पुस्तकों की बताई उनको हिन्दी में ट्रांसलेट कराकर इन संस्थाओं में हिन्दी में शिक्षा दी जायेगी

और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी सूबे में हिन्दी जानने वाले 10 सैकड़ा से कम नहीं है जब कि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या 2 सैकड़ा है। तो जब अंग्रेजी जानकारों की संख्या 2 सैकड़ा है तो क्या आप अपनी नीति हिन्दी की बनायेंगे ?

श्री लोकपति—

जितनी पुस्तकें विज्ञान या वैज्ञानिक शिक्षा से सम्बन्धित हैं वे अंग्रेजी में हैं और उनको हिन्दी में छपवा रहे हैं। अभी पिछले वर्ष लखनऊ में एक नुमाइश हुई थी जिसमें ऐसी पुस्तकें प्रस्तुत की गयी।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

उत्तर प्रदेश सरकार की यह जिम्मेदारी है उसके लिए दिल्ली की सरकार पर जोर दें तब आप यह कर सकते हैं। दूसरा यह कि आप सोच रहे हैं कि माध्यम भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है तो दूसरे सूबों में दो प्रतिशत लोग अंग्रेजी जानते हैं जब कि हिन्दी जानने वाले 10 प्रतिशत से कम नहीं हैं।

श्री लोकपति—

उत्तर प्रदेश में हिन्दी है मगर जिन छात्रों को हम प्रशिक्षित करते हैं उन सभी को इस सूबे में सेवा करने का मौका नहीं मिल पाता है। अपने रोजगार के लिए उनको राज्य के बाहर तथा निजी क्षेत्र में भी नौकरी के लिए जाना पड़ता है। साधारण सी एप्लीकेशन अंग्रेजी में ड्राफ्ट नहीं कर पाते हैं। तो उनको हानि न हो इसको सामने रख कर भारत सरकार ने यह कहा है और जिसे उ0 प्र0 की सरकार ने स्वीकार किया है। तो उनको पढ़ाई के साथ अंग्रेजी भी एक विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है।

श्री केदारनाथ सिंह—

मान्यवर, मेरा सवाल बहुत सरल है। मैंने प्रश्न किया था कि जो प्राविधिक शिक्षा दी जाती है वह हिन्दी के माध्यम से दी जाती है। मैंने प्रश्न किया था कि केवल टीचर रखने से ही अंग्रेजी का ज्ञान नहीं हो जाता है, इसलिय जब हिन्दी के माध्यम से पढ़ाई की जाती है तो टीचर अंग्रेजी का रखने का क्या तात्पर्य है ?

श्री लोकपति—

अंग्रेजी का सिर्फ शिक्षक ही नहीं रखा गया है बल्कि उसके द्वारा अंग्रेजी विषय की पढ़ाई उन छात्रों को दी जा रही है, उनके हित में ताकि वह उ0 प्र0 के अन्दर और बाहर नौकरी अंग्रेजी जानने के कारण पा सकें।

श्री धनीराम वर्मा—

मैं जानना चाहता हूं कि पालीटेक्निक विद्यालयों में जो व्याख्याता होते हैं वह सभी इंजीनियरिंग डिप्लोमा किये होते हैं फिर चाहे वह आई0 टी0 आई0 या आई0 आई0 टी0 से हों जहां शिक्षा निश्चित रूप से जैसी आवश्यकता होती है, अंग्रेजी या हिन्दी में, वह पालीटेक्निक विद्यालयों में शिक्षा देते हैं, तो फिर अंग्रेजी के व्याख्याता रखकर क्या इंगलिश लिटरेचर की शिक्षा वहां देना चाहते हैं ?

श्री लोकपति--

प्रश्न साफ नहीं हुआ और मैं उत्तर दे चुका हूं ।

श्री धनीराम वर्मा--

मान्यवर, मेरा प्रश्न साफ है कि प्रत्येक पालीटेक्निक विद्यालय में चाहे वह इंजीनियरिंग का कोर्स हो या डेरा का कोर्स हो उसकी शिक्षा देने के लिये उसी की नियुक्ति होती है जो इंजीनियरिंग कोर्स किये होता है और वहां अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर हिन्दी में भी, तो फिर अंग्रेजी के व्याख्याता को रखकर क्या अंग्रेजी लिटरेचर की शिक्षा वहां दी जायेगी अथवा वहां जो विषय है उसकी शिक्षा दी जायेगी ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, जहां हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है वहां उ0 प्र0 के पालीटेक्निक से उत्तीर्ण छात्र उ0 प्र0 के बाहर या अन्दर ही निजी संस्थाओं में कार्य नहीं कर पाते हैं । इसलिये कि उनको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होता है, इसलिये अंग्रेजी का ज्ञान कराने के लिये एक व्याख्याता की नियुक्ति की गयी है कि वह अंग्रेज की शिक्षा उनको दें ।

*7--श्री मोतीलाल देहलवी--

[दिनांक 7-4-83 को वक्तव्य होने के कारण निरस्त]

ग्राम पडरी खुर्द, थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव में श्री रामानन्द की हत्या की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच की मांग

*8--श्री दूधनाथ राजभर तथा श्री बलवीर सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम पड़री खुर्द थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव में दिनांक 4-8-82 को श्री रामानन्द की हत्या की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराये जाने हेतु ग्रामवासियों के हस्ताक्षर से युक्त प्रार्थना-पत्र के साथ विधायकों के पत्र शासन को अब तक प्राप्त हुये हैं, पर क्या सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब का क्या कारण है ? क्या सरकार तुरन्त सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । शासन द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कराये जाने के कोई आदेश नहीं निर्गत हुये हैं । विवेचना के उपरान्त इस अपराध में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और यह विचाराधीन है । अतः अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सचिवालय के प्रवर एवं अवर वर्ग सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु वैकल्पिक विषयों की अनिवार्यता की समाप्ति हेतु पत्र

*9--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सरकार को जानकारी है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक एवं अवर वर्ग सहायक के पदों पर नियुक्ति करने हेतु

कतिपय वैकल्पिक विषयों का प्राविधान करते हुये उनमें से अधिकतम किन्हीं दो विषयों में सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है ? यदि हां, तो सचिवालय में उक्त पदों पर उन वैकल्पिक विषयों की क्या-क्या उपयोगिता पायी गई ? क्या वैकल्पिक विषयों की अनिवार्यता की समाप्ति हेतु श्री आनन्द भूषण गौड़ 52/87, सोम निकुंज, बाग आइना बी० बी०, हुसेनगंज, लखनऊ का दिनांक 31-5-82 का कोई रजिस्टर्ड पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । वैकल्पिक विषय शासन की हिन्दी को प्रोत्साहन दिए जाने की नीति के अधीन आयोग के परामर्श, से समान दायित्वों के पदों हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप, रखे गये हैं ।

श्री आनन्द भूषण गौड़ का पत्र दिनांक 31-5-82 शासन को प्राप्त हुआ था । उस पर विचारोपरान्त पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन करना उचित नहीं समझा गया ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप रखे गये निर्धारित पाठ्यक्रम क्या क्या हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, निर्धारित पाठ्यक्रम यह हैं कि इस समय जो यू० डी० ए० और एल० डी० ए० के जो पर्चे करने पड़ते हैं उसमें 1--हिन्दी सारलेख और प्रालेखन-100 नं०, और 2--हिन्दी निबंध और अनुवाद नं० 100 इसके बाद 21 विषय हैं, जिसमें से कोई एक विषय एल० डी० ए० को और यू० डी० ए० को दो विषय लेने पड़ते हैं । यह 21 विषय यह हैं :--

1--सामान्य भारतीय इतिहास 2--सामान्य भूगोल 3--भौतिक शास्त्र 4--रसायनशास्त्र 5--अर्थशास्त्र 6--समाजशास्त्र 7--बहीलेखन और लेखाशास्त्र 8--वनस्पति विज्ञान 9--अवर गणित 10--कृषि 11--राजनीति शास्त्र 12--मनोविज्ञान 13--सांख्यिकी 14--संस्कृत साहित्य 15--हिन्दी साहित्य 16--उर्दू साहित्य 17--अंग्रेजी साहित्य 18--जीव विज्ञान 19--भूगर्भ शास्त्र 20--राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा 21--ला ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

श्री आनन्द भूषण गौड़ के पत्र के आधार पर परिवर्तन न करने का कारण क्या है ? किन कारणों से परिवर्तन करना सम्भव नहीं है ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्री भूषण गौड़ का एक पत्र प्राप्त हुआ । उनकी मांग को स्वीकार करना इस कारण से सम्भव नहीं है कि हम यह चाहते हैं कि हमारे यहां कम्पटीशन से काबिल से काबिल लोग आयें । सचिवालय का संवर्ग ऐसा है जहां पर योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है । उनकी योग्यता का असर सारे प्रदेश पर पड़ता है । इनके पत्र का जब परीक्षण कराया गया तो यही निश्चय किया गया कि आप्शनल सब्जेट्स का खत्म करना प्रदेश के हित में न होगा ।

श्रीमती विमला देवी द्वारा थाना विसवां जिला सीतापुर की पुलिस के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट

*10--श्री भीखालाल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्रीमती विमला देवी, पत्नी दीना, निवासी सत्तन पुरवा, थाना विसवां, जिला सीतापुर ने 3 जनवरी, 1983 को थाना कोतवाली सीतापुर को रिपोर्ट लिखाई है कि 2/3 जनवरी की रात में श्री राधेश्याम शर्मा इन्चार्ज थाना विसवां ने उसके घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया है ? यदि हां, तो क्या श्रीमती विमला देवी की डाक्टरी जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और अब तक मुल्जिम के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं । प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत कोई रिपोर्ट थाने पर नहीं लिखाई गई । श्रीमती बिमला देवी द्वारा पुलिस अधीक्षक सीतापुर को दिये गये पत्र में यह आरोप लगाया गया था कि 9/10 जनवरी, 1983 की रात्रि में थानाध्यक्ष विसवां अन्य 7 सिपाहियों के साथ इनके घर में घुसे और इनके साथ बलात्कार किया । इस पर क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच कराई गई तथा श्रीमती बिमला देवी का डाक्टरी परीक्षण भी कराया गया । डाक्टरी परीक्षण में बलात्कार होने की पुष्टि नहीं हो सकी । अन्य आरोप भी प्रमाणित नहीं हुये । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भीखालाल--

यह घटना 9/10 जनवरी की रात की है । तो उस महिला का डाक्टरी मुआयना कब कराया गया और बलात्कार न होने की बात किस आधार पर कही जा रही है, डाक्टरी मुआयने के आधार पर या किसी अन्य साक्ष्य आदि के आधार पर ?

श्री गुलाब सेहरा--

एक तथ्य तो डाक्टरी मुआयना है । दूसरा आधार सी० ओ० की जांच का है । इस महिला की सास ने जो बयान दिया उसने इस बात की पुष्टि नहीं की । उसके पति ने भी इसकी पुष्टि नहीं की । जो और दूसरे लोग उपस्थित थे उन्होंने उसकी पुष्टि नहीं की । इस महिला ने स्वयं यह कहा है कि उसने एक दो सज्जन के बहकावे में आकर यह रिपोर्ट लिखायी है ।

*11--श्री प्रियादर्शी जेतली--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बलिया जिले के ग्राम भरौली में किसानों की अधिनृहीत की गई भूमि तथा प्रतिकर का भुगतान

*12--श्री माता साद पाण्डेय--

दिनांक 10 मई, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 54 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिले के ग्राम भरोली के उन किसानों को जिनकी भूमि अधिगृहीत की गयी थी और जिन्होंने मुआवजा पुराने दर से लेने से इनकार कर दिया था, नये दरों से मुआवजा दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं दिया गया, तो क्यों ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

बलिया जिले के ग्राम भरौली के उन किसानों को नई दरों से प्रतिकर का भुगतान इसलिये नहीं किया गया क्योंकि राजस्व परिषद् द्वारा जारी किए गये आदेशों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि यदि भूमि का कब्जा 4 अगस्त, 1976 के पूर्व विभाग को दे दिया गया हो और उक्त दिनांक तक अभिनिर्णय घोषित न हुआ हो तो नई दर से प्रतिकर का भुगतान कर दिया जावेगा। चूंकि ग्राम भरौली में अस्थाई भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 20 जुलाई, 1971 को घोषित किया गया तथा उसका कब्जा भी दिनांक 17 मार्च, 1971 को विभाग को प्राप्त हो गया, अतएव सम्बन्धित भू-स्वामियों को नई दर से प्रतिकर का भुगतान देय नहीं है।

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

जो जमीन किसानों की ली गयी है उसका 20 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रतिकर विभाग देना चाहता था। उसके बगल में, बिहार में, वहां की सरकार ने किसानों की जो जमीन ली उसका 1600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया। इससे किसानों में कुन्ठा की भावना पैदा हुई और उन्होंने प्रतिकर लेने से इंकार कर दिया। आपने कहा कि राजस्व परिषद् का निर्देश है। आप क्या राजस्व परिषद् से यह अनुरोध करेंगे कि मानवीय आधार पर चूंकि इन किसानों की हानि हो रही है, संशोधित नियमों के अन्तर्गत, नया प्रतिकर दिया जाय ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

श्रीमन्, इसमें राजस्व परिषद् ने जो निर्णय ले लिया है वह अन्तिम है।

श्री माता प्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, इसमें बगल की दोनों जमीनें एक सी हैं। एक का इस समय एक प्रदेश 16 सौ रुपया प्रति एकड़ की दर से प्रतिकर दे रहा है और दूसरा प्रदेश 20 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे रहा है, इसलिए उस समय उन लोगों ने इंकार कर दिया, तो मैं मंत्री जी से पुनः जानना चाहता हूं कि क्या वह मानवीय आधार पर राजस्व परिषद् से आग्रह करके, अधिकतम जो भी सम्भव हो, उनका प्रतिकर दिलाने की कृपा करेंगे ? और नहीं तो क्या पुराने मूल्यों पर ही दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

जी नहीं।

श्री अर्जुन यादव द्वारा थाना बाजार खाला की पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*13—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अर्जुन यादव आत्मज श्री गुरु प्रसाद, निवासी नन्दाखेड़ा, थाना बाजार खाला, लखनऊ को थाना बाजार खाला की पुलिस चौकी मिल एरिया के पुलिस कर्मियों द्वारा निर्ममतापूर्ण पिटाई किये जाने विषयक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को सम्बोधित शिकायती-पत्र की प्रति-

लिपि श्री धनीराम सिंह नेगी, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के संलग्नक सहित दिनांक 7-4-83 को पुलिस महा निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अर्जुन यादव आत्मज गुरुप्रसाद का दिनांक 5-4-83 का शिकायती-पत्र ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के कार्यालय में प्राप्त हुआ था । मामले की जांच क्षेत्राधिकारी चौक से करायी गयी । जांच से शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोप प्रमाणित नहीं हुये हैं। कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया । अतः किसी अन्य कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो शिकायत की जांच क्षेत्राधिकारी से करायी गई, यह किस तारीख को कराई गई और किन-किन व्यक्तियों से इस मारपीट के बारे में पूछा गया ?

श्री गुलाब सेहरा--

यह क्षेत्राधिकारी ने 20-5-83 को की है । यह तीन पेज की रिपोर्ट है । धनीराम पुत्र जोधा आदि हैं, काफी लोग इसमें हैं और सबसे यह निष्कर्ष निकला कि जो आरोप लगाये गये हैं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो प्रार्थना-पत्र है, उसमें श्री विद्यासागर और रामकुमार नामक दो गवाहों के नाम दर्ज हैं, तो क्या इन लोगों से भी बयान क्षेत्राधिकारी ने लिये हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

सी० ओ० का निष्कर्ष हमारे पास मौजूद है, जिनका-जिनका लिया गया है, उनका नाम इसमें नहीं लिखा है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन गवाहों के नाम मुद्दई ने अपने प्रार्थना पत्र में दिये थे, क्या उनके बयान लिये गये ? हमने उनके नाम भी बता दिये हैं, तो उनके बारे में बताने में क्या कठिनाई है ?

(श्री गुलाब सेहरा के खड़े होकर फाइल पलटने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

नहीं है, तो आप सूचना मांग लीजिये ।

श्री गुलाब सेहरा--

मैंने पहले ही निवेदन किया, जो निष्कर्ष है यह मेरे पास मौजूद है, जिन-जिन बयानों के आधार पर वह निष्कर्ष निकला है, वह मेरे पास नहीं है ।

*14—श्री राम धनी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

थाना नवाबाद, जनपद झांसी में डीजल चोरी की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच

*15—श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि थाना नवाबाद, जनपद झांसी में रजिस्टर्ड नं0 636/81 दिनांक 3-10-81 तथा इल्जाम नं0 157/82 तथा 158/82 जिसमें डीजल चोरी आदि की शिकायतें थीं, के सम्बन्ध में दिनांक 1-7-82 को सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच किये जाने के आदेश माननीय मुख्य मंत्री द्वारा किये गये थे ? यदि हां, तो उन आदेशों के पालन में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

मुख्य मंत्री जी के प्रश्नगत आदेशों के अनुपालन में तुरन्त आवश्यक निर्देश अपराध अनुसंधान विभाग की अपराध शाखा को दे दिये गये, जिनके अनुसरण में विवेचना जारी है ।

राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय छात्र संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश की मांगों पर कृत कार्यवाही

*16—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों (केन्द्रीय सरकार की योजना जिसके कार्यान्वयन का भार प्रादेशिक सरकार पर है) के छात्रों की राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय छात्र संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश का कोई मांग पत्र जिसमें उनकी (छात्रों की) समस्याओं जैसे पालीटेकनिक संस्थाओं में बिना प्रवेश परीक्षा के एडमीशन आदि शामिल हैं, हाल में ही मिला है ? यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, छात्र संघर्ष समिति की प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं :—

1—रूरल टेक्नालाजी को पाठ्यक्रम से हटाया जाय अथवा इसके लिये प्रशिक्षक की व्यवस्था की जाय ।

2—एस0 टी0 सी0 उत्तीर्ण छात्रों की भर्ती की शर्त के अनुसार पालीटेकनिक संस्थाओं में बिना प्रवेश परीक्षा के सीधे प्रवेश दिया जाय ।

3—छात्रों को उनके इच्छित पालीटेकनिक में प्रवेश दिया जाय ।

4—बैक पेपर परीक्षा का परीक्षाफल पालीटेकनिक में प्रवेश की तिथि के पहले निकाला जाय एवं बैक पेपर से उत्तीर्ण छात्रों को ही प्रवेश दिया जाय ।

5--सत्र 1982-83 से पाठ्यक्रम में जोड़े गये विषय (1) नैतिक शिक्षा और (2) सामाजिक विषय हेतु अध्यापक की व्यवस्था की जाय।

6--एस0 टी0 सी0 पाठ्यक्रम को अप्रेन्टिस एक्ट, 1952 के अन्तर्गत लाया जाय।

7--एस0 टी0 एस0 को स्वतंत्र किया जाय।

उपरोक्त मांगों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का ब्योरा संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 215 पर)।

ग्राम रसूलपुर के गुमान सिंह आदि के विरुद्ध पुलिस चौकी इन्चार्ज श्री प्रीतम सिंह द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट

*117--श्री राम कृष्ण माहेश्वरी--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद मुरादाबाद की पुलिस चौकी कांठ में अपराध संख्या 359 धारा 147/353/225, दिनांक 27-11-1981 को ग्राम सलेमपुर के 117 व्यक्तियों के एवं अपराध संख्या 29 धारा 25 आर्म्स एक्ट फैक्ट्री दिनांक 27-2-1982 को ग्राम रसूलपुर के गुमान सिंह आदि के विरुद्ध तत्कालीन पुलिस चौकी इंचार्ज श्री प्रीतम सिंह द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमें कायम किये गये थे जो जांच उपरान्त सही नहीं पाये गये एवं जांच-कर्ताओं ने अपराधियों को दोषमुक्त करके इनमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी? यदि हां, तो रिपोर्ट कर्ता पुलिस उप महानिरीक्षक प्रीतम सिंह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अपराध श्री प्रीतम सिंह, उप निरीक्षक, तत्कालीन पुलिस चौकी इंचार्ज की सूचना के आधार पर पंजीकृत किये गये थे। अपराध संख्या 359 धारा 147/353/325 भा0 द0 वि0 में विवेचना के उपरान्त साक्ष्य की संदिग्धता के कारण अंतिम रिपोर्ट लगा दी गयी जो न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई। इस अपराध के पंजीकृत कराने में श्री प्रीतम सिंह, उप निरीक्षक को दोष नहीं पाया गया। गुमान सिंह आदि के विरुद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अपराध की विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा विवेचना की जा रही है।

श्री राम कृष्ण माहेश्वरी--

माननीय, मैंने जो प्रश्न किया था उसमें दो बिन्दु थे। यह दरोगा झूठे मुकदमें दर्ज करने का आदी था इसने एक मुकदमा जो करा उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी जबकि उसमें खुद वह मुद्दई था। तो पहला प्रश्न मेरा यह है कि जब इसमें 117 व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। दूसरे थानेदार ने जांच की तो यह पाया गया कि वह रिपोर्ट गलत अंकित करायी गयी है। तो उसके खिलाफ आपने कार्यवाही क्यों नहीं की? दूसरा मुकदमा दफा 25 का है इसमें मैं जानना चाहता हूं कि इसका मुद्दई कौन था? किसने एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी थी और उस एफ0 आई0 आर0 के बिन्दु क्या थे तथा उसकी जांच इस वक्त कौन कर रहा है?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, यह एफ0 आई0 आर0 उप निरीक्षक प्रीतम सिंह ने करायी है और प्रतिवादी हैं गुमान सिंह पुत्र तुला राम। पहले केस की जो बात की गयी तो उसमें घटना बहुत संक्षिप्त है। एक वारन्ट की तामील करने पुलिस पार्टी गयी तो उसमें कुछ लोगों ने व्यवधान किया और यह मुकदमा कायम हुआ। लेकिन जो 10 गवाह थे उसमें से 8 ने एफीडेविट दे दिया तो फाइनल रिपोर्ट लगाना आवश्यक था।

पशुपालन विभाग में समायोजित कर्मचारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित करने पर विचार

*18--श्री शरीयत उल्ला--

क्या पशुधन मंत्री को ज्ञात है कि विकास खंडों के पुनर्गठन के फलस्वरूप अतिरिक्त घोषित कर्मचारियों को पशुपालन विभाग में समायोजित करने पर उनकी पैतृक विभाग की पारस्परिक ज्येष्ठता भंग कर दी गई है ? क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आदि में समायोजित कर्मचारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पैतृक विभाग के अनुसार ही शासन द्वारा निर्धारित की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार पशुपालन विभाग में भी समायोजित कर्मचारियों की पारस्पारिक ज्येष्ठता सूची के अनुसार निर्धारित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पशुधन राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)--

जी हां। यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के लखनऊ बैन्च में विचाराधीन है।

श्री मूल चन्द्र, निवासी ग्राम कोड़वा, थाना कुर्सी, जनपद बाराबंकी की हत्या की जांच

*19--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि 28-2-1983 को साढ़े ग्यारह बजे दिन में श्री मूल चन्द्र पान्डेय, ग्राम कोड़वा, थाना कुर्सी, बाराबंकी की हत्या हुई थी ? क्या यह भी सत्य है कि थाना कुर्सी द्वारा रपट न लिखने पर 3 मार्च, 1983 को मृतक के पिता श्री पृथ्वी पाल पान्डेय ने पुलिस अधीक्षक से मिल कर थाने की शिकायत की ? यदि हां, तो थाने में रपट न लिखने का क्या कारण था ? क्या शासन को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता ने 6 मार्च को पुलिस अधीक्षक, 10 मार्च को कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक तथा 15 मार्च को पुलिस अधीक्षक को नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी अथवा 87-88 की कार्यवाही करने का अनुरोध किया था ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार यह प्रमाणित नहीं हो सका है कि श्री मूलचन्द, निवासी ग्राम कोड़वा, थाना कुर्सी, जनपद बाराबंकी की हत्या हुई है। दिनांक 2-3-1983 को श्री मूलचन्द्र के पिता श्री पृथ्वी पाल पान्डेय की सूचना पर उनके पुत्र की गुमशुदगी

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर * का समय समाप्त हो गया।

की रिपोर्ट की गयी ,उनके पिता के अनुरोध पर पुलिस अधीक्षक के आदेश से उक्त मामले में भा0 द0 वि0 की धारा 147/148/302/201 के अधीन अपराध सं0 25/83 पंजीकृत किया गया । चूंकि पहले थान पर गुमशुदगी की मात्र मौखिक सूचना दी गई थी, अतः तत्काल कोई अभियोग अंकित न करके उसे उसी दिन रोजनामचा आम म थाना कुर्सी में अंकित किया गया था । नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना से अभी तक अपराध प्रमाणित नहीं हुआ इसलिय उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

प्रदेश के पर्वतीय जिलों में जल विद्युत् की अविकसित क्षमता एवं पूर्ण उपयोग हेतु दीर्घकालीन कार्य

*20—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश पर्वतीय जिलों में जल विद्युत् की कुल कितनी अविकसित क्षमता उपलब्ध है ? इस क्षमता का उपयोग करने के लिये क्या सरकार ने कोई विस्तृत योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में जल विद्युत् की अविकसित क्षमता की सम्भावना निम्न प्रकार है :—

1—शारदा घाटी	5000	मेगावाट
2—गंगा घाटी	7118	,,
3—यमुना घाटी	1555	,,
योग ..	13,673	,,

इस क्षमता के पूर्ण उपयोग हेतु योजनाओं की रचना एक दीर्घकालीन कार्य है । इनमें से अनेक योजनाओं का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य केन्द्र अथवा प्रदेश सरकार द्वारा प्रगति पर है ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राजकीय कर्मचारियों हेतु इम्प्लाईज स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम लागू किये जाने का कथित विचार

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय कर्मचारियों के लिए अलग से कोई इम्प्लाईज स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम (ई0 एस0 आई0) लागू किया जाना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो स्कीम का पूरी रूपरेखा क्या है तथा यह कब से लागू होना प्रस्तावित है ?

श्री लोकपति—

जी नहीं ।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, मेरी इसमें रुचि है।

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कर्मचारियों को जो ई0 एस0 आई0 स्कीम है उसके सम्बन्ध में कर्मचारियों का कोई पत्र माननीय मन्त्री जी को प्राप्त हुआ है ? इस स्कीम को संचालित करने के लिये जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, क्या सरकार उन पर कार्यवाही करेगी ?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, यह ई0 एस0 आई0 योजना भारत सरकार की श्रमिकों की योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार के सम्बन्ध में जहां तक जानकारी है राज्य कर्मचारियों से लिये उनकी एक बीमा योजना चलायी जा रही है। दोनों अलग-अलग चीजें हैं।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि इस योजना की नीति पर सिद्धांततः सहमति है तो उसको चलाने में क्या कठिनाई है ?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, यह उस परिधि में नहीं आता।

प्रदेश में परिस्थितिकीय असंतुलन के नियंत्रण हेतु उपाय

**2—श्री सरदार सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिस्थितीय संतुलन (इकालोजिकल बैलेन्स) असंतुलित हो गया है, जिसके कारण प्रदेश में एक नया संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो शासन इस संकट से बचने के लिये कौन-कौन से उपाय कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

यह कहना उचित न होगा कि प्रदेश में परिस्थितिकीय संतुलन (इकोलाजिकल बैलेन्स) इतना असंतुलित हो गया है कि प्रदेश में कोई नया संकट उत्पन्न हो गया है। प्रदेश के कुछ भागों में परिस्थितिकीय असंतुलन (1) जल एवं वायु प्रदूषण, (2) वन के कटान, (3) खनन कार्य, (4) भूक्षरण, (5) वन्य जन्तुओं की असुरक्षा के कारण उत्पन्न होने की आशंका है, जिसके नियंत्रण हेतु शासन उपाय कर रहा है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के द्वारा उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की तथा जल प्रदूषण एवं नियन्त्रण अधिनियम 1974 के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों द्वारा शुद्धिकरण की व्यवस्था न किये जाने पर अभियोजनात्मक कार्यवाही की जा रही है। वायु प्रदूषण कम करने के लिये भारत सरकार द्वारा पारित वायु प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम, 1981 को प्रदेश में लागू किया जा रहा है।

हिमालियन क्षेत्र में वनों के कटान, भूक्षरण एवं खनिज पदार्थों के खनन के उत्पन्न असंतुलन को कम करने के लिये हिमालियन इकोलाजिकल रीजेनरेशन

कार्यक्रम आरम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत शिवालिक पहाड़ियों के भूसंरक्षण तथा वनीकरण के लिये माइक्रोवाटरशेड मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट प्रदेश के वन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नाजुक क्षेत्रों में खदान कार्यवाही हेतु खनन पट्टों का नवीनीकरण न करना, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से खनन पट्टों को समय से पूर्व समाप्त करने की अनुमति देने तथा खनन किये गये क्षेत्रों के पुनरोद्धार हेतु अधिनियम संशोधन करने की कार्यवाही की जा रही है। वनों के कटान को रोकने के लिये वन विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी है जिससे भूक्षरण पर नियन्त्रण किया जा सकेगा। लुप्तप्रायः वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास हेतु भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग के द्वारा कार्य किया जा रहा है। विभिन्न विकास विभागों के द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को लागू किये जाने के पहले पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जा रहा है। जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिये व्यापक प्रचार किया जा रहा है।

श्री सरदार सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, जलप्रदूषण और वायु प्रदूषण बहुत अधिक हो गया है। मथुरा रिफाइनरी से बहुत धुआं निकलता है। मथुरा, आगरा, कानपुर, बनारस में बहुत साड़ियां धोयी जाती हैं। प्रदेश में नदियों का पानी पीने लायक नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कानपुर, मथुरा, आगरा, बनारस ऐसे शहरों में प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री लोकपति—

लखनऊ, नैनीताल, बनारस, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, सीतापुर, मथुरा इन जगहों पर नदियों के जल का सर्वेक्षण कराया जा रहा है कि किस प्रकार से नदियों का पानी शुद्ध हो इसकी योजना तैयार कराई जा रही है।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के द्वारा कितने उद्योगपतियों के खिलाफ कार्यवाही की गई क्योंकि उनकी फैक्ट्री से गन्दा पानी निकलता है। इनके अधिकारी पैसा लेकर उनसे मिले रहते हैं। किसी नगर कानपुर, आगरा में कितने के खिलाफ कार्यवाही की गई जिन्होंने अधिनियम का उल्लंघन किया है?

श्री लोकपति—

कितने प्रकार के उद्योगों से जल प्रदूषण होता है इसकी जांच हो रही है। जांच के बाद उद्योगपतियों से वह संयंत्र लगाने का आदेश दिया जायेगा जिससे उनके कारखाने का बहाव शुद्ध होकर नदियों में गिरे।

श्री रेवती रमण सिंह—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो योजना जल प्रदूषण के लिये बनाई गई है वह कब तक क्रियान्वित हो जायेगी? कोई समय है एक वर्ष, साल, दो साल 83, 84, 85। नालों से जो जल प्रदूषण होता है उसके लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, यह बड़ा वृहद है विशाल है। गंगा, जमुना में 66 हजार नालों से अधिक गिरते हैं। कितने नालों पर क्या संयंत्र लगाना होगा,

इलाहाबाद हैं सब का सर्वेक्षण हो रहा है । अभी मैं कह दूंगा तो कहेंगे आपने फिर वही बात दुहरा दिया । तीन वर्ष में कुछ नहीं हुआ अब तीन वर्ष में शुरु हुआ है 6-8 महीने में रिपोर्ट आ जायेगी और इसका कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, जहां शहरों में वायु और जल प्रदूषण की बात है वहीं देहातों में जो जानवर मरते हैं आबादी के किनारे, या स्कूल के किनारे चकबन्दी वालों ने जमीन छोड़ी है, मरे हुए जानवरों की खाल निकाल कर छोड़ दिये जाते हैं । इस दिशा में गांव की वायु प्रदूष के सम्बन्ध में सरकार क्या सोच रही है ?

श्री लोकपति--

मैंने सदन को जानकारी दी कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जानकारी देने के लिये व्यापक अभियान चालू किया जा रहा है । जिसका जानवर मरता उसको गड्ढे में गाड़ देते, यह जानकारी पूर्व में रही है अब भूल गये हैं । उसको समझाया जायेगा कि यह कार्य कर । ट्टटी जाते हैं तो मिट्टी खोदकर उसपर डाल दें ताकि वातावरण दूषित न हो । यह कार्य हम सबको मिलकर करना होगा ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस पर्यावरण के नाम पर पर्वतीय क्षेत्र में वनों के कटान पर, वनों के खनन पर तथा वनों के कटान पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है जिससे लोगों को जलाने की लकड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही है और विकास कार्य अवरुद्ध हो गये हैं । जिससे मान्यवर, वहां के लोगों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।

श्री लोकपति--

मान्यवर, वन विभाग पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसी समस्या का अभी आपने उल्लेख किया उससे अवगत है और वह उस प्रकार के वृक्षों का रोपण कर रहा है जो कम समय में पूरे उग जायं जिससे कुछ ईंधन का कामकर सकें । इस तरह से इनके कार्यक्रम चल रहे हैं और एक हजार मीटर के ऊपर जैसा आपने कहा है, तो वृक्षों का कटान रोक दिया गया है ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

श्रीमन्, जैसा कि कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में खनन किया है वहां पुनरुद्धार की कार्यवाही की जा रही है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि खनन के पट्टे दिए जायं उनमें पुनरुद्धार की व्यवस्था अभी से की जाए ।

श्री लोकपति--

जहां तक मान्यवर, पट्टों का प्रश्न है उसमें सरकार कार्य कर रही है, मैदानी क्षेत्रों में कटान रोकना चाहती है उस पर वन विभाग ने रोक लगा दी है । मान्यवर, जहां तक ईंधन की, लकड़ी की बात है, इस सम्बन्ध में ऐसे वृक्ष लगाये जा रहे हैं जो जल्दी उग सकें ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक जीव जन्तुओं को मारे जाने की बात है तो कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े शिकारी हैं जब वह जंगली जानवरों को मारेंगे तो जनता तो शिकार करेगी ही ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि यह जो मुर्दे नदियों में बहाये जाते हैं उसको रोकने के लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, यह भी एक समस्या है एक लाश को जलाने में लगभग 500 की लकड़ी लगती है । अब विद्युत शवदाह गृह बनाने का प्रयास किया जा रहा है और वन विभाग ने कुछ जगहों पर लकड़ी की व्यवस्था की है जिससे खरीद कर लाश को जलाया जा सके ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

कानपुर में विद्युत शवदाह गृह है । मान्यवर, जबकि यह परम्परा रही है कि हिन्दुओं में जो गरीब तबके लोग हैं वह गंगा में या जमुना में शव प्रवाहित करते हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं । जहां शवदाह गृह नहीं हैं, जहां नदियों के पास इसकी व्यवस्था नहीं है तो क्या वहां शव प्रवाहित करने देंगे ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, यह व्यवस्था नहीं है कि शव बहाया जाय । व्यवस्था यह है कि शव जलाने के बाद उसकी कपाल क्रिया करके उसकी राख बहायी जाती है ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि पहाड़ों में वनों की कटान पर लुढकाने पर एक किलोमीटर से ऊपर रोक लगा दी गयी है । माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लीसे का जो घाव लगाया जाता है चीड़ के पेड़ों पर, जिसके कारण वन में एक-एक साल में दस-दस पेड़ गिर जाते हैं । फिर वन विभाग उनका दो किलोमीटर नीचे लुढ़कान कर देता है । तो मान्यवर, जो लुढ़कान होती है उसकी वजह से मिट्टी नीचे बह जाती है । लगातार बहती जाती है । वह मिट्टी फिर नहीं बन सकती । तो क्या मंत्री जी लीसे का गहरा घाव कराना बन्द करने का प्रयास करेंगे और लुढ़कान बन्द करने के लिये आवश्यक आदेश देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, पहला जो लीसे के घाव का जो प्रश्न है तो वह पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का रोजगार है । यह व्यवस्था अवश्य की जा रही है कि उसका दुरुपयोग न हो ।

श्री राम स्वरुप वर्मा--

मान्यवर, कानपुर और बनारस के जो शवदाह गृह बने हैं उनको चलाने के लिये बिजली नहीं मिल पा रही है । कानपुर में इसे बने तीन साल हो गये, लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है । पण्डे लोग गीली लकड़ी देकर पैसा कमाने के लिये बिजली नहीं आने दे रहे हैं । क्या मंत्री जी वहां बिजली की व्यवस्था करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति--

अवश्य करेंगे ।

अतारांकित प्रश्न

मेसर्स इलेक्ट्रा (इण्डिया) लिमिटेड, परतापुर, मेरठ के विरुद्ध आरोपों की जांच

1—श्री मन्जूर अहमद—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-5-81 को कोई शिकायती पत्र एवं प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें एलेक्ट्रा, फैक्ट्री, परतापुर, मेरठ के मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री अमीचन्द जैन व आशा जैन के भ्रष्टाचार एवं अनियमिताओं से सम्बन्धित है ? यदि हां, तो जांच किसने की और उस जांच से क्या निष्कर्ष निकला ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध) एवं मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, मेरठ द्वारा की गयी जांच में मेसर्स इलेक्ट्रा (इण्डिया) लिमिटेड, परतापुर, मेरठ के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये ।

श्री गुप्तनाथ सिंह, मंत्री, किसान सभा चकिया, वाराणसी का शिकायती-पत्र तथा पेड़ों की नीलामी

2—श्री ऊदल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सपही जंगल चकिया, जिला वाराणसी में रेंजर तथा वनविदों द्वारा चार सौ सागौन काटने एवं उसे दो टुकड़ों में करके आधा बेंच देने के बारे में श्री गुप्तनाथ सिंह, मन्त्री, चकिया तहसील-किसान सभा की दरख्वास्त को प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र के साथ वन राज्य मन्त्री को 8 अगस्त, 1982 को दिया था ? यदि हां, तो उसपर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री संजय सिंह—

माननीय प्रश्नकर्त्ता विधायक का पत्र दिनांक 8 जुलाई, 1982 वन विभाग में प्राप्त नहीं हुआ । परन्तु श्री गुप्त नाथ सिंह, मंत्री, किसान सभा, चकिया, वाराणसी का पत्र दिनांक 24 अप्रैल, 1982 प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी के कार्यालय में प्राप्त हुआ था, जिस पर सहायक वन संरक्षक से जांच कराई गई । जांच के दौरान श्री गुप्त नाथ सिंह ने लिखित रूप में बताया कि यह शिकायत उनके द्वारा नहीं की गई है । जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार शिकायत निराधार थी ।

3—श्री ऊदल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सपही, जंगल चकिया, जिला वाराणसी में 400 पेड़ सागौन का आधा हिस्सा नीलाम करने के लिये रेंजर ने रखा था ? क्या वह नीलाम कर दिया गया ? यदि हां, तो कितने में और 400 पेड़ काटने का कारण क्या था ?

श्री संजय सिंह—

सपही जंगल के शेरपुर ब्लाक में विभिन्न प्रजातियों के 154 वृक्ष सूख गये थे जिनको अवैध कटान से बचाने के लिये विभागीय कटान किया गया । इन में से

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

134 वृक्ष सागौन के थे इन वृक्षों को बोटे के रूप में चकिया रेंज कम्पार्टमेन्ट में रखा गया था इनमें से सागौन के 186 बोटे का नीलाम दिनांक 15 जून, 1983 को 60,000 रु0 में तथा अन्य प्रजाति के 44 बोटे का नीलाम 24 मई, 1983 को 3,400 रुपये में हुआ। अन्य प्रजाति के 30 बोटे के नीलामों में अच्छी दोली न आने के कारण अभी तक नीलाम नहीं हो सका है।

ग्राम नेमड़ाठ, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में उपभोक्ताओं को विद्युत् कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में पत्र

4—श्री राजकुमार राय—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम नेमाड़ाठ, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में उपभोक्ताओं ने दिनांक 11 सितम्बर, 1972 को बुक नं0 217526 के रसीद नं0 12, 13, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 से 25 रु0 प्रत्येक में विद्युत् सम्बन्ध प्राप्त करने के लिये जमा किया था तथा नेमड़ाठ के प्रधान ने दिनांक 4 सितम्बर, 1973 को उपरोक्त उपभोक्ताओं को विद्युत् सम्बन्ध देने के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (श्री जी0 डी0 पन्त) को लिखा था तथा प्रश्नकर्ता ने भी अधीक्षण अभियन्ता विद्युत् वितरण खण्ड, आजमगढ़ को दिनांक 2 अक्तूबर, 1982 के पत्र द्वारा नेमड़ाढ़ गांव के निवासियों जैसे मवानी, कन्ता आदि को विद्युत् सम्बन्ध दिलाने के बारे में अनुरोध किया था ? यदि हां, तो अब तक विद्युत् सम्बन्ध न दिये जाने का क्या कारण है, उन्हें विद्युत् सम्बन्ध कब तक दिया जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

ग्राम नेमड़ाठ, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में उपभोक्ताओं ने प्रश्न में दर्शित संख्याओं द्वारा विद्युत् कनेक्शन लेने के लिये 25 रु0 अग्रिम धनराशि जमा की थी और नेमड़ाठ के प्रधान ने दिनांक 4 सितम्बर, 1973 को उपर्युक्त उपभोक्ताओं की कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य अभियन्ता को पत्र लिखा था और माननीय विधायक जी ने दिनांक 2 अक्तूबर, 1982 के पत्र द्वारा इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत् वितरण मण्डल, आजमगढ़ को पत्र लिखा था।

उपरोक्त आवेदकों को अबतक विद्युत् कनेक्शन न दिये जाने का कारण यह है कि इसके लिये ग्राम नेमड़ाढ़ का विद्युतीकरण किया जाना आवश्यक था और उपरोक्त आवेदकों के आधार पर उपरोक्त ग्राम के विद्युतीकरण की लागत का लगभग 3.22 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ प्राप्त हो रहा था, अतएव इस ग्राम का विद्युतीकरण राज्य सामान्य योजना के अन्तर्गत सम्भव नहीं था।

इस वित्तीय वर्ष में इस ग्राम का विद्युतीकरण स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कर दिया जायेगा और उपरोक्त आवेदकों को विद्युत् कनेक्शन दे दिया जायेगा।

ग्राम नेमड़ाठ में हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण की मांग

5—श्री राजकुमार राय—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत् वितरण खण्ड, आजमगढ़ को प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 2 अक्तूबर, 1982 जो हरिजन बस्ती नेमड़ाढ़, जनपद आजमगढ़ में बिजली लगाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें विद्युतीकरण की क्या कठिनाई है और कब तक विद्युतीकरण होने की सम्भावना है ?

श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

ग्राम नेमडाढ़ की एक हरिजन बस्ती कः विद्युतीकरण वर्ष 1975 में किया जा चुका है । दूसरी हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण का व्यय इस विषय में निर्धारित सीमा 3,000 रु0 से अधिक आता है । इस कारण इस हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका । इस हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण ग्राम नेमडाढ़ के विद्युतीकरण के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 1983-84 में किये जाने की सम्भावना है ।

कौड़ीराम-गोला मार्ग का निर्माण

6--श्रीमती गौरी देवी--

प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 7 सितम्बर, 1982 का लिखे अपने पत्र संख्या 3586-ई-123--सा0 नि0 अनुभाग-11 के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कौड़ीराम-गोला मार्ग कौड़ीराम विधान सभा क्षेत्र संख्या 182 में 2 कि0 मी0 लम्बा ही स्वीकृत है, जबकि इस क्षेत्र में जिला परिषद् की सबसे अधिक 17 कि0 मी0 सड़कें हैं, जिनकी हालत दयनीय है ? यदि हां, तो प्रत्येक योजनायें प्रत्येक योजना 182 कौड़ीराम विधान सभा क्षेत्र का उपेक्षा व सड़क निर्मित न कराने का कारण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

मन्डलीय समिति द्वारा जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत केवल उक्त मार्ग का ही अनुमोदन किया गया था, अन्य किसी मार्ग का नहीं । इसी कारण शेष मार्गों को स्वीकृति नहीं दी गई है ।

पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमें

7--श्री मोहन सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर 1980 और 1982 के बीच फर्जी मुठभेड़ के नाम पर लोगों को जान से मारने के आरोप में कितने पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हत्या के मुकदमें शासन की ओर से दाखिल किये गये ? उन सब-इन्सपेक्टरों के नाम क्या हैं और वह घटनाएं कहां-कहां की हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार इटावा जनपद के दो अभियोगों में प्रश्नगत अवधि में 29 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय भेजे गये हैं । इन अभियोगों में उप निरीक्षक सर्वश्री बालादीन यादव (2) चित्रपाल सिंह (3) रघुबीर सिंह (4) रामनाथ स्वामी (5) कुंवर लाल (6) रामकुमार तिवारी (7) रामऔतार गुप्ता (8) जगदीश बहादुर सिंह तथा (9) सुरेन्द्र सिंह अन्तर्गत हैं ।

8-9--श्री हरगोविन्द वर्मा--

(उरे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या--88-89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

भूमि के अधिकृत आवंटियों तथा अनधिकृत काबिज व्यक्तियों के मध्य शान्ति भंग होने की शिकायत

10--श्री जटा शंकर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 5-10-1981 का पत्र जिसकी प्राप्ति गृह मन्त्री के पत्रांक एम0 79, दिनांक 17 अक्तूबर,

1982 कार्यालय विधान भवन, लखनऊ द्वारा स्वीकार करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु गृह सचिव को भेजे जाने की सूचना दी गयी थी कि शिकायत पर अब तक कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां,

प्राप्त सूचना के अनुसार भूमि के अधिकृत आवंटियों तथा अनधिकृत काबिज व्यक्तियों के बीच शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए उभयपक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 द0 प्र0 स0 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी । परगनाधिकारी स्वयं भी मौके पर गये । सम्प्रति भूमि पर आवंटियों का कब्जा है । थाना सुजौली की पुलिस द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी ।

विधायक श्री जटाशंकर सिंह द्वारा दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

11—श्री जटाशंकर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का 27 मई, 1982 का पत्र जिसकी प्राप्ति मुख्य मन्त्री के पत्रांक एम0/596 सी0 एम0—2/82 विधान भवन लखनऊ द्वारा यथोचित कार्यवाही किये जाने सूचना के साथ की गयी थी, की शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले में भा0 द0 वि0 की धारा—363/366 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत कर विवेचना की गयी । दो नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध द0 प्र0 सं0 की धारा 82/83 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी । एक अभियुक्त न्यायालय मे हाजिर हुआ सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है ।

ग्राम अल्लीपुर, जिला फैजाबाद के निवासी श्री मोती के बैल की बिजली के तार से मृत्यु की जांच और सहायता की मांग

12—श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री शेरबहादुर—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अल्लीपुर, कोडरा तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में बिजली के तार से उक्त ग्राम के निवासी श्री मोती पुत्र जोखू का एक बैल जल कर मर जाने के कारण उसकी जांच तथा सहायता के लिए प्रार्थना पत्र माह जून से, सितम्बर, 1982 की अवधि में दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री द्वारा सहायता देने व जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

प्रश्नगत दुर्घटना घटित होने के सम्बन्ध में विभागीय एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की जांच आख्याओं में परस्पर विरोधाभास होने के कारण परिषद् की सतर्कता इकाई को वास्तविक स्थिति को ज्ञात करने का अनुरोध किया गया है, जिसकी जांच आख्या प्राप्त होने पर तद्नुसार मामले में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

छिबरापुर राधोपुर लाइन के जीर्णोद्धार हेतु आश्वासन तथा विद्युतीकरण

13--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन विद्युत (1) अनुभाग द्वारा प्रश्नकर्त्ता को सम्बोधित अर्धशासकीय पत्र संख्या 1551 पी/79-23-पी-1-94 (ए0 क्यू0 पी0) 78, दिनांक 24 मार्च, 1979 तथा विद्युत (3) अनुभाग के पत्र संख्या 4231/पी-3/79-23 दिनांक 16 जुलाई, 1979 जो विद्युत मन्त्री द्वारा हस्ताक्षरित हैं, के परिपालन में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह भी सही है कि छिबरामऊ राधोपुर लाइन से सम्बन्धित अनेकों उपभोक्ताओं द्वारा कनेक्शन सम्बन्धी वांछित धनराशि जमा कर रखी गयी है ? यदि हां, तो लाइन के जीर्णोद्धार अब तक न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न में सन्दर्भित पत्रों से उन्हें हरदोई जनपद की तहसील बिलग्राम के अन्तर्गत जलालपुर छिबरामऊ एवं छिरौरी लाइनों के जीर्णोद्धार के विषय में आश्वासन दिया गया था, परन्तु सम्बन्धित क्षेत्र में विद्युत कनेक्शनों के लिए आवेदन पत्र न प्राप्त होने एवं लाइनों पर तार की बार-बार चोरी की घटनायें होने के कारण इसका जीर्णोद्धार नहीं किया जा सका है क्योंकि बिना विद्युत कनेक्शन के लाइनों पर तार खींच दिये जाने से पुनः तारों के चोरी हो जाने का खतरा था ।

छिबरामऊ राधोपुर लाइन से सम्बन्धित किसी उपभोक्ता द्वारा अब तक कनेक्शन सम्बन्धी कोई धनराशि जमा नहीं की गयी यदि उपभोक्ता कनेक्शन लेने के इच्छुक होंगे और उचित धनराशि जमा कर देंगे तो लाइन का जीर्णोद्धार कर दिया जायेगा ।

14--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त सन्दर्भित पत्रों में छिबरामऊ-राधोपुर लाइन को 31 मार्च, 1979 तक विद्युतीकरण किये जाने के निर्णय से प्रश्नकर्ता को अवगत कराया गया था ? यदि हां, तो यह निर्णय लागू न किये जाने के क्या कारण रहे और इसे कब तक लागू कर दिया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां, प्रश्नकर्ता को संदर्भित पत्रों में यह अवगत कराया गया था कि हरदोई स्टोर सेन्टर में ए0 सी0 एस0 आर0 बिजली कन्डक्टर उपलब्ध हो गया है और छिबरामऊ-राधोपुर लाइन को 31 मार्च, 1979 तक चालू कर दिया जायेगा परन्तु इस लाइन पर कोई भी उपभोक्ता न होने के कारण और तार की अन्य जगहों जैसे राजकीय नलकूप के चोरी गये तार बदलने और नये नलकूपों को प्रज्वलित करने के लिए अत्यन्त आवश्यकता होने के कारण इसे चालू नहीं किया जा सका क्योंकि इस तार के चोरी हो जाने का पुनः खतरा था ।

उपभोक्ताओं के कनेक्शन लेने पर 8 किलोमीटर लाइन पर तार बिछा कर लाइन का जीर्णोद्धार कर दिया जायेगा ।

जनपद मिर्जापुर में रेनूकोट वन प्रभाग के घूमा ब्लाक में वृक्षारोपण तथा वन रेन्जर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

15--श्री विजय सिंह--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में रेनूकोट (दुद्धी) वन प्रभाग के विन्ढमगंज रेन्ज के घूमा और सूखड़ा प्लान्टेशन में कब और किस

प्रजाति के पौधे लगाये गये थे ? क्या यह सही है कि उक्त प्लान्टेशन में मौके पर एक भी पौध नहीं है ? उसके स्थान पर प्लान्टेशन की भूमि पर स्थानीय काश्तकार खेती करते हैं ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब और किस वन रेन्जर के कार्यकाल में हुआ ? उस वन रेन्जर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री संजय सिंह—

जनपद मिर्जापुर के रेनूकूट वन प्रभाग के विन्ढमगंज रेंज के घूमा ब्लाक में वर्ष 1970, 1972, 1973, 1975 व 1976 में वृक्षारोपण किया गया था। सुखड़ा नाम से कोई रोपावनी नहीं है। वर्ष 1970, 1972, 1973 और 1975 में बांस तथा वर्ष 1976 में बांस, शीशम, यूकेलिप्टस, सिरस की पौधों का रोपण और शीशम, खैर, सिरस, कहू, आसान, बहेड़ा तथा महुआ के बीज की बुआई की गई थी। जून 1976 तक, वर्ष 1970, 1972, 1973 व 1975 की रोपावनियों की सफलता 74·9 से 87·4 प्रतिशत के बीच थी। वर्ष 1981 तक की सफलता रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1972 तथा 1973 की रोपावनियां सफल हैं। वर्ष 1970 की रोपावनियों में केवल कहीं-कहीं पर अत्यन्त क्षतिग्रस्त अवस्था में बांस की कोठियां दिखाई देती हैं। वर्ष 1975 और 1976 की रोपावनियां भी असफल हैं और रोपित बांस अब मौके पर नहीं हैं, केवल कहीं-कहीं पर क्षतिग्रस्त बांस की कोठियां और खैर, सिरस के छिटपुट वृक्ष मौजूद हैं। यह सही नहीं है कि उपरोक्त समस्त वृक्षारोपण क्षेत्रों में काश्तकार खेती करते हैं। वर्ष 1972, 1973 तथा 1975 रोपावनियों में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। वर्ष 1970 रोपावनी के सकल क्षेत्रफल 165 हेक्टर में से 120 हेक्टर में वृक्षारोपण किया गया था। इसमें से 92 हेक्टर क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। वर्तमान समय में 53·16 हेक्टर पर अतिक्रमण है तथा शेष क्षेत्र से अतिक्रमण खाली करा लिया गया है। वर्ष 1976 में 150 हेक्टर पर वृक्षारोपण किया गया था जिसमें 16·00 हेक्टर पर अतिक्रमण था। वर्तमान समय में 15·00 हेक्टर क्षेत्र पर अतिक्रमण है। शेष एक हेक्टर से अतिक्रमण हटा लिया गया है। वर्ष 1970 तथा 1976 की रोपावनियों में अतिक्रमण वर्ष 1976 तथा 1978 के बाद हुआ प्रतीत होता है। उक्त अवधि में कथित क्षेत्र श्री दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव वन रेंजर के चार्ज में था। वर्ष 1981 में उक्त रेंजर को रेंज के चार्ज से हटा लिया गया है तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद मिर्जापुर के रेनुकूट वन प्रभाग के बभनी रेन्ज में वृक्षों की नाजायज कटान की जांच

16—श्री बिजय सिंह—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में रेनूकूट वन प्रभाग के बभनी रेन्ज में लगभग 200 ट्रक इमारती साखू की लकड़ी 1981 में स्थानीय ठेकेदारों से वन कर्मचारियों ने मिलकर कटवाया था, जिसे 16 मार्च, 1982 को तत्कालीन वन उप मन्त्री श्री सुरेन्द्र सिंह ने मौके पर जाकर जांच भी किये थे ? यदि हां, तो उन दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

तत्कालीन माननीय उप वन मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह जी ने दिनांक 15 मार्च, 1982 को रेनूकूट वन प्रभाग के बभनी रेन्ज के अन्तर्गत छिपिया व बजिया फारेस्ट

ब्लाक में नाजायज कटे कुछ वृक्षों के ठूठों का निरीक्षण किया था। इस ब्लाक में साल, असना, हल्दू और खैर आदि के 454 वृक्षों के नाजायज कटान की गणना सहायक वन संरक्षक द्वारा पहले ही सितम्बर, अक्तूबर, 1981 में की जा चुकी थी। गणना के समय 23 पेड़ों की लकड़ी मौके पर कटी हुई पड़ी पाई गई थी। उप मंत्री वन मंत्री जी के उक्त निरीक्षण के पूर्व ही सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी, जो प्रगति पर है।

मैनपुरी के दस्यु प्रभावित क्षेत्रों की महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण

17--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मैनपुरी के अधिशासी अभियन्ता से दस्यु प्रभावित क्षेत्रों की महत्वपूर्ण सड़कों के एस्टीमेट्स मंगाये थे? यदि हां, तो वे सड़कें कौन-कौन सी थीं और उनकी लम्बाई कितनी-कितनी थी? इन महत्वपूर्ण सड़कों को बनाये जाने की दिशा में शासन व विभाग ने क्या कार्यवाही की है?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, प्रस्तावित सड़कों के नाम तथा उनकी लम्बाई माननीय सदस्य की मेज पर रखी तालिका में दी गई है, जिसमें से निम्नलिखित 5 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शेष मार्गों की स्वीकृति धनाभाव के कारण नहीं दी जा सकी है।

मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0 मी0)	अनुमानित लागत (लाख रु0 में)
1--जसराना-ओछा मार्ग का छूटा भाग	9·00	5·63
2--ओछा से मैनपुरी वाया उझैया कपूरपुर-मैनपुरी मार्ग	5·00	3·13
3--भारौल ताखा पेगू मार्ग का छूटा भाग	5·00	3·13
4--दन्नाहार पिन्डौली रेलवे स्टेशन से कुचेला मार्ग	10·00	6·26
5--मैनपुरी-सिरसागंज मार्ग	9·00	13·50
	38·00	31·65

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 216 पर।)

बाराबंकी में तहसील फतेहपुर मार्ग से ग्राम मझगवां शरीफ को जोड़ने वाली सड़क को पक्की करने की योजना

18--श्री जमुना प्रसाद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिलान्तर्गत बाराबंकी तहसील, फतेहपुर मार्ग से ग्राम मझगवां शरीफ को जोड़ने वाली सड़क को (कुलतूपुर से मझगवां शरीफ) पक्की कराये जाने की कोई योजना सार्वजनिक निर्माण विभाग के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उक्त मार्ग को कब तक पक्का करा दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

कार्य का पूरा होना अनुदान तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जनपद गोरखपुर के महाराजगंज से चौक तक सड़क का निर्माण

19--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोपखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज के बीच से होकर जाने वाली सड़क महाराजगंज से चौक तक के निर्माण के विषय में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 6-11-82 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस सड़क का निर्माण वर्तमान वित्तीय वर्ष में करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या इसे आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा करते हुए आगे निचनौल तक लेकर पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं, यह कार्य जिला सेक्टर योजना से सम्बन्धित है । अतः जिला समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही इस कार्य की स्वीकृति दी जा सकती है ।

प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पुस्तकालयाध्यक्ष का सृजित पद तथा निर्धारित वेतनमान

20--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के ऐसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में जहां पुस्तकालयाध्यक्ष पद सृजित हैं के पुस्तकालय, निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में स्थिति पुस्तकालय एवं विश्वविद्यालय सेवा योजना सूचना एवं मंत्रणा केन्द्रों में स्थित पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश द्वितीय वेतन आयोग द्वारा वर्गीकृत पुस्तकालयों की कोटि चार की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं ? यदि हां, तो क्या उनमें नियुक्त ऐसे पुस्तकालयाध्यक्ष जो कोटि चार के पुस्तकालय के लिए निर्धारित अर्हतायें रखते हैं, को 515-860 एवं अन्य जो स्नातक उपाधि के साथ पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र धारित करते हैं, को 470-735 वेतनमान श्रम विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

जी नहीं ।

इस मामले पर पुनर्विचारोपरान्त निदेशालय, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0, लखनऊ के अन्तर्गत निदेशालय (मुख्यालय), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्रों में विद्यमान पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों को उ0 प्र0 द्वितीय वेतन आयोग द्वारा वर्गीकृत कोटि–5 के अन्तर्गत मानते हुए संलग्नकानुसार इन पदों के लिये 470–735 रु0 के वेतनमान की स्वीकृति दे दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 218 पर ।)

सीतापुर में बिजली आपूर्ति की दुर्व्यवस्था के बारे में ज्ञापन

21—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित सीतापुर में बिजली आपूर्ति की दुर्व्यवस्था के बारे मे कोई ज्ञापन उन्हें 19–9–82 को अथवा उसके आस–पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

कृत कार्यवाही की बिन्दुवार सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 219 पर ।)

जिला अधिकारी, गोरखपुर द्वारा वृद्धावस्था पेन्शन हेतु आमंत्रित आवेदन–पत्र

22—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला अधिकारी, गोरखपुर ने जुलाई, 1980 में वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र की वृद्धाओं को पेन्शन देने हेतु आवेदन–पत्र भरवाए थे ? यदि हां, तो उन वृद्धाओं को पेन्शन अब तक क्यों नहीं प्रदान की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जिलाधिकारी, गोरखपुर ने माह जुलाई, 1980 में वृद्धावस्था पेन्शन हेतु 31 प्रार्थना–पत्र भरवाये थे, जिनमें से 24 प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए गये तथा 7 अस्वीकार किये गये । उक्त 24 में से 2 की मृत्यु हो गयी तथा शेष 22 को वृद्धावस्था पेन्शन का भुगतान किया जा रहा है ।

अलकनन्दा नदी पर बेलाकूची एवं लंगसी का ध्वस्त पुल

23—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में वर्ष 1970–71 की बाढ़ में अलकनन्दा नदी पर बेलाकूची एवं लंगसी के मोटर

पुल ध्वस्त हुये थे ? यदि हां, तो नदी में डूबे इन पुलों का लोहा निकालने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा इन पुलों पर इस समय किसका स्वामित्व है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

प्रश्नगत दोनों पुल बार्डर रोड्स अर्जन आर्गनाइजेशन से सम्बन्धित हैं । उन्होंने सूचित किया है कि बेलाकूची स्थित पुल किसी हिस्से का पता नहीं लगा और लंगसी पुल के कुछ भाग मलवा के अन्तर्गत दब गये, जिनको पुनः प्राप्त करना अनार्थिक था ।

चूंकि पुल स्थित नहीं हैं । अतः उन पर स्वामित्व का प्रश्न नहीं उठता ।

24-25--श्री राम लाल वर्मा--

[3सरे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 162-163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

वाराणसी जिले में पम्पिंग सेट के कनेक्शन

26--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् परिषद् ने एक आदेश निकाल कर 33 के0 बी0 की लाइन से कनेक्शन देने पर रोक लगा दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि अकेले वाराणसी जिले में इस तरह के एक सौ कनेक्शन पम्पिंग सेट के नहीं दिये जा रहे हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं । राज्य विद्युत् परिषद् की कार्यप्रणाली के अनुसार पम्पिंग सेट के कनेक्शन 11 के0 बी0 तथा एल0 टी0 फीडरों से ही दिये जाते हैं, अतः 33 के0 वी0 लाइन से पम्पिंग सेट को कनेक्शन देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

देना बैंक द्वारा सुअर पालन हेतु ऋण न दिए जाने की शिकायत

27--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री बृज बिहारी बाल्मीकी, संयुक्त मंत्री, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, शाखा मथुरा ने दिनांक 30-10-82 को जिलाधिकारी, मथुरा को सुअर, मुर्गी पालन हेतु अनुदान न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र दिया था ? यदि हां, तो पत्र की मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थी ? शासन ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री संजय सिंह--

जी हां, पत्र में मुख्य रूप से देना बैंक द्वारा सुअर पालन हेतु ऋण न दिये जाने की शिकायत की गयी थी । देना बैंक से पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि नगरपालिका, मथुरा के बाइलाज के अनुसार सुअर पालन हेतु लाइसेन्स होना जरूरी है । किन्तु ऋण आवेदकों ने बाइलाज के अनुसार लाइसेन्स प्रस्तुत नहीं किया । अतः बैंक द्वारा ऋण देने पर आपत्ति लगाई गई ।

वर्तमान मंत्रिपरिषद् के सदस्यों पर कथित मदों में व्यय

28—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान मन्त्रि परिषद् के सदस्यों पर जनवरी, 1982 से दिसम्बर, 1982 के निर्धारित एक अतिरिक्त अन्य मदों में (दौरा, आवासीय, मरम्मत, साज-सज्जा, टेलीफोन, आकस्मिक व्यय) कितना व्यय प्रत्येक पर हुआ है। क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

वर्तमान मन्त्रिपरिषद् जिसका कार्यकाल दिनांक 19-7-82 से प्रारम्भ हुआ है, के सदस्यों पर दिनांक 19-7-82 से दिसम्बर, 1982 तक निर्धारित वेतन के अतिरिक्त कथित मदों में हुये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :—

दौरा	..	17,23,851.23
आवासीय	..	1,17,604.00
मरम्मत	..	1,25,427.00
साज-सज्जा	..	6,36,488.00
टेलीफोन	..	6,93,974.85
आकस्मिक व्यय	..	बजट साहित्य में ऐसा कोई मद नहीं है।

29-30—श्री दलगंजन सिंह—

[माननीय सदस्य का निधन हो जाने के कारण निरस्त।]

जनपद सीतापुर के क्षेत्र लहरपुर में मार्गों और पुलों का निर्माण

31—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के क्षेत्र लहरपुर में वर्ष 80-81, 81-82 में कितनी कच्ची सड़कें बनीं, कितने पर खड़ंजा लगा और कितने पर डामर हुआ तथा कितने पुल और पुलियों का निर्माण हुआ ? क्या सरकार अगले वर्ष क्षेत्र लहरपुर की दुर्दशा पर ध्यान देगी और कुछ सड़कें जो पहले से प्रस्तावित हैं, उन पर विचार करने का कार्य करेगी और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद सीतापुर के क्षेत्र लहरपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निम्न कार्य किये गये :—

वर्ष 1980-81

कच्ची सड़क	..	1 किलोमीटर
खड़ंजा	..	15.2 किलोमीटर
पुल	..	×
पुलिया	..	11 नं0

वर्ष 1981–82

कच्ची सड़क	..	0.50 किलोमीटर
खड़ंजा	..	8.30 किलोमीटर
पुल	..	1 नं0
पुलिया	..	21 नं0

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की योजना के अन्तर्गत मार्गों/पुलों का निर्माण अब जिला नियोजन एवं अनुश्रमण समिति के अनुमोदन से स्वीकृत किया जाता है। अतः लहरपुर क्षेत्र के विकास के लिए एवं पूर्व प्रस्तावित मार्गों को पूरा कराने का कार्य जिला समिति पर निर्भर करेगा।

32—श्री हरगोविन्द वर्मा—

[स्थगित]

जनपद बहराइच, ग्राम बहु खड़िया की अधिगृहीत भूमि में वन विभाग का कब्जा

33—श्री जटाशंकर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश गजट, 22 अगस्त, 1970, भाग 1 में प्रकाशित वन अधिनियम की धारा 20 के अधीन जनपद बहराइच, तहसील नानपारा, परगना धर्मापुर, ग्राम बहुखड़िया की केवल 1222.390 एकड़ अधिग्रहीत भूमि की एवज में वन विभाग ने 1243.050 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है और राजस्व अभिलेखों में भी तद्नुरूप संशोधन कर 22.660 एकड़ ग्राम समाज भूमि का नाजायज हस्तान्तरण राजस्व विभाग ने वन विभाग को कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ? इस गम्भीर जन सम्पत्ति की क्षति का दोषी कौन है ?

श्री संजय सिंह—

बहराइच जनपद के तहसील नानपारा, परगना धर्मापुर के ग्राम बड़खड़िया में विज्ञप्ति संख्या 893/14–ख–20(8)–69, दिनांक 8–4–70 द्वारा 1222.390 एकड़ भूमि आरक्षित वन घोषित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त वन 20.660 एकड़ भूमि जो मौके पर सघन वन है तथा उपरोक्त आरक्षित वन से मिली हुई है, भी वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में वन बन्दोबस्त कार्यवाही के दौरान दर्ज पाई गई। इसे आरक्षित वन बनाने की कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार कुल 1243.050 एकड़ भूमि जो वनाच्छादित है, वन विभाग के कब्जे में है और राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम से दर्ज है।

यह कहना कि 22.660 एकड़ भूमि ग्राम समाज की है और नाजायज तौर पर राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित की गई है, सही नहीं है। चूंकि 20.660 एकड़ भूमि सघन वन के रूप में है अतः इसके वन विभाग के नियंत्रण में रहने से उक्त जन सम्पति की कोई क्षति होने का प्रश्न ही नहीं उठता है बल्कि इसके विपरीत इस वन सम्पत्ति की सुरक्षा हो रही है।

गोरखपुर जनपद में सहजनवां के समीप तापीय विद्युत् गृह की स्थापना पर विचार

84--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद में रोहिन व राप्ती नदियों के बीच में 440 मेगावट क्षमता की जल विद्युत् गृह की स्थापना का कार्य प्रस्ताव वर्ष 1974 से ही विचाराधीन है । यदि हां, तो यह सच है कि वर्ष 1978 में इसका सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ हुआ था और वर्ष 1982 में इस योजना को पुनः सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस पर आगे कार्य प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं ।

कुछ वर्ष पूर्व गोरखपुर जनपद में सहजनवां के समीप एक तापीय विद्युत् गृह लगाने की सम्भावना पर विचार किया गया था । परन्तु राप्ती नदी से पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धि की सम्भावना न होने से व भूमिगत जल उपलब्ध न होने के कारण आगे की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी ।

बरेली जिले में कतिपय मार्गों का निर्माण

85--श्री नन्दराम--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बरेली जिले में वर्ष 81-82 में निर्माण हेतु स्वीकृत कंजाचकरपुर से रसूलपुर वाहनपुर (2 कि0 मी0) चकरपुर से बरेली मार्ग से मिलना (5 कि0 मी0) रसूलावाहनपुर से ककराकली (3 कि0 मी0) सड़कों तथा उन पर पुलिया कब तक पूरी होनी थी ? क्या उक्त कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

इन कार्यों के पूर्ण होने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था ।

जी नहीं ।

ये कार्य जिला योजना के अन्तर्गत आते हैं जिनके पूरे होने का लक्ष्य जमीन और अनुदान की उपलब्धता पर निर्भर रहता है ।

फतेहपुर-विशनोई मार्ग की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य

36--श्री राम कृष्ण माहेश्वरी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने अपने पत्र संख्या 3586/ई0/23--सार्वजनिक निर्माण अनु0--11, दिनांक 19-6-82 को प्रश्नकर्ता को सूचित किया था कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र कांठ संख्या 24 में पिछले दो वर्षों में फतेहपुर-विशनोई मार्ग 3.50 लम्बाई को स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो इस मार्ग की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य किस स्थान से व कब प्रारम्भ किया गया था और इसकी क्या प्रगति है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग जिला परिषद् से स्थानान्तरण न होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतरहर–खीरी—रायबरेली की सड़क पर व्यय

37—श्री कृष्ण कुमार शुक्ल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि अतरहर–खीरी–रायबरेली की सड़क पर कितना धन व्यय किया गया है । बनने में अभी कितना समय लगेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

मार्च, 1983 तक 4.90 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं । कार्य का पूर्ण होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

बाजार पुरानी बस्ती के तत्कालीन थानेदार के विरुद्ध शिकायती–पत्र

38—श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1–9–82 को श्री रामदेव बसफोर तथा मिट्ठू पान्डेय, बाजार पुरानी बस्ती के तत्कालीन थानेदार (रामनाथ उपाध्याय) के विरुद्ध एक शिकायती–पत्र एस0 पी0, बस्ती को रजिस्ट्री द्वारा दिया है । यदि हां, तो थानेदार के विरुद्ध क्या–क्या आरोप हैं और कौन अधिकारी जांच कर रहा है ? जांच से अब तक कितने आरोप सिद्ध हुए और कितनों की जांच चल रही है ? क्या उक्त थानेदार की जांच अब भी चल रही है ? क्या सरकार उक्त थानेदार के विरुद्ध कार्यवाही करने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

आजमगढ़–अमिला मार्ग पर स्थित ग्राम तिवारी पट्टी के कृषकों की अधिग्रहीत की गयी भूमि तथा प्रतिकर का भुगतान

39—श्री पंचानन राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़, जनपद में आजमगढ़–अमिला मार्ग पर स्थित ग्राम तिवारी पट्टी के किसानों को सड़क निर्माण में उनकी ली गयी भूमि के प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पुराने नम्बर 252 तथा 352 के प्रतिकर का भुगतान उनके मालिकों को नहीं किया गया है ? इसके क्या कारण है तथा यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

गाटा नं0 252 अर्जित नहीं किया गया है, इसलिए इसके भूस्वामी को प्रतिकर देने का प्रश्न नहीं उठता ।

गाटा नं0 352 मतरुक है इसलिए इसका प्रतिकर नहीं बनाया गया है। सम्बन्धित भूस्वामी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही प्रतिकर भुगतान करने की कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

आजमगढ़ नगर के पास नवनिर्मित विद्युत् उपकेन्द्र का निर्माण

40--श्री पंचानन राय--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ नगर के पास नवनिर्मित 220 के0 वी0 विद्युत् उप केन्द्र का निर्माण कार्य मार्च, 1982 में पूरा दिखा दिया गया था और उसे कार्यरत बताया गया। यदि हां, तो क्या यह नहीं है कि इस विद्युत् उप केन्द्र पर अगस्त, 1982 तक लोड नहीं दिया गया था ? इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

आजमगढ़ नगर के पास नव निर्मित 220 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र का निर्माण कार्य मार्च, 1982 तक पूरा अवश्य हो गया था, परन्तु उपकेन्द्र पर डाईवर्ट होने वाली लाइनों टोंस नदी पर 132 के0 वी0 लाईन की क्रासिंग चालू न होने तथा उपकेन्द्र पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये आवासीय व्यवस्था एवं उपकेन्द्र के संचालन के लिये अति आवश्यक दूरभाष संचार व्यवस्था के कार्य पूर्ण न होने के कारण, इस उपकेन्द्र का भार अगस्त, 1982 तक नहीं किया जा सका।

उपकेन्द्र पर विद्युत् भार लेने वाली परिषण लाइनें सामान की उपलब्धता में देरी के कारण टोंस नदी पर 132 के0 वी0 की क्रासिंग, वर्षा ऋतु के कारण देरी से पूर्ण हो सकी। इसके लिये कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

41--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

राजकीय पशु चिकित्सालय हैवलक रोड, लखनऊ के अहाते में पशुचिकित्सक हेतु बनाये गये आवास

42--श्री कुबेर भंडारी तथा श्री खैरुल बशर--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 8वें मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 78 के उत्तर के संदर्भ में क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि राजकीय पशु चिकित्सालय, हैवलक रोड, लखनऊ के अहाते में सरकार के अभिलेखों एवं आदेश के अनुसार केवल चिकित्सक के एक तथा चतुर्थ श्रेणी के क्वार्टर बनाये गये हैं तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों (पशु औषधिक तथा स्टाकमेन) के कोई मान्यता प्राप्त आवास नहीं हैं ? यदि हां, तो तृतीय वर्ग के (पशु औषधिक तथा स्टाकमैन) दो कर्मचारियों के क्रमशः चतुर्थ श्रेणी के क्वार्टर में तथा गोदाम में रहने का क्या आधार है ?

श्री संजय सिंह--

राजकीय पशु चिकित्सालय, हैवलक रोड, लखनऊ के अहाते में सरकार के अभिलेखों एवं आदेश के अनुसार केवल पशुचिकित्सक के लिये एक आवास बना

हुआ है और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये कोई मान्यता प्राप्त आवास नहीं है। परन्तु पुराने इनडोर वार्ड तथा तीन कमरों की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवास के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इन्डोर वार्ड में स्टाकमैन तथा तीन कमरों में से दो में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रहने दिया जा रहा है। चिकित्सालय के किसी अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को आवास की आवश्यकता नहीं है। चूंकि पशु औषधिक के पास केन्द्रीय भंडार का प्रभार होने के कारण पशुचिकित्सालय में रहना आवश्यक है अतः उसे एक कमरे में रहने दिया जा रहा है।

श्री रूप नारायण पाठक, किरायेदार को मकान से निकालने का औचित्य

43--श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री खैरुल बशर--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 8वें मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 67 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नगत मामला श्री रूपनारायण पाठक व श्री विशम्भर दयाल के बीच न चलकर श्री विशम्भर दयाल पुत्र श्री बृजकिशोर श्रीवास्तव, निवासी दुर्विजयगंज सराय एवं श्री बाबूलाल मालिक मकान पुत्र श्री जगदेव प्रसाद, निवासी आनन्दनगर जेल रोड, आलमबाग, लखनऊ के बीच चल रहा था ? यदि हां, तो श्री पाठक (अधिकृत किरायेदार) को उक्त मकान से निकालने का क्या औचित्य था और प्रश्नगत मामले का पूरा विवरण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है ?

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ के विरुद्ध समान पारिश्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत दायर किया गया वाद

44--श्री राम गोविन्द तथा श्री संत बख्श रावत--

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ के विरुद्ध समान पारिश्रमिक अधिनियम के बाद में प्रादेशिक संराधन अधिकारी, लखनऊ द्वारा समान वेतन दिये जाने का निर्णय फरवरी/मार्च, 1983 में दिया गया है ? यदि हां, तो अभी तक उक्त निर्णय लागू न किये जाने तथा बैंक द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन के विरुद्ध श्रम विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? तथा कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिलाने के क्या प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ के विरुद्ध समान पारिश्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत दायर किये गये वाद में प्रादेशिक संराधन अधिकारी, लखनऊ द्वारा दिनांक 28-2-83 को पारित किये गये आदेशों के विरुद्ध सेवायोजकों ने सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील दायर की है।

महाविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश रोकने हेतु कथित काली सूची

45—श्री सरदार सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक, मथुरा ने छात्रों का महाविद्यालयों में प्रवेश रोकने हेतु कोई काली सूची हाल में बनायी है। यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

महाविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश रोकने हेतु पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा कोई काली सूची नहीं बनायी गयी है।

ग्राम प्रधान लोहावन, जिला मथुरा का शिकायती-पत्र

46—श्री सरदार सिंह—

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12-1-83 को ग्राम प्रधान लोहावन, जिला मथुरा का शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ किसानों को फसलों को गायों से बचाने के सम्बन्ध में मिला था ? यदि हां, तो अब तक उक्त शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

जी हां।

शहरी अंचल से आने वाली 22 गायें पकड़ कर कांजी हाउस में बन्द की गई इसके उपरान्त कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

बेरोजगार ग्रेजुएट्स को बेकारी भत्ता देने की कथित योजना

47—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार बेरोजगार ग्रेजुएट्स को बेकारी भत्ता देने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना कब तक लागू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं।

बेरोजगारी की समस्या का सार्थक निदान कृषि, उद्योग तथा अन्य व्यवसायों में वृद्धि करना तथा उत्पादन बढ़ाना है। इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण रोजगार योजनायें चलाने के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वतः रोजगार को प्रभावी बनाने हेतु भी राज्य सरकार प्रयत्नशील है।

पशु चिकित्साविदों के स्थानान्तरण

48—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० शासन के मुख्य सचिव के अर्ध शासकीय पत्र सं० 16/3/1980-कार्मिक-2, दिनांक 17-4-82 एवं कृषि उत्पादन

एवं ग्राम्य विकास शाखा के अ0 शा0 पत्र सं0 102 एस0 एस0/30-2-82, दिनांक 31-7-82 की अवहेलना करते हुए कार्मिक विभाग द्वारा मुख्य मंत्री जी की अनुमति प्राप्त किये बिना लगभग डेढ़ सौ से अधिक पशु चिकित्साविदों के स्थानान्तरण पशुपालन विभाग के विशेष सचिव के निर्देशों पर निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 1982 के बाद किये गये हैं ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्री संजय सिंह--

दिनांक 13 अगस्त, 1982 के बाद अप्रैल, 1983 तक कुल 64 पशु चिकित्साविदों के स्थानान्तरण किये गये थे, जो मुख्यतया रिक्त पदों की पूर्ति, प्रतिनियुक्ति अथवा प्रशासनिक आधार एवं उसके फलस्वरूप समायोजन हेतु थे। विशेष सचिव, पशुधन के स्तर से कोई भी स्थानान्तरण निर्देशित नहीं किया गया।

संयुक्त सचिव, सा0 नि0 विभाग, श्री रमेश चन्द्र द्वारा स्टोर कीपरों की नियुक्त में अनियमितता

49--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि संयुक्त सचिव, सा0 नि0 विभाग (श्री रमेश चन्द्र) द्वारा उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ के प्रबन्ध निदेशक को स्टोर कीपरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में लिखे गये अर्ध शासकीय पत्र ए0 44 सी0 बी0 83/23/ सार्व0 निर्माण (आठ), दिनांक 4 जनवरी, 1983 के अनुपालन की रिपोर्ट क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

संदर्भित अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 4 जनवरी, 1983 में जिन पन्द्रह कर्मचारियों का स्टोर्स कीपर के पद हेतु किया गया चयन अनियमित बताया गया था, राजकीय निर्माण निगम ने उन पन्द्रह व्यक्तियों के नाम चयनित अभ्यर्थियों की सूची से निकाल दिए हैं और संशोधित सूची से आवश्यकतानुसार नियुक्तियां की जा रही हैं।

जिला सूचना अधिकारी के पद के चयन में विभागीय कोटे के अन्तर्गत आरक्षित पद

50--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछली बार लखनऊ 3 वर्ष पूर्व जब जिला सूचना अधिकारी के 19 पदों का चुनाव बाहरी अभ्यर्थियों में से लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से हुआ था उस समय उक्त सेवा के कितने पद डिपार्टमेन्टल कोटे के अन्तर्गत सुरक्षित रखे गये थे तथा उनके विरुद्ध कितने अधिकारियों को अब तक स्थायी किया गया है ? यदि स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है तो इसका क्या कारण है ? विभाग द्वारा प्रोन्नति अधिकारी जो अनेक वर्षों से जिला सूचना अधिकारी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त हैं उन्हें स्थायी करने हेतु शासन विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक पूरी होगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत चयन में विभागीय कोटे के अन्तर्गत कोई पद आरक्षित नहीं था। इस प्रसंग में किसी विभागीय पद-धारक के स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

मेसर्स यूनिवर्सल इन्सुलेटर एण्ड सिरेमिक्स लि0, रायबरेली में श्रमिक/कर्मचारियों की संख्या तथा बकाया वेतन

51--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि यूनिवर्सल इन्सुलेटर सिरेमिक्स लि0, रायबरेली में इस समय कितने श्रमिक कार्यरत हैं ? जनवरी, 1982 से दिसम्बर, 1982 तक कितने श्रमिकों का वेतन बकाया है और उनका अभी तक भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री--

मेसर्स यूनिवर्सल इन्सूलेटर एण्ड सिरेमिक्स लि0, रायबरेली में वर्तमान में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों की संख्या लगभग 100 है।

माह जनवरी, 1982 में 156, फरवरी, 1982 में 146, मार्च, 1982 में 151 और जुलाई, 1982 में 122 श्रमिकों का वेतन बकाया था। सेवायोजकों ने बकाया वेतन का भुगतान प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण नहीं किया था। माह जनवरी, फरवरी, मार्च एवं जुलाई, 1982 के वेतन वसूली हेतु दिनांक 23-12-82 को रिकवरी सर्टीफिकेट जारी किये गये। इन प्रमाण-पत्रों पर अग्रिम कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई। दिनांक 2-2-83 को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सेवायोजकों ने रु0 60,000 बैंक गारंटी प्रस्तुत की। यह बैंक गारंटी दिनांक 31-7-1983 तक की अवधि तक के लिये बढ़ाई गई थी। दिनांक 28-7-83 को उच्च न्यायालय द्वारा श्रमिकों की प्रार्थना पर यह आदेश पारित किये गये कि प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी, जो 60,000 रु0 के लिये वैध थी, में से 40,000 रु0 की धनराशि उप श्रमायुक्त, लखनऊ द्वारा आहरित कर सम्बन्धित श्रमिकों के बीच वितरित करायी जाय। उक्त आदेशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। माह अक्तूबर, नवम्बर एवं सितम्बर, 1982 के बकाया वेतन के भुगतान हेतु 96 श्रमिकों ने श्रम अधिकारी, लखनऊ के समक्ष वाद लगाया है।

यूनिवर्सल इन्सुलेटर्स लि0, रायबरेली को अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में मांग-पत्र पर कार्यवाही

52--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें यूनीवर्सल इन्सुलेटर्स लि0, रायबरेली को अधिग्रहण करने एवं शासकीय रिसीवर नियुक्त करने के सम्बन्ध में मांग-पत्र भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मन्त्री श्री प्रेम सागर मिश्र द्वारा 7 जनवरी, 1983 को अथवा उसके आसपास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई तथा मांग-पत्र क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां। मांग-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। श्रमिकों को माह जनवरी, फरवरी, मार्च एवं जुलाई, 1982 का तथा माह अक्तूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 1982 का पूर्ण वेतन नहीं दिया गया। माह जनवरी, फरवरी, मार्च एवं जुलाई, 1982 के वेतन वसूली हेतु, दिनांक 21 जनवरी, 1982 को रिकवरी सर्टीफिकेट जारी किये गये। इन प्रमाण-पत्रों पर अग्रिम कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई थी। दिनांक 2 फरवरी, 1983 को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सेवायोजकों ने 60,000 रु० बैंक गारंटी प्रस्तुत की। यह बैंक गारन्टी दिनांक 31 जुलाई, 1983 तक की अवधि के लिये बढ़ाई गई थी। दिनांक 28 जुलाई, 1983 को उच्च न्यायालय द्वारा श्रमिकों की प्रार्थना पर यह आदेश पारित किये गये कि प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी, जो 60,000 रु० के लिये वैध थी, में से 40,000 रु० की धनराशि उप श्रमायुक्त, लखनऊ द्वारा आहरित कर सम्बन्धित श्रमिकों के बीच वितरित करायी जाय। उक्त आदेशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। माह अक्तूबर एवं दिसम्बर, 1982 के बकाया वेतन के भुगतान हेतु 96 श्रमिकों ने श्रम अधिकारी, लखनऊ के समक्ष वाद लगाया गया है। दिनांक 20 अप्रैल, 1983 से प्रतिष्ठान में तालाबन्दी समाप्त कर दी गई। ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठान को अधिग्रहण करने एवं उस पर शासकीय रिसीवर नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 221 पर।)

जनपद गोरखपुर के सिसवा बाजार में श्री अरविन्द कुमार आसवाल की हत्या

53--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद गोरखपुर के सिसवा बाजार में दिनांक 11 जुलाई, 1981 को दिन में 1 बजे के बीच सब्जी बाजार में श्री अरविन्द कुमार जायसवाल के शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर हत्या कर दी गई? यदि हां, तो क्या उसका पोस्टमार्टम कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 11 जुलाई, 1981 को कस्बा सिसवां बाजार, थाना कोठीभार, जनपद गोरखपुर में श्री अरविन्द कुमार जायसवाल का आग से जला हुआ शरीर एक कोठरी से निकाला गया था। प्राथमिक चिकित्सा के उपरान्त सदन अस्पताल, गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में ही, परतावल के पास उसकी मृत्यु हो गयी थी। दूसरे दिन दिनांक 12 जुलाई, 1981 को मृतक का दाह संस्कार उसके घर वालों द्वारा कर दिया गया।

घटना की सूचना उस समय पुलिस को नहीं दी गयी थी अतः पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सका।

सर्वोदय इन्टर कालेज, पिलखुआ, जिला गाजियाबाद की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध रिपोर्ट पर कार्यवाही

54--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला अधिकारी, गाजियाबाद के आदेशानुसार सर्वोदय इन्टर कालेज, पिलखुआ, जिला गाजियाबाद की प्रबन्ध

समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध आई0 पी0 सी0 की धारा 406 तथा 420 के अधीन मु0 अ0 स0 297 तथा आई0 पी0 सी0 की धारा 420, 405, 468, 471 के अधीन मु0 अ0 स0 296, दिनांक 2 जुलाई, 1982 को थाना पिलखुआ, जिला गाजियाबाद में कायम कराये गये ? यदि हां, तो अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्नगत 2 मामले थाना पिलखुआ, गाजियाबाद पर कायम किये गये थे। अ0 सं0 296/82 की विवेचना से आरोप सिद्ध न होने पर अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय भेजी गयी जो न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है।

अ0 सं0 297/82 की विवेचना जारी है।

उत्तरकाशी में सेवायोजन कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति

55--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी में सेवायोजन कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति आदेश संख्या 3021, 3131 दिनांक 2-5-81 के अनुसार क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून ने श्री अमन सिंह को नियुक्ति की ? क्या यह सही है कि उक्त पद के चयन हेतु साक्षात्कार उत्तरकाशी में करने के बजाय सहारनपुर में किया गया और क्या यह भी सही है कि उत्तरकाशी सेवायोजन कार्यालय से इस पद हेतु कोई अभ्यर्थी नहीं मांगे गये ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त चयनित कर्मचारी का तत्समय पता क्या था और उसका नाम किस जिले के सेवायोजन कार्यालय से प्रेषित किया गया था ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां।

मूलतः चयन जनपद सहारनपुर के लिये ही किया गया था। अतः उत्तरकाशी से नाम मांगने अथवा वहां साक्षात्कार करने का प्रश्न नहीं उठा। एक लिपिक द्वारा, स्थानान्तरण होने पर, उत्तरकाशी में कार्यभार ग्रहण न करने पर, कार्यहित में विधिवत चयनित व्यक्ति को उत्तरकाशी में नियुक्त कर दिया गया था।

चयनित कर्मचारी का पता निम्न प्रकार था :--

श्री अमन सिंह, पुत्र श्री हरनाम सिंह द्वारा लाला मुन्नूलाल सुरेश चन्द्र पंचायती मन्दिर के पास, खालापार, सहारनपुर।

उक्त अभ्यर्थी का नाम जिला सेवायोजन कार्यालय, सहारनपुर द्वारा प्रेषित किया गया था।

ग्राम जैसरमऊ, जिला कानपुर देहात में कथित डकैती की रिपोर्ट

56--श्री भूधर नारायण मिश्र--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि दिनांक 2 मार्च, 1983 को रात्रि 8-30 बजे ग्राम जैसरमऊ, थाना बिल्हौर, जिला कानपुर देहात के गंगेसुर आश्रम

में डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो रिपोर्ट कब लिखी गई और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचनानुसार 2 मार्च, 1983 को ऐसी घटना नहीं हुई। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

गांधी पूर्व माध्यमिक विद्यालय, राधूधार, जिला टेहरी गढ़वाल के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय जला डालने की रिपोर्ट पर कार्यवाही

57--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य, गांधी पूर्व माध्यमिक विद्यालय, राधूधार, डा0 राधूधार, जिला टिहरी गढ़वाल द्वारा दिनांक 29-8-82 को प्रथम सूचना रिपोर्ट रेवेन्यू पुलिस अधिकारी नवाकोर्ट में दी कि विद्यालय को असामाजिक तत्वों द्वारा जला डाला गया जिससे विद्यालय के तमाम आवश्यक काग-जात एवं अन्य सामान जल गया ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां, प्रथम सूचना रिपोर्ट पर राजस्व पुलिस अधिकारी द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 380/436 भा0 दं0 वि0 कायम किया गया। क्षेत्रीय पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा विवेचना प्रचलित है।

पशुधन विभाग में प्रयोगशाला के परिणामों को पशुपालकों तक पहुंचाने की व्यवस्था

58--श्री सरदार सिंह--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में चल रही नाना प्रकार की खोजों व किसानों के बीच क्या कोई ताल मेल है ? क्या शासन प्रयोगशाला के परिणामों को पशुपालकों तक पहुंचाने की कोई प्रभावी व्यवस्था करेगा ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है ?

श्री संजय सिंह--

जी हां। प्रयोगशाला में की जा रही खोजों से प्राप्त नतीजों के आधार पर पशुओं की नस्ल सुधार, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संतुलित आहार आदि से सम्बन्धित कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाते हैं तथा उनका सीधा लाभ विभागीय संस्थाओं के माध्यम से पशुपालकों को उपलब्ध कराया जाता है।

ऊर्जा विभाग द्वारा मृतकों के परिवारों को सहायता दिये जाने के आदेश

59--श्री दीनानाथ पाण्डेय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 8वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 148 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ऊर्जा विभाग द्वारा मृतक व्यक्तियों को अब तक सहायता न देने के लिये कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

तीन मृतकों के परिवारों को 1000 रु0 प्रति मृतक की दर से चेक संख्या ओ0 सी0/612311 दिनांक 6-10-82 द्वारा पहले ही भुगतान किया गया था। अब दिनांक 10-8-83 को 5000 रु0 प्रति मृतक (पहले दिये गये 1000 रु0 को समायोजित करते हुए) के हिसाब से भुगतान किये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके है। इसके लिए कोई दोषी नहीं है।

जिला गाजीपुर के एस0 ओ0 श्री एन0 पी0 त्रिपाठी द्वारा किये गये एन्काउन्टर की जांच

60—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि भैरो पुत्र भगेलू, देऊ पुत्र चरित्तर व मर्याद पुत्र रामनन्दन व रामगहन पुत्र चरित्तर, गांव वसुका, थाना जमानियां, जिला गाजीपुर का एनकाउन्टर क्रमशः 6-1-83 व 29-1-83 व 20-2-83 व 3-2-83 को एस0 ओ0 जमानिया श्री एन0 पी0 त्रिपाठी ने किया है। यदि हां, तो क्या सरकार ने सभी मामलों में जांच करवायी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार भैरो पुत्र भगेलू, ग्राम वसुका दिनांक 6-1-83 को, मर्याद पुत्र रामनन्दन ग्राम सब्बलपुर खुर्द दिनांक 20-2-83 को तथा राम गहन पुत्र चरित्तर, ग्राम तेलरा दिनांक 3-2-83 को श्री एन0 पी0 त्रिपाठी, थानाध्यक्ष, जमनियां, जनपद गाजीपुर के नेतृत्व में पुलिस दल व डकैतों के मध्य हुई मुठभेड़ में मारे गए। देऊ पुत्र चरित्तर नाम के किसी अपराधी की मृत्यु जमानियां पुलिस के साथ मुठभेड़ में नहीं हुयी है। श्री देऊ के अतिरिक्त उक्त सभी मामलों की जांच हुई थी। जांच से मुठभड़ सही पायी गयी।

जिला गाजीपुर, गांव जमानियां के श्री मर्याद के एनकाउटर से पहले पंजीकृत अपराधों की रिपोर्ट

61—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मर्याद पुत्र रामनन्दन यादव, वसुका गांव, थाना जमानियां, जिला गाजीपुर के खिलाफ एनकाउन्टर के पहले संगीन अपराध में कोई रिपोर्ट जमानियां थाने में या और कहीं दर्ज है ? यदि है, तो क्यों है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मर्याद पुत्र रामनन्दन यादव, ग्राम सब्बलपुर खुर्द के विरुद्ध थाना जमानियां पंजीकृत अपराधों का विवरण निम्नांकित है :

(1) मु0 अ0 सं0 148/80, धारा 302/307/323 भा0 दं0 वि0
(2) मु0 अ0 सं0 224/81, धारा 395/397 भा0 दं0 वि0
(3) मु0 अ0 सं0 56/82, धारा 3/4 गुण्डा ऐक्ट
(4) मु0 अ0 सं0 140/82, धारा 110 जा0 फौ0
(5) मु0 अ0 सं0 151/82, धारा 25 आर्म्स ऐक्ट

जिला गाजीपुर, गाँव सिंगारपुर के श्री रामचन्दर के एन्काउन्टर की जांच

62--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामचन्दर, गांव सिंगारपुर, सखरज गांव जमैना, सीर, दरवरपुर थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर का एनकाउन्टर तत्कालीन एस0 ओ0 श्री एन0 पी0 त्रिपाठी ने सन् 1981 में किया है? तो क्या इनकी जांच किस मजिस्ट्रेट से कराई गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित रामचन्दर दिनांक 6-1-82 को तथा सखराज व सीरा दिनांक 16-12-81 को तत्कालीन थानाध्यक्ष, सैदपुर श्री राम प्रकाश पाण्डे के नेतृत्व में पुलिस दल व डकैतों के मध्य हुई मुठभेड़ में मारे गए। उक्त घटना की मजिस्टीरियल जांच प्रचलित है।

फैजाबाद के टाण्डा थर्मल परियोजना में सृजित एवं रिक्त पद

63--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाण्डा थर्मल परियोजना, फैजाबाद में कुल कितने पद विभिन्न श्रेणियों के सृजित किये गये हैं और कितने पद इस समय उनमें रिक्त हैं? उन रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां हो जायेंगी?

श्री श्रीपति मिश्र--

टाण्डा तापीय परियोजना, फैजाबाद में विभिन्न श्रेणियों के कुल 729 पद सृजित किये गये हैं और इस समय उनमें से 368 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की पूर्ति आवश्यकतानुसार की जायेगी।

जिला गाजीपुर में थाना सैदपुर में एन्काउन्टर की संख्या तथा गांव सिंगारपुर के किशुन, चन्दर व बाला उर्फ बाल किशुन की पुलिस मुठभेड़ में हत्या

64--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1981 में थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर में कितने एन्काउन्टर किये गए? क्या यह सत्य है कि गांव सिंगारपुर के किशुन चन्दर बाला उर्फ बाल किशुन को तत्कालीन थानाध्यक्ष, श्री एन0 पी0 त्रिपाठी घर से तारीख 1-8-81 को 8 बजे रात पकड़ कर लाये और दोनों को हत्या कर दी? यदि हां, तो क्या बालकिशुन की स्त्री कलावती ने उक्त सन्दर्भ में एक टेलीग्राम डी0 आई0 जी0, वाराणसी व 3-8-81 को प्रार्थना-पत्र एस0 पी0, गाजीपुर को दिया है उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1981 में थाना क्षेत्र सैदपुर, जिला गाजीपुर में तीन पुलिस डकैत के मुठभेड़ की घटनाएं हुयी। ग्राम सिंगारपुर के किशुन चन्दर व बाला उर्फ बाल किशुन को तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा 1-8-81 को घर से पकड़कर ले जाने व उनकी हत्या कर देने की बात सही नहीं पायी गयी।

उक्त डकैत दिनांक 1/2-8-81 की रात्रि में ग्राम कुढ़ा लम्बोत में पुलिस-डकैत मुठभेड़ में मारे गए। प्रश्न में उल्लिखित तार व प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। उक्त मुठभेड़ की घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच प्रचलित है।

श्री लक्ष्मण यादव, गाजीपुर व श्रीमती कलावती देवी के प्रार्थना-पत्र तथा कृत कर्यवाही

65—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मण यादव, सह सचिव, कम्युनिस्ट पार्टी, गाजीपुर व कलावती ग्राम सिंगारपुर की क्रमशः 17-3-83 व 1-8-81 की दरख्वास्त तथा सन् 81 व 82 तथा फरवरी, 83 तक थाना सैदपुर व जमानियां, जिला गाजीपुर में हुए 13 एनकाउन्टरों की लिस्ट के साथ अपना पत्र लगा कर गृह सचिव को 23-3-83 को प्रश्नकर्त्ता ने दिया है और मुख्य सचिव को 7-4-83 को पत्र दिया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या 13 एन्काउन्टरों की न्यायिक जांच सरकार करायेगी?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्न में उल्लिखित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 23-3-83 गृह सचिव को प्राप्त हुआ जिसके साथ श्री लक्ष्मण यादव का पत्र दिनांक 17-3-83 तथा श्रीमती कलावती देवी का प्रार्थना-पत्र दिनांक 1-8-81 नहीं वरन् 3-8-81 संलग्न है। प्रश्नकर्त्ता के उक्त पत्र के साथ मुठभेड़ में मारे गए 12 व्यक्तियों की सूची संलग्न की गई है। प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 7-4-83 मुख्य सचिव को नहीं प्राप्त हुआ है। उक्त प्रार्थना-पत्रों की जांच कराई गई। जांच से थानाध्यक्ष व पुलिस के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही नहीं पाए गए। प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 23-3-83 के साथ प्राप्त सूची में उल्लिखित देऊ पुत्र चरित्तर नामक किसी अपराधी की मृत्यु जमानियां पुलिस के साथ मुठभेड़ में नहीं हुई है। शेष ग्यारह डकैत पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। प्रश्नगत मामलों में न्यायिक जांच कराने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

आनपारा तापीय परियोजना, मिर्जापुर में लेबर सप्लाई प्रणाली की समाप्ति

66—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करें कि राज्य विद्युत् परिषद् के पत्रांक 252/कार्मिक-8/रा0 वि0 प0/213-ए/65, दिनांक फरवरी 25, 1981 के द्वारा यह आदेश निर्गत किया गया था कि लेबर सप्लाई समाप्त करके मस्टर रोल चालू किया जाय? यदि हां, तो आनपारा तापीय परियोजना, अनपारा, मिर्जापुर में आज भी लेबर सप्लाई प्रथा, श्रमिक आपूर्ति लागू किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

प्रश्नगत आदेशानुसार लेबर सप्लाई प्रणाली को समाप्त करने की प्रक्रिया के साथ ही यूनियनों की मांग यह हो गई कि लेबर सप्लाई में कार्यरत सभी लोगों को नियमित स्थान दिये जांय। इस प्रकार बढ़ती हुई श्रमिक अशान्ति के

भय से अनपरा तथा अन्य स्थानों में उक्त आदेशों के लागू करने में विलम्ब हो रहा है।

इस समस्या पर विस्तृत रूप से विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है और इसके निराकरण हेतु इस समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों पर परिषद् एवं शासन शीघ्र निर्णय लेगा।

जौनपुर–औराई–मिर्जापुर मार्ग में मड़ियाहूं बाजार के बाहर से बाई पास बनाने का नक्शा

67––श्री ऊदल––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर औराई, मिर्जापुर मार्ग में मडियाहूं बाजार के बाहर से वाई पास बनाने का नक्शा पहले बनाया गया था ? क्या यह सही है कि पहले वाई पास के नक्शे को बदल कर अब आराजी नं0 15 ग्राम जमीन जंगी में तथा गाटा नं0 13 को एक्वायर किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको जमीन के बदले जमीन दे चुकी है। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी––

जी हां, जौनपुर–औराई–मिर्जापुर मार्गों में मडियाहूं बाजार के बाहर से बाई पास बनाने का नक्शा पहले बनाया गया था। जी नहीं, संरेखण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रश्न नहीं उठता।

गांव दिलावरपुर तथा गांव उदयराज, जिला जौनपुर से बाई पास बदल कर प्रस्तावित किया जाना

68––श्री ऊदल––

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी नं0 277, 272, 274 गांव दिलावरपुर तथा आ0 ना0 90, 66, 79, 64, 68, 62/1 व 62/8 गांव उदयराज पट्टी परगना व तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर हरिजनों (चमार) की हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इन्हीं नम्बरों के बीचो–बीच उक्त बाई पास बदल कर प्रस्तावित किया गया है ? क्या सरकार इस बाई पास को पश्चिम ओर से ले जाने पर विचार करेगी ? क्या सरकार तुरन्त जांच करायेगी और निर्माण कार्य को रोकने का आदेश देगी ?

श्री अम्मार रिजवी––

ग्राम दिलावर में आराजी संख्या 272 के खातेदारों में एक हरिजन, एक नोनिया तथा शेष मुसलमान हैं। आरजी संख्या 274 में एक चमार और आराजी संख्या 277 में 3 चमार तथा शेष मुसलमान हैं। ग्राम उदयराज पट्टी में भू खंड संख्या 90 स्थित नहीं है तथा भू–खंड संख्या 62, 64, 66 व 68 के काश्तकार हरिजन नहीं हैं। भू–खंड संख्या 79 में एक काश्तकार पासी जाति का है।

बाई पास का संरेखण बदला नहीं गया है। बाई पास का कोई निर्माण कार्य भी अभी स्वीकृत नहीं है, अतएव किसी निर्माण कार्य को रोकने का प्रश्न नहीं उठता।

आनपारा तापीय परियोजना, मिर्जापुर के प्रबन्धक द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से न्यूनतम दैनिक मजदूरी के विषय में जानकारी

69—श्री ऊदल—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले शुक्रवार के अता० प्र० सं० 62 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आनपारा तापीय परियोजना, आनपारा, मिर्जापुर के प्रबन्धक ने दैनिक वेतन कर्मचारी के लिये मिर्जापुर के प्रशासनिक अधिकारियों से कब वार्तालाप किया है जो 9 प्रकार के कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं ? क्या इनको वह मजदूरी दी जाती है जो इलाहाबाद तथा कासिमपुर में दी जाती है ? यदि नहीं, तो जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या मजदूरी का रेट मुकर्रर किया है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से 1982 में मिर्जापुर जिले में निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दरों के विषय में जानकारी प्राप्त की गई थी। वर्तमान कन्टैक्ट एग्रीमेंट के अनुसार अब 9 प्रकार के स्थान पर 8 प्रकार के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी श्रमिक आपूर्ति के माध्यम से आनपरा तापीय परियोजना में कार्यरत हैं। इलाहाबाद तथा कासिमपुर आदि में दी जा रही मजदूरी से आनपरा तापीय परियोजना का कोई सम्बन्ध नहीं है। जिला प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी आठ रुपये प्रति दिन की दर से अकुशल श्रमिकों को दी जा रही है। उक्त दर से अधिक दर पर जिन व्यक्तियों की मजदूरी निर्धारित की गई है, उनके सम्बन्ध में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। आनपरा तापीय परियोजना में श्रमिक आपूर्ति के माध्यम से कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी की निम्नलिखित दरें निर्धारित हैं :

	रुपये प्रतिदिन
1—आफिस असिस्टेंट 'ए'	13·00 ,,
2—आफिस असिस्टेंट 'बी'	12·00 ,,
3—मजदूर	8·00 ,,
4—ड्राइवर	12·00 ,,
5—क्रेन ड्राइवर	16·00 ,,
6—इलेक्ट्रीकिल असिस्टट	13·00 ,,
7—मेकेनिकल असिटेंट	13·00 ,,
8—वुड वर्क असिस्टेंट	12·00 ,,

70—श्री ऊदल—

[दिनांक 1-3-1983 को अतारांकित प्रश्न संख्या 135 द्वारा उत्तरित]

मेसर्स चौरसिया इन्जीनियरिंग वर्क्स, हुसैनगंज, सीतापुर में ट्रैक्टर ट्रालियों का अवैधानिक निर्माण

71—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि मेसर्स चौरसिया इन्जीनियरिंग वर्क्स, गंज, सीतापुर स्थित कारखाने में ट्रैक्टर की ट्रालियों का अवैधानिक निर्माण

बिजली विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिये गये सरकारी सामान आयरन एंगिलों से किया जाता है जिसमें अब तक राज्य विद्युत् परिषद् को लाखों रुपये की क्षति उठानी पड़ती है ? क्या ऐसे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार सी० आई० डी० से जांच करायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं ।

शासन को ऐसी कोई जानकारी नहीं है अतः जांच का प्रश्न ही नहीं उठता ।

आनपरा तापीय परियोजना मिर्जापुर का निर्माण

72--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपया करेंगे कि आनपारा तपीय परियोजना आनपरा, मिर्जापुर कब तक बनकर तैयार हो जायगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

आनपरा तापीय परियोजना 'अ' की 210-210 मेगावाट की तीन इकाईयों के जून, 1984 से दिसम्बर, 1985 तक चालू होने की आशा है ।

आनपारा तापीय परियोजना, मिर्जापुर हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि तथा मुआवजा

73--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आनपारा तापीय परियोजना, आनपरा, मिर्जापुर में 10 से ज्यादे गांव को एकदम निकाल दिया गया और उनके मकान, कुएं, बागात तथा पूरीकाश्त की जमीन ले ली गई है ? यदि हां, तो उनको जमीन के बदले जमीन अब तक न देने का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि मुआवजा भी सबको अब तक नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो क्यो ?

श्री श्रीपति मिश्र--

आनपारा तापीय परियोजना के लिए किसी ग्राम की सम्पूर्ण भूमि अभिग्रहित नहीं की गई । 20 ग्रामों की आंशिक भूमि, जो कुल मिलाकर लगभग 4,245 एकड़ है, न्यूनतम आवश्यकतानुसार अध्यापित की जा रही है । इसमें आ रहे मकान, कुयें, बागान तथा काश्त की जमीनें सम्मिलित हैं ।

जमीन के बदले जमीन देने का कोई प्राविधान नहीं है । जमीन का मुआवजा रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा शासन से अनुमोदित दरों पर किया जा रहा है । जिनके मकान लिए गये हैं उनको परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार 40×60 फुट के एक, दो या तीन प्लाट आवंटित किये गये हैं । कुल मिलाकर परिवारों को 731 प्लाट आवंटित किये जा चुके हैं ।

इस परियोजना के अन्तर्गत जिन किसानों को अभी तक मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है वे तीन श्रेणियों में आते हैं :--

अ--वे काश्तकार जिनके प्रतिकर हेतु परिषद द्वारा धनराशि राजस्व अधिकारियों के पास जमा की जा चुकी है परन्तु उनके मामले विवादास्पद

होने के कारण उनकी भूमि व सम्पत्तियों का प्रतिकर राजस्व अधिकारियों द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया जा सका है।

ब—वे काश्तकार जिनके एवार्ड एस0 एल0 ओ0/शासन द्वारा पारित नहीं किये जा सके हैं। जितनी धनराशि अब तक परिषद् से मांगी गई है, वह राजस्व अधिकारियों के पास जमा की जा चुकी है।

उपरोक्त 'अ' और 'ब' के अन्तर्गत परिषद् द्वारा रुपया 1,47,71,000 रु0 राजस्व अधिकारियों के पास जमा किया जा चुका है और उनके द्वारा मई 1983 तक 1,09,74,870 रु0 काश्तकारों को बांटा भी जा चुका है इन मामलों में परिषद की ओर से कोई कार्यवाही करना शेष नहीं है।

स—वे काश्तकार जिनकी भूमि पूर्व समय से वर्ग चार की थी और बाद में शासन द्वारा इस वर्ग चार भूमि को 'गवर्नमेन्ट ग्रान्ट लैंड' श्रेणी में बदल दिया गया। इसके अन्तर्गत अप्रैल 1982 तक सभी प्रतिकर के प्रस्ताव बनाकर परगना अधिकारियों को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इन प्रस्तावों पर राजस्व विभाग कार्य कर रहा है और वित्त विभाग से सहमति मिलने पर आवश्यक शासनादेश किये जायेंगे तदोपरान्त राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रतिकर वितरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

पिंडरा देवराई सरांय मार्ग, ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी में पुल-पुलिया के निर्माण का प्राविधान

74—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग वाराणसी, जो सूखा में पिंडरा देवराई सराय मार्ग, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी को बना रहा है उसमें पुलिया एवं नाले में पुल का प्राविधान नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार पुलिया एवं पुल के लिए धन देने पर विचार करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। पुल-पुलिया के निर्माण का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

धन उपलब्ध है।

पिंडरा देवराई सरांय मार्ग, वाराणसी की लम्बाई तथा कार्य पूरा होने का समय

75—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिंडरा देवराई सराय मार्ग, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी की लम्बाई चार किलोमीटर है ? यदि हां, तो दो ही किलोमीटर तक खड़ंजे (पत्थर कुटाई) का कार्य क्यों किया जा रहा है ? बाकी कार्य कब तक पूरा होगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

अभी तक निःशुल्क भूमि केवल 1·70 किलोमीटर लम्बाई में ही उपलब्ध हो पाई है अतः मार्ग का निर्माण अभी तक इसी लम्बाई में किया जाना सम्भव है। शेष लम्बाई में कार्य पूरा कराने का लक्ष्य तथा धन व भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

वन निगम उत्तर प्रदेश को गोरखपुर डिवीजन का कार्य दिया जाना

76—श्री ऊदल—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन निगम, उत्तर प्रदेश को गोरखपुर डिवीजन का भी कार्य दे दिया गया है? यदि हां, तो जो ट्राम्बे स्थापित लकड़ी लाने हेतु रेलगाड़ी बनाई गई थी उसको भी वन निगम ने ले लिया है?

श्री संजय सिंह—

जी हां, उत्तर प्रदेश वन निगम को गोरखपुर के उत्तरी व दक्षिणी वन प्रभागों का विदोहन कार्य भी अक्तुबर, 1982 से दे दिया गया है। वन निगम ने ट्राम्बे को नहीं लिया है।

लकड़ी की नीलामी द्वारा जमा किया गया धन तथा बकाया की वसूली

77—श्री ऊदल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लकड़ी की नीलामी भी वन निगम करवा रहा है? यदि हां, तो कब से वन निगम ने चार्ज लिया है कितने रुपये की लकड़ी की नीलामी हुई और सरकार के यहां कितना जमा किया गया? क्या यह सही है कि लाखों रुपये निगम का बकाया नीलाम लेने वालों के यहां है? उसको वसूलने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री संजय सिंह—

जी हां, वन निगम लकड़ी की नीलामी भी करवा रहा है।

1-10-82 से 31-7-83 तक कुल रु0 4,663,422.00 की नीलामी हुई तथा निगम के बैंक के खातों में कुल रुपया 3,97,07,091.35 जमा किया गया है। वन निगम द्वारा विक्रय मूल्य की धनराशि सीधे सरकार के पास जमा नहीं की जाती है वरन् वह विभाग को निश्चित रायल्टी समयान्तर्गत भुगतान करता है। क्रेताओं द्वारा देय अवशेष 68,96,330.65 रु0 की धनराशि उनसे जंगल से लकड़ी उठाने के पूर्व जमा करा ली जायेगी क्योंकि नियमान्तर्गत पूरी धनराशि जमा करने के उपरान्त ही निकासी दी जाती है। इस प्रकार निकासी के विरुद्ध क्रेताओं पर वन निगम की कोई धनराशि अवशेष नहीं है। अतः वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद के टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना में बालाजी कम्पनी खंड की जांच तथा कार्यवाही

78—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा तापीय शक्ति परियोजना, फैजाबाद में बाला जी कम्पनी कांड की जांच जो विभागीय विजिलेंस द्वारा कराई गई थी उसमें कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाये गये थे? तथा उन सभी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र--

टांडा तापीय शक्ति परियोजना फैजाबाद में बालाजी कम्पनी खंड की जांच परिषद् की सतर्कता इकाई द्वारा कराई गई थी जिसमें सर्वश्री आर0 पी0 भटनागर, अधीक्षण अभियन्ता, ए0 के0 अग्रवाल, विशेष लेखाधिकारी, एम0 पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, बी0 एन0 मौर्य, अधिशासी अभियन्ता, जियाउद्दीन खां, अधिशासी अभियन्ता, मु0 अनीस, सहायक अभियन्ता, कृष्णा नन्द, अवर अभियन्ता व प्रेम नारायण, दैनिक श्रेणी लिपिक दोषी पाये गये तथा श्री हरीश चन्द्र, मुख्य परियोजना प्रबन्धक के विरुद्ध भी आवश्यक दृष्टिकोण अपनाये जाने की संस्तुति की गयी। उक्त सभी दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही, सतर्कता विभाग द्वारा खुली जांच आरम्भ किये जाने के कारण स्थगित कर दी गयी है।

कानपुर देहात के थाना घाटमपुर में बाबूलाल हरिजन अध्यापक द्वारा दर्ज रिपोर्ट, मुख्य मंत्री को दिये गये रजिस्टर्ड पत्र पर कृत कार्यवाही

79--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विगत 10-2-83 को थाना घाटमपुर, जनपद कानपुर (देहात) में जो रिपोर्ट बाबू लाल हरिजन, अध्यापक की दर्ज की गई थी, उसके अभियुक्तों की गिरफ्तारी कब की गयी ? क्या अभियुक्तों की फरारी हालत में 82/83 की कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचनानुसार श्री बाबूलाल की रिपोर्ट के आधार पर थाना घाटमपुर में पंजीकृत अभियोग विवेचना से सही न पाये जाने पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व उनके विरुद्ध धारा 82/63 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही नहीं की गई।

श्री बाबूलाल हरिजन, घाटमपुर, जनपद कानपुर के प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति तथा कार्यवाही

80--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या श्री बाबूलाल हरिजन (अध्यापक), निवासी जवाहर नगर, कस्बा घाटमपुर, जनपद कानपुर को कोई रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र दिनांकित 6-3-83 मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें प्रार्थी बाबूलाल ने क्या-क्या प्रार्थना की है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें दिनांक 30-1-83 की घटना की निष्पक्ष विवेचना, मुल्जिमों की गिरफ्तारी, झूठे मुकदमे की सी0 आई0 डी0 जांच तथा प्रार्थी की सुरक्षा का प्रबन्ध किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

दिनांक 30-1-83 की घटना के सम्बन्ध में प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना घाटमपुर में पंजीकृत अपराध संख्या--72-ए, धारा 147/452/323/324/506 भा0 दं0 वि0 में विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है। प्रार्थी की सुरक्षा हेतु आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री राजा राम हरिजन, थाना घाटमपुर, जनपद कानपुर (देहात) की गिरफ्तारी

81—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या वह उस रिपोर्ट को, जिस रिपोर्ट के आधार पर श्री राजा राम हरिजन को दिनांक 30 जनवरी, 1983 को थाना घाटमपुर, जनपद कानपुर (देहात) की हवालात में बन्द कर जेल भेजा गया था, सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या यह सही है कि जब 30 जनवरी, 1983 को राजा राम अपने भाई के परिवार जन पर प्राणघातक हमला किए जाने सम्बन्धी रिपोर्ट लिखाने थाना घाटमपुर में गया था और तभी उसे उल्टे हवालात में बन्द कर दिया गया और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तथा रिपोर्ट 13 दिन बाद दिनांक 13 फरवरी, 1983 को राजा राम के भाई बाबू लाल के नाम से हरी लाल आदि के विरुद्ध दर्ज की गयी ? यदि हां, तो घटना वाले दिन राजा राम की रिपोर्ट दर्ज न करने का कारण क्या था ?

श्री श्रीपति मिश्र—

अ0 सं0 72 अन्तर्गत धारा 324/323 भा0 दं0 बि0 थाना घाटमपुर में राजा राम को कस्बा घाटमपुर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । उक्त मुकदमें की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है । यह कहना गलत है कि राजा राम थाने पर रिपोर्ट करने गया था और उसे बन्द कर दिया गया । दिनांक 30 जनवरी, 1983 को राजा राम ने किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट थाने पर नहीं की थी ।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ 222 पर ।)

जिला बिजनौर में टाउन एरिया जलालाबाद एवं सहारनपुर की बिजली की लाइनें नजीबाबाद से जोड़ने की कथित योजना

82—श्री रती राम—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर में टाउन एरिया जलालाबाद एवं टाउन एरिया सहारनपुर की बिजली की लाइनें नगर फीडर, नजीबाबाद से जोड़ने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी, कब तक दोनों टाउन एरियाओं को नगर फीडर से जोड़ दिया जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

गौहर शाह अली काश्मीरी वाया खासपुर जहांगीरगंज जन-सम्पर्क मार्ग, टांडा, फैजाबाद की कथित निर्माण

83—श्री गोपी नाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 7वें मंगलवार के अता0 प्रश्न संख्या 48 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गौहर शाह अली काश्मीरी वाया खासपुर जहांगीरगंज जन-सम्पर्क मार्ग, टांडा,

फैजाबाद का निर्माण-कार्य जिला सेक्टर योजना के तहत कराया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक निर्माण कार्य पर कितना धन व्यय किया गया ? तथा सम्पूर्ण मार्ग पर कुल कितना धन व्यय किये जाने का अनुमान है व कुल मार्गों की लम्बाई क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग की जिला सेक्टर योजना के तहत नहीं कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जय प्रकाश आदि ग्राम खैरपुर, फैजाबाद के हजारों पपीते के पेड़ों का प्रतिकर टांडा तापीय शक्ति परियोजना, फैजाबाद द्वारा भुगतान न किये जाने सम्बन्धी मामले का सेशन जज, फैजाबाद के न्यायालय से निर्णय

84—श्री गोपी नाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 8वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 119 व 120 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 28 अगस्त, 1981 को माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा दिये गये निर्णय का सम्पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

माननीय न्यायाधीश, सत्र न्यायालय, फैजाबाद ने अपने निर्णय में प्रार्थी के बाद को मय खर्चे के खारिज कर दिया । निर्णय की प्रति मेरे कक्ष में देखी जा सकती है ।

85—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या यह सही है कि उक्त मामले में वादी की भूमि में स्थित 12 हजार पपीतों के वृक्षों तथा करीब 6 लाख रुपया प्रतिकर के रूप में न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो उक्त भूमि पर लगे पपीतों के प्रतिकर का हकदार वादीगण है ? यदि हां, तो अब तक प्रतिकर भुगतान न किए जाने का क्या कारण है ? कब तक प्रतिकर भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता । जिला जज, फैजाबाद के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील हुई है । उच्च न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने पर आगम कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद फैजाबाद के बीकापुर तहसील मुख्यालय पर अनशनकारियों की मांगें, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

86—श्री गोपी नाथ वर्मा—

प्रथम सत्र 1983 के 8वें मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 128 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अनशनकारियों

की मांगों को किस अधिकारी द्वारा तथा किस तिथि को जांच करायी गयी ? अनशनकारियों की सम्पूर्ण मांगें क्या थी, किन मांगों को पूरा किया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र--

अनशनकारियों की मांगों की जांच तत्कालीन परगनाधिकारी, बीकापुर द्वारा की गयी तथा सितम्बर, 1981 में अनशनकारियों से वार्ता करके परगनाधिकारी ने समस्याओं का समाधान कर दिया था। अनशनकारियों की मांगें निम्न से सम्बन्धित थी :--

1--सीमेन्ट वितरण में भ्रष्टाचार।

2--शादी से सम्बन्धित चीनी वितरण में भ्रष्टाचार।

3--मुकदमा सम्बन्धी भ्रष्टाचार।

4--ज0 वि0 फार्म 60 क, ख एवं जोत चकबन्दी फार्म 41 की आख्या के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार।

5--सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, बीकापुर के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार।

87--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या यह भी सही है कि सम्बन्धित मामले की जांच के दौरान कुछ कर्मचारी एवं अन्य लोग दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सम्बन्धित मामले की जांच के दौरान चीनी वितरण के सम्बन्ध में गलत रिपोर्ट देने के लिये दो लेखपाल दोषी पाये गये जो निलम्बित किये गये तथा निम्नलिखित दंड के साथ बहाल कर दिये गये--एक लेखपाल को जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त कोई वेतन न देकर उसकी चरित्रपंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गयी। दूसरे लेखपाल को भी जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त कोई वेतन न देकर चेतावनी दे दी गयी।

जनपद फैजाबाद के अयोध्या थाने में रूसी मंदिर के प्रबन्धक द्वारा चोरी की दर्ज रिपोर्ट

88--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के अयोध्या थाने में माह जनवरी, सन् 1983 में रूसी मन्दिर के प्रबन्धक द्वारा चोरी की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी जिसके तहत पुलिस द्वारा 475, 380 की कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो कार्यवाही का पूर्ण विवरण क्या है तथा दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र --

जी हां। कथित चोरी की रिपोर्ट दिनांक 19-1-1983 को थाना अयोध्या में लिखाई गई जिस पर धारा 457/38 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना में वैज्ञानिक तरीके से भी छानबीन की गयी किन्तु

माल व मुल्जिम का पता न चलने के कारण मामला अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त किया गया। किसी को दोषी नहीं पाया गया।

जनपद फैजाबाद के टाण्डा नगर क्षेत्र मे "दि पायोनियर लिमिटेड" के मकान व गोदाम पर अनधिकृत कब्जा तथा अवैध निर्माण एवं जिला मेजिस्ट्रेट को दिया गया प्रार्थना पत्र

89--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के टाण्डा नगर क्षेत्र में "दि पायोनियर लिमिटेड" के मकान व गोदाम को मकान मालिक श्री चन्द्रमोहन अग्रवाल तथा उनके पुत्र अनन्त कुमार द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने तथा अवैध निर्माण कार्य कराए जाने के मामले को लेकर शान्ति भंग होने की आशंका आदि की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस द्वारा 8 जनवरी, 1983 को परगनाधिकारी टाण्डा को प्रस्तुत की गयी है ? यदि हां, तो परगनाधिकारी, टाण्डा द्वारा पुलिस रिपोर्ट के अनुसार कुर्की आदि की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र --

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा 145 द0 प्र0 स0 के अन्तर्गत रिपोर्ट दिनांक 28-12-1982 को परगनाधिकारी टाण्डा को प्रेषित की गई थी। दिनांक 8-1-1983 को सम्बन्धित व्यक्तियों पर नोटिस तामील होकर वापस आयी और तामीलशुदा नोटिस दिनांक 10-1-1983 को न्यायालय प्रेषित की गयी। परगनाधिकारी, टाण्डा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गयी।

90- श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या यह सही है कि जनपद फैजाबाद के टाण्डा क्षेत्र में "दि पायोनियर लिमिटेड" की ओर से जिला मैजिस्ट्रेट से न्यायालय में इस आशय का कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया है कि परगनाधिकारी तथा मकान मालिक के षड़यन्त्र से धारा 145 की सुनवाई तथा कुर्की आदि की कार्यवाही को टाला जा रहा है ? यदि हां, तो इस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र --

"दि पायोनियर लिमिटेड" की ओर से जिला मजिस्ट्रेट के यहां मुकदमें के स्थानान्तरण के लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया था और जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार मामला परगना मजिस्ट्रेट अकबरपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया। मामला उनके न्यायालय में विचाराधीन है।

विद्युत-गृह सोहावल, फैजाबाद से टान्डा तापीय शक्ति परियोजना फैजाबाद को दिया गया कोयला

91- श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में विद्युत गृह, सोहावल फैजाबाद से 1981-82 में टान्डा तापीय शक्ति परियोजना, फैजाबाद को कोयला दिया गया है ? यदि हां, तो कितना कोयला किन-किन तिथियों को तथा कितनी धनराशि का तथा उक्त विद्युत गृह से दूसरे विद्युत गृह को कोयला देने के कारण क्या है ? क्या यह भी सही है कि कोयला देने में हजारों रुपये का गोल-

माल किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले की जांच कराकर अविलम्ब कार्यवाही की जायगी ?

श्री श्रीपति मिश्र --

वर्ष 1981-82 टान्डा तापीय परियोजना में 17-2-1982 को 50'230 मी0 टन, 18-2-1982 को 96'930 मी0 टन, एवं 25-3-1982 को 114 400 मी0 टन, 295 रु0 प्रतिटन के हिसाब से कुल रुपया 77,160'20 धनराशि का कोयला लोहावल विद्युत गृह से लिया गया । इस प्रकार से प्राप्त कोयले को टान्डा परियोजना के विभिन्न भवन निर्माता ठेकेदारों को ईटों के लिए अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार दिया गया जो रुपया 300 प्रति मे0 टन के हिसाब से कुल 78,468'00 की धनराशि उनके (ठेकेदारों) बिलों से काट ली गयी । अतएव इसमें किसी प्रकार की घपलेबाजी का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश में समस्त थानों पर तैनात चौकीदारों को वेतन, भत्ता के रूप में भुगतान

92--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समस्त थानों पर तैनात चौकीदारों को मात्र 20 रुपए वेतन या भत्ता के रूप में भुगतान कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या चौकीदारों के कार्यों तथा श्रम को ध्यान में रखते हुए कम से कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के समान वेतन देने के सम्बन्ध में सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र --

प्रश्नगत चौकीदारों को 15 रुपये प्रति माह वेतन तथा 4 रुपये साइकिल भत्ता, कुल 19 रुपयों का भुगतान कराया जा रहा है । चौकीदार अंशकालिक कर्मचारी होते हैं, जो चौकीदार के कार्य के अतिरिक्त अपने निजी कार्य, व्यवसाय, तथा खेती आदि भी करते हैं और इनकी नियुक्ति के लिये शैक्षिक योग्यता आदि का भी कोई निर्धारण नहीं है । अतएव इनको न तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की समकक्षता दी जा सकती है और न वेतन ।

श्री झिल्लू राम विश्वकर्मा अवर अभियन्ता साण्डी, जनपद हरदोई द्वारा आहरित किया गया यात्रा भत्ता

93--श्री गोपीनाथ वर्मा तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री झिल्लू राम विश्वकर्मा, अवर अभियन्ता, साण्डी, जनपद हरदोई जून, 1982 से अप्रैल, 1983 तक कितनी बार सरकारी कार्य से बाहर गये तथा इन्होंने कितना रुपया भत्ता के रूप में प्राप्त किया ?

श्री श्रीपति मिश्र--

साण्डी नगर जनपद हरदोई में श्री झिल्लू राम विश्वकर्मा, अवर अभियन्ता, 33/11 के0 वी0 सब-स्टेशन पर कार्यरत हैं । श्री विश्वकर्मा परिषद् के कार्य हेतु जून, 1982 से सितम्बर, 1982 तक एवं नवम्बर, 1982 में 80 (अस्सी) बार बाहर गये और उन्होंने रु0 2,395.90 की धनराशि यात्रा भत्ता के रूप में प्राप्त

की है। उनके द्वारा प्रस्तुत माह अक्तूबर, 1982 के यात्रा भत्ता बिल पर कुछ आपत्तियों के कारण भुगतान अभी नहीं किया गया है। दिसम्बर, 1982 के बाद के यात्रा भत्ता बिल अभी श्री विश्वकर्मा से प्राप्त नहीं हुये हैं।

जनपद फैजाबाद में थाना रौनाही की पुलिस की असगर नामक व्यक्ति से मुठभेड़ की अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा जांच

94—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में थाना रौनाही की पुलिस की असगर नामक व्यक्ति से 1982 में मुठभेड़ हुई थी जिसमें मैजिस्ट्रेरियल जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद फैजाबाद के थाना रौनाही में भा0 द0 वि0 की धारा 309/402/307, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 तथा एक्सप्लोसिव्ज ऐक्ट की धारा 5 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों के अनुसार 11/12 दिसम्बर, 1981 की रात्रि में बड़ेगांव के निकट पुलिस से मुठभेड़ में श्री असगर पुत्र वली मोहम्मद, निवासी सौरी की मृत्यु हुई थी। इस मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा भी जांच की गई थी।

95—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या यह भी सही है कि उक्त मामले में मैजिस्ट्रेरियल जांच के पश्चात् जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा सी0 आई0 डी जांच हेतु शासन को लिखा गया है ? यदि हां, तो मजिस्ट्रेरियल जांच के पश्चात सी0 आई0 डी0 जांच कराये जाने का क्या आधार है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जिला मजिस्ट्रेट ने मजिस्ट्रेट की उक्त रिपोर्ट पर विचार कर संस्तुति की कि मामले की विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग से करा ली जाय। तद्नुसार जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई।

जनपद हरदोई के साण्डी नगर में जले हुये ट्रान्सफार्मर

96—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के साण्डी नगर में इस समय कितने ट्रान्सफार्मर कितने समय से जले पड़े हुये हैं ? उन्हें अब तक न बदलने का क्या कारण है ? इसके लिये कौन अधिकारी व कर्मचारी जिम्मेदार हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनपद हरदोई के साण्डी नगर में इस समय कोई ट्रान्सफार्मर जला हुआ नहीं पड़ा है। अन्य प्रश्नों के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में निर्माणाधीन तापीय विद्युत् गृहों के निर्माण हेतु जीवन बीमा निगम से ली गई धनराशि

97--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निर्माणाधीन तापीय विद्युत् गृहों के निर्माण हेतु माह दिसम्बर, 1982-जनवरी, 1983 में लाइफ इंश्योरेंस से करीब 32 करोड़ रुपये ऋण के रूप में लिये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त धनराशि किस रूप में किस अधिकारी द्वारा ली गई ? उक्त धनराशि किन-किन विद्युत् गृहों को कितनी-कितनी दी गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रदेश में विद्युत् की निरन्तर बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति हेतु राज्य विद्युत् परिषद् को नई-नई प्रजनन, प्रसारण तथा वितरण योजनाओं के वित्त पोषण हेतु राज्य शासन से ऋण लेने के अतिरिक्त विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से भी ऋण आहरित करना होता है। तद्नुसार प्रदेश के तापीय विद्युत् गृहों हेतु अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के नामें जीवनबीमा निगम को दिनांक 10 जनवरी, 1983 के चेक द्वारा 32.11 करोड़ रुपये का ऋण राज्य विद्युत् परिषद् ने आहरित किया था जिसका उपयोग निम्नलिखित विद्युत् गृहों के पूंजीगत व्ययों को पोषित करने के लिये किया गया--

	धनराशि (करोड़ रुपये में)
1--ओबरा थर्मल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट स्टेज 2 व 3	4.00
2--टांडा थर्मल प्रोजेक्ट	20.00
3--परीक्षा थर्मल प्रोजेक्ट	8.11
योग ..	32.11

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना में बिजली कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी फैजाबाद को दिया गया ज्ञापन तथा अनशन

98--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना में बिजली कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद को कोई ज्ञापन दिनांक 28-12-82 को उक्त संघ के किसी पदाधिकारी द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो ज्ञापन का पूर्ण विवरण क्या है तथा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है।

99—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि 7 अक्तूबर, 1982 से 21051 तापीय शक्ति परियोजना से प्रभावित सदस्यों द्वारा 14 सूत्री मांगों को लेकर परियोजना स्तर पर क्रमिक अनशन किया जा रहा था तथा दिनांक 28-12-82 को जिला अधिकारी, फैजाबाद अधीक्षण अभियन्ता परियोजना टाण्डा के हस्त क्षेप व लिखित आश्वासन पर अनशनकारियों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है ? यदि हां, तो उक्त तिथि को जिलाधिकारी व अधीक्षण अभियन्ता का लिखित आश्वासन क्या है ? क्या लिखित आश्वासन पूरा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजपुर रोड देहरादून में मोटर साइकिल व ट्रक दुर्घटना

100—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 3-12-82 की रात्रि लगभग 10 बजे राजपुर रोड देहरादून में मोटर साइकिल पर सवार दो व्यक्तियों की एक ट्रक से टक्कर हो जाने पर मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो दोनों मृतक के नाम और पते क्या हैं ? क्या यह सही है कि मोटर साइकिल ट्रक में फंस गयी थी ? क्या ट्रक मालिक/ड्राइवर की गिरफ्तारी हो चुकी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो अब तक गिरफ्तारी न होने के क्या कारण हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, टक्कर के कारण घायल होने के फलस्वरूप चिकित्सालय में दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी ।

एक मृतक का नाम राजेश उर्फ रामू मोहन पुत्र जे0 बी0 एस0 भटनागर, निवासी-11 बकरालवाला, थाना कोतवाली, देहरादून, (2) मृतक गोपाल सिंह बिष्ट पुत्र हरि सिंह, 51/9, राजपुर रोड, थाना कोतवाली, जिला देहरादून ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार एवं जांच से मोटर साइकिल का ट्रक में फंसा होना नहीं पाया गया ।

जी नहीं । प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी अपराधी का नाम या ट्रक नम्बर अंकित नहीं किया गया है और न ही जांच से किसी अभियुक्त ट्रक मालिक या चालक का नाम प्रकाश में आना पाया गया । इस कारण से किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पाई ?

जिला सुल्तानपुर के ग्राम बहारपुर व रसूलपुर में पेड़ों की अवैध कटाई व उसकी रोकथाम

101—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में स्थित भूखण्ड संख्या 824-1514, 1515,1/1,515/2, 1925-1926-1947 पर स्थित पेड़ों की कटाई से रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो क्या ?

श्री संजय सिंह—

उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत इस निमित्त समुचित व्यवस्था की गयी है ।

102—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला, सुल्तानपुर में स्थित भूखण्ड सं0 1153, 1154, 1155, 1130 पर स्थित वृक्षों को कटाई से रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो क्या ?

श्री संजय सिंह—

उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत इस निमित्त समुचित व्यवस्था की गयी है ।

जनपद फैजाबाद के थाना बीकापुर के थानाध्यक्ष, श्री बजभूषण शुक्ला द्वारा श्री सत्य नारायण उपाध्याय पर गोली चलाने के विरुद्ध रिपोट एवं उसकी अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच

103—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत थाना बीकापुर के थाना अध्यक्ष (श्री बजभूषण शुक्ल) द्वारा श्री सत्यनारायण उपाध्याय पर गोली चलाने के विरुद्ध माह दिसम्बर, 1982 में कोतवाली, फैजाबाद में उक्त थाना अध्यक्ष के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है ? क्या यह सही है कि घायल अवस्था में जिला अस्पताल, फैजाबाद में उपचार हेतु श्री उपाध्याय को दाखिल कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त मामले की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा भी कराई गयी ? जांच में किन-किन पुलिस कर्मियों को दोषी पाया गया और उसके आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

जिला अस्पताल में श्री उपाध्याय भरती कराए गए थे । स्थानीय पुलिस विवेचना से किसी निष्कर्ष पर न पहुंच सकी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

104—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या यह भी सही है कि उक्त घटना की जांच सी0 आई0 डी0 से कराए जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा शासन से मांग की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सी0 आई0 डी0 की जांच पूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? रिपोर्ट के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जिलाधिकारी की संस्तुति पर विचारोपरान्त मामला अपराध अनुसंधान विभाग को जांच हेतु सौंपा गया । अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा विवेचना की जा रही है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

तापीय शक्ति परियोजना (विद्युत गृह) सोहावल, जनपद फैजाबाद का निर्माण तथा विद्युत उत्पादन

105—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तापीय शक्ति परियोजना (विद्युत गृह) सोहावल, जनपद फैजाबाद का निर्माण कब किया गया तथा कुल लागत क्या है ? विद्युत गृह निर्माण के पश्चात अब तक कितना विद्युत उत्पादन किया गया ? क्या मौजूदा समय में विद्युत गृह से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो विद्युत उत्पादन न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

तापीय शक्ति परियोजना (विद्युत गृह) सोहावल, जनपद फैजाबाद का निर्माण सन् 1957 में किया गया था। उस समय इसकी कुल लागत लगभग 3 करोड़ रुपये थी इस विद्युत गृह से निर्माण के समय से दिनांक 31-8-1983 तक कुल विद्युत उत्पादन 1312.80 मिलियन यूनिट किया गया। वर्तमान समय में सोहावल विद्युत गृह द्वारा 3 से 4.5 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन हो रहा है।

टाण्डा तापीय परियोजना में प्रधान मन्त्री के आगमन पर खर्च की गई धनराशि में घपला तथा उसकी विशेष ए0 जी0 पार्टी से जांच कराने की मांग

106—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा तापीय परियोजना में माह दिसम्बर, 1981 में प्रधान मन्त्री के शुभ आगमन पर जो परिषद् से 10 लाख रुपये उनके स्वागतार्थ स्वीकृत किया गया था उसमें से किन-किन मदों में कितना-कितना खर्च किया गया तथा परियोजना के अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम कितने रुपये टी0 आई0 खोली गई थी ? क्या यह सही है कि उन टी0आई0 में सभी वाउचर फर्जी लगाये गये हैं ? क्या शासन इसकी जांच विशेष ए0 जी0 पार्टी से करायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नगत कार्य हेतु परिषद् द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई थी। उक्त अवसर पर हुए व्यय का मदवार विवरण निम्नवत् है :—

	रु0
(क) शिलान्यास स्थल के निर्माण तथा सभा के प्रबन्ध हेतु	18,736·23
(ख) यातायात एवं आवागमन सम्बन्धी व्यय	3,613·49
(ग) कार्ड छपाई, लाउड स्पीकर और सूचना पट्ट इत्यादि पर	6,665·15
(घ) अतिथियों के जलपान आदि पर	18,638·40
कुल योग ..	47,653·27

उक्त प्रबन्ध व्यवस्था पर व्यय हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 31,000 रुपये की अग्रिम धनराशि दी गई थी, जिसमें से 28,255·42 रुपये उपर्युक्त मदों पर व्यय हुये तथा अवशेष 2,744·58 रुपये कैश चेस्ट को उनसे वापस प्राप्त हो गये। व्यय के वाउचरों का परीक्षण करने के उपरान्त ही उनका समायोजन किया गया था। परियोजना पर सभी व्यय का सम्प्रेक्षण ए० जी० आफिस, परिषद् एवं महालेखाकार द्वारा नियमतः किया जाता है अतएव प्रश्नगत व्यय की जांच विशेष ए० जी० पार्टी से कराने का प्रश्न नहीं उठता।

टाण्डा परियोजना जनपद फैजाबाद में स्टील घोटाला कांड की जांच

107—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में टाण्डा परियोजना जनपद फैजाबाद में पांच लाख रुपये के स्टील घोटाले से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा गायब स्टील की क्षतिपूर्ति किस प्रकार की गई ? यदि इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

टाण्डा परियोजना जनपद फैजाबाद में पांच लाख रुपये की स्टील के घोटाले से सम्बन्धित मामले में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा खुली जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में स्टोरकीपर के पदों हेतु अभ्यर्थियों का चयन

108—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में स्टोरकीपर के अस्सी पदों पर भर्ती हेतु 8 व 9 जनवरी, 1981 के समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया गया था तथा लिखित परीक्षा अगस्त, 1981 में हुई थी ? यदि हां, तो उक्त परीक्षा में क्या निर्माण निगम के कर्मचारी परीक्षार्थियों का परीक्षाफल अलग से घोषित किया गया था ? यदि नहीं, तो कुल 57 परीक्षार्थियों का ही परीक्षाफल घोषित करके 23 पद रिक्त क्यों रखे गये ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, 8 व 9 जनवरी, 1981 को विज्ञापन किया गया था तथा अगस्त, 1981 में लिखित परीक्षा हुई। निर्माण निगम के कर्मचारी परीक्षार्थियों का परीक्षाफल अलग से घोषित नहीं किया गया। लिखित परीक्षा में चूंकि मात्र 57 अभ्यर्थियों को ही न्यूनतम प्राप्तांकों या उनसे अधिक अंक मिले थे, अतः 57 परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया।

109—श्री विष्णु दयाल वर्मा—

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

उपनिदेशक, पशुपालन, झांसी द्वारा गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को कोंच में अवैध गोवंश वध की जांच कराने हेतु प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

110—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उप निदेशक, पशुपालन, झांसी द्वारा लिखा गया एक गोपनीय अनुस्मारक अर्धशासकीय पत्र संख्या 18-19/एच0 सी0, दिनांक 1 अप्रैल, 1981 गृह सचिव महोदय उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा कोंच में भयंकर पैमाने पर अवैध गोवंश वध की शिकायतों की जांच अपराध एवं अनुसंधान विभाग द्वारा कराये जाने की मांग की गई है ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी के द्वारा कराई गई और क्या तथ्य प्रकाश में आये और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

परन्तु इसी संख्या और दिनांक का एक पत्र जो आयुक्त द्वारा लिखा गया था, की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है । उस पत्र में जो अनुस्मारक के रूप में था संदर्भित मूल पत्र में गोवंश वध के शिकायतों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराये जाने हेतु कहा गया था ।

इस सम्बन्ध में पशुपालन विभाग द्वारा विभागीय जांच कराई गई। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुये । अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कराय जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

लखनऊ विद्युत् प्रदेय उपक्रम, लखनऊ में मस्टर रोल दैनिक श्रेणी लिपिकों का नियमितीकरण

111—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 7-4-83 के अल्पसूचित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि यह सन् 76 से कार्य बराबर कर रहे हैं तो उनका नियमितीकरण 76 से कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विद्युत् विभाग के कर्मचारी श्री सुरेश चन्द्र को रीइंस्टेट करने हेतु लेबर कोर्ट के निर्णय का अनुपालन

112—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लेबर कोर्ट ने 20-4-81 को अपने फैसले में कहा है कि इनकी सेवा समाप्ति का आदेश अवैध था, अतः उसे निरस्त किया जाता है और कर्मचारी को रीइंस्टेट करते हुए पिछला बकाया वेतन भी देने के आदेश दिए थे ? क्या विद्युत् विभाग ने उसको पूरा पैसा दे दिया है ? यदि हां, तो तब उनको आज तक रेगुलराइज न करने का क्या कारण है और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

113—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चीफ इंजीनियर (पर्सनल) ने 19 अगस्त, 1981 को सुपरिटेंडिंग इंजीनीयर विद्युत् प्रदेश, लखनऊ को डी० ओ० लिखा था कि लेबर कोर्ट के एवार्ड को तुरन्त लागू किया जाय और उसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

एवार्ड लागू किया जा चुका है जिसके फलस्वरूप श्री सुरेश चन्द्र की नियुक्ति दिनांक 13-11-81 को मस्टर रोल पर की जा चुकी है एवं उन्हें अवशेषों का भुगतान भी किया जा चुका है । उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

114—श्री सरदार सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

115—श्री मोती लाल देहलवी—

[दिनांक 7-4-83 को वक्तव्य होने के कारण निरस्त]

जनपद मथुरा के मान्यता प्राप्त साप्ताहिक समाचार-पत्र तथा उनके सम्पादक

116—श्री सरदार सिंह—

क्या सूचना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में 31 जनवरी, 1983 को कौन-कौन से स्थानीय पत्र (साप्ताहिक) मान्यता प्राप्त थे ? उनके सम्पादकों के नाम व पते क्या हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

दिनांक 31-1-1983 को मथुरा जनपद के इन साप्ताहिक समाचार-पत्रों को विज्ञापन-मान्यता प्राप्त थी :—

(1) ब्रजगरिमा

(2) जगत टाइम्स

(3) कृष्ण-भूमि तथा

(4) परशराम शक्ति ।

इन समाचार-पत्रों के सम्पादकों के नामों व पतों की सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 223 पर ।)

जनपद मथुरा में पुलिस व डकैत मुठभेड़ में मारे गये डकैत

117—श्री सरदार सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में माह अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 1981 में कौन-कौन लोग पुलिस की मुठभेड़ (इंकाउन्टर) में मारे गये और उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या थी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनपद मथुरा में पुलिस व डकैत मुठभेड़ में वर्ष, 1981 के माह अक्तूबर में कोई डकैत नहीं मारा गया। माह नवम्बर में तथा दिसम्बर में 6 डकैत मुठभेड़ में मारे गये जिनका पूर्ण विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिए नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 224 पर।)

जनपद मथुरा में सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु स्वीकृत धन तथा उनके निर्माण की प्रगति

118—श्री सरदार सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में वर्ष 1981-82 में राज्य सरकार द्वारा किन-किन सड़कों को कितना-कितना धन निर्माण एवं मरम्मत हेतु स्वीकृत किया गया था ? क्या स्वीकृत सड़कें निर्मित होकर तैयार हो गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष 1981-82 में मथुरा जनपद में राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्य हेतु 83.51 लाख रुपये तथा मरम्मत कार्य हेतु 63.58 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था। मार्गवार सूची संलग्न है। धनाभाव के कारण सम्पूर्ण स्वीकृत सड़कों को एक वर्ष में पूरा कराया जाना सम्भव नहीं है। क्योंकि हर वर्ष प्राप्त अनुदान के अनुरूप ही कार्य कराया जाता है।

(देखिए नत्थी "झ" आगे पृष्ठ 230 पर।)

आगरा मण्डल में नये थानों की स्थापना

119—श्री सरदार सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मण्डल, आगरा में कितने नये थाने वर्ष 1981-82 में खोलने के लिए प्रस्तावित थे ? उनमें से कितने इस वर्ष खोल दिए हैं ? पूर्ण प्रस्तावित थानों को न खोलने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

आगरा मण्डल, आगरा में वित्तीय वर्ष 1981-82 में कुल तीन नये थाने खोलने प्रस्तावित थे। ये सभी थाने वर्ष 1982 में स्थापित किये जा चुके हैं।

इन्दिरा नगर, लखनऊ में रिक्त आवासों को अवैधानिक रूप से किराये पर देकर रुपयों का गोलमाल एवं उसकी जांच

120—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि इन्दिरा नगर राजकीय कालोनी में जो सरकारी आवास रिक्त पड़े हुए हैं उनको वर्क एजेंट व जे० ई० लगभग दो वर्षों से

किराये पर उठाये हुए हैं तथा हजारों रुपयों का गोलमाल किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी सी0 आई0 डी0 या उच्च स्तरीय जांच करवायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति

121—श्री प्रियदर्शी जैतली—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्धशासकीय पत्र संख्या म0 322/88-प्र0शि0-2/81-प्र0 शि0 अनुभाग-2, दिनांक 13 अप्रैल, 1981 व अर्धशासकीय पत्र सं0 5221/18-प्र0शि0-2/82 प्र0शि0 अनुभाग-2, दिनांक 5-10-82 के उत्तरों के आधार पर शासन ने विचार कर कोई निर्णय अब तक किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति हेतु संस्था द्वारा किये चयन का अनुमोदन कार्मिक विभाग की अधिसूचना द्वारा गठित समिति के शेष सदस्य द्वारा भी प्रदान कर दिया गया है। (चयन समिति ने श्री विश्राम यादव को उपर्युक्त संस्था में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्य करने के लिये नहीं चयन किया, जिनकी पूर्व में अवकाशकालीन रिक्तियों में कुल कार्यरत अवधि लगभग केवल 7 महीने थी, जब कि चयनित अभ्यर्थी श्री श्याम लाल यादव अधिक अवधि से कार्य कर रहे थे ।)

थाना इंचार्ज, नाका हिंडोला, लखनऊ के विरुद्ध श्री रूप नारायण पाठक की रिपोर्ट पर लापरवाही बरतने तथा कोर्ट के आदेशों की उपेक्षा करने सम्बन्धी शिकायत

122—श्री सरदार सिंह, श्री उमेश्वर प्रताप सिंह तथा श्री माता प्रसाद पान्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि 6 माननीय विधान सभा सदस्यों द्वारा थाना इंचार्ज, नाका हिंडोला, लखनऊ के विरुद्ध 29 नवम्बर, 1982 को रूपनारायण पाठक, भूतपूर्व किरायेदार, मकान नं0 136/131 दुर्विजयगंज सराय, लखनऊ द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट पर ध्यान न देने तथा लापरवाही करने तथा कोर्ट के उक्त आदेश को जानबूझकर होते हुए न दिखाने की शिकायत की गयी थी ? यदि हां, तो मामले में फाइनल रिपोर्ट किस आधार पर लगा दी गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम रसूलपुर के भूतपूर्व सैनिकों को भूमि एवं आवासीय भू-खंडों का आवंटन

123—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, विकास खंड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में मार्च, 83 तक कितने भूतपूर्व सैनिक हैं, उनमें कितने

पेंशनर्स हैं, उनमें कितने ऐसे हैं जो भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं, कितने ऐसे हैं जिनको आवास सुविधा प्राप्त नहीं है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

ग्राम रसूलपुर, विकास खंड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में मार्च, 1983 तक कुल 18 भूतपूर्व सैनिक हैं जिनमें 8 पेंशनर्स हैं तथा 7 भूतपूर्व सैनिक ऐसे हैं जो भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं और 2 भूतपूर्व सैनिकों को आवास की सुविधा प्राप्त नहीं है ।

124—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व सैनिकों एवं सैनिक पेंशनरों को जो भूमिहीन श्रेणी में आते हैं, उनको उक्त ग्राम में उनको कोई भूमि आवंटन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । वर्तमान समय में ग्राम रसूलपुर में चकबन्दी का कार्य चल रहा है और जिसकी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत धारा 52 के प्रकाशन के बाद ही यह जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि उक्त ग्राम में कितनी भूमि अवशेष है । अतः तब तक उक्त ग्राम में भूमि आवंटन किया जाना संभव नहीं है ।

125—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या भूतपूर्व सैनिक व पेंशनरों को जो भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं और उनको उक्त ग्राम में आवासीय समस्या है, उनको आवासीय भूखंडों का आवंटन हेतु आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

ग्राम रसूलपुर के 2 भूतपूर्व सैनिकों जो भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं तथा जिनके पास आवासीय समस्या है, को उक्त ग्राम में चकबन्दी प्रक्रियाओं/कार्य की समाप्ति के बाद नियमानुसार आवासीय भूखंडों के आवंटन करने हेतु आदेश पारित किया जा सकता है ।

प्रोन्नति प्राप्त पुलिस उप निरीक्षकों का स्थायीकरण

126—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो उप पुलिस निरीक्षक नागरिक पुलिस पैरा 191 आफिस मैनुअल के अन्तर्गत वर्ष 1977, 1978, 1979, 1980 से लगातार 5 तथा 3 वर्ष तक नियुक्ति रहे या अभी तक नियुक्त हैं, उन्हें स्थायी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

पुलिस आफिस मैनुअल के प्रस्तर 191 के अन्तर्गत अनुमोदित हेड कान्सटेबुल को उप निरीक्षक के पद पर प्रशिक्षित व सीधी भर्ती के उप निरीक्षक के अभाव में अस्थायी रिक्तियों में कार्य सम्पादन हेतु तदर्थ प्रोन्नति दी जाती है । पुलिस आफिस मैनुअल के प्रस्तर 191 के अधीन अनुमोदित हेड कान्सटेबुल के 3 तथा 5 वर्ष तक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त रहने पर भी स्थायी किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

127--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या यह सही है कि पैरा 191 आफिस मैनुअल के अन्तर्गत नागरिक पुलिस गुप्तचर शाखा अभिसूचना इकाई में नियुक्त उपनिरीक्षकों को अधिकांशतः स्थायी किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब और उसकी संख्या क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

पुलिस आफिस मैनुअल के प्रस्तर 191 के अन्तर्गत उप निरीक्षकों को स्थायी करने का प्राविधान नहीं है ।

जनपद हरदोई में ट्रेन डकती के अपराधियों को पकड़ने वाले पुलिस कर्मचारियों को पुलिस पदक देने की माँग

128--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30/31 अक्तूबर, 1981 को जिला हरदोई में दिल्ली मेल ट्रेन में पड़ी भीषण डकैती के 5 मुल्जिमान मय लूटे गये करीब 3 लाख मूल्य के सामान सहित पुलिस उप निरीक्षक श्री होरी लाल, कान्स्टेबिल श्री नागेन्द्र वर्मा तथा कान्स्टेबिल रामचेत सिंह के द्वारा पकड़े गये थे जिस पर पुलिस मेडिल उपरोक्त कर्मचारियों को प्रदान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा उक्त कर्मचारियों को कब तक पुलिस मेडिल प्रदान किया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

यह सत्य है कि दिनांक 30/31 अक्तूबर, 1981 की रात्रि जिला हरदोई में दिल्ली मेल ट्रेन में पड़ी डकैती के 3 मुल्जिमान लूटे गये सामान के सहित पुलिस उपनिरीक्षक श्री बहोरी लाल तथा कान्स्टेबिल श्री नागेन्द्र वर्मा व श्री रामचेत सिंह द्वारा पकड़े गये थे ।

पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उक्त पुलिस कर्मियों को वीरता का पुलिस पदक प्रदान किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा ।

उपनिदेशक, पशुपालन के गोरखपुर के कार्यालय में 10 वर्ष से अधिक अवधि से तैनात कर्मचारियों का स्थानान्तरण

129--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या पशुपालन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उप निदेशक, पशुपालन, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर के कार्यालय में लगातार 10 वर्षों से कितने लिपिक कार्यरत हैं तथा उनमें से कितने अपने गृह जनपद में ही तैनात है ? एक ही स्थान पर इनको इतने अधिक दिन रखने का क्या औचित्य है ? क्या इनको स्थानान्तरित किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री संजय सिंह--

उप निदेशक, पशुपालन, गोरखपुर के कार्यालय में लगातार 10 वर्षों से 13 लिपिक कार्यरत हैं जिनमें से 10 लिपिकों का गृह जनपद गोरखपुर ही है ।

लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों को अपने गृह जनपद में तैनात रखने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उनके पटल बदल दिये गये हैं। इस समय अन्यत्र स्थानान्तरण करने का कोई औचित्य नहीं है।

गोरखपुर मंडल के मुख्यालय के पशुधन विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण

130—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या पशुपालन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मंडल के मुख्यालय में कितने पशुधन विकास अधिकारी गत 5 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या सरकार इनके स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री संजय सिंह—

30 जून, 1983 तक गोरखपुर मंडल के मुख्यालय में 3 पशुधन विकास अधिकारी गत 5 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत थे। इनमें दो पशुधन विकास अधिकारियों को जनपद में 6 वर्ष से अधिक होने के कारण पशुपालन निदेशालय के आदेश, दिनांक 20/30 जून, 1983 द्वारा स्थानान्तरण किया जा चुका है। शेष एक पशुधन विकास अधिकारी का स्थानान्तरण इस वर्ष नहीं किया गया क्योंकि उसे जून, 1983 तक जनपद में 6 वर्ष पूरे नहीं हुए थे।

श्री सुनहरी लाल, निवासी खेरिया शिकमी गोहना, जनपद मैनपुरी द्वारा सरकारी खर्चे पर अंग रक्षक प्रदान किये जाने की मांग

131—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के 1ले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 71 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जांच कब किस अधिकारी ने की ? क्या यह सही है कि थानाध्यक्ष, फरिहा (मैनपुरी) ने इनके विरोधी प्रधान आदि के विरुद्ध धारा 107/116 जा0 फौ0 के अन्तर्गत रिपोर्ट दी ? यदि हां, तो अंगरक्षक प्रदान करने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ? क्या शासन द्वारा जांच पुनः माल विभाग से कराकर अंग रक्षक प्रदान किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सन्दर्भित प्रश्न संख्या 71 के उत्तर के अनुसार शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त होना नहीं पाया गया था। अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता। ग्राम प्रधान के चुनाव के समय श्री सुनहरी लाल तथा उनके विरोधी श्री मुहर सिंह की पार्टियों के बीच रंजिश को देखते हुए दंड प्रक्रियां संहिता की धारा 107/116 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी। प्राप्त सूचनानुसार श्री सुनहरी लाल को सरकारी खर्चे पर अंग रक्षक प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं पाया जाता। शासन से इनको अंगरक्षक प्रदान करने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

श्री राम दुलारे त्रिपाठी, ग्राम चन्दावली, जिला जालौन के पिताजी की हत्या के सम्बन्ध में दिये गये पत्र की जांच

132--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राम दुलारे त्रिपाठी, ग्राम चन्दावली, पुलिस स्टेशन, कुठौन्द, जिला जालौन का शिकायती-पत्र माह जनवरी, 1982 का पुलिस द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 1981 को अपने पिताजी की नृशंस हत्या के सम्बन्ध में जांच के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में तत्कालीन गृह मन्त्री जी ने उप पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को स्वयं घटना स्थल पर जाकर जांच के आदेश प्रदान किये थे ? यदि हां, तो उप पुलिस महानिरीक्षक, झांसी द्वारा कब घटना स्थल पर जाकर जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

जी हां ।

पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र घटना स्थल ग्राम चन्दावली नहीं गये परन्तु दिनांक 3 से 5 मई, 1982 को जांच हेतु उरई में रुके । उरई में प्रार्थी को बुलाये जाने पर वह उनसे मिलने नहीं आये । वास्तविक घटनास्थल पर जांच के लिये न जाने के सम्बन्ध में पुलिस उप महानिरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया । शासन द्वारा स्पष्टीकरण असन्तोषजनक पाये जाने पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उन्हें भविष्य के लिये सचेत करने के आदेश दिये गये ।

जिला पिथौरागढ़ के ग्राम दौला, बलिया का विद्युतीकरण

133--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पिथौरागढ़, ब्लाक बेरीनाग, ग्राम दौला, बलिया के अनुसूचित जाति/जनजाति के निवासियों ने जनवरी, 1981 व सितम्बर, 1982 में विद्युतीकरण के लिए निवेदन किया था ? क्या विद्युतीकरण का कार्य शुरू हो गया है ? यदि नहीं, तो कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । दौला बलिया ग्राम का विद्युतीकरण किसी स्वीकृत योजना में नहीं था, अतएव इस विषय में अभी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी । विकास खंड बेरीनाग के शत प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए एक योजना तैयार की गई है और इसकी स्वीकृति के प्रयास किये जा रहे हैं । इस योजना की स्वीकृति के बाद ही ग्राम दौला बलिया का विद्युतीकरण सम्भव होगा ।

जनपद फर्रुखाबाद में कन्नौज के समीप गंगा नदी पर राजघाट पुल का निर्माण

134--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिलराया-पनवारी मार्ग पर जनपद हरदोई में स्थित गंगा नदी के राजघाट पुल का निर्माण कब तक शुरू करा दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत पुल जनपद फर्रुखाबाद में कन्नौज के समीप गंगा नदी पर स्वीकृत है। निर्माण कार्य सर्वेक्षण तथा आगमन की तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त धन की उपलब्धता के अनुसार सेतु निगम से शुरू कराया जायेगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों हेतु स्वीकृत वेतनमान

135—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के ऐसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जहां पुस्तकालयाध्यक्ष पद सृजित हैं, की पुस्तकालय, निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश के कार्यालय में स्थित पुस्तकालय एवं विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्रों में स्थित पुस्तकालय उत्तर प्रदेश द्वितीय वेतन आयोग द्वारा वर्गीकृत पुस्तकालयों की कोटि चार की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं ? यदि हां, तो क्या उसमें नियुक्त ऐसे पुस्तकालयाध्यक्ष जो कोटि चार की पुस्तकालय के लिए निर्धारित अर्हताएं रखते हैं को 515–860 एवं अन्य जो स्नातक उपाधि के साथ पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण–पत्र धारित करते हैं को 470–735 वेतनमान श्रम विभाग द्वारा निर्धारित किए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं।

इस मामले पर पुनर्विचारोपरान्त निदेशालय, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अन्तर्गत निदेशालय (मुख्यालय), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्रों में विद्यमान पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों को उत्तर प्रदेश द्वितीय वेतन आयोग द्वारा वर्गीकृत कोटि–5 के अन्तर्गत मानते हुए संलग्नानुसार इन पदों के लिए 470–735 रु0 के वेतनमान की स्वीकृति दे दी गयी है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 240 पर)

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के ग्राम बांसा में घोषित वन भूमि

136—श्री खैरुल बशर—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के ग्राम बांसा में वन विभाग से सम्बन्धित कितनी भूमि है, उसका उपयोग किस कार्य के लिये किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि वन विभाग के कुछ भूखंड स्थानीय लोगों द्वारा अपने बताकर बेचे भी गये हैं ? यदि हां, तो शासन द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री संजय सिंह—

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के बांसा रक्षित वन में 711–0–11 बीघा अर्थात् 444 एकड़ वन भूमि आरक्षित वन घोषित हो चुकी है। उपरोक्त वन भूमि में से अधिकांशतः 9·5 पी0 एच0 से ऊपर की उसरौली भूमि है जो वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है।

वन विभाग को किसी के द्वारा धोखा देकर वन भूमि के बेचे जाने की कोई जानकारी नहीं है ।

137–139—श्री मोती लाल देहलवी—

[दिनांक 7–4–83 को वक्तव्य होने के कारण निरस्त] ।

सुपर कारपेट हाउस फर्म रोहटा की गोदाम बनाते हुए श्री लछन व मंगल, निवासी गोपालपुर, जिला वाराणसी की मृत्यु व आश्रितों को मुआवजा

140—श्री ऊदल—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30–9–82 को सुपर कारपेट हाउस फर्म रोहटा का गोदाम बनाते हुए छत गिर जाने से लछन पुत्र बेनी, संवरपुर व मंगल गोपालपुर, थाना चौरी, जिला वाराणसी की मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मृतकों का पोस्टमार्टम भी हुआ है और कोई रिपोर्ट भी अंकित की गयी है ? यदि हां, तो क्या इस फर्म के मालिकों ने कोई मुआवजा मृतकों के आश्रितों को दिया है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने एक प्रार्थना-पत्र मंगल चौहान, संवरपुर का अपने पत्र के साथ प्रश्नकर्ता ने माननीय मुख्य मंत्री को 21 मार्च, 1983 को दिया, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित माननीय प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 21 मार्च, 1983 की जांच कराने पर ज्ञात हुआ है कि मृतकों के आश्रितों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है । इस सम्बन्ध में श्रमायुक्त को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश भेज दिये गये हैं ।

शिवदासपुर–भदोही मार्ग, जिला वाराणसी में मोढ़ नदी पर पुल का पुनर्निर्माण

141—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवदासपुर, भदोही मार्ग, जिला वाराणसी में मोढ़ नदी का पुल सकरा एवं पुराना हो गया है जिससे ट्रक व बसें नदी में गिर जाती हैं ? यदि हां, तो इसको अब तक न बनाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर पूरी आख्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

प्रश्नगत पुल के पुनर्निर्माण हेतु स्थल चयन के उपरान्त सेतु का स्थान 2 × 22 मीटर निर्धारित किया गया, जिसके कारण लागत में वृद्धि हुई । बढ़ी हुई लागत की पुनरीक्षित स्वीकृति 30,30,000 रु0 दिनांक 20–8–1983 को जारी कर दी गयी है ।

जौनपुर-सुल्तानपुर-लखनऊ मार्ग का जीर्णोद्धार

142--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर-सुल्तानपुर-लखनऊ मार्ग काफी खराब हो गया है और इसका जीर्णोद्धार अर्सा 3 वर्ष से हो रहा है ? यदि हां, तो इस पर कितना रुपया खर्च हो रहा है और पूरी सड़क कब तक बनकर तैयार हो जायगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

रु0 221·16 लाख व्यय हो चुका है ।

अनुदान की कमी है । धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया जायेगा ।

लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग्स द्वारा एस0 बी0 ए0 अप्रेंटिसशिप में भर्ती श्री राजेन्द्र प्रसाद गोनियाल को प्रशिक्षण प्राप्ति से रोका जाना तथा फ्रेशर के रूप में रखे जाने के आदेश

143--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, डालीगंज, लखनऊ से विद्युत् कला में प्रशिक्षित श्री राजेन्द्र प्रसाद गोनियाल को 23-12-80 को ढ़ाई साल का बाण्ड भरा कर लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग्स द्वारा एस0 बी0 ए0 अप्रेंटिसशिप में भर्ती किया गया था ? क्या यह सही है कि 2 मार्च, 1982 को श्री राजेन्द्र प्रसाद गोनियाल को ट्रेनिंग में आने से रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । श्री राजेन्द्र प्रसाद गोनियाल का संविदा पत्र प्रधानाचार्य आई0 टी0 आई0 एवं सहायक शिशुक्षु परामर्शदाता लखनऊ द्वारा इस आधार पर पंजीकृत नहीं किया गया कि उनका टेक्निकल क्वालीफिकेशन सर्टीफिकेट, जो राजकीय प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, डालीगंज द्वारा प्रदत्त है, मान्यता प्राप्त नहीं है । अतः श्री गोनियाल को 2-3-1982 से प्रशिक्षण प्राप्त करने से रोक दिया गया ।

144--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

क्या इस सम्बन्ध में ऊर्जा राज्य मन्त्री द्वारा 16-4-82 को तथा मुख्य मंत्री द्वारा 25-6-82 को अधीक्षण अभियन्ता को पत्र लिखे थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । प्रश्नगत विषय डाइरेक्टर, ट्रेनिंग एवं इम्पलाइमेंट को उचित परामर्श हेतु संदर्पित किया गया । उनकी संस्तुति के अनुसार श्री गोनियाल को फ्रेशर के रूप में पुनः रखे जाने हेतु आवश्यक आदेश पारित कर दिये गये हैं ।

कर्मचारियों को सरकारी आवासों के आवंटन में विशेष परिस्थितियां तथा गुणावगुण के निर्धारण का आधार

145—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 67 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी आवासों के आवंटन के जिन कुछ मामलों में कर्मचारियों की विशेष परिस्थितियों के गुणावगुण पर विचार करके ज्येष्ठता के सिद्धान्त को शिथिल कर दिया जाता है वे विशेष परिस्थितियां एवं गुणावगुण तथा उनके मापदण्ड क्या हैं ? क्या सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित करने के पूर्व उनके निवास स्थान का निरीक्षण किया जाता है ? यदि नहीं, तो कथित विशेष परिस्थितियां एवं गुणावगुण का निर्धारण कार्यालय में बैठे-बैठे कैसे कर दिया जाता है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सरकारी निवास स्थान (लखनऊ स्थित समस्त सामान्य निवास स्थान) आवंटन नियमावली, 1980 के अधीन ज्येष्ठता के सिद्धान्त को शिथिल करने के लिए विशेष परिस्थितियां, गुणावगुण व उनके मापदण्ड परिभाषित नहीं हैं ।

जी नहीं ।

विशेष परिस्थितियां एवं गुणावगुण का निर्धारण कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुभाग अधिकारी, प्रवर तथा अवर वर्ग सहायक, संदर्भ सहायक एवं टंककों के पद और उनका स्थायीकरण

146—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुभाग अधिकारी, प्रवर वर्ग सहायक, सन्दर्भदाता, अवर वर्ग सहायक एवं टंकक के अलग-अलग कुल कितने-कितने पद इस समय सृजित हैं तथा इसमें से कितने-कितने पद स्थायीकरण के लिए परिपक्व हो चुके हैं ? इन परिपक्व पदों को अब तक स्थायी न किए जा सकने का क्या कारण है तथा इनके स्थायी किए जाने की दिशा में क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ? इन पदों एवं तीन वर्ष से अधिक समय से इन परिपक्व पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को कब तक स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुभाग अधिकारी, प्रवर वर्ग सहायक, संदर्भदाता, अवर वर्ग सहायक एवं टंकक के क्रमशः 314, 1258, 302, 980 तथा 456 पद सृजित हैं । इनमें से क्रमशः 16, 26, 9, 9 तथा 7 पद स्थायीकरण हेतु परिपक्व हो चुके हैं । पदों का स्थायीकरण एक निरन्तर चलते रहने वाली प्रक्रिया

है जिसके अनुसार परिक्त पदों का यथानियम, यथाक्रम स्थायीकरण होता रहता है । अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियमान्तर्गत व्यवस्थाओं के अनुसार स्थायी किया जायेगा ।

वन निगम के कर्मचारियों की सेवा नियमावली

147--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन निगम के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाई गई है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह सेवा नियमावली कब तक बना दी जायेगी ?

श्री संजय सिंह--

उत्तर प्रदेश वन निगम के कर्मचारियों की सेवा नियमावली अभी नहीं बनी है । सेवा नियमावली के आलेख्य तैयार कर लिये गये थे परन्तु इसी बीच वन निगम के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में वनों से विदोहन के कार्य का उत्तरदायित्व आ जाने के कारण तैयार की गयी नियमावली के आलेख्य में परिवर्तन आवश्यक हो गया है । ऐसी स्थिति में नियमावली को अन्तिम रूप देने में अभी और समय लगेगा ।

148-149--श्री राम आसरे वर्मा--

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या--168-169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सूचना विभाग द्वारा विज्ञापन प्रसारण

150--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या सूचना मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सूचना विभाग पहले विज्ञापन अपने द्वारा प्रसारित करता था लेकिन अभी नियमों में बदलाव करके प्राइवेट लोगों को दे दिया है जबकि पहले सूचना विभाग को 15 प्रतिशत पैसा मिला करता था ? यदि ऐसा हुआ है तो कारण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना विभाग अभी भी विज्ञापन स्वयं जारी करता है । केवल सजावटी विज्ञापनों पर 15 प्रतिशत की कटौती की जाती थी । समाचार पत्रों की कठिनाई को देखते हुये यह कटौती शासन द्वारा 12-1-83 से समाप्त कर दी गई है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा नये लघु उपभोक्ताओं को कनेक्शन प्रदान करने के सम्बन्ध में दी जाने वाली सुविधायें

151--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् में नये लघु उद्योगों एवं नलकूपों को कनेक्शन देने में कौन-कौन सी सुविधायें प्रस्तावित उपभोक्ताओं को दी जा रही हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा नये लघु उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने में यदि वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मौजूद है तो सार्वजनिक भूमि पर 30 मीटर तक फ्री लाइन दी जाती है ।

जहां तक निजी नलकूपों का प्रश्न है तो उनके लिये विद्युत् परिषद् द्वारा प्रति अश्व शक्ति 60 मीटर (300 मीटर प्रति कनेक्शन की अधिकतम सीमा तक) तथा बुन्देलखंड क्षेत्र में यह सीमा 80 मीटर (400 मीटर अधिकतम सीमा तक) है। 11 किलोवोल्ट तथा 400 वोल्ट की लाईन परिषद् अपने खर्चे से बनाती है साथ ही सब स्टेशन बनाने का भी खर्च उपभोक्ता से नहीं लिया जाता है।

जनपद गोरखपुर के थाना झगहा में हरे जामुन व आम के पेड़ काटने की दर्ज रिपोर्ट

152--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में स्थित थाना झगहा, पुलिस चौकी, बरहो बाजार में दिनांक 9-1-83 में 15 वन ऐक्ट के अन्तर्गत हरे जामुन व आम के पेड़ काटने व उसके आठ टुकड़े प्राप्त करने की रपट दर्ज हुई है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इस पकड़ी गई लकड़ी को जिस व्यक्ति की सुपुर्दगी में दी गई थी वहां से गायब हो गई है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नकर्त्ता की 9-1-83 की एक लिखित सूचना पर जांच के उपरान्त 15 फारेस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत चालानी रिपोर्ट न्यायालय भेजी गयी। पकड़ी गयी लकड़ी अब भी सुपुर्दगी में है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

153-155--श्री मोती लाल देहलवी--

[दिनांक 7-4-83 को वक्तव्य होने के कारण निरस्त।]

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के स्टोर सेन्टर आगरा के सहायक अभियन्ता, श्री बी० एल० चतुर्वेदी द्वारा लिया गया फर्जी यात्रा भत्ता

156--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के स्टोर सेन्टर आगरा में नियुक्त सहायक अभियन्ता, श्री बी० एल० चतुर्वेदी द्वारा 24-8-81 को आगरा से दिल्ली एवं 26-8-81 को दिल्ली से आगरा का यात्रा भत्ता तीन दिवसीय दिल्ली कार्यक्रम के सिलसिले में लिया गया ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि मेजरमेन्ट बुक के पृष्ठ 44 ए० पर 25-8-81 को उनके द्वारा आगरा में ही स्टोर का सामान भी प्राप्त किया गया ? यदि हां, तो उनके द्वारा फर्जी यात्रा भत्ता लिये जाने पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

दिनांक 25-8-81 को श्री चतुर्वेदी ने आगरा स्टोर में सामान प्राप्त नहीं किया, बल्कि मेजरमेन्ट बुक में "मेजरमेंट चेक्ड बाई मी" अंकित किया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच की जा रही है।

जनपद लखनऊ के हुसैनगंज थानान्तर्गत मुस्तफा एवं पापेद नामक कथित बदमाशों की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु की मैजिस्टीरियल जांच

157--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के हुसैनगंज थानान्तर्गत मुस्तफा एवं पापेद नामक कथित बदमाशों का 9-6-1981 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था ? यदि हां, तो उसकी मैजिस्टीरियल अथवा अन्य किसी एजेन्सी द्वारा जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस घटना की सी0 आई0 डी0 जांच कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । प्रश्नगत मुठभेड़ की घटना के संबंध में मैजिस्टीरियल जांच की जा रही थी परन्तु दिनांक 16-6-1981 को न्यायालय में संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध इस्तगासा दायर हो जाने के कारण मैजिस्टीरियल जांच स्थगित कर दी गई है ।

उक्त घटना की सी0 आई0 डी0 जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव में चोरी व हत्या की घटनाओं की फाइनल रिपोर्ट तथा विधायकों के हस्ताक्षर से युक्त पत्र में दिये गये सुझाव

158--श्री बलवीर सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 5वें मंगलवार के अता0 प्रश्न संख्या 69 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव में दिनांक 27-4-1981 से 4-12-1982 तक की अवधि में चोरी की आठ घटनाओं में से सात में फाइनल रिपोर्ट लगाये जाने का अलग-अलग औचित्य क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव में दिनांक 27-4-1981 से 4-12-1982 तक की अवधि में चोरी संबंधी अंकित आठ अपराधों में से सात में विवेचना के उपरान्त साक्ष्य के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई जो न्यायालय से स्वीकृत हो गई ।

159--श्री बलबीर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम पडरी खुर्द, थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव के दिनांक 4-8-1982 को रामानन्द की हत्या के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक उन्नाव को माह जनवरी/फरवरी, 1982 प्रश्नकर्ता सहित अन्य बारह विधायकों के हस्ताक्षर से युक्त कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित मुद्दा क्या है ? क्या पत्र में दिये गये सुझाव के आधार पर पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्ति के अब तक बयान लिये गये ? यदि हां, तो वह बयान क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में संदर्भित आशय का पत्र दिनांक 1-9-1982 का है न कि माह जनवरी/फरवरी, 1982 का।

प्रार्थना-पत्र में मुख्य मुद्दा था कि इस घटना क्रम में इकबाल शंकर तथा देवी प्रसाद अवस्थी को गलत फंसाया गया है। यह भी कहा गया है कि यदि पुलिस राजमोहन पान्डे उर्फ दिनेश को हिरासत में लेकर बयान लेती तो उससे वास्तविक अभियुक्तों का पता चल सकता था। इस संबंध में अंकित अपराध अन्तर्गत धारा 302 भा0 दं0 वि0 थाना अवलगंज में नामजद अभियुक्तगण देवी प्रसाद अवस्थी, इकबाल शंकर तथा रज्जन लाल पान्डे के विरुद्ध नियमानुसार विवेचना के उपरान्त आरोप-पत्र दिनांक 20-8-1982 को न्यायालय प्रेषित किया गया। राजमोहन पान्डे को हिरासत में लेकर बयान लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता। क्षेत्राधिकारी की जांच से दिनेश के विरुद्ध साक्ष्य नहीं मिला। उन्होंने विवेचक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दे दिए हैं।

स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गुप्त, अवर अभियन्ता के आश्रितों को ग्रेच्युटी, नकदीकरण, भविष्य निधि तथा बीमा का भुगतान

160--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री ओम प्रकाश गुप्त, अवर अभियन्ता जिनकी मृत्यु डियूटी पर 5-6-1982 हो गई उनके आश्रितों को ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, बीमा तथा अवकाश के नकदीकरण का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया है? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी--

स्व0 ओम प्रकाश गुप्त, अवर अभियन्ता की विधवा श्रीमती गायत्री देवी को अवकाश नकदीकरण तथा सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

ग्रेच्युटी तथा भविष्य निर्वाह निधि के भुगतान के संबंध में अदेयता प्रमाण-पत्र तथा महा लेखाकार का अधिकार पत्र आवश्यक होता है जिसे प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। जैसे ही उक्त प्रमाण-पत्र तथा अधिकार पत्र प्राप्त हो जायेंगे भुगतान कर दिया जायेगा।

161--श्री भीखा लाल--

[दिनांक 9-1-1982 को अतारांकित प्रश्न संख्या 64 द्वारा उत्तरित]

162--श्री भीखा लाल--

[दिनांक 8-3-1983 को अतारांकित प्रश्न संख्या 116 द्वारा उत्तरित]

श्री राम लखन सिंह, ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाकघर रामपुर मढ़ी, जिला उन्नाव द्वारा दिये गये शिकायती पत्र की जांच

163--श्री भीखा लाल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामलखन सिंह, ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाकघर रायपुर गढ़ी, थाना माखी, जिला उन्नाव ने दिनांक 1-12-81 को

पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस आशय का शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया कि पुलिस थाना माखी ने 24-25 नवम्बर, 1981 की रात को डाकखाने में घुसकर तलाशी ली और डाकखाने का कैश तादादी 19,950 रुपया उठाकर ले गये और असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेन्ट पोस्ट आफिस, उन्नाव दिनांक 28-11-81 को इसी आशय की सूचना जिला पुलिस अधीक्षक को दी ? यदि हां, तो इसकी जांच किसके द्वारा कराई गई और दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । प्रश्न में संदर्भित प्रार्थना-पत्रों में 1,995.00 रुपया उठाये जाने के आरोप हैं न कि 19950 रुपए के । शिकायतों की जांच तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, सफीपुर द्वारा की गई । जांच से पाया गया कि दिनांक 24-11-81 को स्थानीय पुलिस ने श्री रामलखन सिंह, ब्रांच पोस्ट मास्टर तथा श्री रणबीर सिंह को रात्रि 21-30 बजे नाजायज हथियारों के साथ पकड़ा और उनके विरुद्ध 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत कर विवेचना के बाद दिनांक 26-11-81 को आरोप पत्र प्रेषित किया । इसकी जानकारी होने पर अभियुक्त राम लखन ने पेशबन्दी में दिनांक 1-12-81 को प्रार्थना-पत्र दिया । जांच से कोई कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती गनेशी, निवासी मोहल्ला बघा कटरा, जिला इटावा के पुत्र राजबहादुर को औरैया थाना की पुलिस द्वारा पकड़ ले जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

164--श्री भीखा लाल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती गनेशी विधवा बालादीन कोरी, निवासी मोहल्ला बघा कटरा, कस्बा औरैया, जिला इटावा का प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-1-82 जिसमें यह शिकायत की गई है कि उसके पुत्र राजबहादुर को औरैया थाना की पुलिस पांच महीना पहले पकड़कर ले गई लेकिन आज तक उसका कहीं पता नहीं है न तो जेल में है और न थाने में, माननीय मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर जांच कराई गई ? यदि कराई गई, तो जांच का परिणाम क्या निकला ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ जिस पर जांच कराई गई ।

जांच से ज्ञात हुआ कि राजबहादुर अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा विभिन्न अभियोगों में सजा पा चुका है । पुलिस द्वारा पकड़े जाने के भय से वह घर से भागा हुआ था । राजबहादुर आजकल कस्बा औरैया में अपने मकान पर रह रहा है प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित आरोप जांच से सही नहीं पाए गए ।

श्री सुन्दर लाल वर्मा, संयोजक विद्युत् उपभोक्ता संघ, फर्रुखाबाद के प्रार्थना-पत्र में दिये गये सुझाव

65--श्री भीखा लाल--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुन्दर लाल वर्मा, संयोजक, विद्युत् उपभोक्ता संघ, फर्रुखाबाद का प्रार्थना-पत्र दिनांक 29-11-82 उपभोक्ताओं की मांगों के सम्बन्ध में उनको प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उन मांगों के बन्धम शासन ने क्या निर्णय किया है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

संयोजक, विद्युत् उपभोक्ता संघ, फर्रुखाबाद ने विद्युत् दर एवं परिषद् से सम्बन्धित अन्य विषयों पर अपने सुझाव दिये थे । इन सुझावों को कार्यान्वित कर पाना राज्य विद्युत् परिषद् के लिये सम्भव नहीं है ।

थाना बड़ौत के थानाध्यक्ष के विरुद्ध आरोपों की जांच

166--श्री भीखा लाल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महेन्द्र सिंह, सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बड़ौत, जिला मेरठ का प्रार्थना पत्र दिनांक 18-12-82 प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 20-12-82 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसमें थाना बड़ौत के थानाध्यक्ष के खिलाफ गम्भीर शिकायतें की गई हैं ? यदि हां, तो जांच किसके द्वारा कराई गई और जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी, बड़ौत द्वारा कराई गई । अधिकांश आरोप बढ़ा-चढ़ा कर लगाये गये पाये गये । थानाध्यक्ष तथा एक उपनिरीक्षक की कतिपय अनियमितताओं के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

समाचार पत्र दैनिक जागरण वाराणसी के प्रबन्धकों द्वारा पालेकर वेज बोर्ड एवार्ड दिये जाने की मांग

167--श्री भीखा लाल--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि समाचार पत्र कर्मचारी यूनियन के सचिव ने दिनांक 23-11-82 को एक पत्र द्वारा सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को यह सूचित किया है कि समाचार पत्र दैनिक जागरण, वाराणसी के प्रबन्धकों ने पालेकर वेज बोर्ड एवार्ड को लागू नहीं किया है और शासन से हस्तक्षेप करके एवार्ड को लागू कराने का अनुरोध किया है ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां, श्रम विभाग के हस्तक्षेप से सेवायोजकों एवं समाचार-पत्र कर्मचारी यूनियन के मध्य दिनांक 12-3-83 को एक विषयीय समझौता सम्पन्न हुआ जिसके फलस्वरूप प्रश्नगत विवाद का समाधान हो गया है ।

168--श्री भीखालाल--

[2 रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री राम किशोर शर्मा, कार्यकर्त्ता, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिला लखनऊ द्वारा सी० ओ०, मलिहाबाद को दिये गये शिकायती पत्र की जांच

169--श्री भीखालाल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम किशोर शर्मा, कार्यकर्त्ता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिला लखनऊ ने दिनांक 4-2-83 को सी० ओ०

मलिहाबाद को इस आशय का शिकायती पत्र दिया है कि 3-2-83 को थाना माल, जिला लखनऊ के सिपाही शोभा सिंह तथा एक अन्य सिपाही ने पार्टी के कार्यकर्त्ता श्री राम आसरे, निवासी मधवापुर को नवापनाह में बस से उतरने पर तलाशी ली और उसका 46 रुपया तथा एक चादर छीन लिया और गाली देकर तथा मारपीट कर भगा दिया ? यदि हां, तो उक्त सिपाहियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

क्षेत्राधिकारी से जांच करायी गयी ।

राम आसरे व उसके दूसरे साथी 3 फरवरी, 1983 को संदिग्ध अवस्था में बस से उतरे और इस पर ड्यूटी पर नियुक्त दो सिपाहियों ने उनसे पूछताछ की पूछताछ के दौरान उन्होंने सिपाहियों से अभद्र व्यवहार किया तथा भाग गये । उनकी चादर वहीं छूट गयी। राम आसरे का रुपया एवं चादर जबरदस्ती छीनने तथा मारपीट कर भगा दिये जाने के आरोपों की जांच से पुष्टि नहीं हुई । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सूचना अधिकारी, एटा के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमित कार्यवाहियों के सम्बन्ध में शिकायतें

170--श्री भोलालाल--

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सूचना अधिकारी, एटा के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमित कार्यवाहियों के सम्बन्ध में जिला कार्यालय के कर्मचारियों ने निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश को शिकायती पत्र दिनांक 16-8-82, 1-9-82 व 25-10-82 तथा 23-12-82 को दिये ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या थीं । उनकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और जांच का क्या परिणाम निकला तथा उसके आधार पर जिला सूचना अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई । यदि जांच नहीं कराई गयी तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

मुख्य शिकायतें निम्नलिखित हैं :--

1--सरकारी धन का दुरुपयोग,

2--5-6 महीनों से समय से वेतन न मिलना,

3--कैशबुक, बिल रजिस्टर, ट्रेजरी रजिस्टर जब्त कर लेना,

4--अभद्र व्यवहार करना,

5--अनियमित ढंग से खजाने से धन निकालना,

6--कर्मचारियों को अनुपस्थित दिखाना

तथा

7--कर्मचारियों को फर्जी शिकायत भेजना ।

इन शिकायती पत्रों पर अलग से जांच नहीं कराई गई क्योंकि इस बारे में पहले से कार्यवाही चल रही थी। जिला अधिकारी, एटा से प्राप्त संस्तुति के आधार पर जिला सूचना अधिकारी को अपहरण वितरण के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। जून, 1983 में जिला सूचना अधिकारी सहित कतिपय अन्य कर्मचारियों को जिला एटा से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

श्री अशोक कुमार बत्रा के अपहरण के सम्बन्ध में थाना रकाबगंज, आगरा पर लिखित रिपोर्ट

171—श्री भीखालाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओ0 पी0 बत्रा, पोस्ट मास्टर रामपुर ने दिनांक 30-8-81 को थाना रकाबगंज, आगरा में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई थी कि उनका लड़का अशोक कुमार बत्रा जो आगरा मेडिकल कालेज में एम0 बी0 बी0 एस0 का द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी था, दिनांक 28-8-81 से छात्रावास से गायब है ? यदि हां, तो उक्त विद्यार्थी को तलाश करने के लिए क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री ओ0 पी0 बत्रा, हेड पोस्ट मास्टर, बदायूं अपने श्री अशोक कुमार बत्रा के अपहरण के सम्बन्ध में थाना रकाबगंज, आगरा पर दिनांक 30-8-81 को लिखित सूचना दी। इस सूचना पर अपराध अन्तर्गत धारा 364 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। इस अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग के सहचर्य में स्थानीय पुलिस द्वारा की गई। विवेचना से श्री अशोक कुमार बत्रा का कोई पता नहीं चल पाया। मामले की जांच अब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी0 बी0 आई0) द्वारा की जा रही है।

अभियन्ता श्री जुगुल किशोर विभागीय निर्माण इकाई, सा0 नि0 वि0, गोंडा के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच

172—श्री भीखालाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभियन्ता, (श्री जुगुल किशोर) विभागीय निर्माण इकाई सा0 नि0 वि0 गोंडा के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायत की जांच टी0 ए0 सी0 से कराने हेतु सचिव सा0 नि0 वि0 ने अपने पत्र संख्या 254, दिनांक 17-8-82 द्वारा आदेश दिया था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

इस प्रश्न में संदर्भित पत्र संख्या 254, दिनांक 17-8-82 द्वारा सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नहीं बल्कि मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जांच के आदेश दिये थे। सम्बन्धित शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है।

विद्युत् कर्मचारी श्री सुधीर शर्मा, उप विद्युत् गृह, बिसवा द्वारा लिखायी गयी नामजद रिपोर्ट पर कार्यवाही तथा पुलिस द्वारा कर्मचारियों की गिरफ्तारी

173—श्री भीखालाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 19-12-82 उनको मिला है जिसमें उल्लेख किया गया है कि एक विद्युत् कर्मचारी

श्री सुधीर शर्मा, उप विद्युत् गृह बिसवां, जिला सीतापुर द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट पर धारा 147/148/308 आई0 पी0 सी0 का मुकदमा कायम किया गया है और नामजद मुलजिमान भी गिरफ्तार हो चुके हैं परन्तु अज्ञात मुलजिमों को नाम व पते गवाहों के बयानों से मालूम हो जाने के बाद भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है ? यदि हां, तो गिरफ्तारी की कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

प्रश्नगत अभियोग की विवेचना प्रचलित है । अब तक की विवेचना से कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण मामले में अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी सम्भव नहीं हो पायी है ।

174--श्री भोखालाल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक विद्युत कर्मचारी श्री सुधीर शर्मा उप विद्युत् ग्रह बिसवां जिला सीतापुर पर 31-10-82 को प्राणघातक हमला किया गया जिसकी रिपोर्ट धारा 147/148/308 आई0 पी0 सी0 दर्ज कराई गई ? जिसमें विद्युत विभाग के ही चार कर्मचारी नामजद किये गये जो उसी दिन गिरफ्तार कर लिये गये ? क्या प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 19-12-82 अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद को मिला है जिसमें इन कर्मचारियों को निलम्बित करने तथा श्री बी0 के0 श्रीवास्तव उपखंड अधिकारी, सीतापुर द्वारा अदालत में झूठा हलफनामा लगाने की जांच कराने का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां, श्री सुधीर शर्मा द्वारा थाना बिसवां (सीतापुर) में लिखाई गई नामजद रिपोर्ट के अनुसार विभाग के चार कर्मचारियों को पुलिस ने 30/31-10-82 को गिरफ्तार किया जिन्हें 3-11-82 को जमानत पर रिहा कर दिया गया तथा मामला पुलिस की जांच में चलता रहा। प्रश्नकर्ता के इंगित पत्र पर यथोचित कार्यवाही हेतु मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, लखनऊ को निर्देशित किया गया । तदुपरान्त पुलिस की अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 26-2-83 की प्राप्ति पर उसमें श्री शर्मा द्वारा नामजदगी असत्य पायी गई अतः मामले को समाप्त कर दिया गया । जहां तक श्री बी0 के0 श्रीवास्तव उपखंड अधिकारी, सीतापुर द्वारा अदालत में लगाये गये हलफनामें की सत्यता का प्रश्न है, यह विभागीय अधिकार क्षेत्र की परिधि से बाहर है ।

जिला सूचना कार्यालय, एटा में कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान

175--श्री भोखालाल--

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सूचना कार्यालय एटा में कर्मचारी हैं जिसका वर्ष 1982 में विभिन्न समयों का वेतन नहीं दिया गया है क्योंकि उन लोगों ने जिला सूचना अधिकारी के भ्रष्टाचारों के सम्बन्ध में निदेशक सूचना विभाग उत्तर प्रदेश को प्रार्थना-पत्र देकर जांच की मांग की है ? यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं और उनका बकाया वेतन दिलाने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मात्र दो कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, अनधिकृत रूप से कार्यालय की ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण, लम्बित रहा। औपचारिकताएं सम्पन्न हो जाने के उपरान्त इन कर्मचारियों को देय वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

श्री सोहन लाल कुल श्रेष्ठ, जिला सूचना अधिकारी, एटा का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

176--श्री भीखालाल--

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सोहन लाल कुलश्रेष्ठ जिला सूचना अधिकारी, एटा इस जिले में विभिन्न पदों पर कितने-कितने समय तक रहे और उनको एक लम्बे समय तक एक ही जिले में रखने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

एटा जिले में जिला सूचना अधिकारी के पद पर जनवरी, 1979 से जून, 1983 तक वही पदाधिकारी नियुक्त रहे, क्योंकि इस अवधि में उनका स्थानान्तरण जनहित में वांछनीय नहीं समझा गया। जून, 1983 में इन्हें स्थानान्तरित कर दिया गया है।

177--श्री भीखलाल--

[4 थे बुध में अतारांकित प्रश्न संख्या 65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विभागीय निर्माण इकाई, सा0 नि0 वि0, गोण्डा के अभियन्ता श्री जुगुल किशोर के कब्जे से कार की कथित बरामदगी

178--श्री भीखालाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय निर्माण इकाई, सा0 नि0 वि0, गोण्डा के अभियन्ता श्री जुगुल किशोर के कब्जे से पुलिस ने दिनांक 20-9-82 को एक चोरी की फियट कार नं0 यू0 टी0 ए0 9436 बरामद की ? यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई ? यदि, नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं।

कथित फियट कार सार्वजनिक निर्माण विभाग गोण्डा के अभियंता जुगुल किशोर के कब्जे से बरामद नहीं की गयी। शेष प्रश्न नहीं उठते हैं।

179--श्री गोपी नाथ वर्मा--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री मारकण्डेय राय, निवासी लालगंज, जनपद आजमगढ़ के घर की सम्पत्ति नष्ट किये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र

180--श्री पंचानन राय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मारकन्डेय राय, निवासी लालगंज, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ का प्रार्थना पत्र दिनांक 4-4-83 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 9-4-83 के साथ प्राप्त हुआ है ? जिसमें यह शिकायत की गयी है कि उनके घर में दिन दहाड़े लूट पाट की गयी और लगभग 3 लाख की सम्पत्ति नष्ट हो गयी है ? यदि हां, तो इस घटना का पूरा विवरण क्या है तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी, हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मारकण्डेय राय, निवासी लालगंज, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ का मकान एक हनुमान मन्दिर के पास बना हुआ है । इस मकान के पूर्व की ओर सड़क के नजदीक की कुछ जमीन पर दीवानी वाद चल रहा था और इसका फैसला श्री राय के पक्ष में हुआ था । 24-3-1983 को नींव खोदते समय इस भूमि को धार्मिक स्थान का मामला बना कर कस्बे के लोगों ने निर्माण कार्य बन्द करा दिया तथा घर का सामान आदि जलाया । पुलिस ने मौके पर पहुंच कर रोकथाम किया । भारतीय दन्ड विधान की धारा-147/148/149/332/336/435/380/427 के अन्तर्गत 59 व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध दर्ज हुआ । 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया । अन्य अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कराया । श्री राय के परिवार के सदस्यों को उचित सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है । अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराई जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ में नियमित कार्य प्रभारित कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची निर्धारण में अनियमितता की शिकायत

181--श्री पंचानन राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करें कि जनपद आजमगढ़ में नियमित कार्य प्रमाणित कर्मचारियों के ज्येष्ठता सूची निर्धारण में अनियमितताओं की कोई शिकायत वर्ष 1982 में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो वह क्या है और इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, चार पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें जन्म तिथि को आधार मानकर तथा विभाग में प्रथम नियुक्ति की तिथि को आधार न मानकर ज्यष्ठता सूची बनाने पर मुख्यतः आपत्ति उठाई गई थी । अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खन्ड आजमगढ़ ने उक्त आपत्तियों पर विचारोपरान्त विभाग में प्रथम नियुक्ति की तिथि को आधार मानकर जनपद के नियमित कार्य प्रभारित कर्मचारियों की पुनरीक्षित ज्येष्ठता सूची तैयार की और 24 मई, 1983 को प्रकाशित कर दी ।

श्री विश्राम राय, ग्राम जोकहरा, जनपद आजमगढ़ को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पेंशन का भुगतान

182—श्री पंचानन राय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विश्राम राय पुत्र श्री तीर्थराज राय, ग्राम जोकहरा, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पेंशन 13 मई, 74 को स्वीकृत हुई थी तथा इसके भुगतान हेतु महालेखाकार ने 18-10-82 को जिला अधिकारी, आजमगढ़ को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो अब तक भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं तथा भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

श्री विश्राम राय को स्वीकृत पेंशन के बारे में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश का पेंशन पेमेन्ट आर्डर कोषागार, आजमगढ़ में प्राप्त न होने के कारण उन्हें पेंशन का भुगतान समय से नहीं किया जा सका । महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा दूसरा पेंशन पेमेन्ट आर्डर जारी किये जाने पर श्री राय का पेंशन का भुगतान 21-7-83 को कर दिया गया है ।

183—श्री मोतीलाल देहलवी—

[दिनांक 7-4-83 को वक्तव्य होने के कारण निरस्त]

जनपद आजमगढ़ में निजामाबाद पर पुल के पहुंच मार्ग पर फर्जी भुगतान के विरुद्ध कार्यवाही

184—श्री पंचानन राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जनपद में स्थित निजामाबाद पहुंच मार्ग पर 24,000 रुपए के फर्जी भुगतान का मामला अधिशासी अभियन्ता द्वारा पकड़ा गया था और उसकी सूचना मई, 1982 में प्रमुख अभियन्ता को दी गयी थी ? यदि हां, तो पूरा प्रकरण क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जनपद आजमगढ़ में निजामाबाद पर पुल के पहुंच मार्ग पर मिट्टी के कार्य की अधिक माप लेने का मामला प्रकाश में आया है । इसके लिये सम्बन्धित अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

श्री एस0 एन0 गुप्ता, सहायक अभियन्ता, आजमगढ़ द्वारा क्रय किया गया ह्यूम पाइप

185—श्री पंचानन राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 1979-80 में श्री एस0 एन0 गुप्ता, सहायक अभियन्ता, आजमगढ़ द्वारा लगभग 15 लाख रुपये का ह्यूम पाइप खरीदा गया था जिसमें

लगभग 10 लाख रुपये के पाइप का उपयोग न होने के बाद भी दिसम्बर, 82 से जनवरी, 83 तक लगभग 8 लाख रुपये का ह्यूम पाइप और खरीदा गया ? यदि हां, तो सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायता प्राप्त संस्थाओं के अनुदेशकों को सेलेक्शन ग्रेड देने के आदेश

186--श्री पंचानन राय--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि शासनादेश संख्या 4899-ई0 डी0/18-ई/ई0 डी-74, दिनांक 5-9-75 द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त पालीटेक्निकों में वरिष्ठ अनुदेशक के दो पद सृजित किये गये हैं ? क्या यह सही है कि महाराणा प्रताप पालीटेक्निक, गोरखपुर में अभी तक इस पद पर नियुक्ति नहीं की गयी है जबकि यहां 1-5-78 को वरिष्ठता सूची तैयार कर दी गयी है ? यदि हां, तो नियुक्ति न किये जाने के कारण क्या हैं और यह नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं । अपितु उक्त राजाज्ञा द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं के अनुदेशकों को सेलेक्शन ग्रेड देने के आदेश दिये गये थे ।

जी हां, अभी तक महाराणा प्रताप पालीटेक्निक, गोरखपुर में किसी भी अनुदेशक को सेलेक्शन ग्रेड नहीं दिया गया है ।

मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री मेवा राम, सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आजमगढ़ के भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती पत्र

187--श्री पंचानन राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मेवाराम, सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आजमगढ़ के भ्रष्टाचार के विरुद्ध श्री शम्भूनाथ सिंह, विधायक का 4-12-81 का शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं ? इसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी है ? जांच रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र में श्री मेवाराम, सहायक अभियंता द्वारा विभिन्न वित्तीय अनियमितताएं करने की शिकायतें की गयी हैं । इस पर मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र), सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से जांच कराई जा रही है ।

ग्राम ढोलीपुर तथा समुन्दरपुर में काश्तकारों को प्रतिकर का वितरण

188--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 162 के उत्तर के संदर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम ढोलीपुर तथा समुन्दरपुर मे अलग-अलग कितना प्रतिकर किस तिथि को किस-किस को वितरित किया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

ग्राम ढोलीपुर तथा समुन्दरपुर में क्रमशः 6 व 15 काश्तकारों को रु0 3,607.91 व 13,764.56 प्रतिकर का वितरण क्रमशः दिनांक 19-4-79 व 10-3-79 को किया गया, जिसका पूर्ण विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "ट" आगे पृष्ठ 241 पर ।)

जनपद आजमगढ़ के ग्राम हरिहरपुर, थाना कन्धरापुर के श्री रामधारी तथा थाना महाराजगंज के श्री कोमल राम की पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु की परगना मजिस्ट्रेट द्वारा जांच

189--श्री दल सिंगार--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना कन्धरापुर, ग्राम हरिहरपुर के जिला आजमगढ़ के श्री रामधारी, ग्राम अमनी, थाना महाराजगंज, जिला आजमगढ़ के श्री कोमल राम के सम्बन्ध में 1981-82 में कितनी बार प्रश्नकर्त्ता ने गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखा था ? उसकी जांच कब और किस अधिकारी द्वारा कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद आजमगढ़ के ग्राम हरिहरपुर, थाना कन्धरापुर के श्री रामधारी तथा ग्राम अमनी थाना महराजगंज के श्री कोमल राम की पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के वर्ष 1981-82 में तीन पत्र प्राप्त हुए । मृतक श्री रामधारी के विषय में परगना मजिस्ट्रेट, घोसी की जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए । श्री कोमल राम के सम्बन्ध में परगना मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के कतिपय अस्पष्ट बिन्दुओं पर जिलाधिकारी से सुस्पष्ट विवरण/निष्कर्ष एवं उनकी आख्या प्राप्त की जा रही है ।

अधिशासी अभियन्ता, प्रा0 खं0, सा0 नि0 वि0, आजमगढ़ द्वारा दिये गये आदेश का कार्यान्वयन

190--श्री दल सिंगार--

क्या सा0 नि0 वि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, प्रा0 खं0, सा0 नि0 वि0, आजमगढ़ के पत्रांक 3299/17 ई0, दिनांक 20-8-1977 द्वारा नियुक्ति आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो उसका उल्लंघन क्यों किया गया ? क्या जिस अधिकारी के द्वारा यह अनुचित कार्यवाही अपनाई गयी उसके खिलाफ शासन कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, परन्तु संबंधित आदेश दिनांक 20-8-1977 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में छः विकास खण्डों के ग्रामों का विद्युतीकरण

191--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के पांचों विकास खंडों के किन-किन गांवों का 31-3-1983 तक विद्युतीकरण हो गया है, वर्ष 1983-84 में इन विकास खंडों के किन-किन गांवों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है और शेष गांवों का कब तक अन्तिम रूप से विद्युतीकरण हो जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में पांच नहीं छः विकास खण्ड है । इन छः विकास खण्डों के 498 ग्रामों का 31-3-83 तक विद्युतीकरण कर दिया गया है । वर्ष 1983-84 में इन विकास खण्डों में कुल 41 ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है । सूची माननीय वित्त मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है ।

शेष 813 ग्रामों में 478 ग्राम के विद्युतीकरण की स्वीकृति आर० ई० सी० योजना के अन्तर्गत अगले पांच वर्षों में सम्भव होगी। शेष 335 ग्रामों का विद्युतीकरण उपरोक्त के बाद नियोजित किया जायेगा ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जौनपुर में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

192--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जौनपुर में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में दिनांक 26-5-82 को विधायक श्री तेज बहादुर सिंह की संस्तुति सहित उन्हें एक प्रार्थना-पत्र श्री लालजीत सिंहान ने दिया था ? यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या थी और उन शिकायतों के निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां । प्रमुख शिकायतें निम्नलिखित थीं--

1--श्री मन्जुरुल अब्बास, प्रधानाचार्य ने कई यात्रायें दूसरी श्रेणी में की किन्तु प्रथम श्रेणी का यात्रा भत्ता लिया ।

2--बोगस फर्मों से कोटेशन मंगाकर ऊंचे दर पर सामान क्रय किया ।

3—श्री कालीदीन नामक हरिजन को अनियमित रूप से भर्ती किया ।

4—श्री राजमणि नामक व्यक्ति से भैंस लेकर उसे नौकरी दी । चौकीदार से घर का काम कराने का प्रयास किया ।

5—श्री कैलाश नाथ को इसलिये निकाल दिया कि उसने घर का काम नहीं किया ।

6—श्री कैलाश नाथ वर्मा, कम्पाउन्डर को निलम्बित कर दिया और फिर बहाल कर दिया ।

7—चौकीदारों को वेतन वृद्धि नहीं दी ।

8—श्री पंचम लाल चौकीदार छात्रावास में अपने लड़के के साथ बिना किराये के रहते हैं ।

उपर्युक्त शिकायतों की जांच करने के उपरान्त भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतें सही नहीं पायी गई हैं, किन्तु प्रशासन सम्बन्धी त्रुटियों को दूर करने के लिए निदेशक से इस संस्थान का निरीक्षण कर व्यवस्था में सुधार लाने को कहा गया है ।

कृषकों को सिंचाई हेतु दिये जाने वाले पावर कनेक्शन

193—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसान को सिंचाई हेतु दिये जाने वाले पावर कनेक्शन 3 हार्स पावर की जगह कम से कम 5 हार्स पावर कर दिया गया है ? यदि हां, तो छोटी जोते वाले किसानों के समक्ष अत्यन्त कठिनाई को दूर करने का शासन ने क्या उपाय निकाला है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा किसानों को सिंचाई हेतु दिये जाने वाले 3 हार्स पावर कनेक्शन की जगह कम से कम 5 हार्स पावर के कनेक्शन देने हेतु कोई आदेश नहीं किया गया है । इसलिए छोटी जोतों वाले किसानों के समक्ष उत्पन्न कठिनाई को दूर करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

दस्यु पीड़ित बीहड़ क्षेत्र का केन्द्र बिन्दु कोठी झाल, नगला सलहदी, थाना जसवन्तनगर, इटावा में थाना स्थापित किये जाने की मांग

194—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दस्यु पीड़ित बीहड़ी क्षेत्र का केन्द्र बिन्दु कोठी झाल (नहर विभाग की खाली इमारत) नगला सलहदी थाना जसवन्तनगर, इटावा में पुलिस थाना की स्थापना का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या स्थानीय कानून व व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति को देखते हुये शासन तत्काल थाना स्थापित करने पर विचार करेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

दस्यु पीड़ित बीहड़ क्षेत्र का केन्द्र बिन्दु कोठी झाल (नहर विभाग की खाली इमारत) नगला सलहदी, थाना जसवन्तनगर इटावा में थाना स्थापित किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

थाना हसनपुर, जिला मुरादाबाद के थाना अध्यक्ष के विरुद्ध जांच

195--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना हसनपुर, जिला मुरादाबाद के थाना अध्यक्ष के विरुद्ध दिनांक 18 नवम्बर, 1982 को सात मांगों को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) व उत्तर प्रदेश किसान सभा, तहसील हसनपुर के तहसील भवन पर दस हजार प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन कर न्यायिक या सी० बी० आई० द्वारा भ्रष्टाचार की जांच की मांग की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

सन्दर्भित पत्र के सभी बिन्दुओं की जांच एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की गई । जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुये । किसी अन्य जांच की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

राजकीय कन्या इंटर कालेज, हस्तिनापुर, मेरठ पर विद्युत् विभाग का बकाया

196--श्री कुबेर मंडारी--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् विभाग का कितना धन राजकीय कन्या इंटर कालेज, हस्तिनापुर, मेरठ पर बकाया है एवं उक्त धन की वसूली के लिये विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

राजकीय कन्या इंटर कालेज, हस्तिनापुर, मेरठ पर विद्युत् विभाग का माह जून, 1983 तक कुल धनराशि रु० 24,705.35 बकाया है । दिनांक 29 जुलाई, 1983 को इसका विद्युत् कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया है तथा दिनांक 5 अगस्त, 1983 को वसूली अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत डिमांड नोटिस उपभोक्ता को भेज दी गई है ।

श्री सूर्य प्रकाश गुप्त, प्रधान, ग्राम सभा मानिकपुर, जनपद आजमगढ़ के विद्युतीकरण से सम्बन्धित-पत्र पर कार्यवाही

197--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा कौन-कौन सी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गयी ? इसे कब तक पूरा कराकर सम्बन्धित ग्राम का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सम्बन्धित व्यक्तियों ने सर्विस लाइन व्यय धनराशि एवं अपने संस्थान में विद्युत् लाइन एवं उपकरणों की फिटिंग पूरा करने सम्बन्धी बी० एण्ड एल० फार्म जमा नहीं किया और न ही कनेक्शन लेने सम्बन्धी अनुबन्ध/घोषणा-पत्र निष्पादित

किया जिसकी सूचना एवं नियम एवं शर्तें उन्हें 23 फरवरी, 1982 को भेजी गई थी। नियमानुसार यदि सूचना भेजने के एक माह के भीतर उपरोक्त औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाती हैं तो उपभोक्ता के कनेक्शन सम्बन्धी प्रकरण स्वतः समाप्त हो जाता है। अतः सम्बन्धित ग्राम के विद्युतीकरण पर अब कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में बाजार बाखालिस से चुनौटवा इनार तक मार्ग का निर्माण

198—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सेक्टर योजना में क्या सन्दर्भित मार्ग को सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और इसे कब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेकर निर्माण कराया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा उक्त मार्ग के निर्माण का अनुमोदन नहीं किया गया है। उक्त समिति का अनुमोदन प्राप्त हो जाने तथा धन उपलब्ध होने के पश्चात् ही मार्ग का निर्माण सम्भव हो सकेगा।

199—श्री पंचानन राय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

श्री शिव प्रसाद मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता तथा परिषदीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही

200—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जांच रिपोर्ट पर सतर्कता विभाग द्वारा विचारोपरान्त निकाले गये परिणामों के आधार पर श्री शिव प्रसाद मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता सहित अन्तर्गत परिषदीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु मामला परिषद् की जांच समिति को संदर्भित कर दिया गया है।

जौनपुर-बिलरियागंज-महाराजगंज मार्ग पर स्थित ग्राम खालिसपुर हेतु अर्जित की गयी भूमि तथा प्रतिकर का वितरण

201—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 162 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा

करेंगे कि जौनपुर-बिलरियागंज-महाराजगंज मार्ग पर स्थित ग्राम खालिसपुर के प्रतिकर की भुगतान की क्या स्थिति है और यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जौनपुर-बिलरियागंज-महराजगंज मार्ग पर स्थित ग्राम खालिसपुर में अर्जित भूमि का प्रतिकर आयुक्त, गोरखपुर मण्डल द्वारा 13-7-1983 को स्वीकृत किया जा चुका है। प्रतिकर शीघ्र ही वितरित कर दिया जायेगा।

प्रदेश के छविगृहों में कार्यरत कर्मचारियों की निर्धारित वेतन दरें

202--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के छविगृहों में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार की तरफ से कोई वेतनमान निर्धारित है और उनकी सेवा नियमावली बनाने का छविगृहों के सेवायोजकों को आदेश है ? यदि हां, तो क्या अक्तूबर व नवम्बर, 1982 में गोरखपुर व आजमगढ़ जनपद के छविगृहों में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी मांगों के संदर्भ में हड़ताल की थी ? यदि हां, तो उनकी मांगे क्या थीं और इसे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए ?

श्री सुनील शास्त्री--

प्रदेश के छविगृहों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए शासन द्वारा वेतन दरें निर्धारित हैं। वे उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 में विहित सेवा शर्तों से अनुशासित हैं। उनकी सेवा नियमावली बनाने के सम्बन्ध में छविगृहों के सेवायोजकों को शासन के कोई आदेश नहीं हैं। केवल आजमगढ़ जनपद में स्थित सिनेमा प्रतिष्ठान के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल की थी। उनकी मांगें अवैधानिक रूप से निकाले गये कर्मचारियों की बहाली, बोनस, आवासी भत्ता, पुनरीक्षित वेतन, वर्दी, चिकित्सा सुविधा, प्राविडेन्ट फंड लागू करना, बिना ब्याज के साइकिल क्रय करने हेतु अग्रिम धन दिया जाना, सार्वजनिक अवकाश के दिन किये गये कार्य हेतु डेढ़ गुना वेतन दिया जाना, स्थायीकरण तथा मंहगाई भत्ते से सम्बन्धित थीं। श्रम विभाग के हस्तक्षेप से इन मांगों के सम्बन्ध में समझौता कराकर हड़ताल समाप्त करायी गयी।

जिला प्रतापगढ़ के भूमि अध्याप्ति अधिकारी, श्री बी० डी० शर्मा द्वारा अपने वेतन का दोहरा आहरण तथा कोषागार में जमा की गयी उक्त धनराशि

203--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला प्रतापगढ़ के विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (श्री बी० डी० शर्मा) ने नये वेतनमान में अपने वेतन का अनेक हजार रुपया दोहरा आहरण कर लिया है ? यदि हां, तो शासन ने अब तक उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र --

जी नहीं।

कलेक्ट्रेट के नियमित अधिष्ठान द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (श्री बी0 डी0 शर्मा) का नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करते समय लिपिकीय त्रुटिवश उनके भविष्य निधि खाते में 3342 रुपया अधिक जमा कर दिया गया था। जैसे ही यह तथ्य प्रकाश में आया विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि दिनांक 3-5-83 को चालान नं0 40 द्वारा कोषागार में जमा कर दी गयी।

विधान सभा के उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन कार्यक्रम को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या आपको कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करना है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, एक प्रस्ताव है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपाध्यक्ष पद के लिये निर्वाचन हेतु जो कार्यक्रम निर्धारित है, उसे निरस्त कर दिया जाय तथा माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया जाय कि इस सदन के आगामी सत्र के दौरान इस हेतु नयी तिथि निर्धारित करें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उपाध्यक्ष पद के लिये निर्वाचन हेतु जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है, जिसका समर्थन मोहन सिंह जी ने किया है, इस सदन के समक्ष प्रस्तुत है क्या सदन उस पर अपनी सहमति व्यक्त करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनका इरादा उपाध्यक्ष के पद को भरने का है कि नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, हमारा इरादा है और यह पद भरा जायेगा।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, तारीख निश्चित कर देने के बाद इसे बढ़ाये जाने का क्या कारण है ? इसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी दे दें।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको इस प्रश्न की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(समय 12·25 मिनट)

जिला मुजफ्फरनगर के मोरना क्षेत्रान्तर्गत खादा के कतिपय ग्रामों में सोलानी एवं गंगा नदी के कटाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 22 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 5 को मैंने स्वीकार किया है और बाकी सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया है। पांच

[श्री अध्यक्ष--]

जो सूचनायें स्वीकार कीं वे माननीय श्री मेंहदी असगर, श्री मारकण्डेय चन्द्र, श्री खैरुल बशर, श्री माता प्रसाद पाण्डेय और श्री मसरूर जाफरी की हैं ।

सर्वश्री राधे श्याम पटेल, नरेन्द्र सिंह भण्डारी, कुंवर सिंह नेगी, राम नारायण सिंह, अम्बिका सिंह, धनीराम वर्मा, बदन सिंह, किरनपाल सिंह और डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल, इन सभी लोगों की सूचनायें 200 शब्द से अधिक थीं, इसलिए इन्हें अस्वीकार किया गया है ।

*श्री मेंहदी असगर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान जनपद मुजफ्फरनगर के मोरना क्षेत्र के खादर के निवासियों की ओर दिलाना चाहता हूं । सोलानी नदी एवं गंगा में जबरदस्त बाढ़ से ग्राम मजलिशपुर, सीताजपुरी, महराजनगर, खैरनगर समस्त ग्राम बाढ़ की चपेट में आ गये हैं । गंगा तेजी के साथ ग्रामों की आबादी को काटती चली आ रही है और यही हाल रहा तो बारीवाल, आदिगांवों की भांति उपरोक्त ग्राम भी नक्शे पर से मिट जायेंगे । बाढ़ रोकने तथा ग्रामों को बचाने हेतु या इन ग्रामों को दूसरी जगह बसाने तथा जमीन के बदले जमीन अथवा उचित मुआवजा दिलाने का अनुरोध करता हूं । हजारों लोग जो जिन्दगी और मौत से जूझ रहे हैं भय एवं रोष का वातावरण खादर क्षेत्र में पैदा हो गया है । कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की जिन्दगी को सुरक्षित नहीं समझता ।

गोरखपुर जनपद के बेलघाट ब्लाक के अन्तर्गत घाघरा नदी से कतिपय ग्रामों के कटाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मारकण्डेय चन्द्र--

मान्यवर, मैं, आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर इस आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि गोरखपुर जनपद के बेलघाट ब्लाक के अन्तर्गत घाघरा नदी के कटाव से अनलच्छो चक ग्राम के 4 घर नदी के पेट में चले गये । कटाव की स्थिति इतनी भयंकर है कि लच्छी चकें तथा बर्जनों गांवों का अस्तित्व खतरे में है । यहां पर घाघरा नदी का कटाव मई, 1983 में प्रारम्भ है । मैंने बाढ़ विभाग के अधीक्षण अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता से बचाव कार्य करने की मांग किया, किन्तु मेरे बार-बार लिखित अनुरोध पर भी बाढ़ विभाग के अभियन्ताओं ने कोई ध्यान जुलाई तक नहीं दिया । इस क्षेत्र के सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण रोकवाने के प्रयास में लगा रहा और कागज में ही पत्थर बोल्डर डालना दिखाता रहा, मौके पर कोई कार्य नहीं हुआ । मैंने उपरोक्त की शिकायत माननीय मुख्य मंत्री, माननीय सिंचाई मंत्री व मुख्य सचिव से किया । बाढ़ विभाग के अभियन्ता मेरे शिकायत से क्रुद्ध होकर अपने बचाव के लिए संगठन का सहारा लेकर मेरे क्षेत्र में कार्य करना बन्द कर दिया है । जिससे स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई है और उपरोक्त गांवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त गांवों को बचाने का कार्य अविलम्ब किया जाय ।

प्रदेश के बुनकरों को दिये गये ऋण को जमा करने की समयावधि में वृद्धि की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, प्रदेश के लाखों बुनकर कई वर्षों से बैंकों से कर्जा लेकर कुर्की नीलामी और गिरफ्तारी के मझधार में फंस गये हैं । इस सदन के प्रयास से एक रास्ता निकला कि अगर 30-9-83 तक मूलधन जमा कर दें तो सरकार ब्याज माफ कर देगी । निर्णय प्रदेश सरकार ने अप्रैल, 1983 में लिया । बैंकों ने अगस्त, 1983 के अन्त में बुनकरों को सूचना दी । पैसा जमा करने के समय बुनकरों को कम मिला साथ ही साथ सावन, भादों का महीना हैण्डलूम उद्योग के लिये आर्थिक संकट का महीना माना गया है । उपरोक्त परिस्थिति में 10 प्रतिशत बुनकर भी कर्जा नहीं जमा कर सकता । सितम्बर, 1983 के बाद वह जहां फंसा था उससे अधिक कठिन दल-दल में फंस जायेगा और राज्य सरकार को बुनकरों की सहायता पहुंचाने की योजना असफल हो जायेगी ।

प्रदेश व्यापी लाखों बुनकरों की अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि सरकार बैंकों का कर्जा जमा करने की तिथि 31 मार्च, 1984 तक बढ़ाने की घोषणा कर दे ताकि मझधार में फंसे सम्पूर्ण बुनकर वर्ग की वास्तविक रक्षा हो सके ।

खलीलाबाद के पत्रकार श्री श्यामा चरण श्रीवास्तव को खलीलाबाद के कोतवाल द्वारा धमकी भरा पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

महोदय, खलीलाबाद के पत्रकार श्री श्यामाचरण श्रीवास्तव को गत 9 अगस्त को एक धमकीभरा पत्र भेजा गया है जिसमें खलीलाबाद के कोतवाल के विरुद्ध अखबार में छापने से मना किया गया है । ऐसा न करने से उन्हें उनकी लाश को घर वालों को देने की धमकी दी गयी है । उल्लेखनीय है कि उक्त पत्रकार ने बस्ती जनपद में निरन्तर बढ़ रही चोरी डकैती की घटनाओं को समाचार के माध्यम से शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया है तथा संदर्भ में खलीलाबाद के कोतवाल श्री बृजगोपाल वर्मा के विरुद्ध भी कई समाचार उनके अनियमितता के सम्बन्ध में प्रकाशित किया था जिससे चिढ़कर उक्त कोतवाल ने उनके घर में गम्भीर चोरी करवाई, चोरी के बाद उनकी प्राथमिक रिपोर्ट भी नहीं दर्ज किया गया । उनके घर में सशस्त्र डकैतों द्वारा डकैती भी डलवाई गयी । उक्त पत्रकार ने अपनी सुरक्षा के लिये जब पुलिस अधीक्षक, बस्ती से कहा तो उन्होंने भी कोरा जवाब दिया उक्त घटना से बस्ती के पत्रकारों में घोर असंतोष व्याप्त हो गया है । पत्रकार श्री श्यामाचरण श्रीवास्तव का जीवन खतरे में है । स्थानीय कोतवाल व पुलिस कभी भी उनकी हत्या कर सकती है ।

अतः शासन से मांग करता हूं कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद गोंडा के तहसील क्षेत्र खलीलाबाद के अधिवक्ताओं द्वारा चलाये जा रहे क्रमिक अनशन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मसरूर जाफरी—

जनपद गोंडा के तहसील क्षेत्र बलरामपुर में अधिवक्ताओं द्वारा चलाये जा रहे क्रमिक अनशन से हड़ताल की स्थिति व्याप्त हो गयी है। तहसील के न्यायिक, अर्द्ध न्यायिक सारे काम काज बन्द हो गये हैं। यह स्थिति 1 सितम्बर, 1983 से बराबर चली आ रही है किन्तु शासन द्वारा हस्तक्षेप के अभाव में जनता के सामने भीषण संकट पैदा हो गया है। अधिवक्ताओं की न्यायोचित मांगों के प्रति भी शासन द्वारा नकारात्मक रवैया अपनाया जा रहा है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए शासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता हूं।

सचिवालय काण्ड से सम्बन्धित कर्मचारियों के मामले पर निर्णय न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न मैंने उठाया है। विगत सत्र में सचिवालय काण्ड, जिससे सभी वाकिफ हैं, उसके सिलसिले में शासन की ओर से, यहां पर घोषणाएं की गयी और यह कहा गया कि सचिवालय काण्ड के सिलसिले में जिन कर्मचारियों को, सुरक्षा गार्डों को, निलम्बित किया गया है, उनके मामले में 14 दिन के अन्दर ही निर्णय ले लिया जायेगा। वे 14 दिन भी मान्यवर, बीत गये और उसके बाद सत्र भी दूसरा शुरू हो गया है। उस समय माननीय मंत्री जी ने यह भी घोषित किया था कि सचिवालय में शांति कायम है और कोई किसी तरह की बात नहीं है। मान्यवर, उसके बाद 80 दिन तक दो सुरक्षा गार्डों ने अनशन किया। यही नहीं, सचिवालय के तमाम कर्मचारियों ने 26 अगस्त को एक सभा करके एलान किया था कि यदि उनके भाइयों के साथ में न्याय नहीं किया गया, तो हो सकता है कि उनको कोई रास्ता अपनाना पड़े। मान्यवर, 26 अगस्त को ही, सचिवालय के कर्मचारी कोई रास्ता न अपना सकें, एक अध्यादेश जारी करके हड़ताल आदि पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। मान्यवर, आज यहां भवन के सामने, जिन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है, उनके घरों से सम्बन्धित महिलाएं, क्रमिक अनशन पर बैठ रही हैं। यह स्थिति बनी हुई है।

मान्यवर, मैं एक चीज और आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। वह यह है कि कर्मचारियों ने निर्णय किया है कि यदि उनके साथ न्याय नहीं किया गया, उनके मामलों का निस्तारण नहीं किया गया, उन्हें फिर से बहाल नहीं किया गया तो यह नौबत भी आ सकती है कि उनको सचिवालय परिसर में कहीं आत्म दाह करना पड़े। मान्यवर, ऐसा लगता है कि सचिवालय के जितने कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है, उसको बहाल न करने का शासन इरादा अपना चुका है।

इसीलिए एक घोषणा की जाती है, उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। अगर ऐसा ही रहा और आत्मदाह हुआ, जैसा कहा गया है तो यह सचिवालय श्मशान घाट बनकर रह जायगा। विगत सत्र में शासन द्वारा जो घोषणा की गई है, उसका क्रियान्वयन अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? आज भी मन्त्री

जो हो सकता है कि वही तर्क दें कि कर्मचारियों पर जो आरोप लगाये गये थे, उनका जबाब नहीं मिल पाया । उसका जबाब माननीय मंत्री जी ने उसी सत्र में दिया था कि जिन कर्मचारियों के जबाब आ गए हैं उनके मामले अवश्य निस्तारित कर दिये जायेंगे ।

इतना समय बीत गया, कर्मचारी सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं, वे उत्तेजित हैं, आत्मदाह की स्थिति आ गई है, महिलायें भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं । इस सम्बन्ध में उन कर्मचारियों के जीवन के साथ खिलवाड़ का प्रयास किया जा रहा है, इसका क्या औचित्य है । पुरानी बातें विगत सत्र में कही गई बातें और उसके बाद के कृत्य आप देखिए । यह कहते हैं कि सचिवालय में शान्ति कायम है, वास्तविकता यह है कि शान्ति कायम नहीं है । 26 अगस्त की विशाल जनसभा ने दिखा दिया है कि शान्ति कायम नहीं है । यह इस बात का संकेत है कि किसी भी समय ऐसी बात आ सकती है कि सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा अपने भाइयों को नौकरी दिलाने के लिए सामने आना पड़े ।

यह महत्वपूर्ण मसला है । पूरा प्रदेश और देश जानता है कि यह ऐतिहासिक काण्ड हुआ था । उसकी कड़ी जो अभी बाकी है कर्मचारियों के निलम्बन को दूर करने की, जिनके ऊपर आरोप नहीं साबित हो पा रहे हैं । उसके बाद भी नीयत ऐसी लगती है कि बिना आरोप साबित किए हुए ही सेवाओं से मुक्त कर दिया जाय । एक सदन की कार्यवाही की बात कह दी जाती है । सुरक्षा गार्डों के विषय में जबाब दिया गया कि सदन की कार्यवाही चलते हुए निर्णय नहीं किया जा सकता, यह कोई तर्क नहीं है । वास्तविकता यह है कि उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहा है । वस्तुतः इनकी नीयत खराब है, इसलिए सदन की कार्यवाही चलते निर्णय नहीं करना चाहते हैं । वह सोचते हैं कि अगर उनसे कोई पाप हुआ तो सदन में उसकी चर्चा हो जायेगी । मैं चाहूंगा कि सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय मन्त्री जी, शासन द्वारा जो घोषणायें की गयी हैं, उनको पूरा करायें । इस पर आप अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष जी, जो आश्वासन सदन में आपके समक्ष दिया गया था और जो-जो बातें कही गई थी सचिवालय कर्मचारियों के सम्बन्ध में, उनके केसेज के निस्तारण के बारे में उन पर कार्यवाही कराई जा रही है । कुछ टेक्निकल आपत्तियां हैं ।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी--

वे टेक्निकल आपत्तियां क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष--

इनको कह लेने दें ।

श्री अम्मार रिजवी--

टेक्निकल कठिनाइयां हैं, जिनके कारण बहुत से केसेज का निस्तारण नहीं हो पा रहा है । मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निस्तारण करा दिया जायगा ।

श्री मसरूर जाफरी—

25 फरवरी को सदन में माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था । नतीजा यह हुआ कि उनकी पत्नियां निकल आयीं सड़क पर । यह टाइम फिक्स कर दें कि कब तक फैसला कर देंगे ? हो सकता है कि इस बीच में कोई आत्मदाह कर ले, बिजली का तार पकड़ ले । 25 फरवरी का आश्वासन आज तक पूरा नहीं किया है ।

श्री अध्यक्ष —

माननीय मन्त्री जी बता दें कब तक फैसला कर देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

जब हम दोबारा यहां बैठेंगे तो उसका निस्तारण हो चुका होगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, इनकी नीयत खराब है, हमें उस पर संदेह है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा एक स्पष्टीकरण है । विगत सत्र में तो माननीय मंत्री जी ने 14 दिनों के अन्दर कार्यवाही किये जाने की घोषणा की थी और उसके बाद फिर 25 फरवरी को आश्वासन दिये थे इन सब को आज कई माह बीत गये, लेकिन कार्यवाही नहीं हो सकी लेकिन आप फिर माननीय मंत्री जी कह रहें है कि शीघ्र ही निर्णय हो जाये तो मान्यवर, इस तरह माननीय मंत्री जी ने कोई स्पष्ट बात नहीं की जिससे साफ जाहिर होती है कि इनकी नीयत साफ नहीं है और अधिकारियों की मंशा को मैं आपके सामने रख चुका हूं, इसलिए आशंका है कि उनके साथ न्याय न होने पाये चूंकि पिछला अनुभव इसी प्रकार का है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी सत्र में इस आदरणीय सदन के चलते रहते इस मामले का निस्तारण कर सूचना सदन को अवश्य दे दी जाए, तभी कुछ कल्याण हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस संबंध में श्री राम आसरे वर्मा और संसदीय कार्य मंत्री को सुना । नियमों के अनुसार इसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं की जा सकती है, लेकिन इस संबंध में जो शासन पक्ष द्वारा पहले आश्वासन दिये गये थे, उनको ध्यान में रखते हुए जहां तक सम्भव हो सके इस मामले का शीघ्र ही निवारण कर दिया जाये ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, मेरी 301 से संबंधित एक सूचना थी जो 200 शब्दों से भी कम थी परन्तु स्वीकार नहीं किया गया, उसके क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठें, मैं एजेन्डे में आगे बढ़ चुका हूं, मैं आश्वासन दे रहा हूं कि आपकी सूचना को देख लिया जायेगा, आप दुबारा सूचना दे दें ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के 1983 के प्रथम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं की सूची तथा कृत कार्यवाही का विवरण †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी) —

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण (पंचम संस्करण) के करण 14 (3) के

† छापा नहीं गया ।

अनुसार विधान सभा के वर्ष 1983 के प्रथम सत्र (दिनांक 1 फरवरी, 1983 से 7 अप्रैल, 1983 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं उन पर कृत कार्यवाही का विवरण शुद्धिपत्र सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री धनी राम वर्मा—

मान्यवर, 301 की सूचनाओं से संबंधित एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछले सत्रमें इन सूचनाओं के संबंध में सरकार से मांग की गई थी कि · · ·

श्री अध्यक्ष—

आपने इसका पहले कोई नोटिस नहीं दिया लिखकर, अचानक बोल रहे हैं, इसलिए इस पर पहले आप लिखकर दीजिए । कृपया बैठ जाएं ।

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, इसमें 226 निर्णय हैं और इसमें से आधे की निश्चित रूप से कहा जा सकता है सूचना एकत्र नहीं हुयी है और अब एकत्र की जा रही है । मान्यवर, यह 301 का प्राविधान इसलिए किया गया था कि जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जिन्हें हम सदन में सीधे नहीं ला सकते हैं तो सदन में जनता के दुखों की आवाज आ जाय इसलिए इसमें सूचना लायी जाती है। मैं देख रहा हूं कि कई बार से इस बात पर एतराज हुए हैं कि अधिकतम सूचना एकत्रित करके देने में देरी होती है और इस कारण से वे रह जाते हैं। कोई सूचना अपरिहार्य कारणों से दी नहीं गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो सूचना नियम 301 के अन्तर्गत आवें, उसको पूरी कराने की कृपा करें, नहीं तो इस सदन की गरिमा और उसका महत्व कुछ नहीं रह जाता है।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने जो अभी कहा तो 226 सूचनाएं पिछले सत्र में प्राप्त हुई थीं जिसमें से 88 का उत्तर दे दिया गया, 118 का बाद में दिया गया, 20 सूचनाओं का उत्तर नहीं दिया गया, इसके कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण से सूचना एकत्रित करने में देरी हुई: इसके उत्तर दे दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1983 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री बी0 के0 बनर्जी, अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्रीमती किशोरी शुक्ला, सदस्या, विधान सभा ने दिनांक 9 फरवरी, 1983 को श्री बी0 के0 बनर्जी, अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी । माननीय सदस्या ने अपने जो सूचना में कहा है कि उनके क्षेत्र जंगल कौड़िया ब्लाक के मोबरहिया नाला पर काठ का पुल 8 माह पहले बना था और 2 माह के अन्दर पुल छोटा होने के कारण 60 फुट गहरा कुण्ड बहुत लम्बाई में हो गया । श्रीमती शुक्ला की शिकायत के अनुसार इस विषय में जनता के रोष को ध्यान में रखते हुये जब वे उक्त अधिशासी अभियन्ता, श्री बनर्जी की स्थिति से अवगत कराने उनके कार्यालय गयीं, तब श्री बनर्जी ने कहा कि वे अधिशासी अभियन्ता के रूप में नहीं मिलेंगे और माननीया सदस्या द्वारा पुनः श्री बनर्जी से मिलने का प्रयास करने पर श्री बनर्जी ने मिलने से इन्कार कर दिया तथा विधायकों के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया ।

मैंने इस मामले में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की थी । माननीय मंत्री ने अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा इस मामले की जांच करवाई, जांच की रिपोर्ट संलग्न करते हुये माननीय मंत्री ने सूचित किया है कि श्री बनर्जी को गोरखपुर से स्थानान्तरित कर दिया गया है । माननीय मंत्री के पत्र के साथ प्राप्त लेखों से विदित होता है कि अधिशासी अभियन्ता ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि अप्रैल, 1982 के बाद से उनकी मुलाकात श्रीमती किशोरी शुक्ला, सदस्या, विधान सभा, से नहीं हुई और न वे उनकी उपस्थिति में उनके कार्यालय में आयीं । श्री बनर्जी ने यह भी कहा है कि उनके द्वारा कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया गया कि माननीया विधायिका उनसे मिलने आयीं हों और उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया हो अथवा उनके प्रति कोई अपमानजनक बात की हो । उन्होंने आगे कहा है कि इसके विपरीत माननीया विधायिका जब भी उनसे मिलने आयीं, उन्हें उनकी गरिमा के अनुरूप सदैव उचित सम्मान दिया गया और उनके प्रति किसी प्रकार के असम्मान प्रदर्शन की बात श्री बनर्जी सोच भी नहीं सकते ।

प्रश्नगत मामले में सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त और विशेषकर यह देखते हुये कि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का स्थानान्तरण कर दिया गया है, मैं इस मामले में कोई अग्रिम कार्यवाही आवश्यक नहीं समझता । विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न सामान्यतया उसी दशा में उठाया जा सकता है, जब माननीय सदस्या सदन अथवा उसकी किसी समिति के सदस्य के रूप में कोई कार्य कर रही हों और उसमें बाधा या गतिरोध उत्पन्न किया गया हो । ऐसी कोई स्थिति इस मामले में अंतर्वसित प्रतीत नहीं होती । अतः विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में मैं इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

राज्य मंत्री हरिजन एवं समाज कल्याण के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

दिनांक 24 फरवरी, 1983 को राज्य मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण ने श्री बिंदू लाल, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा को हवालात में बन्द करने तथा उनके साथ अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में सदन में एक वक्तव्य दिया था। उक्त वक्तव्य में यह कहा गया था कि 3 दिसम्बर, 1979 को बलरामपुर में छात्रों तथा कतिपय अन्य असमाजिक तत्वों द्वारा सरकारी कार्यालयों को जलाने की घटना के सम्बन्ध में प्रशासनिक जांच के आदेश दे दिये गये हैं, किन्तु न्यायिक जांच के आदेश नहीं हुये थे, उक्त वक्तव्य के उपरांत माननीय श्री भीखालाल तथा अन्य सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था कि सदन में दिये गये आश्वासन को तोड़े जाने पर विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है अथवा नहीं और यदि विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है तो इसमें नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सदन के संज्ञान में हुआ है।

मैंने सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण किया और उससे यह ज्ञात हुआ कि 3 दिसम्बर, 1979 की घटना के सम्बन्ध में दिनाक 4 दिसम्बर, 1979 को श्री बिन्दू लाल तत्कालीन सदस्य, विधान सभा द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न सदन में उठाया गया था तदुपरान्त 25 जनवरी, 1980 को तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि वे इस मामले की न्यायिक जांच कराने के आदेश देंगे। इस आश्वासन के सम्बन्ध में न्यायिक जांच के आदेश नहीं पारित किये गये थे, बल्कि उसके स्थान पर प्रशासनिक जांच कराई गई।

मूल प्रश्न मात्र इतना रह जाता है कि सदन में दिये गये आश्वासनों की पूर्ति न होने पर विशेषाधिकार की अवहेलना होती है अथवा नहीं। अपने पत्र दिनांक 5 जनवरी, 1981 द्वारा तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी ने यह सूचित किया था कि पुरानी सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि प्रश्नगत मामले की जांच फैजाबाद मंडल के आयुक्त द्वारा करायी जाये। उन्होंने यह भी कहा था कि भूतपूर्व सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों की पूर्ति के लिये नई सरकार बाध्य नहीं है।

कौल और शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के तृतीय संस्करण के पृष्ठ 237 पर इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार व्यक्त किये गये हैं :—

> "सदन में किसी मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों की पूर्ति न करने पर न तो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठता है और न सदन की अवमानना का प्रश्न ही पैदा होता है, क्योंकि आश्वासनों का कार्यान्वयन अनेक नीतिगत बातों पर निर्भर करता है।"

इस सदन में भी आश्वासन की पूर्ति न होने से उत्पन्न समस्या पर विचार किया जा चुका है। दिनांक 28 अप्रैल, 1975 को श्री ओम प्रकाश सिंह ने वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था और उस समय तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया था :—

[श्री अध्यक्ष---]

"सदन में जो आश्वासन दिये जाते हैं उनके सम्बन्ध में आश्वासन समिति कार्यवाही करती है। किसी आश्वासन या वादे की पूर्ति न करने से कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है।"

प्रश्नगत मामला भी आश्वासन समिति के समक्ष लंबित है। अतः इस प्रश्न को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाती है।

श्री अजय स्वरूप, पासपोर्ट अधिकारी के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने 17 मार्च, 1983 को श्री अजय स्वरूप, पासपोर्ट अधिकारी, लखनऊ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है, जिससे उन्होंने कहा है कि जब वे दिनांक 16 मार्च, 1983 को उक्त अधिकारी से मिलने के लिये हजरतगंज, लखनऊ स्थित पासपोर्ट आफिस गये और एक चपरासी को बुलाकर सूचना भिजवाई तो उक्त पासपोर्ट अधिकारी ने कहलवा दिया कि वे "आज माननीय सदस्यों से नहीं मिल सकते हैं।" माननीय सदस्य के यह कहलाने पर कि क्या एम0 पी0 व एम0 एल0ए0 से भी वे नहीं मिलेंगे, पासपोर्ट अधिकारी श्री अजय स्वरूप कमरे से बाहर उठ कर आये और उन्होंने अशिष्ट भाषा में जो कहा उसका आशय यह था कि वह विधायकों आदि की परवाह नहीं करते हैं। माननीय सदस्य से प्राप्त विशेषाधिकार अवहेलना की उपर्युक्त सूचना की एक प्रति माननीय मुख्य मन्त्री को भेजकर विदेश मंत्रालय, भारत सरकार का ध्यान प्रश्नगत मामले की ओर आकर्षित करते हुये वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गई थी। शासन ने मामले में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त वस्तुस्थिति की जानकारी से अवगत कराते हुये सूचित किया है कि माननीय सदस्य पासपोर्ट अधिकारी से 16 मार्च, 1983 अर्थात् बुद्धवार को मिलने गये थे, जिस दिन पासपोर्ट अधिकारी प्रायः जनता से नहीं मिलते, इसलिये माननीय सदस्य को थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को कहा गया था। माननीय सदस्य को अपमानित करने के उद्देश्य से पासपोर्ट अधिकारी ने उनसे प्रतीक्षा करने को नहीं कहा बल्कि केवल प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण ही ऐसा करना पड़ा था और इसमें पासपोर्ट अधिकारी की कोई मलिन भावना निहित नहीं थी इस सम्बन्ध में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने यह आश्वासन दिया है कि भविष्य के लिये अधिकारियों को पुनः यह निर्देश दे दिये गये हैं कि माननीय विधायकों से भद्र व्यवहार किया जाय।

मैंने समस्त परिस्थितियों पर विचार किया। जहां तक प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है, माननीय सदस्य श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जब पासपोर्ट अधिकारी से मिलने गये थे उस समय उनका वह कृत्य सदस्य के नाते नहीं था और न ही विधान सभा से सम्बन्धित था, अतः मैं इसे विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं। जहां तक माननीय विधायकों के प्रति अधिकारियों द्वारा शिष्ट व्यवहार किये जाने का प्रसंग है, प्रश्नगत मामले में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुनः निदेश दे दिये गये हैं और मैं आशा करता हूं कि अधिकारीगण भविष्य में तद्नुसार माननीय विधायकों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करेंगे।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न था ।

श्री अध्यक्ष—

उसके बारे में मैं बाद में व्यवस्था दूंगा और इसी सत्र में आयेगा ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 5 सितम्बर, 1983 की बैठक में सदन के दिनांक 7 सितम्बर और 8 सितम्बर, 1983 के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किये जाने की सिफारिश की है :—

7 सितम्बर, 1983 बुधवार

(क) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :—

1—उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982—डेढ़ घंटे ।

2—उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) विधेयक, 1983—आधा घंटा ।

3—उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983—एक घंटा ।

4—उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विधेयक, 1983—आधा घंटा ।

(ख) पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवर्षण के कारण खरीफ की फसल नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में श्री मोहन सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर डेढ़ घंटे की चर्चा ।

8 सितम्बर, 1983 गुरुवार

(क) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :—

1—उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983—एक घंटा ।

2—उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1983—एक घंटा ।

3—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ—आधा घंटा ।

4—उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1983 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ—आधा घंटा ।

[श्री अध्यक्ष--]

(ख) नेशनल कैपिटल रीजन के लिये नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की स्थापना हेतु संसद में केन्द्रीय लेजिस्लेशन प्रस्तुत किये जाने विषयक सरकारी संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर विचार--आधा घंटा ।

(ग) जिला सीतापुर के गांजरी क्षेत्र लहरपुर, बिसवां एवं महमूदाबाद तहसील में शारदा सहायक नहर के सीपेज और बाढ़ के कारण भूमि में जलमग्न रहने से उत्पन्न आर्थिक संकट के सम्बन्ध में श्री मुख्तार अनीस द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घंटे की चर्चा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष ने सदन को दी है, से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष ने सदन को दी है, से सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1983

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1983 को सदन में पुरःस्थापित किये जाने की अनुज्ञा का प्रस्ताव, जो दिनांक 24 मार्च, 1983 को सदन में प्रस्तुत किया गया था, वापस लेने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1983 को सदन में पुरःस्थापित किये जाने की अनुज्ञा दिये जाने का प्रस्ताव, जो दिनांक 24 मार्च, 1983 को सदन में प्रस्तुत किया गया था, वापस लेने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत मुझे आज 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं :--

एक श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री एवं श्री शंकर सिंह की ललितपुर जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकदल के उपाध्यक्ष द्वारा पुलिस

ज्यादतियों के खिलाफ आमरण अनशन किये जाने के सम्बन्ध में, दूसरा श्री मुख्तार अनीस की मोदीनगर में 9 जुलाई, 1983 को हुई हिंसक घटना में कई मजदूरों के मारे जाने के सम्बन्ध में, तीसरा श्री सत्यपाल सिंह को सीतापुर में असामाजिक तत्वों द्वारा हरिजन महिलाओं और बच्चों की हत्या के सम्बन्ध में, चौथी श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री फखरे आलम, श्री ख्वाजा हलीम की देहरादून की नरेन्द्र एण्ड कम्पनी को शस्त्र निर्माण का अवैध लाइसेंस देने के सम्बन्ध में, पांचवीं श्री रेवतीरमण सिंह, श्री राम गोविन्द, श्री मुख्तार अनीस, श्री प्रदीप कुमार यादव की इलाहाबाद जनपद के कई तहसीलों में ट्यूबवेलों के खराब होने के सम्बन्ध में, छठीं श्री मोहन सिंह की वाराणसी में एक औरत द्वारा अपने ही दो बच्चों को जान से मार देने के सम्बन्ध में, सातवीं श्री माता प्रसाद पाण्डेय की डिप्लोमा फार्मेसिस्टों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में, आठवीं श्री राम आसरे वर्मा, श्री सुरेश दत्त पालीवाल, श्री मित्रसेन, श्री खैरुल बशर, श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री मसरूरी जाफरी, श्री परमाई लाल और श्री अकबर अहमद की जनपद जौनपुर के ग्राम कनचनी में पुलिस द्वारा लूटपाट एवं जनता को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में तथा

नवीं श्री किरन पाल सिंह की बुलन्दशहर में बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में है ।

मैं माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री से निवेदन करूंगा कि वे एक मिनट में अपनी बात बता दें ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

श्रीमन्, 5 दिन हो गये सचिवालय के सामने हमारे ललितपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री शिवचरन वर्मा आमरण अनशन कर रहे हैं । ललितपुर शहर के कोतवाल ने बीच चौराहे पर बिना कारण ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया और जूतों से मारा और उनको पकड़ कर हवालात में बन्द कर दिया । इसके साथ ही एक दूसरी घटना हुई कि वहां के लोकदल के प्रमुख कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष हैं, उनको बिना कारण बताये रात में 12 बजे बाल बच्चों सहित लेकर थाने में बन्द कर दिया और दूसरे दिन जब उनको कचहरी ले गये तो माननीय जज महोदय ने यह कह कर वापस कर दिया कि यह मुकदमा बनता ही नहीं है ।

इस प्रकार की घटनाओं को लेकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और ललितपुर के एक कार्यकर्ता यहां पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं । ललितपुर में इसका विरोध करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व हमारे शंकर सिंह जी ने किया और जिलाधीश को ज्ञापन दिया और मांग की कि एक हफ्ते के अन्दर इसकी जांच करके कार्यवाही की जाय । इसके बाद भी समाचार पत्रों में बड़े-बड़े अक्षरों में यह समाचार निकला है । हम लोगों के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री को इसकी सूचना दी गयी लेकिन आज तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की । इन दो में एक आदमी अस्पताल के अन्दर आमरण अनशन पर हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री]

दूसरा आदमी सचिवालय के सामने अनशन कर रहा है। माननीय शंकर सिंह मुख्य मंत्री जी से मिलने गये लेकिन उनके पास मिलने का समय नहीं है। उनके यहां पत्र देकर आ गये। श्रीमन् यह घटना अविलम्बनीय लोक महत्व की है। यह हमारे क्षेत्र की घटना है। आज ललितपुर और झांसी जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिलाधीश को सूचना दिया है कि सरकार यदि गूंगी बनकर बैठेगी तो जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जनता आंदोलन करने के लिये तैयार है। इसलिये यह बड़े अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है जिसके लिये कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है, जिस पर आप चर्चा करायें।

(श्री मुख्तार अनीस का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं ललितपुर गया था, मुझे वहां की जानकारी है, इसलिये मुझे समय दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आपको मैं समय नहीं देता हूं। मैंने मुख्तार अनीस जी को बुला लिया है। आप बैठ जायं।

(व्यवधान)

आपका नहीं लिखा जायेगा।

श्री शंकर सिंह--

[× × ×]

(व्यवधान)

(श्री शंकर सिंह सदन के बीच म खाली स्थान पर आ गये।)

श्री अध्यक्ष--

क्या सदन के बीच में आने की परिपाटी आप बना रहे हैं। मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं। यदि मौके पर गये थे तो आप खड़े होते।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह--

आपने उनको बुला लिया तो मैं कैसे खड़ा होता ?

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठ जायं।

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जितने माननीय सदस्यों ने कार्य स्थगन के प्रस्ताव दिये हैं वह सभी बोलेंगे तो ऐसा नियम बना दें अन्यथा जो नियम बने हैं उनको, यदि आप लोग पालन नहीं करेंगे तो कार्यवाही किस प्रकार होगी।

(श्री शंकर सिंह अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री शंकर सिंह--

मैं चूंकि मौके पर गया था और मुझे पूरी जानकारी है, इसलिये विशेष परिस्थिति में मुझे बोलने का समय दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं। मैं इस तरह से बोलने की इजाजत नहीं देता हूं। श्री मुख्तार अनीस।

श्री शंकर सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आपका नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें, आप बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं।

(श्री शंकर सिंह के बैठ जाने पर।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार दोनों की डाक्टरी परीक्षा करायी गयी। श्री शिवचरण लाल और श्री खिलावन सिंह की, उसके बाद अस्पताल ले जाया गया। श्री खिलावन सिंह को डिस्चार्ज कर दिया गया। श्री शिवचरण लाल अस्पताल में रहे। वे फिर अनशन पर बैठ गये। शासन की ओर से उनकी जानमाल की रक्षा की सारी व्यवस्था की जा रही है। एडवोकेट वाली बात की भी जांच करायी जायेगी।

*श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का मामला है। उसने देश की आजादी के लिये कुर्बानी दी है। अगर उसको पुलिस द्वारा पीटा जायेगा और उसको संरक्षण नहीं मिलेगा, तो इससे बड़ी लज्जा की बात हो नहीं सकती दूसरी। माननीय मन्त्री जी ने इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा कि वे पुलिस के खिलाफ

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री राजेन्द्र सिंह—]

भी कुछ करेंगे जिसने उनको पीटा है। अगर पुलिस इसी तरह से स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के साथ दुर्व्यवहार करती रहेगी तो यह बड़े शर्म की बात है। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान हर तरह से होना चाहिये। अगर यह आप नहीं कर सकते तो फिर क्यों आप बार बार उनको सहूलियतें प्रदान करने की बात करते हैं। अगर पुलिस ने उनकी पिटायी की है तो पुलिस का ट्रांसफर करना चाहिये।

श्री अम्मार रिजवी—

आपने जो बात कही है इसकी जांच करा ली जायेगी, अगर कोई दोषी पाया जायेगा तो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

* श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मोदीनगर कपड़ा मिल के मजदूरों पर और हिन्द मजदूर सभा यूनियन के नेताओं पर 9 जुलाई को गुण्डों द्वारा जो हमला हुआ उसमें 7 मजदूर मारे गये। 9 जुलाई की घटना के बाद हिन्द मजदूर सभा के सारे नेताओं को पकड़ा गया। आज भी करीब 250 कार्यकर्त्ता उनके जेलों में बन्द हैं। 16 अगस्त, 83 को यूनियन के अध्यक्ष श्री घनप्रकाश और मंत्री श्री आशा त्यागी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में बन्द कर दिया गया। इसी प्रकार अनेक लोगों को पुलिस ने बन्द कर दिया है। मोदीनगर में इस समय भी तनावपूर्ण स्थिति है।

मान्यवर, इस सरकार ने 6 अगस्त को एक अध्यादेश जारी किया जिसमें 3 अगस्त से किसी भी मिल को सरकार की अनमति के बिना बन्द करने पर पाबन्दी लगा दी गयी है। लेकिन इन मोदी मिल वालों ने राजाज्ञा की अवहेलना करते हुये मिल को बन्द कर दिया और उसके कारण आज 2500 मजदूर बेकार हो गये हैं। ऐसे लोगों ने जिन्होंने जय प्रकाश नारायण की हत्या करवाई, (व्यवधान) वे खुलेआम वहां घूम रहे हैं। वहां आतंक छाया हुआ है। यूनियन के नेता लोग जेलों में बन्द हैं और उनको मारा जा रहा है। इस तरह का वहां पर माहौल है, आतंक का माहौल है। मोदी ने, मेरठ के जितने अधिकारी हैं और जिलाधिकारी हैं, उन सारे अधिकारियों को खरीद लिया है। वहां के हमारी यूनियन के जो नेता हैं, त्यागी जी यहां आये थे, उन्होंने हम लोगों को बताया कि मेरठ का कलेक्टर हम लोगों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं हैं...

श्री अध्यक्ष—

आप बहुत संक्षेप में केवल ग्राह्यता पर बोलें।

श्री मुख्तार अनीस—

यहां पर हिन्द मजदूर सभा के लोगों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर राज्य सरकार की ओर से कोई वक्तव्य आना चाहिये। सत्ता पार्टी वालों की यूनियन के जो लोग सीटू का रूप धारण करके खुले आम घूम रहे हैं और आतंक फैला रहे हैं, शान्ति भंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। लेकिन हमारे हिन्द मजदूर सभा के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही हो रही है। मकान खाली कराके उनको मकानों से निकाला जा रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह मेरा निश्चित मत और आरोप है कि श्रीपति मिश्र की सरकार मोदी के हाथों में खेल रही है। मोदी से उनका सीधा सम्बन्ध है। रिजवी साहब इतना बढ़िया मोदी का कपड़ा पहने बैठे हैं, इससे साबित है कि इनका मोदी से गहरा सम्बन्ध है। हिन्द मजदूर सभा के लोगों के साथ घोर दमन हो रहा है और उन्हीं लोगों को बन्द कर दिया गया है। ढ़ाई सौ बन्दी जिनकी जमानतें मंजूर हो गई हैं, शासन उनको क्यों नहीं छोड़ रहा है।

श्री अम्मार रिजवी--

सबसे पहले मैं यह सूचना देने जा रहा हूं कि जो मैं सूट पहने हूं, वह जब मोदीनगर से लौटा था तो मुख्तार अनीस साहब ने मुझको दिया था। मान्यवर, जैसा आप जानते हैं वहां पर दो यूनियनें हैं और मुख्तार अनीस भी जानते हैं। हिन्द मजदूर सभा के जो ज्वायन्ट सेक्रेटरी थे, वहां पर उनका कत्ल किया गया। उसमें 15 अभियुक्त थे, जिनमें 11 गिरफ्तार हो चुके हैं, मामले की विवेचना की जा रही है। दोनों पार्टियों के विरुद्ध धारा 107 व 117 का मामला चल रहा है। यह मामला दोनों के विरुद्ध न चलता तो स्थिति बड़ी खराब हो सकती थी। पुलिस वहां लगा दी गयी है। पूरी स्थिति कन्ट्रोल में है। मुख्तार साहब ने यह कहा कि और किसी बड़े उद्योगपति का हवाला दिया कि यह सरकार उसके हाथ बिक चुकी है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह सरकार न किसी उद्योगपति के हाथ बिकी है, न किसी से प्रभावित है। जहां तक श्रमिकों और मजदूरों का पक्ष है, उसको पूरा करने के लिये और उनकी सहायता करने के लिये, उनकी जायज मांगों की पूर्ति करने के लिये हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। यह इन्होंने धारा 56 के अन्तर्गत कामरोको प्रस्ताव के रूप में दिया है, आप स्वयं देखें...।

श्री मुख्तार अनीस--

धारा 56 में इसलिए दिया है कि अभी तक यह हो रहा है, मोदी का अत्याचार जारी है।

श्री अम्मार रिजवी--

इस वक्त स्थिति पूरी तरह नियन्त्रण में है। कार्य-स्थगन प्रस्ताव कोई बनता नहीं है। प्रशासनिक दृष्टि से जो कार्यवाही उपयुक्त है वह की जा रही है और वह की जायेगी। मजदूरों के हित में यह सरकार सदैव तत्पर है।

श्री मुख्तार अनीस--

जो मुख्य बिन्दु है वह यह है कि हिन्द मजदूर सभा के लोगों का ही दमन हो रहा है, उनको ही गिरफ्तार किया जा रहा है।

(व्यवधान)

(श्री कुंवर सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री राम गोविंद--

इसमें सम्बन्धित मंत्री जी से आप कुछ कहला दीजिए।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मोदीनगर में सी0 टू0 नाम की यूनियन नहीं है। मंत्री जी ने गैर जानकारी में वक्तव्य दे दिया है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री के यहां मीटिंग हुयी थी तो मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था जिससे मजदूर नेता वापस चले गये थे और धरना बंद कर दिया। लेकिन जो मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था उसके विपरीत वहां पर हो रहा है। मोदी का दमन चक्र तेज हो गया है और मजदूरों का उत्पीड़न हो रहा है। मैं विनम्रता-पूर्वक निवेदन करूंगा कि तुरन्त इस पर कार्यवाही की जाय।

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, प्रदेश के टाप ब्यूरोक्रेट्स में भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी आदि के स्पष्ट आरोप हैं लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार उनको बचा रही है। मान्यवर, प्रदेश के सतर्कता विभाग ने देहरादून की शस्त्रों की मरम्मत करने वाली नरेन्द्र एन्ड कम्पनी को अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से शस्त्रों के अवैध निर्माण का लाइसेंस दिलवाने के बारे में अपना रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश की है। जिसमें श्री पी0 सी0 जैन, जो टेक्सटाइल कार्पोरेशन के चेयरमैन हैं, श्री बी0 बी0 लाल, जो मुख्य सचिव रह चुके हैं और नरेन्द्र एंड कम्पनी के चेयरमैन हैं, श्री जे0 ए0 कल्याण कृष्णन जो ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं और केन्द्र सरकार में डेप्यूटेशन पर हैं, इनके वरुद्ध और श्री एस0 एम0 हसन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं और श्री ए0 पी0 दीक्षित जो जिलाधिकारी देहरादून हैं इनके खिलाफ 420, धोखाधड़ी, प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट और 120 (बी) आई0 पी0 सी0 के जुर्म की रिपोर्ट दी है।

सतर्कता विभाग ने श्री मुकुल सनवाल, जो जिलाधिकारी, आगरा हैं और श्री लाल शुक्ल, आई0 ए0 एस0 जो इसी सचिवालय में कार्यरत हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट दी है। उन्होंने पी0 सी0 जैन के प्रभाव में आकर अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं किया है। मान्यवर, यह नरेन्द्र एन्ड कम्पनी जो थी इसको आर्म्स रिपेयर का काम भी श्री बी0 बी0 लाल ने दिया था जब वह देहरादून के जिलाधिकारी थे। भारत सरकार की 1956 की जो नीति थी उसके अनुसार प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया था कि वह आर्म्स मैन्यूफैक्चर नहीं करेंगे। तो इन अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग करके और धोखाधड़ी करके, दबाव डालकर नरेन्द्र एन्ड कम्पनी को अवैध लाइसेंस दिलवाया।

सतर्कता विभाग ने 1982 में इन अधिकारियों के खिलाफ यहां पर रिपोर्ट दे दी है जो सतर्कता विभाग के सचिव के पास है परन्तु हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री खोसला साहब ने कह दिया कि श्री पी0 सी0 जैन सरीखे वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ इस प्रकार के मामूली आरोप लगाये जाते हैं तो इससे सारे आई0 ए0 एस0 कैडर की छवि धूमिल हो जायेगी और कोई कार्यवाही नहीं की है। कुछ दिन पहले मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि इस प्रदेश में रूल आफ ला है। यानी चाहे छोटा हो या बड़ा हो वह कानून के नीचे हैं। पर मान्यवर, इन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, आई0 ए0 एस0 लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, वह बड़े पदों पर आसीन हैं। मान्यवर, यह शासन हमेशा अखबारों में छपवाता है फलां पुलिस 5 रुपये के जुर्म में पकड़ा गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है ? यह सरकार इन अधिकारियों से क्यों घबड़ाती है । यह सरकार इन अधिकारियों की रखैल हो गयी है । इनकी हिम्मत नहीं है कि यह उनके खिलाफ कार्यवाही करें । इसके कारण सतर्कता विभाग का मनोबल गिरता है, वह सोचते हैं कि किसी वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ जब हम रिपोर्ट देते हैं तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है । पूरे प्रदेश में आक्रोश व्याप्त है । मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है, अविलम्बनीय महत्व का है इसलिये आप सदन का कार्य स्थगित करने की इजाजत दें और इस पर चर्चा करा दें ।

*श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, 1980 में एक सूचना प्राप्त हुई थी । तत्कालीन उद्योग सचिव श्री पी0 सी0 जैन के पद का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में, जब वह देहरादून के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे । उसकी खुली जांच के आदेश हुए, अप्रैल, 82 में रिपोर्ट प्राप्त हुई । सतर्कता विभाग से जो रिपोर्ट आती है, उस पर न्याय विभाग परीक्षण करता है । न्याय विभाग ने पूरा परीक्षण किया अगस्त, 1982 में न्याय विभाग ने निर्णय दिया कि इसमें श्री जैन इन्वाल्व नहीं हैं । मामले को समाप्त कर दिया गया ।

दूसरे जो अधिकारियों का जिक्र किया लम्बी फेहरिस्त उनके खिलाफ भी देखा गया और प्राइमाफेसी कोई केस नहीं बना । इन मामलों को भी समाप्त कर दिया गया । सतर्कता विभाग की रिपोर्ट दबाने और उनकी फाइंडिंग को तोड़मरोड़ करने का या किसी अधिकारी को बचाने का या ब्यूरोक्रेसी के हाथों में खेलने का प्रश्न नहीं है । अगर किसी अधिकारी की गलती साबित होगी तो उसको तत्काल सजा दी जायेगी लेकिन खाली आरोप लगाकर बिना चार्ज साबित हुए सजा दी जाय यह अन्याय नहीं किया जायेगा । इन अधिकारियों के खिलाफ महज कुछ लोगों को खुश करने के लिये । जहां तक कार्य-स्थगन का प्रश्न है यह कार्य-स्थगन का प्रश्न नहीं बनता, यह मामला समाप्त हो चुका है । सतर्कता विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही हो चुकी है अब इसमें कोई कार्यवाही बाकी नहीं है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखवा दें ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, यह सदन जब से चल रहा है सभी मंत्री जो यहां मौजूद रहते हैं लेकिन सिंचाई मंत्री बीर बहादुर सिंह इस सदन में बहुत कम दिखलाई पड़ते हैं । उनके पास बहुत काम है, व्यस्त रहते हैं । मान्यवर, आज स्थिति यह है कि प्रदेश में 80 प्रतिशत नलकूप खराब हैं । इलाहाबाद में करछना, मेजा, बारा तहसील के 80 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया कि इलाहाबाद सूखाग्रस्त है, इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे नलकूप ठीक कराये जाते । किसानों का धान सूख रहा है । मैंने पता किया वहां कोई पैसा नहीं है, नलकूप विभाग का टेलीफोन कटा पड़ा है, पेट्रोल नहीं है, कर्मचारियों का वेतन देने के लिये पैसा नहीं है । जो पैसा नये ट्यूबवेल के लिये दिया गया है वह तनख्वाह के लिये वितरित किया जा रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रेवती रमण सिंह—]

इलाहाबाद में 3 साल से सूखा और बाढ़ पड़ रहा है। इस साल फसल न हुई तो लाखों की संख्या में किसान भुखमरी की कगार पर आ जायेंगे। सिंचाई मंत्री को फुरसत नहीं है कि वह इसको देखें कि नलकूप चलते क्यों नहीं। अगर नलकूप ठीक किये जाते हैं तो केवल रिपोर्ट देने के लिये दो-तीन दिन चलते हैं। चार-चार महीने से ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि इसकी जांच करायी जाय कि कितने ट्यूबवेल खराब पड़े हैं और कितने दिन से खराब हैं, ट्यूबवेल खराब होने से वहां का स्थिति विस्फोटक हो गयी है। वहां की जनता परेशान है, मैं चाहता हूं कि कार्य-स्थगन के प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

जौनपुर के उन्चनू गांव में पुलिस ने तीन बार बहशियाना हमला किया। 27 अगस्त की यह घटना है। साबी वर्दी में ही पुलिस गांव में जाती है। मान्यवर, राष्ट्रीय संजय मंच के अध्यक्ष श्री सरदार सिंह के घर को घेर लेती है और एक नौकर की पिटाई करती है। जानकारी मिलने पर उनके भाई जाते हैं तो उनकी भी पिटाई शुरू करते हैं जिससे पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उनसे दहशत खाकर पुलिस चली जाती है, इसके बाद पूरी फौज साथ में लेकर, सैकड़ों कांस्टेबिल के साथ आते हैं और एक-एक घर में लूट-पाट करते हैं।

मान्यवर, वह गांव में लूट-पाट करके 18 आदमियों को जबरदस्ती उठाकर गांव से ले गये और उनकी पिटाई की। मान्यवर, इस तरह की घटनायें बराबर हो रही हैं। मान्यवर, वहां पर एक अधिकारी एस0 ओ0 अड़ियाऊं श्री शैलेन्द्र तिवारी हैं। उनका तथा दूसरे अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय संजय मंच का सरदार सिंह अगर मिल जाता तो वह उसको मौत के घाट उतार देते। मान्यवर, यह बहुत गलत बात है। यह श्री शैलेन्द्र तिवारी खुले आम कहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी से उनकी रिश्तेदारी है, उनका कोई बाल-बांका नहीं कर सकता। मान्यवर, यह घटना है, इस घटना के सिलसिले में सदन के सत्र में किसी भी रूप में प्रश्न नहीं उठाया गया। इसलिए कार्य-स्थगन के अन्तर्गत यह होना चाहिये। मान्यवर, यह बात साफ होनी चाहिये कि मुख्य मंत्री का रिश्तेदार बताकर कोई अधिकारी गांव को लूटपाट का शिकार बना सकता है। कोई अधिकारी गांव के हर अधिकारी को पकड़ सकता है, उसे पीट सकता है उसका अंग-भंग कर सकता है। मान्यवर, इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

हमने बड़ी प्रार्थना की थी कि सबको कान खोलकर सुनना चाहिए और सब कुछ कान खोलकर सुनने के बाद मैं यह नहीं कह सकता कि उनसे मेरी रिश्तेदारी है, आप कह सकते हैं तो कहिए। मैं तो नहीं जानता कि शैलेन्द्र तिवारी मेरे रिश्तेदारों में हैं। मेरे रिश्तेदार में कोई शैलेन्द्र तिवारी नहीं है। माननीय सदस्य इस तरह से आरोप न लगायें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी पर कोई आरोप नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं आप समाप्त कीजिये।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, कोई अधिकारी अपने को मुख्य मंत्री जी का रिश्तेदार बता कर उनकी (मुख्य मंत्री) छवि धूमिल कर सकता है मेरा श्री शैलेन्द्र तिवारी के रिश्तेदार होने का कोई आरोप नहीं है।

श्री अकबर अहमद व श्री सुरेश दत्त पालीवाल का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

[समय 1 बजकर 30 मिनट]

श्री अध्यक्ष---

(श्री अकबर अहमद के खड़े होने पर)

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप कृपया बैठें।

(व्यवधान)

(श्री अकबर अहमद, श्री सुरेश दत्त पालीवाल, श्री खैरुल बशर तथा श्री राम आसरे वर्मा सदन के फ्लोर पर आए। श्री अकबर अहमद ने प्रतिवेदकों की कापियां फेंक दीं और शोर मचाते रहे।)

श्री अध्यक्ष---

मैं आप लोगों को इजाजत नहीं दे रहा हूं। कृपया आप सब लोग बैठें।

(सदस्यों के वापस न जाने पर)

मैं श्री अकबर अकबर अहमद को इंगित करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री अकबर अहमद को सदन से तीन दिन के लिये निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान और शोर)

श्री अध्यक्ष---

मैं श्री सुरेश दत्त पालीवाल को इंगित करता हूं।

श्री अम्मार रिजवी---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री सुरेश दत्त पालीवाल को सदन से तीन दिन के लिये निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(मार्शल, विधान सभा रक्षकों की सहायता से श्री अकबर अहमद और श्री सुरेश दत्त पालीवाल को सदन से बाहर ले गये)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---

संसदीय कार्य मंत्री जी आपको इस सम्बन्ध में कुछ कहना है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, श्री राम आसरे वर्मा जी ने जिस घटना का जिक्र किया, इस सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है। किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी।

*श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 80 गांव जलप्लावन से पूरी तरह घिर गये हैं। माननीय मंत्री जी ने बुलन्दशहर का दौरा भी किया था। लेकिन उस दिन से आज तक मान्यवर, बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए कोई भी सहायता नहीं दी गई है। जिलाधिकारी से मैंने टेलीफोन पर इस संबंध में बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि 40 गांवों के तमाम मकान ध्वस्त हो चुके हैं, कई बच्चे इस बाढ़ की चपेट में आकर मर चुके हैं तथा तमाम जानवर बाढ़ की चपेट में आकर मर चुके हैं लेकिन आज तक सरकार ने उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं दी है। सिर्फ दो टूटी-फूटी नावें दी हैं। वहां आज तक न कोई खाने की सामग्री पहुंचाई गई। वहां उन लोगों के पास पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। वे बाढ़ का सड़ा पानी नहीं पी सकते हैं। इस बाढ़ के कारण आज वहां कई बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि बुलन्दशहर की इन दो तहसीलों में बचाव कार्य हेतु इन्तजाम किया जाय तथा उनके पुनर्वास की तुरन्त व्यवस्था की जाय। बाढ़ की चपेट में आने के कारण इन जगहों की खरीफ की फसल सम्पूर्ण नष्ट हो गई है। दूसरा, ऐसी हालत में वहां रबी की बुआई हो पाना भी संभव नहीं है, लिहाजा उनको आर्थिक सहायता किसी न किसी रूप में देने का इन्तजाम किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजस्व मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं। सभी माननीय मंत्रीगण भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि वे, यदि विशेष परिस्थितियां न हों, सदन में उपस्थिति रहें तथा कार्य-स्थगन के प्रस्ताव को, जो उनसे संबंधित हो, ध्यानपूर्वक सुनें।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जैसा कि हमारे भाई श्री किरनपाल सिंह जी ने कहा है, इस संबंध में हम वहां के आयुक्त को भी आदेश भेज देंगे और अधिक से अधिक रिलीफ बाढ़-पीड़ितों को वहां पर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत मुझे जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनमें से माननीय श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री और शंकर सिंह जी की सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन को भेजी जा रही है।

माननीय श्री रेवती रमण सिंह जी की सूचना जिलाधीश, इलाहाबाद को जांच हेतु भेजी जा रही है। शेष जो सूचनायें हैं उन्हें मैंने अस्वीकार किया है।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, इसकी रिपोर्ट कब तक आ जायेगी यह तो बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने बताया तो कि इसे जांच हेतु भेजा जा रहा है।

(व्यवधान)

(इस समय दर्शक दीर्घा से नारे लगाये गये।)

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1983–84 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा

[समय 1 बजकर 39 मिनट]

*श्री हुकुम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, आज से करीब 6 महीने पूर्व माननीय वित्त मंत्री जी इस प्रदेश के लिए वर्ष 1983–84 का बजट लाये थे और उस बजट में लगभग 120 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया था। अब प्रथम अनुपूरक मांगे यह आयी हैं और जहां तक मैं इसे देख पाया हूं। 252 करोड़ रुपए आपने इसमें मांगा है। एक तो मैं यह नहीं समझ पाया कि प्रदेश सरकार 6 महीने पूर्व 120 करोड़ रुपए के घाटे का बजट इस प्रदेश में लायी और उसके बाद में 252 करोड़ रुपए की मांग करे? हमें प्रसन्नता होती यदि आप यह दिखाते कि हमें कौन से अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे जिसमें 120 करोड़ रुपए का घाटा पूरा कर लेंगे और जो यह 252 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं, कहां से हम उसको ला पायेंगे। जितने रिसोर्सेज आपके पास थे, लगभग सभी खत्म कर दिए गये, बचे नहीं, तो कहां से आपकी आमदनी आयेगी। तो किस आमदनी से इस 252 करोड़ रुपए को पूरा कर देंगे। कहां से आप यह जो प्रस्तावित कार्य बचे हैं, उनको पूरा कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखें मूल बजट में भी और इस बजट में भी काफी बड़ी धनराशि ऐसी है जो किसी न किसी विभाग के द्वारा अनुदान के रूप में ली जाती है। चाहे वह समाज कल्याण विभाग हो, चाहे वह ग्राम्य विकास विभाग हो या चाहे शिक्षा विभाग हो। इन सारे विभागों के द्वारा बहुत बड़ी धनराशि अनुदान के रूप में लेने की यह प्रक्रिया काफी दिनों से चली आ रही है। क्या कभी आपने मूल्यांकन इस बात का कराया कि अनुदान के रूप में जो यह अरबों रुपया हम देते हैं उस अनुदान की राशि का कितना सदुपयोग होता है? ग्राम्य विकास विभाग का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आई0 आर0 डी0 की योजना पूरे प्रदेश में चल रही है और इस योजना के तहत आपने पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी धनराशि उपलब्ध भी करायी है। आंकड़े भी आपके पास आये होंगे कि कितने लोगों को आप रोजगार दिलवा सके हैं, कितनों को अपने पैरों पर खड़ा कर सके हैं और एक जो तथाकथित गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की बात है, उसमें कितने लोगों को आप उस रेखा से ऊपर उठा पाये हैं

(इस समय 1 बजकर 41 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुये।)

क्या यह भी आपने कभी देखा है कि इतनी बड़ी धनराशि आप जिलों में दे रहे हैं, वह धनराशि उन पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध भी हो पा रही है या नहीं? जितने भी माननीय सदस्यगण बैठे हैं चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, यदि अपने दिल को टटोल कर देखें और यहां पर सही मूल्यांकन अपने क्षेत्रों का करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितना धन का दुरुपयोग इस आई0 आर0 डी0 योजना में हो रहा है उतना किसी दूसरी योजना में नहीं। कहां–कहां से रुपया जुटाते हैं, सरकार की सहायता लेते हैं, प्रदेश की योजनाओं को ताक पर रखकर इस आई0 आर0 डी0 के लिए पैसा उपलब्ध कराते हैं लेकिन कहीं हम यह नहीं देखते कि यह जो योजना चल रही है। इससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जो सहायता दी जा रही है, वह पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रही है या नहीं? और यदि नहीं पहुंच रही है, तो वह योजना बेकार है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकुम सिंह—]

मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केवल जो रुपया कर्जे के रूप में बैंक उपलब्ध कराता है, वह रुपया तो पहुंच रहा है लेकिन जो अनुदान के रूप में सरकार देती है वह सारा रुपया उन एजेन्टों से लेकर, जो एजेन्ट उन पात्र व्यक्तियों को लाते हैं, उन अधिकारियों तक सारा पैसा यह चला जाता है। यदि 10 प्रतिशत भी धनराशि पात्र व्यक्तियों तक पहुंच जाये तो यह समझा जाय कि आपकी योजना में कोई दम है। सूचना मात्र आपके पास आ जाती है कि इटावा में 2 हजार, मुजफ्फरनगर में 5 हजार, मेरठ में इतने हजार लोगों को अनुदान के रूप में धनराशि उपलब्ध करायी लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। मुझे खुशी होगी यदि आप कोई ऐसी समिति का गठन करे, 2 जनों की या 4 जनों की, जो इन चीजों का मूल्यांकन कर दे। इसी प्रकार से मान्यवर, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का उदाहरण देना चाहता हूं। मान्यवर, इस विभाग के माध्यम से बहुत बड़ी धनराशि अनुदान के रूप में जाती है। हरिजन विधवाओं के लिए, छात्रवृत्ति के लिए और अन्य योजनाओं के तहत। लेकिन कभी आप जाकर देखें कि जितने भी व्यक्तियों के लिए यह धनराशि दिलाने का निश्चय आपने यहां से लिया है, उन पात्र व्यक्तियों को पैसा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है और न दिये जाने का जो खास कारण है, वह कारण यह है कि जिस स्तम्भ के ऊपर, जिन व्यवस्थाओं के ऊपर हमने इस प्रदेश के लोकतन्त्र को, पार्लियामेन्ट की डेमोक्रेसी को खड़ा कराया है, उस सिस्टम के ऊपर कभी रुचि लेकर, उसका विश्लेषण करने का प्रयास नहीं किया गया।

आज जब तक उस अधिकारी को जो जिले में बैठा हुआ है, जो ब्लाक स्तर पर बैठा हुआ है, उस अधिकारी को जब तक यह विश्वास नहीं होगा कि प्रदेश सरकार में बैठी हुई मंत्रियों की यह लम्बी फौज कोई निर्णय ले सकती है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। वह अधिकारी अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करेगा। वह अधिकारी सोचता है कि निर्णय उसके स्तर पर हो जायगा, उसमें हस्तक्षेप होने वाला नहीं है। सुझाव दूंगा कि आज हमारा मंत्रिमंडल का स्तर या लेजिस्लेचर का स्तर इस हद तक चला गया है कि आम आदमी का विश्वास, जनता का विश्वास, अधिकारी का विश्वास नहीं रह गया है। अगर योजना का मूल्यांकन नहीं करा सकते तो अन्तःकरण का मूल्यांकन जरूर करायें। आज आप अगर केवल आंकड़ों के जाल में फंसकर यह विश्वास कर लेते हैं कि इतना रुपया वहां तक पहुंच जायगा, तो वह नहीं पहुंच सकता।

सिंचाई के ऊपर इस बजट में प्राविधान किया गया है, मूल बजट में भी प्राविधान है, लेकिन करोड़ों रुपया जो नहरों के रख-रखाव के लिए रखा गया, आप देखें नहरों की हालत क्या है। जो नहीं नहरें बन रही हैं, उनकी बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन क्या कभी मेन्टीनेन्स के पैसे का 20 प्रतिशत भी मेन्टीनेंस पर लगा पाता है। आगरा में 50 लाख रु0 एक नहर की पटरी पर मिट्टी डालने के लिये प्राविधानित किया गया। उसके खिलाफ शिकायतें भी गयीं। एक यह चलता है कि जांच करा रहे हैं। हमारा सिस्टम ही ऐसा है, बंधे हुये हैं कि बिना जांच के किसी के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जांच का मतलब क्या रह जाता है। इतनी दरखास्तें और चिट्ठियां जाती हैं, हरएक पर जांच का आश्वासन दे दिया जाता है। अधिकारियों ने एक रुटीन बना लिया है कि वे चले जायेंगे और अपना हिस्सा लेकर वापस चले आयेंगे। हम सारे प्रदेश को न लें किसी भी एक जनपद को ले लें कि जितने पैसे का प्राविधान किया था, कितना लगा पाये हैं। माननीय सदस्यों ने अपने-अपने जनपदों की बात कही है कि वहां पर बाढ़ आयी। अगर वर्षा अधिक हो और बाढ़ आये तो ठीक है,

लेकिन यह वाटर लागिंग की समस्या दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा रही है। नये नालों के लिए पैसा न हो तो ठीक है, लेकिन 50 वर्ष पहले जिन नालों का निर्माण कराया गया था, उनकी भी मिट्टी नहीं निकल सकी। 10-10, 12-12, नाले ऐसे हैं, जिनका अंग्रेजों के जमाने में निर्माण हुआ था, आज हम भूल गए हैं कि यह किस विभाग के नाले हैं, वाटर लागिंग की समस्या हर जनपद में खड़ी हो गयी है। पैसा विभाग ले लेता है, लेकिन पैसा लगाता नहीं है।

ग्राम के लिए ग्राम्य विकास और शहर के लिए नगर विकास। ग्राम्य विकास के बारे में जितना कहा जाये कम है। आज चाहे जो भी स्कीम हो एन0 आर0 पी0 हो या आर0 ई0 एस0 हो, जब तक अंकुश सख्त नहीं होगा तब तक कोई भी परिणाम होने वाला नहीं है। इसी प्रकार, नगर विकास में नाम तो रख दिया नगर विकास, लेकिन यह केवल आंकड़ों के सहारे खड़ा है। कोई भी नगरपालिका ले लें, टाउन एरिया ले लें, म्युनिसिपैलिटी ले लें, क्या कोई योजना पूरी हो पायी है? मुजफ्फरनगर में ही ले लें, मेरठ में ही ले लें, मास्टर प्लान तो खड़ा कर दिया गया, लेकिन इतनी अधिक धनराशि लेकर निर्माण कार्यों का आंकलन किया गया है कि उसका अनुमान नहीं किया जा सकता। मान्यवर, आज चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो या इलाहाबाद हो कोई भी नगर हो, इन किसी भी नगरों में एसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी है जिससे इन नगरों का विकास सुनियोजित ढंग से हो सके। आई0 आर0 डी0 योजना के बारे में बहुत प्रचार किये गये हैं, लेकिन उसमें जो हुआ वह सब के सामने है दूसरे योजनायें तो आप स्वीकार करा लेते हैं लेकिन उनको समय आप दे नहीं पाते जिससे कोई विकास का कार्य सामने जनता के आ नहीं पाता है, इसलिये इस ओर माननीय मन्त्रियों से निवेदन करूंगा कि जिन-जिन योजनाओं को आप लें उनके लिये कम से कम इतना समय अवश्य दें और यह देखें कि जो योजना का स्वरूप तैयार किया गया है, वह आपके ही अनुरूप है या नहीं, तभी इस ओर कुछ प्रगति आ सकती है।

दूसरे सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर मैं आना चाहता हूं। इस विभाग में सड़कों के किलोमीटर्स तो अवश्य बढ़ते जा रहे हैं, खुशी की बात है, इससे लाभ जरूर होता है। साथ ही 8,000 रु0 जो प्रति किलोमीटर लिया जाता है मेन्टीनेन्स के रूप में, उसके अनुसार मेन्टीनेन्स जो सड़कों की होनी चाहिये आज वह नहीं है, इन सड़कों की जो दशा है, आज सर्वविदित है, इसलिये आवश्यकता है कि इस ओर ध्यान दिया जाये।

दूसरे सिंचाई विभाग के कार्य-कलापों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जनपद में नलकूपों की बोरिंग तो अवश्य हो रही है, लेकिन कई-कई साल हो गये बोरिंग हुये, उस पर आगे की कार्यवाही ठप है, इस तरह जनता की गाढ़ी कमाई का लाखों रुपये जमीन के नीचे जानबूझकर दबा दिया गया है। हमने मेरठ मंडल की एक सूचना इस सम्बन्ध में मंगाई, जिसमें मालूम हुआ कि तमाम नलकूप ऐसे हैं कि उनका निर्माण कार्य तो पूरा हो गया है लेकिन उन्हें चालू करने का कोई कार्य अभी तक नहीं की जा सकी है, तो इस प्रकार के निर्माण से जनता को क्या फायदा पहुंचेगा। और मैं समझता हूं यह स्थिति मेरठ मंडल की ही नहीं, कई जगहों पर यही स्थिति है, इसलिये इधर पूरी तरह से नियन्त्रण की आवश्यकता है। दूसरे इस विभाग में एक नयी अजीब बात सामने आयी कि सरकार नलकूपों के विद्युतीकरण के लिए एक नया विद्युत खंड बरेली में खोला गया है, अब यहां से हर जगह का नियन्त्रण रक्खा जायेगा जो बिल्कुल असम्भव है, तो इस प्रकार के बिना सोचे-समझे डिसीजन

[श्री हुकुम सिंह---]

लेने से जनता को कभी फायदा पहुंचने वाला नहीं है और न ही इस प्रकार विकास कार्यों में गति आयेगी, इसलिए जो बातें सुझाव रूप म आपसे कही गयी हैं, इन बातों पर गम्भीरता से विचार कर सारी कमियों को दूर करें ताकि जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग न हो सके ।

श्री ऊदल---

बजट पर जो कि कल माननीय वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उस पर माननीय हुकम सिंह जी ने व्यापक चर्चा की । मैं भी आपकी आज्ञा से कुछ ऐसी बातों की तरफ माननीय वित मन्त्री का ध्यान और इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो पिछले वर्षों में भी मैंने कही थी । आज समस्या श्रीमन्, यह है कि यह माननीय सदन बजट तो पास कर देता है लेकिन न तो माननीय वित्त मन्त्री को और न तो वित्त मन्त्रालय को और जितने विभागीय मन्त्री हैं उनको भी इतनी फुर्सत है कि कम से कम इस बजट की समीक्षा न 15 दिन में तो महीना भर में सही कम से कम उसकी समीक्षा विभागीय तरीके से होती रहे कि इस बात को देखते हुये कि जो बजट माननीय सदन ने पास किया है, वह बजट ठीक से खर्च किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है ।

श्रीमन्, कभी भी इसका परीक्षण होता नहीं है, इसके लिए हमारे जो मन्त्री लोग हैं मैं समझता हूं कि उनको इसे देखने की फुर्सत नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि बड़े पैमाने पर अवरोध उत्पन्न होता है और आप स्वयं देख रहे हैं कि एक मन्त्री हैं नश्तर साहब, उनको फुर्सत नहीं है हमारी बातों को सुनने की और न बजट का परीक्षण कराने की । इनको फुर्सत नहीं है अपने कार्यों को देखने की कि वह कौन से कार्य हैं, जिनके लिये माननीय सदन ने इतना रुपया मंजूर किया है, वह काम सम्पन्न हो रहा है या नहीं । आप देख रहे हैं श्रीमन्, तो मैं समझता हूं कि इससे माननीय सदन का अवमान ही होता है और मैं यह भी समझता हूं श्रीमन्, वित्त मन्त्रालय पर वित्त मन्त्री जी का कोई कन्ट्रोल, जो कि बजट के ऊपर हुआ करता है वित्तीय नियमों पर जैसा कि मैं हमेशा हवाला देता हूं कि उसको अच्छी तरह से लागू कराइये । वह अच्छी तरह से लागू किया जाता है या नहीं लागू किया जाता है । मैं नहीं समझता हूं कि वित मन्त्री जी जो कि बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, उनका मैं आदर करता हूं लेकिन श्रीमन्, उनको फुर्सत बिलकुल नहीं है देखने की कि किस तरह से इसका अनुपालन हो रहा है । इसका नतीजा यह होता है कि कहीं तो खर्चा एक्सेस में होता है जबकि मन्त्री जी को उसकी आवश्यकता नहीं होती । पी० ए० सी० में आपके अधिकारी निरुत्तर हो जाते हैं इसीलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक्सेस खर्चे बिलकुल बेवजह होते हैं और कुछ विभागों द्वारा खर्च ही नहीं किया जाता है, बचत की जाती है और समय के अन्तर्गत जिसको विभागों के द्वारा वित्त मन्त्रालय को वापस नहीं किया जाता जिसका नतीजा होता है कि आपका धन समय से ट्रान्सफर नहीं हो पाता है । इस प्रक्रिया को कम से कम जांच करने की आवश्यकता है, यह मेरा निवेदन है । मैं हमेशा वित्त मन्त्रालय का ध्यान इस ओर ले जाता हूं और आज फिर इस ओर वित मन्त्री जी का भी ध्यान आकर्षित कर रहा हूं ।

श्रीमन्, आपके जितने निगम हैं, उनमें से शायद ही कोई निगम ऐसा हो जो कि फायदे में हो नहीं तो 95 प्रतिशत निगम ऐसे हैं जो कि घाटे में चल रहे हैं, परिषदें ऐसी हैं जो कि घाटे में चल रही हैं और नतीजा यह है कि घाटे

को पूरा करने के लिए उनको कर्ज लेना पड़ता है और सरकार को उसकी अदायगी करनी पड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन निगमों का घाटा किस प्रकार से पूरा हो। निगम किस प्रकार से घाटे से निकलेंगे और हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगी, इस पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। मैं समझता हूं कि हमको तो कोई रास्ता नजर नहीं आता है। इसलिये मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान आपकी आज्ञा से आकृष्ट करना चाहता हूं कि वित्तीय नियमों का और वित्तीय कन्ट्रोल का कड़ाई से पालन किया जाये ताकि बचत न हो, एक्सेस न हो और अगर बचत होती है तो उसकी इत्तिला समय पर ही जानी चाहिये जिससे उस रुपये को दूसरे विकास कामों में प्रयोग किया जाये।

अब मैं श्रीमन्, एक और बात कहना चाहता हूं कि विधायकों के आवास के सम्बन्ध में दो प्रकार की श्रेणियां बना दी गयी हैं। एक श्रेणी तो वह है जो 300 से 350 रुपये तक के किराये के कमरों में रहते हैं और दूसरी श्रेणी वह है जिसमें बहुमत विधायक 150 रुपये के किराये वाले कमरों में रहते हैं। किसी को कब्जा नहीं मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो लोग पहले मन्त्री अथवा किसी पद पर रहे हैं और उनको उस समय आवास की व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी थी। उनके उस पद पर न रहने के उपरान्त भी वे लोग अभी तक उन मकानों पर कब्जा किए हुये हैं। उनसे खाली नहीं कराया जाता है। जिन लोगों को आवास मिलना चाहिये उनको नहीं मिलता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और अनधिकृत लोग जो रह रहे हैं उनसे मकान खाली कराये जाने चाहिये। इससे सरकार को नुकसान हो रहा है, सरकार को उनसे किराया भी नहीं मिल पा रहा है।

मान्यवर, अब मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं। मैं श्रीपति मिश्र जी का बड़ा आदर करता हूं और उनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह किसी भी माननीय सदस्य के पत्र का जवाब अपने हस्ताक्षर से नहीं देते हैं। जो उत्तर प्राप्त होते हैं उन पर उनके विशेषाधिकारी, श्री के0 सी0 मिश्र के हस्ताक्षर होते हैं। हर माननीय सदस्य का उत्तर वह देते हैं। जबकि आप सभी लोग और केन्द्र के मंत्री यहां तक प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी भी प्रतिष्ठित लोगों के पत्रों का उत्तर अपने हस्ताक्षर से देती हैं। ऐसा मैं समझता हूं कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह भी हम लोगों के पत्रों के उत्तर अपने हस्ताक्षर से देते थे, भले ही उत्तर देने में उनको देरी हो जाती हो, वह अपने हस्ताक्षर से ही उत्तर देते थे। लेकिन वह एक-एक पत्र पढ़ते थे और सबका उत्तर अपने हस्ताक्षर से देते थे। मैं समझता हूं कि यह इस माननीय सदन का और माननीय सदस्यों का अपमान माननीय श्रीपति मिश्र कर रहे हैं कि अपने एक कार्याधिकारी द्वारा माननीय सदस्यों के पत्रों का उत्तर दिलवाते हैं। यह प्रथा बन्द होनी चाहिये और यह सदन का तथा माननीय सदस्यों का अपमान आपकी सरकार द्वारा बन्द होना चाहिये।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से जल भराव समस्या की तरफ जैसा कि माननीय हुकम सिंह जी ने कहा, आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। इससे इस प्रदेश की लाखों एकड़ जमीन प्रति वर्ष जलमग्न हो रही है। इस जल भराव की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिये न कोई कार्यक्रम बनाया गया है और न ही किसी योजना पर अमल किया गया है जिसका नतीजा यह हो रहा है कि लाखों एकड़ जमीन पूरे प्रदेश की बड़े पैमाने पर प्रतिवर्ष जलमग्न रहती है। इस जमीन से जहां करोड़ों मन गल्ला

[श्री ऊदल—]

पैदा होता उससे प्रदेश वंचित हो रहा है दूसरी तरफ किसान जिनकी वह जमीन है, वह परेशान हो रहा है। उन्हें उस जमीन का प्रतिवर्ष सरकार को लगान भी देना पड़ रहा है। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि सरकार इस मसले के ऊपर गौर करे।

दूसरी समस्या सीपेज की समस्या है। माननीय वित्त मंत्री जी आपको याद होगा कि इस मामले को लेकर हमारे संसद सदस्य माननीय राही ने पिछले दिनों जल-भराव में खड़े होकर सत्याग्रह शुरू किया था और आपकी सरकार ने इसके बारे में आश्वासन भी दिया था। आज सीपेज की समस्या से लखीमपुर खीरी, सीतापुर और बाराबंकी पूरी तरह से तबाह हो रहा है। शारदा सहायक के किनारे सैकड़ों गांव सीपेज से जलमग्न हैं। श्रीमन्, बाराबंकी में मैंने देखा है कि इसके किनारे-किनारे सैकड़ों गांव की जमीन जो कि लाखों एकड़ में है जलमग्न हो रही है। इस सीपेज की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने कोई कारगर कार्यवाही नहीं की। नतीजा यह हो रहा है कि आये दिन सीपेज की समस्या को लेकर सत्याग्रह और आन्दोलन हो रहे हैं। एक दिन ऐसा आयेगा श्रीमन्, कि लोग सरकार को मजबूर कर देंगे कि उन्हें सत्याग्रह करने पर आमादा होना पड़े। अतः समय रहते मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं कि शारदा सहायक का जो दरियाबाद ग्वाल ब्रांच है और उसकी जितनी नहरें हैं जहां सीपेज की समस्या है उसका समाधान सरकार ठीक तरीके से करे और जल्द से जल्द उस पर कार्यवाही हो।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस वक्त हमारे प्रदेश में 16 जिलों में सूखे का प्रकोप है और 30 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। हमारे जिले में प्रतिवर्ष सूखे का प्रकोप कहीं न कहीं होता है और बाढ़ का प्रकोप तो प्रति वर्ष होता रहता है। पिछले साल भी वहां बाढ़ आयी थी और उससे पिछले साल भी आयी थी। उससे 49 जिले प्रभावित हुये थे जिससे जन-धन की हानि हो रही है। आपने आश्वासन दिया था कि ऐसे कदम उठाये जाय जिससे कम से कम नुकसान हो और इस समस्या से बचा जा सके।

श्रीमन्, मुझे याद है, एक साल बाढ़ आयी थी। मैं गोरखपुर से लखनऊ आ रहा था। मैंने देखा कि जो बाराबंकी से गोरखपुर पक्की रोड है, रेलवे लाइन भी है, उसमें जो पुल हैं वह पुराने जमाने का बना हुआ है। उसमें से पानी नहीं निकल पा रहा था। मैंने देखा कि रेलवे लाइन के एक तरफ तीन फुट पानी ऊंचा था और दूसरी तरफ तीन फुट नीचे था। मेरा निवेदन है कि जितने पुराने पुल बने हैं उनको चेक किया जाय और जो पानी का फैलाव हो जाता है वह रोका जाय ताकि इस समस्या से किसानों को तबाही से बचाया जा सके। इस पर प्रति वर्ष हमको करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। और माननीय सदन को पास करने के लिए मजबूर करना पड़ता है। इस सरकार को यह सब सोचने की फुर्सत कहां है। यह कोई देखने वाला नहीं है कि कहां पर नाले सकरे हो गये हैं, कहां पर नाले पट गये हैं या जो पुल बने हैं वे टूट गये यह सब सोचने की सरकार को फुर्सत नहीं है क्योंकि मरेगा तो किसान मरेगा, उसके बच्चे चिल्लायें। आज किसान ही सबसे ज्यादा दुखी है।

आपकी सरकार के अधिकारी और कर्मचारी अपनी मांगों के लिये आमरण अनशन और सत्याग्रह कर लेते हैं और आप भी झुक जाते हैं उसमें इधर के लोग भी हवा देते हैं। लेकिन जो मूक है, जो बिना जबान के हैं, जो आन्दोलन की बात

जानता नहीं है, जिसका कोई संगठन नहीं है, जो अपनी बात को कह नहीं सकता है उसकी तरफ इस सरकार की निगाह नहीं है । इसलिये मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आज किसान बहुत परेशानी में है ।

(लाल बत्ती होने पर)

मुझे 5 मिनट और दे दीजिये मैं बहुत कम बोलता हूं और जल्दी भी नहीं बोलता हूं इसलिये आपकी कृपा होगी । तो मैं किसानों की बात कह रहा था कि 90 फीसदी आज किसान हैं जिनका वोट लेकर हम आते हैं, जो मूक है, जो बेजुबान हैं उसकी भदई की फसल सूखे और बाढ़ से तबाह हो चुकी है और खरीफ की फसल जिसमें ज्यादातर धान है उसमें 40 फीसदी लगी नहीं और जो 60 फीसदी लगी वह भी सूख रही है आपका ट्यूबवेल विभाग जो है उसके ट्यूबवेल खराब ही रहते हैं कभी स्टार्टर नहीं है तो कभी बिजली नहीं है कभी कोई दूसरा सामान नहीं है । लिफ्ट कैनाल से पानी मिलता नहीं है । इसलिए कृपा करके किसानों को तबाही से बचाइये और उनकी समस्याओं की तरफ सोचने की कृपा कीजिए ।

आज शांति व्यवस्था की हालत भी अच्छी नहीं है चाहे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य जो अनुशासित हैं कहें कि शान्ति व्यवस्था की स्थिति अच्छी है लेकिन वह अच्छी है नहीं । आप देख रहे हैं कि इस साल अकेले चारबाग स्टेशन पर ही 50 लोगों को लूटा गया और उनकी हत्या कर दी गई । लोगों को मादक द्रव्य खिलाकर बेहोश किया जाता है और फिर उनको लूट लिया जाता है । मेरे लड़के को वाराणसी में मादक द्रव्य देकर लूट लिया गया और एक लावारिस के रूप में उसे बनारस सिविल हास्पिटल में मरणासन्न हालत में भर्ती कराया गया । यह 14 जून, की घटना है जब किसी को पता चला तो मालूम हुआ उसको ग्लूकोज चढ़ाया गया । उसकी घड़ी और सामान तथा रुपये लूट लिए । यह घटनायें बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ आदि स्टेशनों में ही हो रही हैं और बनारस में तो इसका अड्डा है । यह घटनायें ट्रेनों, बसों और सिनेमा एवं अस्पतालों के आस पास घट रही हैं, इसलिये इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये । आज बसों और ट्रेनों को लूटा जा रहा है । कानपुर से मिर्जापुर और लखनऊ से बनारस तक के आंकड़े लें तो साल में 15–20 बड़ी–बड़ी वारदातें मिलेंगी जिसमें ट्रेनों और बसों को लूटा गया है और लोगों की हत्यायें की जा रही हैं । अब तो दिन में हत्यायें और अपहरण हो रहे हैं । हम लोगों की जानें सुरक्षित नहीं हैं । कुछ लोग सुरक्षित हैं जिनके दुश्मन और दोस्त नहीं हैं । श्री लल्लू सिंह चौहान के बारे में कल सुना कि उनको घेर कर गोली चलाई गयी. उनका घर से निकलना दूभर हो गया है, इसलिये शान्ति–व्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है और पुलिस फर्जी मुठभेड़ दिखाकर बेगुनाह लोगों को डकैती में फंसा रही है और हत्यायें कर रही है । इसलिये इन बातों पर आप सोचें ।

अन्त में आपने शिक्षा विभाग में साइंस कम्पल्सरी कर दिया है लेकिन कालेज में न तो लड़कों के लिये सामान है, न भवन है और न शिक्षक ही हैं तो कम्पलसरी करने से क्या होगा । साइंस अच्छी चीज है, बिना इसके कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है लेकिन उसके लिये साज–सज्जा, भवन, अध्यापक की आवश्यकता होती है । आज हमारे प्रदेश में मुश्किल से 40 प्रतिशत से नीचे ही साक्षरता है, 60 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं और लड़कियां तो 80 प्रतिशत निरक्षर हैं इसलिये ज्यादा से ज्यादा स्कूल खुलेंगे तो भी उ0 प्र0 से निरक्षरता दूर नहीं होगी । इसलिये आवश्यक चीजों पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि इस

श्री ऊदल--]

प्रदेश में सामाजिक उपलब्धियां ज्यादा से ज्यादा प्रदान हो सकें और जनता के जीवन को बेहतर बनाकर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाया जाये, यही मेरा निवेदन है।

*श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मुझे दुःख है कि अनुपूरक अनुदानों का बजट उस समय पेश होता है जबकि शासन को बहुत धन की आवश्यकता होती है और इसीलिये मार्च में बजट पेश कर देते हैं कि शासन अपने व्यय को चलाये, अतः दुख है इस अनुपूरक अनुदान के बजट पर क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा आप किस तरह उड़ा रहे हैं।

मान्यवर, जब ग्राम प्रधानों के यहां चुनाव हुये तो उसके बाद एक आम बात थी कि पंचायतीराज मंत्री को हटाया जा रहा है, तो आप कुर्सी बचाने के लिये दिल्ली गये और उन्होंने राजीव गांधी को निमंत्रण दिया कि उ0 प्र0 के सारे ग्राम प्रधान आयेंगे और आप उनके सम्मेलन को सम्बोधित करें, यह कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था, कांग्रेस के लोग उपस्थित थे लेकिन विरोध पक्ष के किसी नेता विधायक को उस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया किन्तु आपने खामोशी के साथ में इस राष्ट्र स्तरीय सम्मेलन जिसमें 2 लाख 66 हजार रुपये स्वीकार किया, क्या आपकी पार्टी का सम्मेलन, आपके द्वारा आयोजित कार्यक्रम, जनता के पैसे से चलायेंगे।

इसी प्रकार मान्यवर, चित्रकूट धाम पर रामायण मेला लगा करता था। वह डाक्टर राम मनोहर लोहिया की स्मृति में लगता था, अब आपने उनका नाम ही हटा दिया कोई और नाम दे दिया। जो पैसा आप देते हैं पता नहीं उसका आडिट होता है या नहीं, कमिश्नर से उसकी स्वीकृति ली जाती है या नहीं, सांस्कृतिक विभाग द्वारा एकाउन्ट की जांच आदि होती है या नहीं। आपने 25 हजार का अनुदान दे दिया।

भूतपूर्व एक राज्य मंत्री जी हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, आपने उनको लड़कों को दिखाने के लिये एक झुंझना पकड़ा दिया है। अयोध्या में रामायण मेला लगाने के लिये उनको आपने 1 लाख 20 हजार रुपया दे दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि आम तौर से जब इस तरह के फंक्शन्स होते हैं तो उसके लिये सामूहिक चन्दा वसूल किया जाता है, उससे यह कार्य किये जाते हैं। मगर आप अपने नेताओं की छवि उभारने के लिये राज्य सरकार के धन का प्रयोग करते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त--)

राज्य सरकार किसकी है ?

श्री मुख्तार अनीस--

एयर कन्डीशनिंग पर लाखों रुपया व्यय किया जा रहा है। नैनीताल के आवास भवनों पर खर्च किया जा रहा है, वहां के लिये आपने 2 लाख रुपया स्वीकृत किया है। यह क्यों ? आप लखनऊ शहर के नक्खास और पुराने लखनऊ क्षेत्र को जाकर देखें, वहां के गन्दे इलाकों को देखें, कानपुर में जाकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां के गन्दे इलाकों को देखें, उन इलाकों की सफाई की ओर आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। नैनीताल की ओर आपका ध्यान इसलिये जाता है कि वहां पर आपके मंत्रीगण तथा अन्य नेता लोग जाते हैं। इस प्रकार के धन के दुरुपयोग को रोकना चाहिये।

इस सरकार को सबसे ज्यादा राज्य सरकार के कर्मचारियों की चिन्ता है। पिछले साल उन्होंने सदन में घोषणा की थी कि माननीय विधायकों के लिये मकान बनाये जायेंगे और उसके लिये 1 लाख रुपया भी बजट में रखा गया था, पर पता नहीं उस स्कीम का क्या हो रहा है? दूसरी तरफ आप अपने कर्मचारियों के लिये बराबर मकान बनाते चले जा रहे हैं। गोमतीनगर में, बटलर पैलेस में, निशातगंज में, जगह-जगह राज्य कर्मचारियों के लिये ही मकान बनाये जा रहे हैं, जो घोषणा आपने विधायकों के लिये की उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। इसका कोई जिक्र आपने नहीं किया कि उनके लिये आपने कोई जमीन ली है या नहीं या क्या करने जा रहे हैं।

मान्यवर, यह सरकार गरीब जनता के पसीने की गाढ़ी कमाई के पैसे को, टैक्स के रूप में, ले ले कर, अपनी अय्याशी पर खर्च करना चाहती है। ये जनता के पैसे से अय्याशी करना चाहते हैं। वित्त मंत्री को तो यह देखना चाहिये कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग न होने पाये। उस पर अंकुश उसका रहे। मगर इनका कोई अंकुश नहीं है। बिजली बोर्ड करोड़ों रुपये के घाटे पर चल रहा है, ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन घाटे पर जा रहा है सिंचाई विभाग भी घाटे पर जा रहा है। बिजली के रेट को दुगुना कर दिया, सिंचाई का रेट बढ़ा दिया, बसों का किराया बढ़ा दिया। जो 57 कारपोरेशन्स हैं उनमें इस सरकार का 3,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है। ठीक है, तीन हजार करोड़ रुपया लगा हुआ है। अकेले जो इनका चीनी निगम है, उसमें 50 करोड़ लगा है, उसमें 48 करोड़ का घाटा हो चुका है और इसी प्रकार से आपके सारे निगम घाटे में जा रहे हैं। सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट क्यों नहीं सदन में पेश होती है, जबकि केन्द्र सरकार सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट को हर साल सदन में पेश करती है। आपके अधिकारी और आई० ए० एस० अधिकारी इतना डरते क्यों हैं कि आज तक सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट कभी सदन में पेश नहीं की गई है। वह छपी रखी रहती है, लेकिन सदस्यों को बांटी नहीं जाती है। आपने उत्तर प्रदेश के अन्दर कताई मिल की बात कही है, 5 जगह आप कताई मिल लगाने जा रहे हैं। हमारे जनपद सीतापुर के तहसील लहरपुर में सबसे अधिक कताई का काम होता है, वहां पर सारे अंसारी हैं। लेकिन कताई मिल की स्थापना में लहरपुर स्थान का कहीं नाम नहीं है। आप इन मिलों को ऐसी जगह लगाने जा रहे हैं, जिससे आपकी नौकरी बनी रहे।

मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि वह लहरपुर में भी कताई मिल लगाने की साफ-साफ घोषणा आज यहां सदन में करें लखनऊ मंडल की इतनी घोर उपेक्षा इस वर्तमान सरकार द्वारा हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है, यहां पर कोई भी विकास कार्य या कारखानों की स्थापना का कार्य नहीं हो रहा है। जो काम होता है वह अमेठी में होता है, सुल्तानपुर और रायबरेली में हो रहा है। मध्य मंडल के लखनऊ, सीतापुर व बाराबंकी आदि जनपदों की जबरदस्त उपेक्षा की जा रही है और उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अन्त में मैं चाहूंगा कि यह सदन प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांगों को कतई स्वीकार न करे।

[समय 2 बजकर 25 मिनट]

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, आपने वर्ष 1983–84 के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इसके स्मृति–पत्र को मैंने ध्यानपूर्वक देखा है और मैं इस विषय पर पक्ष और विपक्ष की ओर से व्यक्त विचारों को भी बड़े गौर से सुन रहा था। विरोध पक्ष के माननीय सदस्य अपनी चर्चा में अपने को अनुपूरक अनुदानों तक ही सीमित रखते तो शायद वाद–विवाद का फायदा जरूर होता। इसमें जो लगभग ढाई सौ करोड़ रुपये की अतिरिक्त अनुदान धनराशि मांगी गयी थी, उसको मैं विभाग वार देख रहा था। इसमें जो अधिकांश खर्च है, उसमें से 2 सौ करोड़ रुपया मात्र उन तीन–चार विभागों पर खर्च किया गया है जो हमारे प्रदेश की प्रगति से सीधा और घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं।

यह ठीक है कि बजट का एस्टीमेट इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि किसी अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता न रह जाए, लेकिन कभी–कभी न चाहते हुए भी ऐसी आवश्यकता पड़ ही जाती है। जैसे हमें चीनी मिलों को ज्यादा समय तक चलाना पड़ा और इसके फलस्वरूप हमने उनको क्रय–कर में माफी दी है और इसके लिए उनको कुछ रुपया दिया है क्रय कर का गन्ना मूल्य के खाते में जो हमने गन्ना विभाग को 78 करोड़ रुपया दिया है, उसमें से 65 करोड़ रुपया वह है, जो किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान पर खर्च होगा। जो पहले किसानों को भुगतान नहीं हो रहा था। यह रुपया दे देने से अब उनको भुगतान प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार यह रुपया किसानों के लाभ में और जनता के लाभ में जाएगा। क्या ऐसा आभास पहले हो सकता था कि चीनी मिलों को घाटा होगा? तो यह जनहितकारी कार्य इसके माध्यम से किया गया है।

इसी प्रकार से नगर विकास विभाग में 36 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, इसमें से साढ़े तीन करोड़ रुपया वह है जो हमारे द्वारा पथकर को माफ किये जाने के फलस्वरूप नगरपालिकाओं को हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में दिया है।

दूसरी बात 28 करोड़ रुपया जो हमारी त्वरित ग्रामीण पेयजल योजनायें हैं जिनके लिये भारत सरकार की संस्तुति आ गयी है उस सम्बन्ध में है। अगर हम इस धन को खर्च न करें तो समय–समय पर यह आक्षेप विधान सभा में आता है कि पैसा खर्च नहीं किया जा सका और लैप्स हो गया है। तो यह 28 करोड़ रुपया ग्रामीण जनता को पेयजल की राहत देने के लिये खर्च किया गया है। जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पर पेयजल की व्यवस्था इससे की जायगी और ग्रामीण जनता को लाभ होगा। इसी प्रकार से सहकारिता विभाग के लिये 10 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, जिसमें मैंने देखा तो साढ़े तीन करोड़ रुपये हल्द्वानी में सोयाबीन का प्लांट लगाने के लिये हैं। इसमें सोयाबीन से तेल निकाला जायेगा और सोयाबीन के कई उत्पादन बनेंगे। तो श्रीमन्, यह आवश्यक था।

प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन किसान करने लगे हैं लेकिन उसकी खपत नहीं थी और उसके मूल्य गिर रहे थे तो इसके लिये मिल लगाये जाने की आवश्यकता समझी गयी और यह प्राविधान करना पड़ा। श्रीमन्, इसी प्रकार से सहकारिता विभाग में मैंने अन्य खर्चों को देखा। बार–बार यहां कहा गया कि अधिकारियों पर पैसा व्यय हो रहा है लेकिन श्रीमन्, मैंने स्मृति–पत्र देखा उसमें कहा गया कि एक करोड़ रुपया उपभोक्ता सहकारी समितियों का पुनर्गठन करने के लिये दिया गया है। यह बहुत आवश्यक था। केन्द्रीय सहकारी निगम जो है

उससे कुछ सहायता मिलनी थी। अगर उस पैसे को लेना है तो यह व्यवस्था करनी आवश्यक थी नहीं तो वह पैसा लैप्स हो जाता। इसी तरह से डेढ़ करोड़ रुपये उपभोक्ता सहकारी समितियों को उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था के लिये दिया है। अगर हम उनको मारजिन मनी न देते तो वह काम न कर सकतीं जिससे उपभोक्ता परेशान होता। श्रीमन्, ऐसे ही उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को लेवी की चीनी का वितरण करने के लिये एक करोड़ रुपये की धनराशि मार्जिन मनी के लिये देनी पड़ी है। तो इस तरह से सहकारिता विभाग में जो 10 करोड़ रुपया दिया है उसमें से 9 करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि ऐसी मदों में दी गयी है जिससे हमारे प्रदेश के नागरिकों तथा गांवों में रहने वालों की राहत पहुंचेगी।

मान्यवर, इसी तरह से सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में देखें। सप्तम वित्त आयोग की सिफारिश है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। विरोध पक्ष के सदस्य भी मांग उठाते हैं कि सत्ता क विकेन्द्रीकरण होना चाहिये परन्तु जब इसके लिये हम प्राविधान करते हैं, तो इसकी आलोचना होती है। जो 7 करोड़ रुपया सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया गया है, भवन निर्माण के लिये दिया गया है उसमें से अधिकांशतः तहसील मुख्यालयों पर न्यायिक भवनों, मुंसिफ न्यायालयों और दूसरे इसी प्रकार के निर्माण के लिये दिया गया है। साढ़े तीन करोड़ रुपया जिला योजना सेक्टर को दिया गया। 9 करोड़ अतिरिक्त पुलों और सड़कों के निर्माण के लिये व्यवस्था की गयी है। तो यह जो 250 करोड़ रुपया दिया गया है मुख्यतः यह जनोपयोगी कार्यों के लिये दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह जो अनुपूरक अनुदान पेश किये गये हैं यह प्रदेश के हित में हैं, जनोपयोगी हैं। मैं इनका समर्थन करता हूं।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो अनुपूरक अनुदान पेश किये हैं उनको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी जो सदन ने अनुदान पारित किये थे उसमें से तो उन्होंने कुछ खर्च नहीं किया है और अनुपूरक अनुदान लाकर रख दिया है। हमारे बरार साहब ने कहा कि जो मांग रखी गयीं हैं उनके बारे में पहले से सोचा नहीं जा सकता था इसलिये अनुपूरक अनुदान लाये गये हैं। तो मान्यवर, गन्ना किसानों के मूल्य के भुगतान के बारे में कहना चाहता हूं कि यह पहले से मालूम हो जाता है कि इस प्रदेश में चीनी के मूल्य क्या चल रहे हैं और गन्ने का मूल्य क्या है। इसके आधार पर चीनी मिलों की क्या स्थिति रहेगी, उनको घाटा रहेगा या नहीं यह पहले से ही मालूम किया जा सकता है। अगर सरकार को यह आज मालूम होता है तो इसके माने यह हैं कि सरकार में सोचने की क्षमता नहीं है। साढ़े तीन सौ रुपये चीनी का मूल्य और 23 रुपये क्विंटल गन्ने का मूल्य चल रहा था तो चीनी मिलों की क्या हालत रहेगी, उनको घाटा रहेगा यह पहले ही मालूम किया जा सकता था। सरकार को छूट चीनी मिलों को देनी पड़ेगी इसका अन्दाजा सरकार को पहले ही हो सकता था। इसी कारण गन्ना किसानों को उनके मूल्य का भुगतान इतने दिनों तक नहीं हो सका। यह सरकार की जिम्मेदारी थी यह अन्दाजा पहले लगाया जाना चाहिये था।

मान्यवर, जो अनुदान यह ले रहे हैं और जो खर्च करते हैं, उसकी आप स्थिति देख लें। ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में हुकुम सिंह ने काफी बताया है मैं अधिक समय नहीं लूंगा लेकिन कहना चाहूंगा कि जो भी कार्य किया जा रहा है वह बहुत ही निम्न स्तर का हो रहा है। जितनी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये, जिस देख–रेख में वह होनी चाहिये नहीं हो पा रही है। हम लोगों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह--]

बार-बार लिखकर देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। सोयम ईंट लग रही है, मिट्टी का कार्य पूरा नहीं किया जा रहा है, सारे काम ठेकेदारों द्वारा कराये जा रहे हैं कहा यह जाता है कि ग्रामीण लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग बस्ती के लिये जो जिला योजना में कार्य स्वीकृति होता है। यहां कहा जाता है कि जिलायोजना को धन आंवटित कर दिया गया है और जिला योजना द्वारा स्वीकृत कार्य कराये जायं। लेकिन बस्ती में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने प्रतिबन्ध लगा रखा है। जो काम वहां स्वीकृत होगा उसकी वित्तीय स्वीकृति यहां से ली जाय। उसकी वित्तीय स्वीकृति प्रमुख अभियन्ता देते हैं। वित्त वहां दे दिया तो वित्तीय स्वीकृति यहां से किस चीज की है यह बात समझ में नहीं आयी।

दूसरी बात अधिशासी अभियन्ता को 5 लाख का इस्टीमेट बनाने का अधिकार है और 5 लाख से अधिक का कोई काम उसमें नहीं है तो वित्तीय स्वीकृति किस लिये यहां से ली जाती है। बस्ती जिले में 82-83 से आज तक कोई काम नहीं हुआ है। 82-83 की जो योजना स्वीकृत की गयी आज तक उसकी वित्तीय स्वीकृति प्रमुख अभियन्ता के द्वारा नहीं दी गयी। 83-84 का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जिलाधिकारी ने डी0 ओ0 लिखा वहां के इन्चार्ज मन्त्री रामगोपाल दास ने मीटिंग किया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सारा धन लैप्स पड़ा है। फिर अनुदान की मांग कर रहे हैं किस आधार पर यह काम कराया जा रहा है। आपने प्राथमिकता दिखलायी है, आपके पास हवाई जहाज की कमी नहीं है भले ही पाइलट की कमी हो। 2 करोड़ रुपये का आप हवाई जहाज खरीदने जा रहे हैं, 14 लाख रुपये में आप सोडियम वेपर लैम्प लगाने जा रहे हैं, मरकरी लाइट में इनको दिखलाई नहीं पड़ता है। नहीं दिखलाई पड़ता है तो चश्मा लगवा लीजिये। साढ़े चार लाख रुपये की मर्सिडीज खरीदने जा रहे हैं रहते हैं हिन्दुस्तान में लेकिन चढ़ेंगे मर्सिडीज पर।

एक तरफ कहते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं आपकी प्राथमिकता स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही है। नया हवाई जहाज खरीदने की क्या आवश्यकता है क्या पुराने हवाई जहाज पर आपको आराम नहीं मिलता। 6 हवाई जहाज पहले से हैं लेकिन चलाने वाले कितने हैं। यह स्थिति इस सरकार की है। बुनकरों के बारे में काफी लिखा गया है। मेरे क्षेत्र में 6 क्रय केन्द्र चलाये गये हैं जहां से सस्ते दर पर धोती खरीदी जाती है। एक महीने तक खरीद नहीं होती अगर खरीद हो गई तो एक महीने तक भुगतान नहीं मिलता है। जब उनकी खरीद नहीं होनी है, भुगतान नहीं होना, मन्त्री जी स्वयं वहां गये थे उनको एक ज्ञापन दिया गया था लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मैंने कई बार प्रबन्ध निदेशक को लिखकर दिया है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बजट मांगते जा रहे हैं लेकिन उपयोग कहां है।

इसी प्रकार मत्स्य विभाग के अनुदान के बारे में कहना चाहता हूं जो मत्स्य से सम्बन्धित मजदूरों के बारे में है। मेरा सुझाव है जो गांवों में तालाब हैं उनके पट्टे राजस्व विभाग से होते हैं। लेकिन उनमें मत्स्य विभाग द्वारा बीज डलवाया जाता है और उनकी सहायता की जाती है।

इसमें मान्यवर, तमाम घपला सब हो रहा है, मेरा सुझाव है कि जो भी पट्टे किये जायें ग्रामीण तालाबों के मत्स्य उत्पादों के हित में उससे मत्स्य विभाग के जो निरीक्षक हो, वह सही हों, यह जो बजट है उसका सदुपयोग हो।

*श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बड़ा कटु सत्य कहना है। हमारी तरफ पूर्वी जिलों में एक कहावत है- जिनकी शादी बहुत समय बाद होती है या अधिक उम्र में होती है....

एक सदस्य--

आपकी उम्र में होती है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य बुजुर्गवार हैं, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--

मान्यवर, जब अधिक उम्र में शादी होती है।

[× × ×]

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, यह असंसदीय शब्द है इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। मान्यवर, इसे कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री अधिष्ठाता--

जो असंसदीय है उसे कार्यवाही से पढ़कर निकाल दिया जाएगा।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--

मान्यवर, मैं तो किसी पक्ष की बात नहीं करता हूं। मान्यवर, जसी मैंने कहावत कही है वही इन पर लागू होती है। जब इनके समय म बजट पेश होता है तो।

[× × ×]

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार को गुमराह न कीजिए। लगभग तीन हजार कारपोरेशन खोले गये। मान्यवर, इसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--]

कहीं बाढ़ आ गई कहीं सूखा हो गया और कारपोरेशन में घाटा हो गया इसमें घाटा नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से मुतमइन हूं कि यह परम्परा तो आपके वक्त में भी थी तब तो हल्दी लगाए थे। एक बात मान्यवर और कहना चाहता हूं जैसा माननीय सदस्य ऊदल जी ने कहा था जल भराव के सम्बन्ध में। जिन क्षेत्रों में जलभराव है उससे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। मान्यवर, इन शब्दों के साथ में आपका आभारी हूं कि आपने बोलने का समय दिया।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, दादा ने जहां हल्दी की बात कही जो इस उम्र में यह काम करेंगे तो हल्दी चाहे न लगे मुंह पर कालिख जरूर लगेगी। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो अनुपूरक बजट पेश किया उसका मैं विरोध करता हूं। यह सारा का सारा धन बर्बाद होना है, इसमें कोई शक नहीं है। मान्यवर, इसका सारा पैसा जो इस सरकार के भ्रष्ट मन्त्री हैं, उनकी जेब में जायेगा। अधिकांश जो भ्रष्ट अधिकारीगण हैं उनकी जेब मे जायेगा। निर्माण कार्य के लिये 25 प्रतिशत धन भी नहीं लगेगा।

हमारे मित्रों को, इन मंत्रियों को कहीं जाना हो तो जहाज की जरूरत होती है। आज कोई मन्त्री दिल्ली जाना हो, दौरे पर जाना हो या और कहीं जाना हो रेल से जाना पसन्द नहीं करता। हेलीकाप्टर से ही जायेगा। कोशिश यही करेंगे कि स्टेट प्लेन से यात्रा करने को मिले तो अच्छा हो। ऐसी हालत में मान्यवर, जहां निर्माण के लिये पैसा नहीं है, लेकिन इस तरह से पैसे की बर्बादी हो रही है।

एक परम्परा रही है, माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपना अलग एक आवास लिया। लाखों रुपया उसकी साज-सज्जा में लगा। यही परम्परा श्रीपति मिश्र जी भी अपना रहे हैं। ग्यारह लाख रुपये उन्होंने उसकी साज-सज्जा पर खर्च किये हैं। वही अधिकारीगण भी करेंगे। निर्माण के लिये न तो पैसा है और जो है उसका उपयोग नहीं होगा। जो कार्य होगा भी तो वह मंत्रीगण के क्षेत्र में होगा, अमेठी में होगा, सुल्तानपुर में होगा जो विशिष्ट क्षेत्र हैं। लेकिन उसका उपयोग बुन्देलखंड में नहीं होगा। इन्होंने हमेशा बुन्देलखंड की उपेक्षा की।

माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्य मन्त्री थे। उन्होंने कहा प्रदेश में चार फर्टिलाइजर कारखाने लगेंगे। तीन तो दूसरे क्षेत्रों में घोषित कर दिये एक बांदा में लगना था। ठीक है बांदा से वे स्वयं चुनकर आए थे। लेकिन मान्यवर, जैसे ही वह दूसरे स्थान पर गये, वह बुन्देलखंड का चौथा कारखाना सुल्तानपुर में लग गया। केन्द्र की एक योजना थी आई० सी० ए० आर० की योजना पल्स (दालों) के लिये। उन्होंने कहा रिसर्च करेंगे बुन्देलखंड में दालों की उपज पर, उसके लिये धन दे रहे थे। पूरा खर्च वे उठा रहे थे। किन्तु वह भी बुन्देलखंड में नहीं लगी। आपने बुन्देलखंड के लिये कुछ नहीं किया आई० सी० ए० आर० स्वयं इसका खर्च उठा रहे हैं। योजना बुन्देलखन्ड के नाम है।

मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप बुन्देलखण्ड के लिये योजना नहीं दे सके तो जो केन्द्र की योजना थी, उसी को रहने देते। कृषि मन्त्री जी ने घोषणा की कि बुन्देलखंड में बीज का प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाया जायगा। प्लान्ट स्वीकृत भी हुआ लेकिन पुखरायां में लग गया, दूसरा कानपुर में लग गया लेकिन बुन्देलखंड में कोई

भी नहीं लगा । एक पी0 ए0 सी0 ट्रेनिंग सेन्टर खोलने की बात थी । कालपी में सब भी किया गया । अनुमान था 4–5 हजार लोग रहेंगे, लोगों को धंधा मिलेगा, लेकिन मान्यवर, वह भी वहां से जा रहा है ।

मान्यवर, अब सुनने में आया है कि वहां पर एक आर्डिनेन्स फैक्ट्री की साइट देखी जा रही है, जिसमें ये हजारों एकड़ भूमि किसानों की लेने जा रहे हैं । एक तरफ तो आप किसानों की भूमि को ले रहे हैं तो दूसरी तरफ आप उद्योग स्थापित नहीं कर रहे हैं । पिछले वर्ष ओले से सूखे से तथा बाढ़ से किसानों को काफी नुकसान हुआ है इस वर्ष खलिहान के समय असमय भारी वर्षा से बुन्देलखंड में किसानों का सारा अनाज खलिहान में ही सड़ गया । किसानों के पास आज बुवाई करने के लिए न तो एक दाना गेहूं है और न चना ही ।

माननीय वित्त मन्त्री जी आप भी जरा ध्यानपूर्वक सुनें । आप कहते हैं कि बैंक से जो ऋण किसानों ने लिया है उसे आसान किस्तों पर कर दिया जायेगा । पम्पसेट्स की जो धनराशि है उसकी किश्त बन्दी कर दी जायेगी । इस सम्बन्ध में मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी के जो भी आदेश इस प्रकार के वहां जाते हैं उनका पालन नहीं किया जाता है । माननीय वित्त मंत्री जी टेलीफोन पर स्वयं जालौन के जिलाधिकारी से पूछ सकते हैं कि इस आदेश के तहत उन्होंने कितने काम किये हैं । इससे आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस प्रदेश में आपकी सरकार चल रही है या एक जिलाधीश की ।

मान्यवर, आज तीन साल से हमारे यहां ऐसे नलकूप पड़े हैं जिनमें न तो मोटर है और न ही उनको बिजली दी जाती है, वे सभी बेकार पड़े हुए हैं । पिछले वर्ष बुन्देलखंड क्षेत्र में, हर जनपद में जहां पहले 25-30 नलकूपों की स्वीकृति होती थी, वहां केवल 5 नलकूपों की स्वीकृति जालौन पर हुई है । यदि आप ऐसा ही करेंगे तो पिछड़े क्षेत्रों का आप उद्धार नहीं कर पायेंगे । जहां आपने बुन्देलखंड में किसनों को 24 घंटे बिजली देने के लिए कहा था वहां 5 घन्टे भी बिजली उनको नहीं मिल पा रही है । तूफान तथा गर्मी के कारण जो लाइनें या खम्बे गिर गये हैं या खराब हो गये हैं वे सब वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, उन्हें ठीक नहीं किया जा रहा है । यदि यही स्थिति रही तो आप प्रदेश का डेवलपमेन्ट नहीं कर सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । साथ ही साथ माननीय मंत्री जी से कुछ निवेदन भी करना चाहता हूं, जैसा कि अभी हमारे माननीय सदस्य श्री जयदीप सिंह बरार जी ने कहा कि क्यों ये मांगें प्रस्तुत करनी पड़ी, औचित्य पक्ष को उन्होंने प्रस्तुत किया, उससे मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं । कुछ बातें इसमें और जोड़ी जानी चाहिए थी, जिनकी तरफ मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इलाहाबाद जनपद विशेष कर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जिलों में सूखे से भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है । इलाहाबाद में आज भी वसूली की जो प्रक्रिया चल रही है, उसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए उनसे कहना चाहता हूं कि वे वसूली में किसानों को राहत दे सकते तो मैं उनका बड़ा अनुगृहीत होता ।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इलाहाबाद जनपद में ज्ञानपुर पम्प नहर कैनाल का निर्माण हंडिया तहसील से हुआ है । दुर्भाग्य की बात है कि जो परिपाटी आज तक चलती आ रही थी वह ज्ञानपुर पम्प नहर के नाम करण में नहीं

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--]

अपनायी गयी । जिस गंगा नदी से पानी हंडिया किडनी स्थान से लिया जा रहा है और जिसका नाम हंडिया पम्प रखा जाना चाहिए था उसका नाम बनारस के ज्ञानपुर नाम से रखा गया है । यह एक अन्याय है । पानी तो उससे मिलेगा ही किन्तु फर्क नाम में कर दिया गया है । जिससे जनाक्रोश है ।

मान्यवर, जिन लोगों की जमीनें ली गई हैं उन्हें आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है । उनकी पूरी जमीन चली गई है । किसी की तीन बीघे, किसी को पांच बीघे तथा किसी की आठ बीघे जमीन हैं । इनमें किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया है । रुपये की कीमत कम होती जा रही है और रेट पांच वर्ष पुराना मिलेगा इसकी क्षति किसानों की होगी, नया रेट दें व भूमिहीन बनें किसानों को नौकरी । रेट आप पुराना देंगे तो यह उनके साथ अन्याय हो जायेगा । उसी के साथ मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इंडस्ट्री मिनिस्टर द्वारा हंडिया में इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने की बात कही गयी थी । यह जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें उस कार्य के लिये कोई मोटी मद लिखी गयी या नहीं, यदि नहीं आयी है तो मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे हंडिया में इण्टस्ट्रियल स्टेट के बाबत मेरी बात का नोट करके कार्यवाही करेंगे । इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि विरोध पक्ष तो आलोचना करने की कुछ अपनी औपचारिकताएं पूरी करता है । लेकिन कुछ चीजें उसके सामने आती हैं जिन पर ध्यान देना उपयोगी होगा । जो हमारे यहां निगम हैं, उन पर कुछ ज्यादा अंकुश लगाने की आवश्यकता हो गयी है ।

निगमों की जैसी हालत है, जैसे उनका नाम है निगम, उन्हें अब जरा भी गम नहीं रह गया है । कितना घाटा होगा कितना उनका काम होगा, कितनी पूंजी या लागत की लगेगी, इस पर कोई अंकुश लगाना होगा । प्रबन्ध हेतु उसका एक संवर्ग कायम करना होगा, जो जिम्मेदारी ले । आई० ए० एस० या पी० सी० एस० अधिकारी अपनी सुख सुविधा के लिये वहां जाते हैं और चले जाते हैं । एक ऐसा वर्ग कायम करना होगा, वह चाहे आई० ए० एस० या पी० सी० एस० से हो, वह आई० ए० एस० या पी० सी० एस० वर्ग उसी में रहेगा । इससे वह इन्डस्ट्री के मामलों में एक्सपर्ट भी हो जायेगा और इससे शासन को भी बहुत बड़ी सहायता होगी उन पर कंट्रोल रखने के लिए । इसी के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि कोई निश्चित जिम्मेदारी ले कोई भी बड़ा अधिकारी आता है, घाटे की जिम्मेदारी वे किसी न किसी कारण विशेष को लिख देता है । यह प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी घाटा जब किसी निगम में होगा तो वहा की सामूहिक तनख्वाह पर असर पड़ना चाहिये । जो अधिकारी उसके अन्दर नियुक्ति पर हैं जिम्मेदार बनें तब वित्तीय कंट्रोल भली प्रकार हो सकेगा । बिना इस तरह का कोई अंकुश लगाये कंट्रोल सम्भव नहीं है ।

इसी के साथ मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देखें कि खर्चे का स्वरूप क्या है, खर्चे में यह जरूर देखना होगा कि किसने दौरे का कितना खर्च किया उसका कितना उपयोग या लाभ हो रहा है अधिकारियों के जो दौरे होते हैं, उनके कुछ दौरे तो खानापूरी के लिये होते हैं । कितना परसेंट उनके दौरे पर खर्च होगा और उस दौरे का उनके निरीक्षण का क्या लाभ हुआ है शासन को, इसका रेशियो तय कर देना चाहिए । अगर रेशियो तय नहीं होता है, तो यह पैसे का दुरुपयोग इसी तरह से चलता रहेगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत इन अनुपूरक मांगों का जोरदार समर्थन करता हूं ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में जो यह बजट आया है ढाई सौ करोड़ का, मैं ढाई रुपए भी देने के हक में नहीं हूं । मान्यवर, कितने ही लाख रुपए दिये जायं, और जो दिये हैं पिछले बजट में, उसकी एकाउंटिबिलिटी क्या है । कितना पैसा खर्च हुआ मान्यवर, किस मद में खर्च हुआ, कितने लोगों में खर्च हुआ, जिस काम के लिये उस पैसे की इस आदरणीय सदन से स्वीकृति दी थी, उस काम का क्या हुआ ? यह सारे सवाल अपने आप में उठते हैं । मैं समझता हूं कि इन सवालों का उत्तर माननीय वित्त मंत्री जी के पास नहीं है । माननीय वित्त मंत्री जी लक्जरी के लिये यह सारा पैसा दे रहे हैं । ऐय्याशी शब्द कहूं तो ज्यादा अच्छा हो । इस सम्बन्ध में एक प्रश्न के उत्तर में जो जवाब आया है, उसको मैं बताता हूं, इससे ही इनकी कलई खुल जायेगी । चाचा चतुर्वेदी जो वहां बैठकर हल्दी की बात कर रहे थे, बुढ़ापे में तो न जाने कितनों की हल्दी लग गयी और तमाम लोग बुढ़ापे में हल्दी लगाकर विधान सभा में आ गये । उस सम्बन्ध में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है । मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि केवल 5 महीने में अधिष्ठाता जी यह जो खर्चा हुआ है मंत्रियों का, इसमें वेतन शामिल नहीं है, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं । दौरे पर खर्च हुआ 17,23,851.23, आवासीय पर 1,17,604.00, मरम्मत पर 1.25,427.00, साज–सज्जा पर 6,36,488.00, टेलीफोन पर 6,93,974.00 और जो विशेष खर्चा 10 लाख से ज्यादा का है, उसको यह गोल कर गये हैं । इस शासन में 50 लाख खर्च हुआ है केवल 5 महीने में । आप जनता पार्टी के मंत्रियों का 5 महीने का खर्च देख लें, तो शायद वह 10 लाख से ज्यादा न होगा ।

ए0 पी0 सी0 के विषय में मेरी निश्चित जानकारी है कि उनके परिवार का एक आदमी बंगलौर में भर्ती है, वे हवाई जहाज से गये और टी0 ए0, डी0 ए0 चार्ज किया ।

श्री बी0 बी0 चतुर्वेदी, रिसीवर, पंजाब शुगर मिल, घुघली, गोरखपुर, उनका 10 हजार रु0 महीने का खर्चा है, पाते हैं 2 हजार रु0 और खर्चा 10 हजार रु0 का । ये 85 रु0 रोज टी0 ए0 लेते हैं । मैं इन घटनाओं के द्वारा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शासकीय धन का उपयोग किस हद तक हो रहा है । इसी रिसीवर ने एक तरफ ये कहते हैं कि मजदूर सरप्लस हैं और दूसरी ओर 80 लोगों को बिना इन्टरव्यू के भर्ती कर लिया ।

हार्टीकल्चर में एक हैं डा0 तिवतिया । केन्द्र सरकार के निदेशों के बावजूद भी कि किसी को एक्सटेन्शन न दिया जाय, इनको एक्सटेन्सन दे दिया गया ।

एक फर्म है यू0 पी0 इन्स्ट्रूमेन्ट्स प्राइवेट लि0, लखनऊ इसके एम0 डी0 हैं मि0 घई । उन्होंने 25 लाख रु0 का अपने समय में गबन किया है, मेरी मांग है कि इसमें उच्चस्तरीय जांच करायी जाय । अगर आडिट भी कराया जाय तो उससे भी सारा भेद खुल जायगा ।

पैसा इसलिये नहीं दिया जा रहा है कि इन्जेक्शन के नाम पर पानी सप्लाई करवाइए, कैप्सूल के नाम पर मिट्टी सप्लाई करवाइए । यह 250 करोड़ रुपये बड़े–बड़े लोगों के ऊपर बकाया है क्यों नहीं इसको वसूल किया जाता है । क्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--]

आपकी ताकत, आपका कानून उस गरीब से ही वसूली करने के लिये है जिसके पास कुछ नहीं है। उससे क्यों नहीं वसूल करते जिस पर करोड़ों रुपया बाकी है। मैं हिण्डालको की बात कर रहा हूं, छोटी सी बात होती है, वे कोर्ट में चले जाते हैं, आप खामोश हो जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

केवल इसलिये कह रहा था कि यह जो पैसा मा0 वित्त मन्त्री जी मांग रहे हैं, यह दुरुपयोग के लिये है। हवाई जहाज खरीदने के लिये है, दिल्ली जाने के लिये है। यह किसान के खून और पसीने का पैसा है, जो कि उससे वसूल किया जा रहा है। गन्ने के दाम का सवाल है, आज क्यों नहीं वसूल हो रहा है। जब आपने तय कर लिया कि जो चीनी मिलेगी, 85 प्रतिशत गन्ना मूल्य में किसानों के एकाउन्ट में जमा होगी, किसी मिल ने जमा नहीं किया। अगर नहीं किया, तो आपने उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की? रिसीवरशिप की मिलों ने और कारपोरेशन की मिलों ने 85 प्रतिशत जमा नहीं किया। इसी प्रकार का भ्रष्टाचार छितौनी मिल में है। वहां के रिसीवर ने एक गाड़ी खरीदी, रिसीवर का ट्रांसफर हुआ, वह गाड़ी भी ट्रांसफर हो गयी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि अगर वे वित्तीय कन्ट्रोल नहीं कर सकते तो उन्हें एक पैसा भी मांगने का अधिकार नहीं है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुपूरक बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, अभी हमारे विरोध-पक्ष के लोग बोल रहे थे और इनके अन्दर किसी भी काम को करने की इच्छा तो प्रबल होती है और यह शायद यह समझते हैं कि समस्त उत्तर प्रदेश की जनता की समस्त समस्याओं की जिम्मेदारी इन्हीं में निहित है क्योंकि एक तरफ तो इनकी यह डिमांड होती है कि काम नहीं हो रहा है और जब कोई बजट इनके सामने आता है चाहे सामान्य बजट हो या अनपूरक, उन सब में यह निश्चित रूप से विरोध भी करते हैं। मैं यह मानता हूं कि इनका काम ही विरोध करना है, साथ ही, ईश्वर से यह भी प्रार्थना है कि यह सदा विरोध ही करते रहें। सवाल इस बात का नहीं है कि सड़कों के लिए, पुलियों और पुलों के विकास के लिए हुआ, अभी जब ग्राम विकास के और ग्राम रोजगार के ऊपर बात चल रही थी तब हमारे साथी हुकुम सिंह जी भाषण दे रहे थे तो आई0 आर0 डी0 योजना के बारे में उन्होंने कुछ कहा, मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इससे बढ़कर आज कोई कार्यक्रम नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में जिससे किसानों का इतना बड़ा हित हो रहा हो और जिससे प्रदेश का तमाम किसान लाभान्वित हो रहा हो, यह सही है कि इसमें कुछ खामियां हैं, इन खामियों को दूर करना हमारा और आपका दोनों का कर्तव्य है चाहे इस पक्ष के बैठने वाले हों या उस पक्ष के, क्योंकि हमारे और आपके क्षेत्र में हो रहा है, इसलिए उसी हिसाब से हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है, इसे देखने के लिए श्रीपति जी या बलराम यादव जी नहीं जायेंगे, देखना हमें और आपको ही है। इसलिए इच्छाएं तो हमारे इन भाईयों में बहुत हैं, लेकिन जब मौका आता है कुछ देने-लेने का तो उस समय इनका सहयोग नहीं हो पाता है, तब यह विरोध ही

करते हैं, बल्कि हाहाकार करते हुए अनेक अन्य समस्याएं पैदा कर देते हैं अगर वास्तव में किसानों के हित की बात आप सोचते हैं और उनके सच्चे रहनुमा हैं, तो इन मसलों पर आपको सहयोग देना चाहिए ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में भी कहा गया । मैं भी इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि निश्चित रूप से इनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जहां हम पैसा इन्हें दे रहे हैं, वह देना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही यह कहना चाहूंगा कि जिस रूप में इन्हें पैसा दे रहे हैं काम उस रूप में नहीं हो रहा है ।

इसी तरह से सिंचाई विभाग में भी पैसा निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा खर्च हो रहा है, लेकिन इन तीन सालों में इनका कोई भी कार्य क्रम पूरा नहीं हुआ, तमाम ट्यूब-वेल आज भी ऐसे पड़े हुए हैं, जिनकी बोरिंग तो हो गयी है, उनकी संख्या हमारी जानकारी के अनुसार 3 लाख 15 हजार के करीब है, जिसमें 315 ट्यूबवेल्स को अभी तक बिजली नहीं दी जा सकी है ।

तो मान्यवर, मैं माननीय बिजली मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जनता के इस पैसे का सदुपयोग उसी समय हो सकेगा जब आप कृपा पूर्वक इस ओर ध्यान दें ।

मान्यवर, अन्त में दो बातें और कहना चाहूंगा कि देवरिया जिले में उद्योग की बहुत कमी है । वहां पर चीनी उद्योग जो आज से चालीस साल पहले लगा था, इस उद्योग में जो लोग उस समय लगे थे आज भी उन्हीं लोगों के वारिस उसमें काम कर रहे हैं । दूसरे कोई भी नयी योजना उस समय से आज तक देवरिया में नहीं लगायी गयी है, इसलिए अनुरोध करूंगा कि एक स्पिनिंग मिल की स्थापना की व्यवस्था शीघ्र की जाए ।

दूसरे एक बात का और निवेदन करना चाहूंगा कि निगमों में दिन-प्रतिदिन घाटा बढ़ता जा रहा है और प्राईवेट शुगर फैक्टरियां सरकारी फैक्टरियों से अधिक मुनाफे की तरफ जा रही हैं, इसका कारण देखें । लेकिन आज जो कस्टोडियन के रूप में और रिसीवर के रूप में जो बहुत सी मिल चल रही हैं । और कोआपरेटिव में चल रही हैं लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है आप उन्हें लाखों रुपये का प्राविधान करके दे रहे हैं लेकिन वह वहां बैठ कर आराम कर रहे हैं । निश्चित रूप से आपका ध्यान उस ओर जाना चाहिये । अन्त में मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री विजय सिंह राना--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अनुपूरक बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया । अधिष्ठाता महोदय, पांच महीने बजट सेशन को समाप्त हुये हो गये । अब हम पांच महीने के बाद यहां बैठ रहे हैं और पांच महीने में ही आपका अनुपूरक बजट सामने आ गया ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

यही तो शुभ लक्षण हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विजय सिंह राना--

आप मेरी बात को पहले सुनिये । अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर जो कि मैं शुरू से ही कहता रहा हूं कि एक तरफ तो आप घाटे की व्यवस्था रखते हैं, दूसरी तरफ कर लगाने से डरते हैं । आपको इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कर लगायें और आप अपने वायदे से मुकर जाने वाले आदमी हैं । आप कहते हैं कि कर नहीं लगायेंगे लेकिन महीने भर के बाद दूसरा बजट लाकर कर लगाते हैं । 1981-82 के बजट में कर न लगाने का वायदा किया गया था और कहा था कि हम कर नहीं लगायेंगे लेकिन उसके बाद कर लगा कर आपने 85 करोड़ रुपया गरीब जनता से वसूल किया जिसमें से 10 करोड़ रुपया जोकि जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में लगान माफ किया था उसे दुबारा लगा करके आपने 80 करोड़ रुपया वसूल किया और किसानों पर विकास कार्य के नाम पर कर लगाया । 30 करोड़ रुपया बसों के नाम पर और 35 करोड़ रुपया बिजली के नाम पर वसूल किया गया । इस बढ़ते हुये पूंजीवाद को रोकने के लिये बजट के अन्दर प्राविधान करते हैं जिनसे इस प्रदेश का बढ़ता हुआ पूंजीवादी वर्ग प्रभावित होता है और गरीब जनता की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है ।

आप गरीब जनता को इस तरह से कोई राहत नहीं दे सकते हैं । टैक्स आप गरीब जनता के ऊपर लगायेंगे । एक तरफ तो घाटे की व्यवस्था कर रही है और दूसरी तरफ कोई कर लगाने की हिम्मत नहीं और फिर कर भी लगायेंगे गरीब जनता के ऊपर । यह दुखद स्थिति है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके आय और व्यय का कहीं कोई सन्तुलन नहीं है । इनके पास 120 करोड़ रु0 का जो घाटा था, उसकी पूर्ति के लिये इनके पास कोई संसाधन नहीं हैं, कोई व्यवस्था नहीं कर पाये और अपने व्यय पर कोई नियंत्रण नहीं लगा सके । आज प्रदेश की जो स्थिति हो रही है कि सारी योजनायें जिला सेक्टर में कर आप मस्त हो गये । जिला योजना के पास पैसा नहीं है । अधिकतर जिला योजना नहीं तैयार हो सकी लेकिन पैसा कहां खर्च हो रहा है । मंत्री जी कहते हैं कि सारे काम जिला सेक्टर से करायेंगे । मैं कहता हूं कि किसी जिले में कोई योजना जिला सेक्टर में नहीं दी गयी है । अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिला सेक्टर को कम से कम व्यय के लिये पैसे की व्यवस्था करा दें । पैसा न होने से नतीजा यह होता है कि न जिले से कोई काम होगा न यहां से कोई काम होगा । प्रदेश में काम कोई नहीं होगा, बस बजट पास हो जायेगा ।

अभी कुछ निगमों की बात कही गयी । आगरा में 1981-82 में कुल मिला कर 551 बसें थीं जो कि 1982 में 482 ही रह गयीं । दुनिया आगे बढ़ रही है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, जनता आगे बढ़ रही है और इनकी स्थिति यह है कि इनकी बसें घट रही हैं । 85 बसें उन्होंने नीलाम कीं और 40 बसें बेचीं । अब यह स्थिति है । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश के अन्दर जितनी भी बसें हैं एक भी बस की आमदनी एक महीने में एक लाख रुपये से अधिक नहीं है । आप अपनी बसों की आमदनी को और प्राइवेट बसों की आमदनी से मिलान करें तो उस अनुपात में आपकी आमदनी बहुत कम आती है ।

श्री अधिष्ठाता--

राना जी अब आप बैठें । आप का समय समाप्त ।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, अभी मेरा समय समाप्त नहीं हुआ है। मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है, जल्दी समाप्त करता हूं। आप यह कह दें कि कोई भी बस 2000 रुपये से कम में नहीं ली जायेगी तो प्राइवेट लोग आपको बस देने के लिये तैयार हो जायेंगे। इससे आपका विभाग बढ़ेगा और निगम की आमदनी 10 गुनी हो जायेगी। तो यह स्थिति आपने पैदा कर दी है। यही स्थिति पी० डब्ल्यू० डी० की भी है। मेरे जिले में 10 किलोमीटर सड़क बनी है। उसके 2 किलोमीटर में मिट्टी गिर गयी है। माननीय मंत्री जी रबड़ की सड़कों पर चलते हैं, वह तो चल लेंगे लेकिन गरीब जनता कहां जाये। यह आपके आंकड़े हैं। एक सड़क जनता पार्टी के शासन काल में मंजूर हुई थी। वह एक किलोमीटर रह गयी थी परन्तु आज तक वह नहीं बनी है, वह ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, उस पर काम नहीं हुआ है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैं उन सभी सम्मानित सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अनुपूरक मांगों पर अपने विचार व्यक्त किये। मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, पहली बात यह कही गयी है कि यह 5 महीने के बाद क्यों लाया गया है। इसका सारा विश्लेषण आप देखें। 252 करोड़ 95 लाख का यह अनुदान है। इस में 85 करोड़ 77 लाख रुपया पिछले वर्ष में व्यय कर चुके हैं, कान्टिन्जेन्सी से लेकर और इस साल की कुल 167 करोड़ रुपये की है। भारत सरकार से 76 करोड़ 33 लाख मिलेगा जो राज्य की मदों से व्यय है उसमें 53 करोड़ 11 लाख रुपया मिलेगा और 37 करोड़ 72 लाख रुपये का व्यय है। जब हमने पूरा बजट पास किया था हमारी योजना का आकार निश्चित नहीं हुआ था और 1290 करोड़ का प्राविधान किया था परन्तु 1375 करोड़ रुपये की योजना का आकार मिला है जिसको हमें अनुपूरक अनुदानों से करना है और उसको हम कर रहे हैं।

आपके सम्मुख में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल जो रुपया स्वीकृत हुआ था वह 87 करोड़ आता है, उस में से सबसे बड़ा व्यय था 10 करोड़ रुपये का जिसको चीनी मिलों को गन्ने के मूल्य को चुकाने के लिये दिया गया। पिछले साल हम लोग ने 47 करोड़ का पेमेन्ट किया। 1979-80 में जब आपकी सरकार का अंतिम वर्ष था, 156 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान होना था और वह धीरे-धीरे बढ़ कर 471 करोड़ रुपये हो गया, उसका भुगतान किया गया है, वह रुपया किसी मंत्री की जेब में नहीं चला गया है, गन्ना किसानों की जेब में गया है। आप देखें दोनों ओर धन दिया गया है--उद्योगों को भी धन दिया गया है और कृषि को भी धन दिया गया है। औद्योगिक स्थान जो गांव में हैं उनमें चीजों की व्यवस्था नहीं है, वहां बिजली की लाइन नहीं है और कई समस्यायें हैं, उनके लिये हमने प्राविधान किया है और इसके अलावा हमने प्राविधान किया है किसानों के लिये रबी में धान और गेहूं की फसल के लिए....

एक सदस्य--

धान तो खरीफ की... (हंसी)

श्री ब्रह्मदत्त—

स्लिप हो सकता है, इसमें हंसने की क्या बात है। हमने धान और गेहूं की फसल की बीमा योजना का प्राविधान किया है और इसे हम खरीफ की सन् 83 की फसल से लागू कर रहे हैं। यह भी हमारा प्रयास है कि जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हैं वहां के लिये भी हम सामूहिक बीमा योजना लागू करें ताकि जिन लोगों के मकान आदि गिर जाते हैं उस योजना के तहत उनको कुछ भुगतान कर सकें।

फसल बीमा का यह हमारा पहला अनुभव है जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं। विश्व बैंक से मंडियों के विकास के लिये हमें 12 करोड़ रुपया मिला था, जिसका उपयोग हम किसानों के लिये कर रहे हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब-करीब 65 करोड़ 71 लाख रुपये का प्राविधान हम चीनी मिलों में बकाये के भुगतान के लिये कर रहे हैं। यह हमारा सबसे बड़ा स्टेप है। 431 करोड़ रुपये का पेमेंट किसानों को होना था जिसमें से 339 करोड़ रुपया बच गया था। 65 करोड़ 71 लाख का प्राविधान हम इस बजट के माध्यम से करने जा रहे हैं। यदि यह बजट पेश न किया जाता तो जहां एक तरफ यह मांग हो रही है कि उनका पेमेन्ट नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ इस सदन की स्वीकृति की प्रतीक्षा न करके हमने 15 करोड़ रुपया कंटेन्जेन्सी फंड से निकाल कर दिया है। एकदम इतना पैसा हम कन्टेंजेन्सी फंड से नहीं दे सकते थे इसलिये जब यह सदन से स्वीकृत हो जाय तो वह पेमेन्ट हम कर देंगे। इसके बारे में हम यह व्यवस्था कर रहे हैं और प्रयत्नशील हैं।

लघु सिंचाई की व्यवस्था भी की गयी है। सड़कों के लिये 9 करोड़ 31 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह से स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिये प्राविधान किया गया है। उनके बारे में हमने निर्णय लिया है कि अपने जिले में वे निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे और यदि उन्हें किसी कारणवश राजधानी में भी आना पड़े तो उसके लिये उन्हें फ्री-पास दिया जायेगा। इसी तरह से ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत जो कि भारत सरकार की सहायता से हम चला रहे हैं उसमें 20 करोड़ 45 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इस तरह से यदि 252 करोड़ रुपये में से यदि 2 करोड़ रुपये हवाई जहाज में भी खर्च कर दिया तो वह कोई खास महत्व नहीं रखता है।

माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कही हैं। मैं उनकी बहुत सी बातों से सहमत भी हूं। माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि अनुदान की बहुत बड़ी धनराशि दी जाती है। यह हमारी मजबूरी है। सरकारी योजनायें हैं, निर्धन लोग हैं। बिना अनुदान के कोई उद्योग नहीं लगा सकते हैं। फिर भी उस पैसे का दुरुपयोग न होने पाये इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके लिये अनुश्रवण की बात कही गई। उसमें देख-रेख रखनी चाहिए। हमने इसके लिये व्यवस्था की है और अ ई0 आर0 डी0 के माध्यम से हम योजनायें चला रहे हैं। अनुश्रवण करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम करते हैं और पिछले तीन महीनों में इसके अन्तर्गत काफी काम हुआ है। इस दिशा में हमारा पूरा प्रयास होगा।

हमारा यह भी प्रयास है कि जो विभाग दिसम्बर, जनवरी में अपना पूरा रुपया खर्च नहीं कर पाते हैं वे समय पर सरेन्डर कर दें ताकि वह पैसा दूसरी मदों में खर्च किया जा सके। माननीय ऊदल जी ने कहा कि समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए वह हम कर रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि विधायकों के लिये रहने के लिये दो श्रेणियां बना दी हैं। कुछ लोग पार्करोड में रहते हैं और कुछ अन्य जगहों पर रहते हैं। हम इसके लिये रास्ता निकाल रहे हैं। माननीय

नेता विरोधीदल से और अन्य नेताओं से हम बात कर रहे हैं। इसके लिये हम कोई निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्तार अनीस ने कहा कि विधायकों के लिये आवास दिये जाने के लिये कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। उसके बारे में प्रयत्नशील हूं। उसमें एक लाख रुपये की कास्ट आयेगी और आशा है कि शीघ्र ही माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का आपको इसके बारे में एक पत्र मिलेगा। मार्टिनपुरवा में जगह लेने की बात चल रही थी, उसमें कुछ झगड़ा पड़ गया है। गोमती नगर में हमें इसके लिये जगह मिली है और उम्मीद है कि हम एक साल के अन्दर मकान की व्यवस्था माननीय सदस्यों के लिये कर पायेंगे। इसके बारे में हमने माननीय अध्यक्ष और अन्य नेताओं के साथ विचार–विमर्श किया है जिसे हम अंतिम रूप दे रहे हैं। इसके अलावा हम माननीय सदस्यों को क्या–क्या सुविधायें दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी विचार कर रहे हैं। माननीय बरार ने भी कुछ बातों के ऊपर हमारा ध्यान दिलाया है।

एक बात की और शिकायत की गयी।

[समय 3 बज कर 25 मिनट]

श्री मित्रसेन––

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। हमारे प्रदेश में जो हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट स्कूल चल रहे हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जिनको विज्ञान की मान्यता नहीं दी गयी है, हाईस्कूल में विज्ञान कम्पलसरी कर दिया गया है तो जिनको विज्ञान की मान्यता नहीं मिली है और विद्यार्थी फार्म भर रहे हैं, उनका क्या होगा? मान्यता का प्रकरण वित्त विभाग के विचाराधीन है तो उनको कब तक स्वीकृति दे देंगे?

श्री ब्रह्मदत्त––

जितने भी प्रकरण मेरे पास पेंडिंग में थे अब कोई नहीं रह गये हैं। जो भी मामले आयेंगे वह हो जायेंगे। मैं पेंडिंग में नहीं रखता हूं। एक बात एक जिले के बारे में कही गयी कि पी0 डब्लू0 डी0 के चीफ0 इंजीनियर से स्वीकृति नहीं गयी है। कहां–कहां स्वीकृति नहीं गयी हैं यह हम देख रहे हैं। हम मोनेटरिंग कर रहे हैं और करते रहते हैं।

एक और बात बाढ़ और सूखा के बारे में आयी। काफी चर्चा इस पर हुई। इसके लिए कोई बड़ी योजना हमारे पास नहीं है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं चाहे सूखा हो या बाढ़ हो इसका एक ही निराकरण है कि जो हमारी बड़ी–बड़ी नदियां हैं उनके ऊपर मल्टी स्टोरेज डैम बनाये जायं ताकि वक्त जरूरत पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। उससे हमें बिजली भी मिलेगी। इसका संबंध कुछ नेपाल सरकार से भी है उसमें भी भारत सरकार प्रयत्नशील है। लेकिन यह लांग टर्म की बात है।

माननीय ओझा जी ने कहा कि बहुत सी चीनी मिलों से 50 प्रतिशत रुपया जमा नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें दो–तीन मामलों में हमने रिजर्व बैंक से बात की है। जो चीनी के भाव हैं उसके मुताबिक पैसा मिलना चाहिये, अंश पूंजी के बारे में भी बात की है। अक्तूबर तथा सितम्बर के महीने में जो चीनी मिलों की मरम्मत होनी चाहिये उसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जो पिछले तीन वर्षों में हमने प्रगति की है उसी रफ्तार से हहम चीनी मिलों को चलायेंगे और पूरा गन्ना क्रश करेंगे। जो हमारी जिम्मेदारी उसका हम निर्वहन करेंगे।

[श्री ब्रह्मदत्त--]

यह अनुपूरक अनुदान लाना इस बात की निशानी है कि हम लोग इस सदन का कितना आदर करते हैं। इसके अलावा समय पर जो आवश्यकता होती है उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और उसमें जो सुझाव आते हैं उनको सुनते हैं। कहा गया कि इतनी जल्दी अनुपूरक अनुदान लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर चार महीने बाद फिर आवश्यकता होगी तो हम लायेंगे और अगर कहीं से पैसा मिलता है तो उसे विधान मंडल के सामने लायेंगे इसमें हमें कोई झिझक नहीं है। इन शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा कि इन अनुपूरक अनुदानों को आप स्वीकार करेंगे।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं जो माननीय संजय सिंह का मंत्रालय है उसको तमाम रुपया दे रखा है लेकिन माननीय बलराम सिंह का जो मंत्रालय है उसको नहीं दिया गया है। जितने निगम हैं घाटे में हैं। इसी तरह रमवापुर शुगर फैक्ट्री है, वह पैसे के अभाव में बंद पड़ी है जो किसानों के गन्ने का मूल्य नहीं दे पा रही है। इसके लिए वित्त विभाग क्या व्यवस्था कर रहा है?

श्री ब्रह्मदत्त--

चीनी मिलें चाहे वह निजी क्षेत्र में हों, चाहे कारपोरेशन की हों, चाहे कोआपरेटिव की हों उन सब को हम देख रहे हैं। जिस मिल की बात उन्होंने कही उसकी डिटेल हमें वहां दें तो हम उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे।

स्पिनिंग मिल की बात कही गयी उसके लिए मैं सचिव को लिखूंगा तथा जिन इकाइयों में हथकरघा है वहां उसकी व्यवस्था की जाय इसको हम देखेंगे।

1983-84 के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान

संख्या 1-आबकारी विभाग

आबकारी मंत्री (श्री विद्याभूषण)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1-आबकारी विभाग के अन्तर्गत 3,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1-आबकारी विभाग के अन्तर्गत 3,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 2--आवास एवं नगर भूमि विभाग

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 2-आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत 5,20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2-आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत 5,20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 3--उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3--उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3-उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 4-उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4-उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 8,11,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4--उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 8,11,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 5-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

उद्योग मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से और राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 10,17,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 10,17,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखनसामग्री और मुद्रण)

उद्योग मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखनसामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 15,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखनसामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 15,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 7—ऊर्जा विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7—ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 2,00,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7—ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 2,00,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या—8—कार्मिक विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 9—कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9—कृषि विभाग (औद्योनिक विकास) के अन्तर्गत 52,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाये।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 52,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 10--कृषि विभाग (कृषि)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10--कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 92,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10--कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 52,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 11--खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 14,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 14,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 13--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश के यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 79,41,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 79,41,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 14--गृह विभाग (कारागार)

कारागार मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14--गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 1,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14--गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 1,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं श्रीमन्, आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) से अन्तर्गत 87,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 87,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 26,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 26,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग के अन्तर्गत 3,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग के अन्तर्गत 3,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 18--ग्राम्य विकास विभाग

पंचायत राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18--ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 2,32,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

यह प्रश्न है कि अनुदान संख्या 18--ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 2,32,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)

जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 5,58,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 5,58,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 3,96,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 3,96,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 53,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 53,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 22--नगर विकास विभाग

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22--नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 36,42,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22--नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 36,42,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 2,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 2,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत 9,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत 9,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग के अन्तर्गत 83,70,000 रुपये की अनुपुरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग के अन्तर्गत 83,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 27--निर्यात प्रोत्साहन विभाग

उद्योग मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27--निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत 7,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27--निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत 7,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 29--न्याय विभाग

न्याय राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29--न्याय विभाग के अन्तर्गत 3,84,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29--न्याय विभाग के अन्तर्गत 3,84,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 30--पंचायती राज विभाग

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30--पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 5,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30--पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 6,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 31--परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31--परिवहन विभाग के अन्तर्गत 3,00,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । बाकी विभागों का तो काम चल रहा है लेकिन परिवहन विभाग की तमाम गाड़ियां खड़ी हैं तो इनको पैसा क्यों दे रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

मांगों पर मतदान के समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31--परिवहन विभाग के अन्तर्गत 3,00,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 32--पर्यटन विभाग

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32--पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 26,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

अनुदान संख्या 32--पर्यटन विभाग

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32--पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 26,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 33--पर्वतीय विकास विभाग

परिवहन मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33--पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 13,02, 33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33--पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 13,02,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 34--पशुधन विभाग

पशुधन राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34--पशुधन विभाग के अन्तर्गत 1,82,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34--पशुधन विभाग के अन्तर्गत 1,82,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 35--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)

पशुधन राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 1,94,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 1,84,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 3,25,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 3,25,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 38--मत्स्य विभाग

पशुधन राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)--

मान्यवर, आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38--मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 54,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38--मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 54,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 39--मुस्लिम वक्फ विभाग

कारागार मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)--

श्रीमान्, आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39--मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 8,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39--मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 8,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 42--राजस्व विभाग--(राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

मान्यवर, आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 23,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 23,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 4,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 4,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 49--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 52--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 3,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 3,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 53--विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53--विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53--विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 54—विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिज़वी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54—विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 3,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54—विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 3,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 55—विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55—विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत 29,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-55 विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत 29,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 56—शिक्षा विभाग

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या-56 शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 3,04,49,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-56 शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 3,04,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-57 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 40,21,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-57 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 40,21,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-85 श्रम विभाग (सेवायोजन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58--श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 1,27,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58--श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 1,27,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 60--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 2,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 2,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 61--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 25,95,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 25,95,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 62--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीपुर) के अन्तर्गत 95,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 95,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 63--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 4,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 4,22,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 7,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 7,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 66—सहकारिता विभाग

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 10,03,11,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 10,03,11,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 68—सांस्कृतिक कार्य विभाग

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 68—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 16,88,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 16,88,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्बार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 7,24,26,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 7,24,26,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 4,08,32,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 4,08,32,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 4,09,93,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 4,09,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 13,58,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 13,58,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 77--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

उद्योग एवं सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 1,49,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 1,49,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वितीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 78--सूचना विभाग

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78--सूचना विभाग के अन्तर्गत 22,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78--सूचना विभाग के अन्तर्गत 22,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 13,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 13,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 80--स्पोर्ट्स विभाग

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 80--स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत 6,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80—स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत 6,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 81—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 8,36,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 8,36,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 82—क्षेत्रीय विकास विभाग

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82—क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत 8,25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82—क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत 8,25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का अनुपूरक) विधेयक, 1983

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का अनुपूरक) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का अनुपूरक) विधेयक 1983 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का अनुपूरक) विधेयक, 1983 पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

इसकी प्रतियां बटवा दी जायं ।

(विधेयक की प्रतियां माननीय सदस्यों में वितरित की गयीं ।)

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का अनुपूरक) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का अनुपूरक) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का अनुपूरक) विधेयक, 1983

31 मार्च, 1984 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षक नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का अनुपूरक) अधिनियम, 1983 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1983–84 के लिये 2,52,94,61,000 रुपयों का दिया जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये, जो 31 मार्च, 1984 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 2,52,94,61,000 रुपये (दो अरब, बावन करोड़ चौरानबे लाख, इकसठ हजार रुपये) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उनका विनियोग 31 मार्च, 1984 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं ।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/कार्य	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2			3	
1	आबकारी विभाग	राजस्व	3,59	..	3,59
		पूंजी	..	..	..
2	आवास एवं नगर भूमि विभाग	राजस्व	70,00	..	70,00
		पूंजी	4,50,00	..	4,50,00
3	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	25,00	..	25,00
4	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	5,11,52	1	5,11,53
		पूंजी	2,99,99	..	2,99,99
5	उद्योग विभाग (भारी तथा मध्यम उद्योग	राजस्व	17,00	..	17,00
		पूंजी	10,00,00	..	10,00,00
6	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	15,05	..	15,05
		पूंजी	..	..	..
7	ऊर्जा विभाग	राजस्व	1	..	1
		पूंजी	2,00,00	..	2,00,00
8	कार्मिक विभाग	राजस्व	5,00	..	5,00
		पूंजी	..	..	..
9	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	..	2,57	2,57
		पूंजी	52,00	..	52,00
10	कृषि विभाग (कृषि)	राजस्व	9237	46	92,83
		पूंजी	1	..	1
11	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	14,80	..	14,80
		पूंजी	..	..	..
13	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	35,61,00	..	35,61,00
		पूंजी	43,80,41	..	43,80,41

1	2		3		
14	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	1,65	..	1,65
15	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	87,04	6,53	93,57
		पूंजी	..	..	..
16	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	26,25	..	26,25
		पूंजी			
17	गोपन विभाग	राजस्व	3,12	..	3,12
		पूंजी			
18	ग्राम्य विकास विभाग	राजस्व	2,09,98	..	2,09,98
		पूंजी	22,10	..	22,10
19	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	राजस्व	5,58,33	..	5,58,33
		पूंजी	..	..	..
20	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	3,96,86	..	3,96,86
		पूंजी	..	..	..
21	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	53,26	80	54,06
		पूंजी	..	..	..
22	नगर विकास विभाग	राजस्व	36,42,73	..	36,42,73
		पूंजी	..	..	..
23	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	2,00,00	..	2,00,00
		पूंजी	..	..	..
24	नागरिक सुरक्षा विभाग	राजस्व	9,25	..	9,25
		पूंजी	..	..	..
26	नियोजन विभाग	राजस्व	83,70	..	83,70
		पूंजी	..	..	..
27	निर्यात प्रोत्साहन विभाग	राजस्व	32	..	32
		पूंजी	7,66	..	7,66
29	न्याय विभाग	राजस्व	3,64	70	4,54
		पूंजी	..	..	..
30	पंचायती राज विभाग	राजस्व	5,66	..	5,66
		पूंजी	..	..	..
31	परिवहन विभाग	राजस्व	10	..	10
		पूंजी	3,00,00	..	3,00,00

विधान सभा

1	2		3		
32	पर्यटन विभाग	राजस्व	1,45	..	1,45
		पूंजी	25,00	..	25,00
33	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	8,45,89	..	8,45,89
		पूंजी	4,56,44	..	4,56,44
34	पशुधन विभाग	राजस्व	81,89	1,77	83,66
		पूंजी	1,00,18	..	1,00,18
35	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	1,10,56	4,62	1,15,18
		पूंजी	74,21	46,48	1,20,69
36	प्रशासनिक (सुधार) विभाग	राजस्व	2,00	..	2,00
		पूंजी	..	..	..
37	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	2,42,63	..	2,42,63
		पूंजी	82,71	..	82,71
38	मत्स्य विभाग	राजस्व	54,03	..	54,03
		पूंजी	..	..	..
39	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	8,98	2,97	11,95
		पूंजी	..	..	..
42	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	23,33	..	23,33
		पूंजी	..	..	..
*43	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	..	7,46	7,46
		पूंजी	..	..	..
44	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	4,95	..	4,95
		पूंजी	..	..	..
46	वन विभाग	राजस्व	..	9,42	9,42
		पूंजी	..	..	..
47	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	1,00,00	..	1,00,00

*भारित विनियोग से सम्बन्धित—क्रम संख्या ।

1	2			3	
49	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	57	..	57
		पूंजी	..	..	..
52	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	3,50,00	..	3,50,00
		पूंजी	..	..	..
53	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	15	..	15
		पूंजी	..	..	..
54	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	3,05	..	3,05
		पूंजी	..	..	..
55	विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग	राजस्व	2,973	..	29,73
		पूंजी	..	..	..
56	शिक्षा विभाग	राजस्व	3,04,49	..	3,04,49
		पूंजी	..	..	..
57	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	40,21	..	40,21
		पूंजी	..	..	..
58	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	1,27,46	..	1,27,46
		पूंजी	..	..	..
60	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	2,50	..	2,50
61	संस्थागत वित्त विभाग (विक्रीकर)	राजस्व	25,95	..	25,95
		पूंजी	..	..	..
62	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	95	..	95
		पूंजी	..	..	..
63	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	4,22	..	4,22

विधान सभा

1	2			3	
64	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	7,07	..	7,07
		पूंजी	..	..	..
66	सहकारिता विभाग	राजस्व	1,65,20	6,28	1,71,48
		पूंजी	8,37,91	..	8,37,91
68	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	16,88	..	16,88
		पूंजी	..	..	..
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	4,28	..	4,28
		पूंजी	7,19,98	..	7,19,98
73	सार्वजनिक विभाग विभाग (आवास भवन)	राजस्व	2,83	..	2,83
		पूंजी	4,05,49	..	4,05,49
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	59	..	59
		पूंजी	4,09,34	..	4,09,84
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	36,55	..	36,55
		पूंजी	13,22,04	..	13,22,04
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	1,49,93	10,44	1,60,37
78	सूचना विभाग	राजस्व	2,65	..	2,65
		पूंजी	20,00	..	20,00
79	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	13,21	..	13,21
		पूंजी	..	..	..
80	स्पोर्ट्स विभाग	राजस्व	6,00	..	6,00
		पूंजी	..	..	..
81	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	राजस्व	8,35,06	..	8,35,06
		पूंजी	96	..	96
82	क्षेत्रीय विकास विभाग	राजस्व	4,75,00	..	4,75,00
		पूंजी	3,50,00	..	3,50,00
	योग ..	--राजस्व	1,33,94,37	43,59	1,34,37,96
		--पूंजी	1,17,99,73	56,92	1,18,56,65
	कुल योग ..		2,51,94,10	1,00,51	2,52,94,61

विधान सभा

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का अनुपूरक) विधेयक, 1983 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का अनुपूरक) विधेयक, 1983 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

1979–80 के अतिरिक्त अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान

संख्या 5—निर्वाचन–विभाग

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–5–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 44,01,330 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 44,01,330 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 9—स्वायत्त शासन एवं नगर पालिका विभाग

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9—स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत 3,31,47,802 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिय स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9—स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत 3,31,47,802 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 23--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

अनुदान संख्या 23--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अंतर्गत, 1,30,638 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अंतर्गत 1,30,638 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 28--उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)

उद्योग मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28--उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 6,66,161 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28--उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 6,66,161 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बन्द्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

अनुदान संख्या 29--(सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री--(श्री अम्मार रिज़वी)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 26,82,730 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है के अनुदान संख्या 29--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 26,82,730 रुपए की मांग वितीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 36--स्पोर्ट्स विभाग

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 36--स्पोर्टस विभाग के अन्तर्गत 1,75,276 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाए ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36--स्पोर्ट्स विभाग के अंतर्गत 1,75,276 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 37--सांस्कृतिक कार्य विभाग

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 37--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 2,52,456 रुपए की मांग वितीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदनों के लिए स्वीकार की जाए ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 2,52,456 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बन्द्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 41--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

जनस्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 1,63,45,491 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 1,63,45,491 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 43--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)

अनुदान संख्या 43--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 38,96,263 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 38,96,268 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ ।)

अनुदान संख्या 62--खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 9,46,544 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 9,46,544 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 65--मत्स्य विभाग

वन राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65--मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 98,669 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65--मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 98,669 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 72--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा)

उद्योग एवं सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्पाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा) के अन्तर्गत 12, 13, 11, 425 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा) के अन्तर्गत 12,13,11,425 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 75-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 9,38,97,199 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार) साधन) के अन्तर्गत 9,38,97,199 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिय स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 76-सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 2,32,138 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कायत्मिक भवन) के अन्तर्गत 2,321,38 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदान के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 82––सार्वजनिक निर्माण विभाग

अनुदान संख्या 82––सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री––(श्री अम्मार रिजवी)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82––सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 23,70,72,3 10 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82––सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 23,70,72,310 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 85 ख–गृह (पुलिस) विभाग (पूंजीगत परिव्यय)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 85–ख–गृह (पुलिस) विभाग (पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,11,184 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85–ख–गृह (पुलिस) विभाग (पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,11,184 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 से सम्बन्धित अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 87–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87––सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,33,60,221 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87––सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,33,60,221 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 90--विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय

परिवहन मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 90-विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,41,45,530 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 90--विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,41,45,530 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 95--उद्योग-विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय

उद्योग मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 95-उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 74,00,000 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 95--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 74,00,000 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 103--मत्स्य विभाग-पूंजीगत परिव्यय

वन राज्य मन्त्री (श्री संजय सिंह)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 103--मत्स्य विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 687 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 103--मत्स्य विभाग-पूंजीगत परिव्यय के के अन्तर्गत 687 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 105-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय)

उद्योग एवं सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 105--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 53,88,91,232 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 105-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 53,88,91,232 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 106--सिंचाई विभाग (बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

उद्योग एवं सिंचाई मन्त्री (श्री बीर बहादुर सिंह)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 106-सिंचाई विभाग (बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 25,36,69,634 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 106-सिंचाई विभाग (बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 25,36,69,634 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 107--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 107-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 22,87,01,456 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1879-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 107--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 22,87,01,456 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 113--स्वायत्त शासन विभाग--ऋण तथा अग्रिम

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी) --

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 113-स्वायत्त शासन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 37,89,000 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 113-स्वायत्त शासन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 37,89,000 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 121--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 121-उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 2,19,98,000 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 121-उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 2,19,98,000 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1979-80 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1983

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1979-80 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापन करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन को अनुज्ञा प्रदान की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

विधेयक की प्रतियां बांटी जायें।

(विधेयक की प्रतियां बांटी गयीं।)

(इस समय 4 बजकर 38 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करता हूं।

(कुछ रुक कर)

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, अनुसूची 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1983

दिनांक 31 मार्च, 1980 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के कतिपय सेवाओं पर उनके निमित्त और उस वर्ष के लिए स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती व्यय हुई धनराशियों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 के बढ़ती व्यय का विनियमन) अधिनियम, 1983 कहा जायगा।

वर्ष 1979-80 के कतिपयय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश को संचित निधि में से 1,59,77,94,840 रुपये का दिया जाना

2--उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट धनराशियों को जिसका कुल योग 1,59,77,94,840 रुपये (केवल एक अरब उनसठ करोड़ सतहत्तर लाख चौरानवे हजार आठ सौ चालिस रुपये) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 1980 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष, में उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिए स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिए प्राधिकृत किया गया समझा जायगा ।

विनियोग

3--इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश संचित निधि में से जिन धनराशियों के दिये और काम में लाये जाने को प्राधिकृत किया गया समझा गया है, उन धनराशियों का विनियोग--

दिनांक 31 मार्च, 1980 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा और किया गया समझा जायगा ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिए)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	बढ़ती		
		स्वीकृत मांग	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1		2	3	
		रु0	रु0	रु0
5	निर्वाचन विभाग	44,01,330	..	44,01,330
9	स्वायत्त शासन एवं नगर पालिका विभाग	3,31,47,802	..	3,31,47,802
*17	लोक सेवा आयोग	..	3,117	3,117
23	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	1,30,638	..	1,30,638
28	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	6,66,161	..	6,66,161

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या ।

1	2	3		
		रु0	रु0	रु0
29	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	26,82,730	..	26,82,730
36	स्पोर्ट्स विभाग	1,75,276	..	1,75,276
37	सांस्कृतिक कार्य विभाग	2,52,456	..	2,52,456
39	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	..	1,887	1,887
41	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	1,63,45,491	..	1,63,45,491
43	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	38,96,263	4,52,324	43,48,587
56	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	..	46	46
62	खाद्य तथा रसद विभाग	9,46,544	..	9,46,544
65	मत्स्य विभाग	98,669	..	98,669
66	वन विभाग	..	14,090	14,090
72	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा)	12,13,11,425	..	12,13,11,425
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	9,38,97,199	..	9,38,97,199
76	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	2,32,138	..	2,32,138
82	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	23,70,72,310	..	23,70,72,310
85-ख	गृह (पुलिस) विभाग पूंजीगत परिव्यय	1,11,184	..	1,11,184
87	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	1,33,60,221	..	1,33,60,221

1	2		3	
90	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	1,41,45,530	..	1,41,45,530
95	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)–पूंजीगत परिव्यय	74,00,000	..	74,00,000
103	मत्स्य विभाग–पूंजीगत परिव्यय	687	..	687
105	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय)	53,88,91,232	..	53,88,91,232
106	सिंचाई विभाग (बहु–प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)	25,36,69,634	..	25,36,69,634
107	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)	22,87,01,456	..	22,87,01,456
113	स्वायत्त शासन विभाग–ऋण और अग्रिम	37,89,000	..	37,89,000
121	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)–ऋण और अग्रिम	2,19,98,000	..	2,19,98,000
	योग ..	1,59,73,23,376	4,71,464	1,59,77,94,840

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्मदत्त––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1983 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1983 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 में मुझे 6 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से मैंने जो श्री मोहन सिंह तथा श्री माता प्रसाद पांडेय की एक सूचना प्रदेश के न्यायिक क्षेत्राधिकारियों, रेलवे मजिस्ट्रेट एवं न्यायाधीशों द्वारा अपनी मांगों के लिए आन्दोलन करने के सम्बन्ध में है, को स्वीकार किया। शेष सब सूचनायें अस्वीकार की।

प्रदेश के गन्ना काश्तकारों की चीनी मिलों पर बकाया भारी रकम की अदायगी न होने से उत्पन्न स्थिति पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, लोक दल के सारे नेता गायब हैं तथा प्रस्तावक महोदय भी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं देख रहा हूं।

श्री मुख्तार अनीस--

हैं मान्यवर,

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, उन्होंने मेरा नाम लिखकर दिया हुआ है आपके पास आया है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, इनको गन्ना किसानों से हमदर्दी नहीं है।

*श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, भारत के वृहदतर प्रदेश उत्तर प्रदेश में कृषि में नकदी उत्पादन के रूप में गन्ना है और आज गन्ना किसान यहां कितनी ही मारों से मर रहा है। किसान कर्जा लेकर गन्ने का बीज, खाद और पानी से गन्ने को लगाता है और जब वह बुलंदी पर पहुंचता है तो उसे अपने गन्ने की पैमाइश कराने के लिए कि मैंने इतना गन्ना बोया है के लिए सुपरवाइजर, गन्ना इंचार्ज आदि को अवैधानिक रूप से घूस देनी पड़ती है। यहीं से मान्यवर, इस सरकार की शव यात्रा खामोश यात्रा के रूप में चल रही है।

मान्यवर, गन्ना किसान की बदनसीबी का इतिहास यहां से शुरू होता है इसे जितना पेरा जाय उतना ही मीठा होता है ऐसा इस सरकार ने समझ रखा है।

किसान पेरा जाय तो गन्ना पैदा होता है, गन्ना पेरा जाय तो चीनी पैदा होती है और चीनी की सफेदी से मिल/मालिकों और मंत्रियों के पेट भरते हैं और जेबें भरती हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--]

मान्यवर, गन्ने के बकाये का भुगतान 1981-82 का किया नहीं जिससे 1982-83 के बकाये की रकम बढ़ती गयी और इस बढ़ती हुई रकम को आप दे नहीं सकते हैं। जबकि सरकारी देयों की वसूली किसानों से निर्ममतापूर्वक करते जा रहे हैं। आप अपने देयों की वसूली के लिये ब्याज लेंगे और किसानों की सम्पत्ति को कुर्क करेंगे तथा अपने कर्मचारियों से उनको सड़क पर बेइज्जत करायेंगे जो बड़े शर्म की बात है। इसलिये मेरी मांग है कि गन्ने के बकाये का तुरन्त भुगतान होना चाहिये और किसानों को नकदी उत्पादक के रूप में प्रोत्साहित करने की सरकार की स्थिति बनानी चाहिये लेकिन देखा जा रहा है कि गन्ना किसान आज आन्दोलित हो गया है अपने बकाये को पाने के लिये सत्याग्रह एवं धरना दे रहा है किन्तु मिल मालिक और सअधिकार नियंत्रक स्थानीय अधिकारियों को अनुचित लाभ देकर सत्याग्रहियों को आपराधिक मुकदमों में फंसा कर उसका मनोबल तोड़ रहे हैं।

मान्यवर, गोरखपुर में सिसवा चीनी मिल 4 जून, 1982 को रिसीवरशिप से मिल मालिकों को मिली। इस मिल पर किसानों का एक करोड़ 65 लाख रुपये बकाया था जबकि इस मिल में 62 हजार बोरी चीनी गोदाम में थी और 1982-83 में 65 हजार बोरी चीनी उनके गोदाम में है और किसानों का बकाया एक करोड़ 81 लाख रुपये है। इसी सदन के माननीय सदस्य श्री जनार्दन प्रसाद ओझा और भूतपूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री शारदा प्रसाद जायसवाल के नेतृत्व में वहां सत्याग्रह और जनआन्दोलन चला है और भूतपूर्व विधायक श्री शारद प्रसाद जायसवाल को बन्दी बनाया गया और उनके साथ अन्य कार्यकर्ताओं को भी बन्दी बनाया गया एवं आपराधिक मुकदमों में फंसाकर आज भी मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है। लेकिन मुख्य मंत्री जी की एक साल की खामोशी यात्रा में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को बनाये रखने की शपथ खाई है इसलिये उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा में सन्देह करना द्रोपदी के पतिव्रत धर्म में संदेह करने जैसे बात होगी।

अब मैं कुछ अधिकारियों के बारे में कहना चाहता हूं जिसका मंत्री जी जवाब देंगे। मान्यवर, नानपारा के महेश पांडे जो जिला कृषि अधिकारी थे उन्होंने लाखों रुपये का कृषि विभाग में घोटाला किया जो वहां विचाराधीन है, उनकी सेवाओं से मंत्री जी प्रसन्न होकर उनको अपने यहां लिया और सामान्य व्यवस्था के लिये सामान्य प्रबन्धक नियुक्त किया है।

इसी प्रकार मुण्डेरवा मिल में श्री एस० डी० कुरील, जो पहले प्रशासनिक अधिकारी स्वास्थ्य विभाग में थे जिनको अतिरिक्त जिलाधिकारी, बस्ती बनाया गया, वह मुंडेरवा मिल में सअधिकार नियंत्रक के पद पर रहकर लाखों रुपये खा गये। इसी प्रकार श्री जगदेव सिंह, जिला गन्ना अधिकारी, बस्ती थे, छितौनी में रिसीवर नियुक्त किये गये वहां से बैतालपुर आये हैं और लाखों रुपये के घोटाले का मामला उनके ऊपर विचाराधीन है। आदरणीय सदन में प्रश्नों के माध्यम से इन मामलों को उतरित कराना चाहा था। किन्तु खामोश यात्रा में मंत्री जी ने अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा में उनको दबाये रखा। गन्ने की कीमत का जहां गन्ना किसानों को भुगतान होना चाहिये था वह नहीं हुआ। गन्ने की कीमत न्यूनतम करते गये और चीनी की कीमत को बढ़ाते गये। इनको क्या कहा जाय? यह सरकार किसानों की हमदर्दी जताती है, गन्ना किसान मजदूरों की हिमायत करती है, पर आज हालत यह है कि मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिल रही है। इन्सान भूख

से तड़प रहा है । जब इन्सान भूखा होगा, मंहगाई बढ़ती जायेगी, तब एक दिन वह स्थिति पैदा होगी जब मजबूर होकर किसान आन्दोलन करेगा । इस सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों का यह सिद्धांतिक, व्यावहारिक और नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वे इस समस्या का निराकरण करें । नैतिकता के नाते, आज इस सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिये था । पर इनका (सरकार का) तो नैतिकता से कोई सम्बन्ध है नहीं, इसलिये इनसे क्या कहा जाये ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और इस सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के गन्ने मूल्य के बकाये का भुगतान तत्काल किया जाय । जब तक आप यह नहीं कर पायें, तब तक सरकारी बकायों की वसूली रोक दी जानी चाहिये । जिन किसानों के पास बकाये की पर्चियां हैं उनसे सरकारी देयों की वसूली नहीं करना चाहिये और जिस तरह से आप बकाये पर सूद भी लेते हैं, उसी प्रकार से गन्ना किसानों को भी सूद मिलना चाहिये । इसकी व्यवस्था भी आपको करना चाहिये । आप जब यहां आते हैं तो निश्चय ही गन्ना किसानों को दुहाई देकर आते हैं पर यहां आकर उनको भूल जाते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप गन्ना किसानों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करें, बकाये का भुगतान तुरन्त करायें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 के पुरःस्थापन पर उठायी गयी आपत्ति पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

पूर्व इसके कि मैं माननीय मंत्री जी को बुलाऊं, मैं एक निर्णय दे रहा हूं इसके बाद मंत्री जी जवाब देंगे कल दिनांक 5-9-83 को जब उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 के प्रतिस्थापन की कार्यवाही की जा रही थी तो माननीय राम स्वरूप वर्मा ने व्यवस्था का यह प्रश्न उठाया कि उपरोक्त विधेयक के साथ नियमानुसार वित्तीय ज्ञापन संलग्न नहीं है । प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 118 (1) में यह व्यवस्था है कि यदि किसी विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो तो उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन संलग्न होगा और उसमें आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का प्राक्कलन भी दिया जायेगा । प्रश्नगत विधेयक के साथ संलग्न वित्तीय ज्ञापन में उक्त व्यय का उल्लेख इस कारण नहीं किया गया है, क्योंकि पेंशन के रूप में होने वाले व्यय का सही अनुमान लगाना प्रशासकीय विभाग के लिये सम्भव नहीं था ।

कौल और शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" (हिन्दी संस्करण) के पृष्ठ 503 पर यह उल्लिखित है कि विधेयक के साथ आवर्ती तथा अनावर्ती खर्चे का प्राक्कलन देना भी आवश्यक है । विद्वान लेखकों ने यह भी लिखा है कि यदि किसी सरकारी विधेयक से सम्बन्धित वित्तीय ज्ञापन अपूर्ण पाया जाय तो सम्बद्ध मंत्री से कहा जाता है कि वे सारा ब्यौरा दें और पुनरीक्षण ज्ञापन की प्रतियां सदस्यों की जानकारी के लिये अलग से भेज दी जाती हैं ।

इस सम्बन्ध में मैंने उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1972 तथा उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की

[श्री अध्यक्ष--]

उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1976 की प्रतियां भी देखीं, इन विधेयकों के साथ जो वित्तीय ज्ञापन संलग्न किया गया है, उनमें व्यय का अनुमान अंकित किया गया है ।

वर्णित परिस्थितियों में मैं उचित समझता हूं कि शासन द्वारा वित्तीय व्यय का प्राक्कलन अलग से प्रस्तुत किया जाय और तदुपरान्त विधेयक का प्रतिस्थापन अनुमन्य होगा ।

प्रदेश के गन्ना काश्तकारों की चीनी मिलों पर बकाया भारी रकम की अदायगी न होने से उत्पन्न स्थिति पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (क्रमागत)

गन्ना विकास राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)--

आज की जो चर्चा गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान के सन्दर्भ में है, इसके बारे में चार बिन्दुओं पर मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । पहला तो यह कि गन्ना मूल्य समय पर भुगतान न होने के क्या कारण हैं और इसके घाटे के क्या कारण हैं, आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद जनहित में प्रदेश शासन ने, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के विरुद्ध अधिक भुगतान लाभकारी ढंग से दिया है और इनके निराकरण के लिये कौन-कौन से कदम शासन की ओर से उठाये जायेंगे । विभाग में जो प्रत्यक्ष रूप में घाटा दिखाई पड़ रहा है, यह वास्तव में आर्थिक घाटा नहीं है, यह देश का और शासन का आर्थिक लाभ है । इसके सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जो न्यूनतम गन्ना मूल्य है वह 13 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था । इसके अतिरिक्त फिर भारत सरकार ने अतिरिक्त गन्ना पेरने की कितनी क्षमता है, इस आधार पर पूर्वी क्षेत्र में रु0 17.40 मध्य क्षेत्र में रु0 17.60 और पश्चिमी क्षेत्र में रु0 18.85 गन्ने का मूल्य तय किया था, जो फैक्टरियां दे सकती हैं ।

इसके विपरीत प्रान्तीय सरकार ने गन्ने के हित को देखते हुए, गन्ना कृषकों के हित को देखते हुए कि उन पर तमाम व्यय भार बढ़ा है और उनको लाभकारी मूल्य दिलाया जाये, भारत सरकार के मूल्य सम्बन्धी फैसले के विपरीत रु0 20.50 और रु0 21.50 उनको दिया गया । इसका परिणाम यह हुआ कि केन्द्रीय सरकार के निर्णय के विपरीत हमने जो ज्यादा दाम दिया, उसका फर्क आता है 70 करोड़ रुपया, जो किसानों को ज्यादा दिया गया । इसके बाद...

श्री धर्मवीर सिंह--

यह तो हमेशा होता रहा है ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

यह जो 17.40, 17.60 और 18.85 भारत सरकार ने दाम तय किया था, इसमें तीन-चार मुद्दे शामिल थे, जैसे कि हमारे औसत पेराई का परता होना चाहिये और सामान्य पेराई सीजन होना चाहिये । पूर्वी क्षेत्र की मिलें अधिकांश अधिक से अधिक मार्च में बन्द हो जाती थीं, लेकिन शासन ने तय किया कि जो हमारा गन्ना है, जो हमारा सट्टा है, उसको सारे का सारा पेर करके ही हम मिल को बन्द करेंगे, जिससे जुलाई, अगस्त मास तक हमें अपने यहां मिलों का चलाना पड़ा, जिसके कारण से रिकवरी में कमी आई और भारी घाटा उठाना पड़ा ।

दूसरे, जो शासन ने हमारे दाम निर्धारित किया था देने के लिये, उसमें शुगर का मूल्य एक आवश्यक मुद्दा था । इसका मूल्य बाजार में शुगर 400 रुपया और उससे अधिक में बिकने के आधार पर तय किया गया था, लेकिन जो हमारी शुगर फ्री सेल में गई, उसका दाम 325 से 350 तक ही मिला, वह 325 से 350 रुपया प्रति क्विंटल में बिकी और उससे भी कम में बिकी । इससे 70 रुपया प्रति क्विंटल का यानी कुल 49 करोड़ रुपये का घाटा, भारी घाटा हमें स्टाक में काफी चीनी रहने से उठाना पड़ा ।

तीसरे हमारे यहां भाड़े का मामला है । इसका औसतन खर्च 2 रुपया 25 पैसे आता है, लेकिन जो हमारी फैक्टरियां हैं उन्होंने 32 पैसे और 50 पैसे का दाम लिया, जिससे घाटा उठाना पड़ा । इसके फलस्वरूप 15 करोड़ रुपया जो भाड़े का है, यह हमारी फैक्टरियों को घाटा उठाना पड़ा था । तो इस तरह से 119 और 15 करोड़ करीब 134 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हमारी फैक्टरियों को उठाना पड़ा है । हमारी 32 फैक्टरियां ऐसी हैं जो अनार्थिक हैं । इनसे लाभ नहीं होता है इनकी क्षमता 500, 600 टन की है । अगर कोई फैक्टरी 2 हजार टन की क्षमता से कम क्षमता की है तो वह आज के व्यय भार को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी । इससे बड़ी फैक्टरियां ही आर्थिक सिद्ध होंगी । तो यह जो 32 से अनार्थिक फैक्टरियां हैं इनकी वजह से घाटे की स्थिति आती है । बाडेड गन्ने का मामला है । बाडेड गन्ने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार ने फैसला लिया और फैक्टरियां चली रिकवरी का भारी घाटा उठाकर गन्ने को पेरा गया । कुछ फैक्टरियां अपने गन्ने को नहीं पेर सकी थीं तो उसको दूसरी फैक्टरियों में भेजकर क्रय किया गया जिससे तमाम नुकसान हुआ । गर्मियों में चीनी की रिकवरी में भारी गिरावट आयी जिससे तमाम नुकसान हुआ । गन्ना खराब होने के कारण भी नुकसान हुआ ।

मोटे तौर पर जैसे गेहूं की खरीद होती है तो जो गेहूं खराब क्वालिटी का होता है उसके दाम कम होते हैं । अच्छे और खराब गेहूं के दाम अलग-अलग होते हैं लेकिन हमारे यहां गन्ना चाहे सूखा हो या खराब हो जिस स्थिति में हो सारे गन्ने का लमसम पैसा देकर किसान को पैसा दिया जाता है । इसी वजह से रिकवरी में तमाम झंझटें आती हैं और नुकसान होता है ।

श्रीमन्, दूसरी समस्या स्टाक की समस्या है । हमारे पास बेशुमार स्टाक है । देश में करीब 60 लाख 92 हजार ट्रीटिक टन शकर का स्टाक है । हमारे प्रदेश में 15 लाख 4 हजार मीट्रिक टन शकर का स्टाक है । जो हमारे प्रदेश में चीनी बनायी गयी है उसका 74 परसेंट स्टाक में है । इस स्टाक की वजह से औसतन 29 रुपये प्रति बोरी फैक्टरी को घाटा आता है । तो इन्टरेस्ट का पैसा, इन्श्योरेंस का पैसा और रख-रखाव आदि पर करीब 20 रुपया प्रति बोरी फैक्टरी को स्टाक होने की वजह से घाटा उठाना पड़ता है । हमारे सामने शीरे की भी समस्या है । करीब 55 लाख टन शीरे का स्टाक है जिसको रखने में मुश्किल हो रही है । श्रमिकों के मामले में त्रिपक्षीय वार्ता के अनुसार शासन ने श्रमिकों को 48 रुपये प्रति महीने तीन किश्तों में अधिक वेतन दिया है । जनवरी, 1983 में 20 रुपये, जनवरी, 1984 में 14 रुपये और जनवरी, 1985 में 14 रुपये, इस तरह से इनका व्यय भार भी हमारी फैक्टरियों पर पड़ा है । तो इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में शासन ने 21 रुपये और साढ़े 20 रुपये गन्ने का मूल्य दिया है जो सारे देश में किसी भी प्रदेश में इतना अधिक गन्ने का मूल्य नहीं दिया गया है ।

श्री कुबेर भण्डारी—

यह बात जब वोट मांगने जाइयेगा तब कहियेगा ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, मेरे पास तमाम प्रदेश की सूची है । समय नहीं है नहीं तो बताता। किसी भी प्रदेश ने उत्तर प्रदेश से अधिक गन्ना मूल्य नहीं दिया है । तो तमाम विपरीत परिस्थितियों में हमने इस तरह का गन्ना मूल्य किसानों को दिया है । पिछले दिनों जब माननीय सदन चल रहा था यह सन्देह व्यक्त किया जा रहा था कि यह शासन गन्ना मूल्य दे नहीं पायेगा । दो तरह की स्थिति थी । एक तो यह की केन्द्रीय सरकार से जो 20 करोड़ की मांग की गई थी, केन्द्रीय सरकार सहायता नही करेगा । दूसरी चीज यह कहते थे कि कस्टोडियन की जो फैक्ट्री है शासन ने जो मूल्य तय किया है उत्तर प्रदेश शासन उस पैसे को नहीं दे पायेगा । दोनों बातें आपके सामने हैं ।

केन्द्रीय सरकार ने 20 करोड़ की जगह 40 करोड़ दिया और कस्टोडियन की फैक्ट्री ने जो उत्तर प्रदेश शासन पैसा तय किया था, उसके हिसाब से किसानों को पेमेन्ट कर रही है । गन्ना मूल्य के बारे में अर्ज कर दूं । गन्ना मूल्य माननीय सदस्य के शासन काल में जितना दिया गया 155 करोड़ उसका उत्तर प्रदेश सरकार तीन गुना रुपया दे रही है । उत्तर प्रदेश शासन में 1982-83 में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद केवल 110 करोड़ बाकी रह गया है । 110 करोड़ में से 71 करोड़ का बन्दोबस्त हो चुका है और इस प्रकार 15 करोड़ हम तुरन्त भुगतान के लिये दे रहे हैं । 71 करोड़ देने के बाद 40 करोड़ बाकी रह जायेगा, जो पैसा दिया है । 15 करोड़ उसके बारे में बता दूं जो पेमेन्ट हुआ है, मोहिउद्दीनपुर 15 लाख, बाराबंकी 35 लाख, खड्डा 50 लाख, भटनी 45 लाख, पिपराइच 60 लाख, बुढ़वल 30 लाख, अमरोहा 49 लाख, जरवल रोड 40 लाख, राजकोला (के) 46 लाख, बिजनौर 22 लाख, रामपुर 34 लाख, लक्ष्मीगंज 30 लाख ।

राज्य चीनी निगम की सहायक कम्पनियों को दिया है—किच्छा 60 लाख, छाता 19 लाख, नन्दगंज 50 लाख, रायबरेली 5 लाख, राज्य चीनी निगम मुख्यालय 50 लाख अधिकृत नियन्त्रक के अधीन कार्यरत मिल डोईवाला को 20 लाख । शासकीय आदाता के प्रबन्ध में कार्यरत मिलों को—रोहना 73 लाख, सहारनपुर 56 लाख, बुलन्दशहर 58 लाख, बरेली 57 लाख, जसवन्त 60 लाख, छितौनी 40 लाख, हरदोई 5 लाख, महोली 47 लाख, मुन्डेरवा 32 लाख, घुघली 52 लाख । सहकारी चीनी मिलों को दिया है । मझोला, 40 लाख, कायमगंज 25 लाख, रसड़ा 5 लाख, सठियांव 37 लाख, साथा 2 लाख, नादेही 115 लाख, विलासपुर 19 लाख, बदायूं 52 लाख, बेलरायां 47 लाख, तिलहर 8 लाख । इस प्रकार कारपोरेशन की मिलों को 660 लाख, रिसीवर शिप को 490 और सहकारी मिलों को 350 लाख कुल 15 करोड़ दिया गया है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

रामपुर को दिया या नहीं ?

डा० बृजकिशोर मिश्र—

प्राइवेट मिलों को जैसे पडरौना है क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

71 करोड़ के बन्दोबस्त के बाद सितम्बर के अन्त तक प्रत्येक फैक्ट्री में जो गन्ना मूल्य शेष रहेगा किसानों का वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं रहेगा। उसके लिये भी शासन प्रयत्नशील है।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि उन्होंने बताया है इससे सम्बन्धित मेरा प्रश्न है। फैक्ट्रियों को जो रुपया दिया गया है वह कितना दिया गया है उन्होंने जो अपने विवेक से रुपया दिया इसमें कौन सा आधार बनाकर रुपया दिया। जैसे लगभग 4 करोड़ दिया गया है और 5 करोड़ रुपया रिलीज हुआ तो इसका आधार क्या बनाया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जो 1980-81 में गन्ना मूल्य दिया गया है यह लगभग 4 करोड़ 6 लाख दिया गया है।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, केवल चार करोड़ रुपया दिया गया है। यह मेरा दावा है।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, इसमें जो शिकायतें हुई हैं इसमें जांच में किसी प्रकार की कुताही नहीं की गई है, इस पर पूर्ण भुगतान के बारे में कार्यवाही होगी जो सरकारी वसूली के बारे में तमाम सारे शासनादेश हैं 3 सितम्बर को शासनादेश हो गया है जिनके पास गन्ने का मूल्य बकाया है उनसे किसी प्रकार के उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं हुई।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। जो चर्चा प्रारम्भ हुई है उसके बारे में मैंने माननीय मंत्री जी का वक्तव्य सुना, मंत्री जी जैसा वकील इस प्रदेश के मिल मालिकों को नहीं मिलेगा जिस खूबी के साथ मिल-मालिकों की वकालत की है वह एक मिसाल है। बहुत शर्म आ रही है पहले वह इधर बैठा करते थे इसलिए मुझे और भी लज्जा आ रही है। मान्यवर, सीधा सा सवाल यह था सीधा सा चर्चा का विषय यह था कि गन्ना मूल्य का भुगतान कैसे हो। इसका भुगतान अब तक क्यों नहीं हुआ ? घाटे का सिलसिला शुरू कर दिया यह घाटा क्यों हुआ ? इस प्रदेश का गन्ना किसान आपसे यह जानना चाहता है कि हमने अपना गन्ना आपकी मिल को दे दिया, आपकी शर्त पर दे दिया। हमने अपना गन्ना आपके कहने पर दे दिया अब आपके अधिकारी भ्रष्ट हो गये हैं और आपका उन पर कन्ट्रोल नहीं है। आपका विभाग कैसे चल रहा है। हम किसान का दाम चाहते हैं यह कहने में हमें संकोच नहीं है कि आपकी सरकार ने निकम्मापन किया और दाम नहीं दिलवा सके। यह जो भुगतान दिया गया है उसमें भी आपका नियंत्रण है जो कारपोरेशन की फैक्ट्री है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--]

जो प्राइवेट सेक्टर की फैक्ट्रियां हैं, उनके सम्बन्ध में आपने क्या किया। उनसे वसूली के लिए क्या रुख अख्तियार किया। केवल एक काम किया, मुझको कहते शरम आती है, सेल्स टैक्स माफ कर दिया। मिल मालिक मूंछों पर ताव दे रहे हैं। लूटो खाओ, बेटा मस्त रहो। पंडित श्रीपत मिश्र की सरकार है। कोई अंकुश नहीं है। सेल्स टैक्स क्यों माफ कर दिया। क्या मिल मालिक की हैसियत खराब हो गयी है या आर्थिक स्थिति खराब हो गयी है। क्या कुर्क अमीन का डंडा और सिपाही की लाल पगड़ी गरीबों के लिए है। आप जैपुरिया को क्यों नहीं पकड़ते, नेबटिया को क्यों नहीं पकड़ते। इनके ऊपर किसानों का करोड़ों रुपया बाकी है। उनको रिकवरी नोटिस क्यों नहीं भेजते। रिकवरी नोटिस भेजते हैं "बुद्ध" के नाम जिस पर सौ रुपया बकाया है। मालिकों पर जो करोड़ों रुपया बकाया है, उनको रिकवरी सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी करते।

मेरे जिले में एक आदमी की मृत्यु हो गयी। उसकी जेब से पर्ची निकली। वह पर्ची बेचना चाहता था दवा के लिए जो आधे दाम पर भी नहीं बिकी। मान्यवर, मैं याचिका समिति के सदस्य की हैसियत से गोंडा गया था। वहां के लोगों ने बताया, किसानों ने बताया कि उन्होंने अपना गन्ना ईंटे के भट्ठों में दे दिया है। चालीस रुपये में लकड़ी मिलती है, जब कि दस रुपये में गन्ना मिल रहा है तो उन्होंने भट्ठे में लकड़ी के बजाय गन्ना जलाया तो क्या अपराध किया? याचिका समिति के तमाम और भी सदस्य हैं, आपकी तरफ बैठे हैं, जिसके सामने यह बात हुई।

मैं कहना चाहता हूं यह जो ढिलाई हो रही है उसका कारण क्या है। मैं जानना चाहता हूं। मैं तर्क में नहीं पड़ना चाहता मैं जानना चाहता हूं कि यह जो मिल मालिक हैं, करोड़ों रुपया जिन पर बकाया है उनको रिकवरी सर्टिफिकेट क्यों नहीं ईशू करते। आपने जनता शासन का नाम लिया। मैं राजनीतिक पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। पिछले सालों का भी पैसा किसानों को नहीं मिला, जबकि भ्रष्टाचार का यह आलम है कि ऐसे ऐसे लोगों को भुगतान कर दिया जो सोसाइटी के मेम्बर नहीं हैं, जिन्होंने गन्ना बोया ही नहीं। किसानों ने आन्दोलन किया, सौ से ज्यादा किसान और चार सौ से ज्यादा मजदूर जेल गये। जिसका पैसा बाकी है वह तो जेल जा रहे हैं और जिसके ऊपर 2 करोड़ साठ लाख बाकी है, वह बाहर है, अजीब विडम्बना है।

इस सरकार की नीति क्या है, गन्ना किसानों के सम्बन्ध में? जो गन्ना मजदूर हैं उनके सम्बन्ध में आपकी क्या नीति है? घाटा क्यों हो रहा है? आप प्राइवेट मिल मालिकों से क्यों नहीं कहते कि वे गन्ने का दाम क्यों नहीं देते? प्राइवेट मिल मालिक कहते हैं कि आप कारपोरेशन की मिलों से दाम क्यों नहीं दिलवा देते। रिसीवरशिप की मिलों से क्यों नहीं दिलवा देते। वहां का एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा है, बढ़ा हुआ है कि आपका उन पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है? रिसीवरों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रह गया है? आप जांच क्यों नहीं करवा लेते? देवरिया जिले की छितौनी मिल और गोरखपुर की घुघली मिल में भारी अनियमितता है। वहां के रिसीवर के विरुद्ध आप जांच क्यों नहीं करवाते। आप जांच करवाकर उनको निलम्बित कीजिये। आप जांच करवाइये मेरा आरोप है कि कम से कम 15-20 लाख रुपए से कम नहीं पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया है, कृपया आप बैठें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

[× × ×]

[समय 5 बजकर 25 मिनट

श्री अध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया कृपया आप बैठें । आगे की कार्यवाही, जो माननीय सदस्य ने कहा है, नहीं लिखी जायेगी । मैं सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे 7 मिनट से अधिक न बोलें । 7 मिनट से अधिक समय किसी को नहीं दिया जायेगा ।

श्री सुरेन्द्र कपिल---

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों का जीवन बहुत ही कठिन परिश्रमी जीवन है । अभी हमारे विरोधी पक्ष के भाइयों ने बड़े घड़ियाली आंसू बहाये किसानों के लिये । माननीय श्री ओझा जी ने तो यहां तक कह दिया कि उनके पास अब रोजी-रोटी भी नहीं है खाने के लिये, यह बात गलत है : यह सही है कि किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है । किसानों के लिए गन्ना ही सिर्फ एक कैश-क्रप है, जिस पर उनकी आर्थिक स्थिति निर्भर करती है ।

मान्यवर, विरोधी पक्ष के भाइयों ने जो घड़ियाली आंसू बहाये हैं किसानों के लिये, वह सिर्फ इसलिये कि विधान सभा के बाहर जाकर वे लोगों को बरगला सकें कि हमने किसानों के लिये आज सदन में ऐसा-ऐसा कहा । किसानों की जो आर्थिक स्थिति है, उसके लिये यह कांग्रेस सरकार स्वयं चिन्तित है । प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी भी इस बात के लिये काफी चिन्तित हैं । उन्होंने इस बात का भरसक प्रयास किया है कि किसानों का जो बकाया है उसका ज्यादा से ज्यादा भुगतान किया जाय ।

मान्यवर, यदि पीछे की ओर देखें तो मालूम हो जायेगा कि उस समय गन्ना की क्या दुर्दशा थी । जबकि उस समय गन्ने का उत्पादन कम होता था, फिर भी, इसके बावजूद गन्ने को खेतों में जलाया गया । जहां तक चीनी के भुगतान के बारे में बात कही गई है । 1977 से लेकर 1978 के बीच 13.7 लाख हेक्टेयर में गन्ने का उत्पादन किया गया था, जबकि 1981-82 और 1982-83 में 17.32 लाख हेक्टेयर में गन्ने का उत्पादन किया गया है ।

मान्यवर, 1977-78 में गन्ने का उत्पादन लगभग 680.56 मीट्रिक टन था, जबकि 1982-83 में 791.78 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ है । मान्यवर, जब 1977-78 में 680.56 मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ था, उस समय गन्ने को खेतों में जलाया गया था । यह स्थिति पैदा क्यों हुई, 205.47 लाख मीट्रिक टन गन्ना क्रश कर पाये थे । आज की स्थिति यह है कि हमने 210.38 लाख मीट्रिक टन गन्ना क्रश किया है । अभी माननीय ओझा जी ने कहा

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

[श्री सुरेन्द्र कपिल--]

कि हमारे यहां गन्ना जलाया गया । उसके बाबत तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिनका गन्ना जला होगा, या तो वे लोग कांग्रेस से ईर्ष्या रखते हैं और लोकदल एवं जनता पार्टी के पक्के कार्यकर्ता होंगे, जिन्होंने कसम खायी होगी कि सरकार पर दोषारोपण के लिये हम अपने गन्ने को जानबूझकर जलायेंगे । नहीं तो मैं मान्यवर, दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस(आई)की सरकार ने किसी का भी गन्ना जलने नहीं दिया है । अगर यह बात सही है तो मैं यही कहूंगा कि माननीय ओझा जी ने सदन को गुमराह किया है । इनकी इस बात की आलोचना की जानी चाहिए ।

माननीय हुकुम सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, वे मुजफ्फरनगर से आते हैं, मैं भी उन्हीं के बगल के जनपद से आता हूं । मुजफ्फरनगर में गन्ने का काफी उत्पादन होता है । मान्यवर वे जरा दिल पर हाथ रखकर बतायें कि 1977-78 में मुजफ्फरनगर और मेरठ में कितना गन्ना जला और आज उस क्षेत्र की बात कर दें, जिस क्षेत्र से आते हैं, जहां सबसे ज्यादा गन्ना होता है, कितना गन्ना जलाया गया, वस्तु स्थिति को सदन के सामने बता दें । मान्यवर, उस समय 1977-78 जब इन्होंने 205 लाख मीट्रिक टन गन्ना क्रश किया था, तब भी उसके मूल्य भुगतान के बाबत 1.26 करोड़ रुपए बकाया था । और आज मान्यवर जब हमने इतनी भारी क्रशिंग की है, इतना ज्यादा गन्ने का उत्पादन हुआ, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था की और इस वक्त करीब 40 करोड़ रुपया हमारे पास बकाया है ।

मान्यवर, हम यह बात नहीं कहते कि हमको पेमेंट नहीं करना है, हम इसके बारे में खुली बात कहना चाहते हैं माननीय गन्ना मंत्री जी को कि जो बकाया है, उसके भुगतान के बाबत ध्यान रखा जाय । उन किसानों के हित में इसका ध्यान रखा जाय और यह भी देख लिया जाय कि कहीं यह एक मिल पर तो नहीं बकाया है । लेकिन, जैसा कि माननीय ओझा जी ने कहा कि यह थोड़ा-थोड़ा करके कई मिलों पर है । उसके बावजूद भी मेरा सरकार से यह निवेदन है कि उन काश्तकारों के बारे में जरूर सोचें, जिनका गन्ना मूल्य बकाया है । स्थिति कुछ ऐसी भी है कि कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो विरोधी दल के लोगों से मिले हुए हैं और वे जान बूझकर जो गवर्नमेंट का बकाया है, उसके बाबत किसानों को बेइज्जती करने पर उतारू हैं, ताकि सरकार की छवि बिगड़ सकें । मैं गन्ना मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी से यह अपेक्षा करूंगा कि ऐसे अधिकारियों को सचेत किया जाय कि वे थोड़े-थोड़े पैसे के बकाये के लिये उन काश्तकारों को बेइज्जती न करें, प्रताड़ित न करें, अपितु उसका जो गन्ने का बकाया है, उसको एडजस्ट करके, उनको ज्यादा रिलीफ दी जानी चाहिए ।

मान्यवर, मैं एक बार फिर इस सरकार का पूरा अभिनन्दन करता हूं कि इस बार भारी पैदावार होने के बावजूद भी पूरा गन्ना क्रशिंग करवाया है और ऐसा करके उनके मुंह पर, जो विरोधी पक्ष के लोग बोलते हैं, कालिख पोत दी है । उन्होंने तो खेत में गन्ना जलने दिया था, लेकिन कांग्रेस(आई०) की सरकार ने जलने नहीं दिया । फिर भी मैं पुनः आग्रह करूंगा कि जो भुगतान के बाबत बकाया राशि है, उस निमित्त किसानों का पूरा ध्यान रखा जाय । अभी इससे पहले ओझा जी ने एक बात कही थी कि भुगतान न होने के कारण, कई लड़कों की फीस जमा न हो सकने के कारण, स्कूल से नाम कट गया है । वैसे मैं समझता हूं कि हालांकि ऐसी स्थिति नहीं होगी । लेकिन, यदि ऐसा कहीं है, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनकी फीस माफ कराकर उनका पुनः दाखिला कराया जाय ।

श्री कुबेर भण्डारी--

किसानों के भाग्य की क्या बात कहें, उनका दुर्भाग्य यही है कि इन जैसे गन्ना मन्त्री उनको मिल गये और वैसे ही मुख्य मंत्री उनको मिल गये। इन लोगों के व्यक्तित्व पर मैं कोई आक्षेप नहीं करना चाहता हूं क्योंकि गन्ने से इन लोगों का कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय गन्ना मंत्री जी कानपुर के रहने वाले हैं और यह भट्ठा मालिक हैं और भट्ठा चलाते रहते हैं, गन्ना के सम्बन्ध में इनको जानकारी नहीं है। उसी तरह से मुख्य मंत्री जी सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और उनके यहां भी गन्ना नहीं होता है। इनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहूं, इन्होंने तो कुछ मिल मालिकों से पैसा लिया हुआ है और मेरी निश्चित जानकारी है कि इनके उनसे मधुर सम्बन्ध भी हैं। अब क्या कहें, यह हमारे दल के नेता लोगों में से रहे हैं और इधर कांग्रेस में गये हैं और ज्यादा उम्र के भी हैं, अध्यक्ष पीठ पर भी रह चुके हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय कुबेर जी, आप अपनी बात कहें।

श्री कुबेर भण्डारी--

किसानों का दुर्भाग्य है कि इस प्रान्त को ऐसे गन्ना मन्त्री और मुख्यमन्त्री मिले। इन्होंने सारा घाटा दिखा दिया है। गन्ने की पेराई में कभी घाटा नहीं होता है। एक उदाहरण देवरिया का रखना चाहता हूं ध्रुपराय जी हैं, इनके यहां प्राइवेट सेक्टर में मिल चलती रही है।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, इनसे पूछ लिया जाय, इनके खेत कहां हैं और कितना गन्ना बोते हैं ?

श्री कुबेर भण्डारी--

यह भी बता दूंगा।

यह कहते हैं कि गन्ने की पेराई से घाटा हुआ, लेकिन जब सेवरही की मिल सरकार ने ले ली तो उसको पुनः देने के लिये पार्टी फन्ड में 5 लाख रु0 दिया, 2 लाख रु0 गन्ना उच्च विकास अधिकारी को दिया और मिल उसको मिल गयी। मेरा खुला आरोप है कि सेवरही की मिल के लिये पार्टी को चन्दा दिया है। घाटा होता तो मिल मालिक रिस्क क्यों लेता। जिन्होंने गन्ना दिया है उनको पैसा नहीं मिला। गन्ना यूनियन के माध्यम से खेत का बीज लिया है, उसके बदले में गन्ना गिरा चुके हैं, लेकिन वसूली की जा रही है। इनका कहना है कि अगर 15 दिन के बाद गन्ना मूल्य नहीं देते हैं तो सूद देंगे। गन्ना मन्त्री और मुख्यमंत्री बतायें कि क्या जो पैसा देर से दिये हैं उसका सूद लगाया गया है और भविष्य में देंगे तो सूद लगाकर देंगे। दो लाख रुपया सरदार नगर मिल पर बाकी है, तो पूरे प्रदेश में कितना बाकी होगी। इनके सरदार नगर के आंकड़े हों तो बता दें, कितना बकाया है। सरकार प्राइवेट सेक्टर को मिलों का पैसा देने जा रही है। किसान ने तो गन्ना दिया है, उसकी क्या गलती है चाहे प्राइवेट सेक्टर की मिल

[श्री कुबेर भंडारी--]

हो या सरकारी क्षेत्र की हो, उसको पैसा मिलना चाहिये । उसे पैसा नहीं मिल रहा है, उसे जेल भेज रहे हैं । मन्त्री जी गलत कह रहे हैं कि सारी सरकारी वसूली रोक दी गयी है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि जरा सी भी नैतिकता हो तो किसानों की हालत देखकर गन्ना मूल्य का जल्द से जल्द भुगतान करा दें । अब देवरिया और पूरब का किसान जाग गया है । हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं । किसान बहुत सीधा है लेकिन उसमें तेजी भी आती है । जब किसान जाग जायगा तो यह सरकार चल नहीं पायेगी । आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि सूद सहित अगर नहीं आप उनका पैसा देते हैं तो आप किसान विरोधी कहलायेंगे । इसके साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं ।

*श्रीमती कमला साहनी--

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया । मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के गन्ना किसानों की कुछ समस्यायें माननीय मन्त्री जी के सामने रखना चाहती हूं ।

मान्यवर, हमारा क्षेत्र सोहरतगढ़, बस्ती एक बाढ़-पीड़ित क्षेत्र है, वहां पर कई नदियां और नाले हैं, जिसकी वजह से अकसर बाढ़ से यह क्षेत्र पीड़ित रहता है और इसी वजह से वहां पर किसान ज्यादातर गन्ना ही बोते हैं क्योंकि अन्य फसल बह जाती है । मान्यवर, हमारे क्षेत्र के गन्ना किसानों की समस्याएं दो तरह की हैं, एक तो समस्या भुगतान से संबंधित है जिसका निदान तो हमारी सरकार कर ही रही है और दूसरी जो महत्वपूर्ण समस्या है वह यह कि हमारे यहां सोसाइटी में लगातार घाटा बढ़ता ही जा रहा है और इसकी वांछित आमदनी तो कुल 50 हजार रु0 है लेकिन वार्षिक खर्चा लगभग डेढ़ लाख रु0 के है तो 5 प्रति वर्ष एक लाख रु0 किसानों के मद से खर्च किया जा रहा है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि गन्ना किसानों के इस पैसे का भुगतान किया जायेगा ।

इसलिए इस ओर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय गन्ना मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि इस सोसाइटी को तुरन्त भंग किया जाय और इसके स्थान पर दूसरी सोसाइटी का गठन किया जाए, इस संबंध में मैं पहले भी शासन का ध्यान आकर्षित कर चुकी हूं परन्तु आज तक इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की गई है इसलिए अब पुनः शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि यह कार्य करवा दिया जाए जिससे वहां के तमाम किसानों की समस्याओं का निबटारा हो सकेगा ।

*श्री धरमन सिंह गहलौत--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका मैं आभारी हूं कि आपने इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । साथ ही साथ मैं एक सीधी सादी बात किसानों के गन्ना मूल्य के संबंध में कहना चाहता हूं कि इधर किसान का गन्ना तुले, उधर आप उसके गन्ने का मूल्य दिलवा दें, अगर इस बात में कोई आपत्ति शासक दल के लोगों को हो तो बतावें आज हर किसान यही चाहता है कि इधर उसकी पैदावार मिल मालिकों के सुपुर्द हो, उधर उसका मूल्य उसे मिल जाना चाहिए, मगर आज ऐसा हो नहीं पा रहा है और यह स्थिति दिन पर दिन जर-जर होती जा रही है, इतना जो बकाया हुआ है, वह एक साल का नहीं है दूसरे कई सालों का है । इससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पहले जब चीनी मिलें बंद हुयीं, उस समय दो सौ करोड़ रु0 बकाये के रूप में थे और चीनी मिल मालिक शुरू से कह रहे हैं कि हम इन बकायों का भुगतान नहीं कर सकेंगे और यह बकाया अगले वर्ष इससे भी ज्यादा हो जायेगा, वह खुले तौर पर कह रहे हैं।

हमें इन चीजों से मतलब नहीं है कि चीनी मिल वाले भुगतान क्यों नहीं कर पायेंगे क्यों नहीं कर पा रहे हैं किसान इसका हिसाब-किताब रखना नहीं जानता, वह तो बस यह चाहता है कि उसके गन्ने के मूल्य के भुगतान की व्यवस्था सीधी-सीधी कर दी जाए जैसे ही वह गन्ना तुलवाएं वैसे ही उधर उसको मूल्य दिया जाए। अब इसके लिये सरकार को चाहें कर्जा लेना पड़े या कोई निधि बनाए क्योंकि जब किसान के ऊपर किसी चीज का बकाया होता है तो उसकी वसूली तुरन्त की जाती है और वसूली न हो पाने की दशा में उसे बंद कर दिया जाता है और तरह-तरह से उसे पीड़ित किया जाता है, तब उस समय यह नहीं कहा जाता है कि इसका गन्ना मूल्य इतना बाकी है, जब इसे मिल जायेगा तो यह दे देगा और इसे छोड़ दिया जाए, लेकिन उस समय कुछ सुनवाई नहीं होती और उसे प्रताड़ित किया जाता है, गांव के अन्दर जीप लेकर जाते हैं और लाउडस्पीकर से उसके खिलाफ एलान करते हैं और उसे मारते-पीटते हुए लाते हैं और उसे लाकर जेल में बन्द कर देते हैं। क्या यही दर्द है आपका जो आप कहते हैं कि हम किसानों के हिमायती हैं ?

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों के अन्दर किस किसान को आपने गन्ने का मूल्य दिलाया है ? वह नहीं जानते पर उनको मैं बतलाये देता हूं कि गन्ना मिल वाले कहते हैं कि हम न्यूनतम मूल्य पर ब्याज दे सकते हैं और इसी बात को लेकर वह हाईकोर्ट में चले गये हैं क्योंकि वह कहते हैं कि हम न्यूनतम मूल्य पर ब्याज दे सकते हैं। भगवान के लिये आप अन्डर प्रोटेस्ट न्यूनतम मूल्य पर ब्याज ले लीजिए और बाकी के लिये मुकदमा लड़ते रहिये, लेकिन आपने तो मिट्टी खराब कर रखी है। आपने कितने किसानों का गन्ने का मूल्य रोक रखा है ? मेरा कहना यह है कि जहां तक किराये का सवाल है प्राइवेट मिल वाले 1 रु0 50 पैसा क्विन्टल देते हैं। लेकिन आप किराया भी सही नहीं दिला सकते हैं। आप किराया बढ़ा दीजिए लेकिन जो मूल्य आपने उसके लिये निर्धारित कर रखा है, चीनी मिल वाले उससे इस किराये को काटते हैं, जबकि सरकार के आदेश हैं कि 32 पैसा किराया काटा जाय।

आपने अभी कहा कि हमसे ज्यादा किस प्रदेश की स्थिति अच्छी है ? मैं कहता हूं कि पंजाब हरियाणा में 23 रु0 क्विन्टल गन्ने का भाव दिलाया जा रहा है। लेकिन कोई क्या भाव देता है, मैं इस तर्क में नहीं पड़ना चाहता। एक दौराला शुगर मिल ने अपना एक बड़ा कीमती पैम्फलेट बांटा है। वह कहती है कि हमने ज्यादा अच्छी मशीनरी लगा रखी है और उससे चीनी का उत्पादन कर हम ज्यादा पैसे का लाभ ले रहे हैं। लेकिन आपके यहां वही पुरानी सिक मिलें हैं। आप क्यों नहीं नई मिलें लगवाते हैं, लेकिन यह सरकार अच्छी मिलें नहीं लगवा सकती है।

आज दर्शक दीर्घा से नारे लगाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, अब आपका समय समाप्त हो गया।

(श्री सतीश अजमानी का नाम पुकारे जाने पर)

[श्री अध्यक्ष--]

मैं पहले सदन को एक सूचना देना चाहता हूं, उसके बाद आप बोलियेगा। आज अपरान्ह 1-37 बजे दर्शक दीर्घा नम्बर 4 में जो नारे लगाने की घटना हुई थी उसके संबंध में मार्शल विधान सभा से निम्न लिखित रिपोर्ट प्राप्त हुई है :--

"आज दिनांक 6 सितम्बर, 1983 को 1-37 बजे, जब कि सदन की कार्यवाही चल रही थी, शासन पक्ष की ओर ऊपर की दर्शक दीर्घा नम्बर 4 से एक व्यक्ति ने कुछ नारा लगाया, जो कि स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं पड़ा। दीर्घाओं में तैनात सुरक्षा गार्डों ने तत्काल ही उस व्यक्ति को दीर्घा से हटा कर नीचे मार्शल की हिरासत में नोटिस आफिस में ले आये। उस व्यक्ति के पास से नरेन्द्र प्रताप शाही के नाम का प्रवेश-पत्र संख्या 3682 बरामद हुआ, जिसे कि श्रीमती गौरी देवी, सदस्या, विधान सभा द्वारा जारी कराया गया था। उस व्यक्ति का नाम तथा पता संलग्न† है। वह व्यक्ति घटना के पश्चात् से मार्शल की हिरासत में बैठाया हुआ है। प्रवेश-पत्र †संलग्न है।"

उस व्यक्ति ने दर्शक दीर्घा में नारा लगा कर सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया और सदन का अवमान किया। वह मार्शल की हिरासत में ले लिया गया है। ऐसे उच्छृंखल व्यक्ति को अनावश्यक महत्व नहीं दिया जाना चाहिये। अतः यदि सदन सहमत हो तो उस व्यक्ति को, जितनी देर वह मार्शल की हिरासत में रह चुका है, उसके अपराध का पर्याप्त दण्ड मानते हुए, रिहा कर दिया जाय।

श्री धरमपाल--

नहीं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

प्रश्न यह है कि जो प्रश्न मैंने सदन के सम्मुख उपस्थित किया है, क्या वह स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश के गन्ना काश्तकारों के चीनी मिलों पर बकाया भारी रकम की अदायगी न होने से उत्पन्न स्थिति पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (क्रमागत)

श्री सतीश अजमानी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने गन्ने की बकाया भुगतान की समस्या पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, अभी माननीय ओझा जी बोल रहे थे, उनका यह कहना कि हम कुछ नहीं जानते गन्ने का तो पेमेन्ट

†छापा नहीं गया।

मिलना चाहिये । किसान भाइयों को जब हम समझाते हैं कि सरकार के पास यह-यह दिक्कतें हैं, यह परेशानियां हैं रुपया देने के लिए तो वह किसान जो अनपढ़ है वह भी इस बात को समझ जाता है लेकिन चार-चार बार जीत कर आये सम्मानित सदस्य इस तरह की बात करते हैं और कहते हैं कि हमें केवल पेमेन्ट चाहिये । तो सम्मानित सदस्य को ऐसा नहीं कहना चाहिए और सरकार की दिक्कत और परेशानी को समझना चाहिए ।

दूसरी बात और ओझा जी नें कहा कि गन्ना भट्ठों में जलाय गया । मुझे नहीं मालूम कि उनके यहां किस तरह के भट्ठे होते हैं जिनमें गन्ना जलाया जाता है । हमारे यहां तो भट्ठा मालिक गन्ना को जला कर अपनी ईंटों को खराब नहीं कर सकता है । ओझा जी के यहां पर इस तरह का भट्ठा हो तो हम नहीं कह सकते हैं । जनता पार्टी के समय में गन्ना जलाया गया । खेतों में जलाया गया, हम लोगों ने उसको जला कर खाना बनाया, लेकिन इस तरह की असत्य बात यहां सदन में नहीं कहना चाहिए ।

हम आभारी हैं अपने देश की प्रधान मंत्री और प्रदेश के मुख्य मंत्री और गन्ना मंत्री का जिन्होंने इतनी अड़चनों के होते हुए भी किसानों को अच्छे रेट गन्ने के दिए लेकिन इसके साथ ही साथ में यह कहूंगा कि गन्ने का रेट अच्छा दिया गया परन्तु उसका पेमेन्ट करने में देर हो रही है जिससे उनका मन उदास होता चला जा रहा है । पेमेन्ट न होने से इस सरकार के प्रति उनकी आस्था में कमी हुई है । तो मेरा निवेदन है कि सरकार पेमेन्ट के बारे में जो प्रयास कर रही है उसमें तेजी लाये और जिससे उनका पेमेन्ट हो जाय । मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि कोआपरेटिव सेक्टर की जो फैक्टरियां हैं वह सरकार के अधीन हैं, उनका रुपया देने की समस्या है लेकिन जो दूसरी मिलें हैं वह किस तरह से किसानों को पेमेन्ट देगी ? इस बात की ओर माननीय मंत्री जी ने बहुत कम बताया है ।

मेरा निवेदन है कि इस बारे में अधिक से अधिक प्रकाश डालें। पलिया कलां लखीमपुर खीरी में शारदा शुगर फैक्टरी है । उसका 85 लाख रुपया बकाया है और पेनाल्टी का 30 लाख रुपया बकाया है । इस तरह से 115 लाख रुपया बकाया है । किसानों की हालत यह है कि 20 प्रतिशत अपनी पर्ची गिरवी रखकर रुपया ले रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं । पैसे वाले आदमी उनका शोषण कर रहे हैं । तो इन लोगों से किसानों को कम से कम बचाया जाय और यह समस्या तब तक रहेगी जब तक उनका पेमेन्ट नहीं किया जायेगा । पलिया कलां में 49 प्रतिशत किसानों की और 51 प्रतिशत मिल मालिकों की है । अगर सरकार इस फैक्टरी को किसानों को दे दें तो वे इसको संभाल लेंगे । बिलराया के लिए 57 लाख रुपया दिया जा रहा है । हम सरकार के आभारी हैं । कुछ लोगों का गन्ना बाकी रह गया है । गन्ना ले जाने का रास्ता बन्द हो गया है, मेरा सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार के लोगों को सरकार जल्दी से जल्दी पेमेन्ट कर दे । ताकि वह अपना गुजर कर सके । अन्त में मैं फिर अध्यक्ष महोदय का आभारी हूं कि किसानों के गन्ना भुगतान के विषय पर मुझे बोलने का समय दिया ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । यहां पर यह प्रश्न है कि गन्ने के मूल्य का भुगतान किस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माता प्रसाद पाण्डेय---]

प्रकार से किया जाये ? यह जो कहा जाता है कि जनता पार्टी ने भुगतान नहीं कराया, यह तो कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न केवल यह है कि उनका पेमेन्ट किस प्रकार से कराया जाये। इस प्रश्न पर हमको और आपको सभी को मिल कर सोचना चाहिये। जिस वक्त वे दोपहरी में मेहनत करके और ठंड में खेत में खड़े होकर गन्ना काटता है और ले जाकर मिल को देता है तो उसका इतना भी अधिकार नहीं है कि वह अपनी मरजी से उस गन्ने के मूल्य को प्राप्त करे। जब हम गन्ने की सप्लाई करते हैं तो उसके मूल्य के भुगतान की अपेक्षा करते हैं। किसान समझता है कि उसने गन्ना बोया है उसका मूल्य उसे मिलेगा और उससे वह अपनी योजनायें बनाता है। गन्ना काटकर उसने उसे मिल को दे दिया किन्तु उसे पैसा मिलता नहीं है। आपने मिल की समस्यायें बता दी कि हमें पैसा नहीं मिलता है। किसान की भी अपनी योजनायें होती हैं। जब उसे पैसा नहीं मिलता है तो अपने आप में वह फेल हो जाती हैं और एक तरफ खेत में काम करने वाले आदमी को गन्ने का मूल्य नहीं मिल पाता है दूसरी तरफ उसके विकास के कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं।

आपने शुगर केन रेगुलेशन ऐक्ट में तरमीम किया कि अगर शुगर फैक्ट्रियां गन्ने का भुगतान न करें और 15 दिन के अन्दर उनका दाम नहीं दिया जायेगा तो आप उनके बकाये मूल्य पर ब्याज दिलायेंगे। आज तक किसी फैक्ट्री ने बकाये मूल्य पर उनको ब्याज दिया ही नहीं। गन्ने की सहकारी समितियां जो पहले चुने हुये लोगों के प्रशासन में थीं अब वे समितियां सरकारी प्रशासक के नियंत्रण में हैं। इसलिये अब तो आपको ब्याज वसूल करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आपको इस बारे में सख्ती करनी चाहिए। आप फैक्ट्रियों के घाटे के बारे में गन्ना मूल्य के सन्दर्भ में बात करते हैं। कब तक बैंकों से लोन लेकर इन फैक्ट्रियों का घाटा पूरा होता रहेगा। एक दिन ऐसा आयेगा कि बैंक भी लोन देना बन्द कर देंगे। यह कोई समस्या का निदान नहीं है। मैं कहता हूं कि आप दूसरे देश में चीनी की सप्लाई क्यों नहीं करते हैं। दुनिया के देशों में आप चीनी सप्लाई करें। आप यहां के किसानों को ही परेशान करते हैं। जो फैक्ट्रियां घाटे के नाते मूल्य नहीं दे पाती हैं परन्तु क्या किसान जिनसे आप सट्टा करते हैं यदि वह नहीं दे पायेगा तो आप भी क्या पूरे सट्टे के मूल्य का भुगतान कर देंगे ? मान्यवर, दो प्रकार के गन्ने का दाम बाकी है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहता हूं। बढ़नी गन्ना सहकारी समिति के बारे में कहना चाहता हूं। मैं इसके बारे में आपके सचिव से कहते-कहते थक गया हूं। हाथ जोड़कर बिनती करता हूं कि अभी तक सन् 80 के बकाये का भुगतान नहीं हुआ है। मिलों से तो समितियों को भुगतान मिल जाता है लेकिन किसान को उनसे नहीं मिल पाता है। गन्ने का दाम समितियां अपने कर्ज में चुका देती हैं इससे मिल वाले भी बकायेदार बने रहते हैं। ये समितियां मिलों से पैसा लेने के बाद किसानों को नहीं देती हैं।

श्रीमती कमला साहनी तो आपकी पार्टी की हैं उनके यहां तो भुगतान हो गया लेकिन मेरे यहां अभी इस तरह का 3 लाख रुपया बाकी है। ये जो खांडसारी यूनिटें हैं इन पर भी आपका नियंत्रण भुगतान का नहीं है। जो निगमों की खांडसारी यूनिट रमवापुर कली जो गोरखपुर मंडल विकास की है उसमें 3 लाख रुपया किसानों का बाकी है। आज तक पिछले वर्ष से फैक्ट्री चली ही नहीं। आप इस पर भी सोचें। फैक्ट्रियों पर नियंत्रण कायम करने का प्रयास करें। वैसे भी जो प्राइवेट यूनिटें हैं, खांडसारी यूनिटें हैं ये भी किसानों को पैसा नहीं देती हैं। उसकी अदायगी की आप व्यवस्था करें।

(व्यवधान)

कुमारी अलमेलु अम्माल--

मान्यवर, आज गन्ना किसानों का बकाया क्यों रह जाता है। अब की बार सरकार ने जिस तत्परता से बकाया पैसा किसान को दिलाया है, वह अवश्य ही सराहनीय है। इसका क्या कारण है। यह सोचने की बात है। मैं कहना चाहती हूं कि ये मिल मालिक इन गरीब किसानों को पैसा न देकर क्यों उन्हें तंग करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। इन गरीब किसानों को गन्ने का भुगतान न मिलने से वे अपना लगान नहीं दे पाते हैं, उसके पीछे उसको जेल जाना पड़ता है, उनके घर की कुड़की हो जाती है, वह अपनी लड़की का गौना नहीं दे पाते हैं, बाढ़ में जो उनके घर होते हैं वे गिर जाते हैं उन्हें वे बना नहीं पाते हैं। ईंट, सीमेन्ट, खरीदने के लिये पैसा नहीं होता है। वह सीमेंट नहीं खरीद पाता है और दूसरी ओर मिल मालिक को क्या तकलीफ है पता नहीं। वह बैंक में जाकर आराम से पैसा से कर्ज ले सकता है क्योंकि उसके पास शकर है मिल की विशाल सम्पत्ति है। मिल की सम्पत्ति है लेकिन वह नहीं लेता है क्योंकि उसे सूद देना पड़ेगा 13 रु0 सैकड़ा के हिसाब से, लेकिन किसान का तीन-तीन साल का बकाया रहता है जिस पर उसे सूद नहीं देना होता है। इसका क्या कारण है इस पर हमें सोचना चाहिये किसान का पैसा लेकर वह अन्य व्यापार में लगाना चाहता है चाहे मिल हो या दूसरे काम हों। इसका एक कारण है कि किसान और मिल मालिक में सीधा रिस्ता नहीं है बीच में गन्ना सोसायटीज आ रही हैं। किसानों के बकाये का चीनी मिलों से कभी भी सूद नहीं लिया जाता है। गन्ना सोसायटीज ने किसानों के बकाये के लिए कभी सूद लेने का प्रयास नहीं किया। वर्तमान कानून में ऐसी व्यवस्था है कि यदि निश्चित अवधि के अन्दर किसान के गन्ने का भुगतान चीनी मिल नहीं करती है तो प्यूनिटिव टैक्स के रूप में 18 रु0 सैकड़ा के हिसाब से ब्याज देय होगा। लेकिन आज तक किसी भी गन्ना सोसायटी ने इसके लिये लड़ाई करके किसान को सूद नहीं दिलाया है। इसका कारण गन्ना के लेने देने में मिल मालिकों और गन्ना समितियों दोनों का ही रिस्ता है। मैं आपसे कहूंगी कि यदि किसान का सीधा सम्बन्ध मिल मालिक से रहे तो वे मुकदमा चला कर प्यूनिटिव टैक्स के साथ पैसा ले सकते हैं। इसलिये मैं अनुरोध करूंगी कि कानून में कोई ऐसा संशोधन किया जाय जिससे हर किसान मिल मालिक से अपना गन्ने का बकाया पैसा 18 परसेंट सूद के साथ वसूल कर सकें। धन्यवाद।

*श्री बाबू सिंह--

मान्यवर, हर जगह वसूली का बड़ा झगड़ा है। लेकिन मेरे इलाके में एक अलग समस्या है। माननीय मन्त्री जी जरा इस तरफ ध्यान दें। मैं नम्रता के साथ दरख्वास्त करूंगा कि वह मेरी बात पर तवज्जह दें। सारे प्रदेश में जहां मिल हैं वहां की एक समस्या है लेकिन हमारे यहां मेरे क्षेत्र में कोई मिल नहीं है और वहां पर पूंजीपति लोग क्रशर लगा रखे हैं और कुछ लोग गुड़ बनाते हैं। माननीय मन्त्री जी इस बात को भलिभांति जानते हैं कि जब मारकेट में गुड़ पहुंचाता है और जब किसान की फसल होती है उस समय मारकेट डाउन कर दी जाती है और जब किसान अपना माल बेच कर चला जाता है तो दाम बढ़ जाते हैं इस पर हमारी सरकार ने कभी गौर नहीं किया, इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की कि जहां पर मिल नहीं है और वहां गुड़ बनता है तो उसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबू सिंह--]

कोई इंतजाम हो । जब मारकेट में किसान का गुड़ जाता है तो वह सस्ता बेच देता है और जब उसे बाद में खुद के लिये जरूरत होती है तो महंगा खरीदता है दुगुने दामों पर खरीदता है ।

जो क्रशर लगे हुये हैं उनकी हालत यह है कि वह 5 और 6 रुपया क्विंटल से कम पर गन्ना खरीदते हैं मैंने स्वयं देखा है । जब क्रशर पर ज्यादा गन्ना पहुंच जाता है तो मालिक कहता है कि मेरी इतनी पेराई की क्षमता नहीं है । मैं नहीं ले सकता । गरीब किसान जो अपने तांगे पर, अपनी बग्गी पर रख कर लेता जाता है तो वह दलाल से कहता है कि किसी भाव में इसे बिकवा दो। तो वह चार-पांच रुपये क्विंटल के हिसाब से गन्ना खरीदना चाहता है । ऐसी स्थिति में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां चीनी मिलें नहीं हैं वहां किसान की यह स्थिति है । गुड़ खरीदने के लिए और क्रशर पर गन्ना खरीदने के लिए कोई पाबंदी या सरकार का नियन्त्रण नहीं है । इसके अलावा वह कम तोलते हैं मैंने स्वयं डी0 एम0 के साथ पकड़ा है कि जो कांटा था उसमें 6 किलो ज्यादा गन्ना ले रहे थे। तो कांटे में भी लोग फर्क रखते हैं । कलेक्टर साहब उसके लड़के को पकड़ ले गये लेकिन नेताओं की सिफारिशें गयी तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और फिर वही काम जारी है । इसलिये निवेदन है कि जहां गन्ना मिल नहीं खरीदती है उसके लिये गन्ना की कीमत जो सरकार देती है उसका किसानों को केवल 1/3 मिलता है, इसलिये मन्त्री जी इस तरफ ध्यान दें और जहां मिल नहीं है वहां के किसानों का गन्ना और गुड़ को खपाने की भी व्यवस्था करने की कृपा करें ।

डा0 बृज किशोर मिश्र--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो गन्ने के मूल्य बकाये के सम्बन्ध में चर्चा पर बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

मान्यवर, मैं गन्ना बकाये के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इसमें शक नहीं कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो उनके दिल और दिमाग में गन्ना किसानों के प्रति हमदर्दी थी और उसका फल हुआ कि 1981-82 में गन्ने को लेकर जैसी स्थिति थी, ऐसा लगता था कि किसानों का गन्ना पिर नहीं पायेगा लेकिन उत्तर प्रदेश में एक-एक किसानों का गन्ना पिरा और 470 करोड़ रुपये का पेमेन्ट हुआ । मान्यवर, आज भी अनुमान है लगभग 400 करोड़ रुपये के ऊपर जो इस साल का बकाया था और उसका 339 करोड़ रुपया किसानों को पेमेन्ट कर दिया गया है । लेकिन अभी मन्त्री जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे, निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि श्री श्रीपति मिश्र की सरकार और श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने जिसके दिल और दिमाग में किसानों के प्रति हमदर्दी है बकाये का पेमेन्ट किया लेकिन मान्यवर, मैं पूर्वांचल के देवरिया जिले से जहां गन्ना की 14 मिलें एक जिले में हैं, इंसान का जीवन और मौत का वहां सवाल जुड़ा हुआ है, मैं वहां से चुनकर आता हूं ।

मान्यवर, मुझे कहने में संकोच नहीं होगा कि हमारी आंखों के सामने किसान, अभी श्री माता प्रसाद पांडेय बोल रहे थे चाहे उस पक्ष के हों या इस पक्ष के हों और जब खासकर किसानों की समस्याओं का समाधान करने बैठे हों तो इमानदारी से विचार करना चाहिये कितनी आरजू और कठिनाइयों के बाद किसान गन्ना पैदा करता है । जाड़े में 4 बजे जगता है और गन्ना काटता है और मिल

को गन्ना देता है, उसकी वह एक धरोहर और संपत्ति है, वह सोते जागते में विचार करता है कि जब उसका फैक्टरी में गन्ना जायेगा तो उसकी कीमत से वह कर्जे का भुगतान और अपनी लड़की की शादी करेगा। लेकिन उसको उस समय बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है जबकि उसको फैक्टरी से पैसा नहीं मिलता है।

दूसरी तरफ गन्ना किसान तहसील के कर्जे में डूबता जा रहा है। इसलिये निवेदन है कि जो मन्त्री जी ने आंकड़ा दिया 15 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और उत्तर प्रदेश के उन फैक्टरियों को किया जो रिसीवरशिप, कस्टोडियन और कोआपरेटिव के क्षेत्र में हैं। फैक्टरियां बढ़ी उसके लिये मैं मन्त्री जी को मैं बधाई देता हूं लेकिन दुःख है कि मन्त्री जी यदि पूंजी की कमी थी तो भी उन फैक्टरियों में भी व्यवस्था करनी चाहिये थी जहां किसान पैसे के लिए लालायित हैं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में दो फैक्टरियां हैं, पडरौना और कटकुइयां, इन दो चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का लाखों रुपया बकाया है। मैं यह सच कह रहा हूं यदि अविलम्ब इन दोनों चीनी मिलों पर बकाये का भुगतान न कराया गया तो मुझे स्वयं को सरकार के खिलाफ जन आन्दोलन करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

*श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

इस चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया मैं उन सभी का अभिनन्दन करता हूं। हम माननीय सदस्य ने उच्च और अच्छे सुझाव रखे। मुझे आशा है मन्त्री जी अपने विवेक का प्रयोग करते हुये गन्ने के बकाये मूल्य का शीघ्र भुगतान करायेंगे।

मान्यवर, यूं तो किसान सम्पूर्ण रूप से ही कर्जदार है, लेकिन गन्ना किसान की हालत बहुत खराब है। गन्ना किसान तो पूर्ण रूपेण अपनी खेती का प्रारम्भ ही कर्ज से करता है, उधार अपनी फसल को बेचता है, इस आशा से बेचता है कि जब भी उसे आवश्यकता होगी, उसे पैसा मिलेगा। उसकी मर्यादा की रक्षा और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो तभी होती है जब उसे अपना पैसा मिलता है। लेकिन माननीय मन्त्री जी, भुगतान की दृष्टि से काफी उदासीन दिखायी देते हैं। माननीय मन्त्री जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये, ऐसा लगता था वे व्यावहारिक जीवन से काफी दूर चले गये।

माननीय अजमानी जी ने कहा कि जब जनता हुकूमत थी तो गन्ना जलाया गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह कौन सी भट्ठी थी जिसमें जलाया गया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जिन भट्ठियों में उस वक्त गन्ना जलाया गया था वे आज भी चल रही हैं। अगर जनता रेजीम में गन्ना जलाया गया और इस सरकार ने गन्ना जलाये जाने की शपथ ली है तो मैं इसका अभिनन्दन करता हूं। लेकिन आप यह सोचिये कि जनता रेजीम में चीनी और खाद के क्या दाम थे। आज के दामों में और जनता रेजीम के समय में इन चीजों के दामों में कितना अन्तर है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। चीनी मिलों पर जहां करोड़ों रुपये का गन्ना किसानों का बकाया है, वहीं पर करोड़ों रुपयों का घोटाला भी है। मैंने एक जगह के बारे में एक शिकायत की थी जिसमें 1 करोड़ 67 लाख का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र —]

घोटाला था । उस सिलसिले में कुछ अधिकारियों की सेवायें समाप्त भी हुई हैं । उसके लिये मैं उन अधिकारियों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं जिन्होंने दोषी अधिकारियों की सेवायें समाप्त की हैं । किन्तु इस चीज को भी देखा जाना चाहिये । भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिये । उनको दंडित करके भ्रष्टाचार को जब आप समाप्त करेंगे, सामान्य जनता का सहयोग आपको मिलेगा । इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

गन्ना विकास राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

श्रीमन्, मैंने जब गन्ना मूल्य के भुगतान से सम्बन्धित तालिका रखी थी तो माननीय सदस्यों से यह जानना चाहा था कि भुगतान के मामले में कोताही हमने कहां की है, उसे बताया जाये । हमने तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये । सरकार ने इस ओर जो सतर्कता बरती उसी का परिणाम यह है कि जो बकाया अवशेष है वह 23·77 प्रतिशत है । 10 करोड़ और देने के बाद अवशेष धनराशि यही रह जायगी । इसके अलावा जो और हम देने जा रहे हैं उसके बाद यह धनराशि और कम हो जायेगी । हम यह प्रयास कर रहे हैं कि सारी फैक्टरियों में गन्ना मूल्य की बकाया धनराशि 10 प्रतिशत से कम हो । आपने ठीक उसी प्रकार क्रय करने के बारे में कहा है....

श्री मारकण्डेय चन्द्र—

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता था । मंत्री जी, आपने अपनी तुलनात्मक समीक्षा करके बताया उसमें आपने यह नहीं जिक्र किया जो पेमेन्ट किया, जनपद गोरखपुर की सिसवा मिल पर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 60 लाख का बकाया है और जिससे भुगतान पाने के लिए गन्ना किसानों ने कई दिन तक अपना आन्दोलन चलाया है, यहां तक कि रेल गाड़ियां तक रोकी हैं, लेकिन उनके बकाये का भुगतान आपने एक पैसा तक भी किन परिस्थितियों में नहीं किया है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

इसमें हमारे सामने वैधानिक अड़चन है । उसकी हालत को देखते हुए उसको रिसीवरशिप में लिया गया था, लेकिन उसका मिल मालिक कोर्ट में चला गया । उसमें हमने एक रिसीवर, एक रिटायर्ड जज को बैठा दिया है, जिसके कारण से वैधानिक समस्या पैदा हो गई है । इस समय उनका केस कोर्ट में है, सबज्युडिश है । जैसी कि आशा है सितम्बर माह के अन्त में निर्णय होने के बाद किसानों की परेशानियां दूर हो जायेंगी, हम दूर करेंगे । क्रय-कर का जो पैसा दिया गया है, वैसे जो शुगर की बिक्री होती है, उसका पैसा आता है, उसका पैसा मिल मालिकों को न देकर सीधे गन्ना मिलों को भुगतान के लिये दिया है । अपने पास से भुगतान हो रहा है और किसी गन्ना फैक्टरी के मालिक को नहीं दिया गया है । एक सदस्य ओझा जी ने बताया इस सदन की मान्यता है कि माननीय सदस्य जो कहते हैं वह सही कहते हैं । मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा गांव है, कौन सी ऐसी जगह है, जहां गन्ना जलाया गया है....

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

इस सदन के माननीय सदस्य मिश्र जो हैं जो आपके साथ हैं, उन्हीं के यहां पडरौना और कठकुइयां में गन्ना जलाया जाता है। वहां पडरौना मिल में हजारों हजार क्विंटल गन्ना सुखा दिया गया है। एक नहीं सैकड़ों-सैकड़ों गांव हैं देवरिया में जहां गन्ना जला है, मैं उनको देखकर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप बैठें।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

महज बान्डेड-केन को क्रश करने के लिये तमाम सारी फैक्टरियां अगस्त तक चलाई गई हैं और तमाम परेशानियों के बावजूद उनको चलाया गया है और उनका सारा गन्ना पेरने के बाद ही एक-एक फैक्टरी को बन्द किया गया है। एक माननीय सदस्य ने सेवरही शुगर मिल का जिक्र किया, वह यांत्रिक खराबी के कारण बन्द हुई थी। उसके कारण उस पर एक्शन हुआ और उसको टेक-ओवर किया गया था....

(व्यवधान)

श्री कुबेर भण्डारी--

जब आपने मिल को लिया तो....

(व्यवधान)

भुगतान क्या किया गया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

हमारे माननीय सदस्य ने पडरौना और अन्य प्राइवेट मिलों के बारे में कहा है, कहां कितना-कितना बकाया है, इसका आंकड़ा नहीं है, लेकिन पडरौना और कटकुइयां और अन्य प्राइवेट फैक्टरियों के भुगतान के बारे में भलीभांति व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक बकाये का पेमेन्ट कराया जायेगा, इसमें कोई तंगी नहीं आयेगी। जहां तक गन्ने की पर्ची आदि के बारे में और किसानों के उत्पीड़न की कार्यवाही के बारे में जिक्र किया गया है, मैंने माननीय सदस्यों के सामने रखा है, हमारे शासन के ऐसे आदेश हैं कि 30 सितम्बर तक कोई भी उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाय। तो प्रत्येक तीन-तीन महीने बाद बराबर सन् 1982 से ऐसे आदेश राज्य सरकार-राजस्व विभाग द्वारा जारी होते आ रहे हैं। क्रेशर्स के बारे में उसका मूल्य निर्धारण करने में बड़ी मुश्किल होती है। इस ख्याल से हमारे यहां पर जो फैक्टरियां गन्ना क्रश करती हैं वह 26 से 33 प्रतिशत तक क्रश कर सकती हैं। मान्यवर, अगर खांडसारी और कोल्हू पर प्रतिबन्ध लगा दें तो किसान के सामने एक विकट समस्या पैदा हो जायेगी जिसका निदान मुश्किल हो जायेगा।

श्री कुबेर भन्डारी--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण कर लेने दें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । माननीय मन्त्री जी आप कितना समय और लेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, 2 मिनट में समाप्त करता हूं । मान्यवर, तो जो हमारी स्थिति है, शकर के आंकड़े के सम्बन्ध में, जो शकर पैदा हुई है तो 1981-82 में 84 लाख 38 हजार मीट्रिक टन शकर पैदा हुई है । 1982-83 में 83 लाख मैट्रिक टन शकर पैदा हुई है जो विश्व में एक रिकार्ड है । इस वक्त हमारे देश में 49 लाख मीट्रिक टन शकर का स्टाक बैलेंस है । हमारे प्रदेश में 15 लाख 4 हजार मीट्रिक टन शकर का स्टाक है । जनता शासन काल में कुल शकर का उत्पादन 34 लाख 58 हजार मीट्रिक टन था और प्रदेश में 9·97 लाख मीट्रिक टन शकर पैदा हुई थी । तो जितनी शकर आपने पैदा की थी उसका डेढ़ गुना स्टाक हमारे पास आज है । इसकी वजह से हमारा पैसा अवरुद्ध हो गया है । आपने जो सुझाव दिया था कि इसके लिये क्या कर रहे हैं तो इसके लिये हम प्रयत्नशील हैं । शकर के दाम का पुनर्मूल्यांकन हम भारत सरकार से करा रहे हैं कि इसका दाम 400 से अधिक आंका जाय और पैसा दिया जाय ।

दूसरे बफर स्टाक के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक 5 लाख मीट्रिक टन था । केन्द्रीय सरकार ने इसको 10 लाख टन कर दिया है । हमारा प्रयास है कि 15 लाख मीट्रिक टन कर दिया जाय ताकि आसानी से गन्ना किसानों को उनके मूल्य का भुगतान कर सकें । शकर के निर्यात के बारे में कहना चाहता हूं कि निर्यात की यह स्थिति है कि अभी 7 लाख मीट्रिक टन निर्यात हुआ है । हमारा प्रयास है कि 10 लाख मीट्रिक टन निर्यात किया जाय ताकि गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान कर सकें । मान्यवर, जो छोटी-छोटी मिले हैं, जो 32 अलाभकर मिले हैं उनके विस्तारीकरण और नवीनीकरण का जबरदस्त कार्यक्रम चल रहा है । मेरे पास सूचना है कि कहां-कहां विस्तारीकरण और नवीनीकरण कर रहे हैं ताकि इस घाटे को मुनाफे में बदला जा सके ।

श्री अध्यक्ष --

आपका समय समाप्त हुआ । आप बैठें ।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 17 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
6 सितम्बर, 1983

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

मांगों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का ब्यौरा

1--रूरल टेक्नालाजी विषय में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है ।

2--एस0 टी0 सी0 पाठ्यक्रमों में जिन छात्रों ने सत्र 1982-83 अथवा इससे पूर्व में प्रवेश लिया है, उन्हें प्रदेश की बहुधंधी संस्थाओं के विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्राविधिक शिक्षा परिषद् के प्रचलित नियमानुसार प्रवेश की सुविधा सीधे बिना संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुये, शैक्षिक सत्र 1985-86 तक दी जायगी ।

3--एस0 टी0 सी0 उत्तीर्ण छात्रों को एस0 टी0 सी0 परीक्षा में उनके प्राप्तांकों (योग्यताक्रम) एवं उनके द्वारा संस्था एवं पाठ्यक्रम के लिए दिये गये विकल्पों के आधार पर प्रवेश हेतु संस्था और पाठ्यक्रम का आवंटन किया जाता है ।

4--बैंक पेपर परीक्षा का परीक्षाफल पालीटेकनिक में प्रवेश तिथि से पूर्व निकालना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है । बैंक पेपर से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जाता है ।

5--नैतिक शिक्षा तथा सामाजिक विषय के अध्यापकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय उत्तर प्रदेश के प्रधानाचार्यों को आवश्यक व्यवस्था करने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं ।

6--एस0 टी0 सी0 पाठ्यक्रम को अप्रेन्टिशिप ऐक्ट, 1962 के अन्तर्गत लाने का विषय केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय के अधीन विचाराधीन है । इस प्रकरण पर शासन स्तर से भारत सरकार श्रम मंत्रालय को अनुस्मारक दिनांक 18-1-83 को भेजा गया है ।

7--प्रदेश के तीन एस0 टी0 एस0 के प्रधानाचार्यों को तो पहले से ही कार्यालय अध्यक्ष तथा आहरण एवं वितरण के अधिकार प्राप्त हैं । शेष संस्थाओं के अध्यक्षों को आहरण एवं वितरण अधिकार देने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर।)

तालिका

मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0 मी0)
1	2
1--मदन से उझैया फकीरपुर कपूरपुर मार्ग	8.00
2--जसराना से ओछा मार्ग	12.00
3--कुचेला रठेरा टिन्डौली से दन्ताहार मार्ग	11.00
4--ताखा भारौल सिरसागंज मार्ग	13.00
5--मैनपुरी-सिरसागंज मार्ग	12.00
6--छिबरामऊ किशनी मार्ग वाया बिशनगढ़ रामनगर (मिसिंग लिंक)	22.00
7--करीमगंज हन्नूखेड़ा वाया बिछुआ मार्ग	5.20
8--मैनपुरी-कुसमरा वाया अजीतगंज मार्ग	18.00
9--कुरावली बेवीनगर मार्ग	3.00
10--मुस्तफाबाद-शिकोहाबाद मार्ग	22.00
11--मक्खनपुर-नसीरपुर मार्ग	32.00
12--अतर्रा-जाजमई-हनवन्त कोटला मार्ग	23.00
13--पाड़म एका पतारा मार्ग	18.00
14--कठफोरी से मुई गदोखर मार्ग	6.00
15--नसीरपुर-करनपुर-अतांईपुर मार्ग	3.00
16--खटुआ मई से गुढ़ा से नसीरपुर पुंछ मार्ग	6.00

विधान सभा

1	2
17--भायपुर पट्टी से निजामपुर बाजूमई मार्ग	10.00
18--उखंड से भदान रेलवे स्टेशन मार्ग	6.00
19--शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन से नगला बाजार मार्ग	6.00
20--मैनपुरी से कुरावली मार्ग से सुजानपुर मार्ग	2.30
21--बिछुआ-हन्नूखेड़ा मार्ग से नगला सेमर मार्ग	4.50
22--भावंत कुर्रा मार्ग का छूटा भाग	1.00
23--मैनपुरी-कुसमरा मार्ग	2.00
24--पैडत एका मार्ग	2.00
25--कांकन-दौलतपुर का छूटा भाग	3.00
26--किशनी-बसेत मार्ग से शमशेरगंज वाया कुरसंडा मार्ग	5.00
27--नबीगंज-जसमई-भोमई मार्ग	15.00
28--कुसमरा-रामनगर, जिला परिषद् मार्ग	8.20
29--कुरावली-अलपुरा-लहरा-हन्नूखेड़ा-भनऊ घाट मार्ग	18.00
30--कांकन-दौलतपुर पतारा मार्ग	8.00
1--ओछा से बल्लभपुर होती हुई बुल्हापुर-कुंवरपुर मार्ग	10.00
32--मोवांव अंग मार्ग	5.00
33--ज्योति से पडरिया चौराहा मार्ग	2.00
34--परतापुर से हथवन्त मार्ग	3.00

विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर ।)

क्रमांक	नया वेतनमान	अभ्युक्ति
	निदेशालय, प्रशिक्षण एवं सेवा-योजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ--	
1	470-15-575-द0 रो0-15-650-17-701-द0 रो0-17-735	रु0 470-735 का नया वेतनमान वर्तमान धारक को वैयक्तिक रूप से दिया जाय। भविष्य में पद की न्यूनतम अर्हता स्नातक तथा पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र निर्धारित की जाय और तदनुसार सेवा नियमावली में भी संशोधन किया जाय ।
	विश्वविद्यालय सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र--	
2	470-15-575-द0 रो0-15-650-17-701-द0 रो0-17-735	भविष्य में पद की न्यूनतम अर्हता स्नातक एवं पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र निर्धारित की जाय और तदनुसार सेवा नियमावली में भी संशोधन किया जाय ।
	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान--	
3	(1) 470-15-575-द0 रो0-15-650-17-701-द0 रो0-17-735	(1) जो पदधारक स्नातक उपाधि के साथ पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र की न्यूनतम अर्हता रखते हों, उन्हें रुपये 470-735 का नया वेतनमान अनुमन्य होगा ।
	(2) 354-10-424-द0 रो0-10-454-12-514-द0 रो0-12-550	(2) अन्य पदधारक जो उपर्युक्त अर्हतायें नहीं रखते, उन्हें रु0 354-550 का नया वेतनमान देय होगा ।
		2--भविष्य में पद पर रु0 470-735 के वेतनमान में भर्ती हेतु स्नातक उपाधि के साथ पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र की अर्हता निर्धारित की जाय और सेवा नियमावली भी तदनुसार संशोधित की जाय ।

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर।)

माननीय मुख्य मंत्री जी को प्रेषित श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के 14-9-82 के पत्र में दिये गये सुझावों के उत्तर :--

सुझाव	कृत कार्यवाही
1	2
1--सीतापुर के बिजली आपूर्ति सामान्य की जाय।	1-2--राज्य विद्युत् परिषद् ने सूचित किया है कि हुसैनगंज विद्युत् उप केन्द्र पर 8 अगस्त, 1982 को आग लग जाने के कारण नष्ट 5 एम0बी0ए0 66/11 के0वी0ट्रांसफारमरों को बदल दिया गया है और अब सीतापुर शहर में विद्युत् आपूर्ति सामान्य है। पहला ट्रांसफारमर 1 सितम्बर, 1982 को तथा दूसरा ट्रांसफारमर 6 सितम्बर, 1982 को चालू कर दिया गया था। नये ट्रांसफारमर चालू होने की तिथि से पहले ही सीतापुर शहर में जल संस्थान, अस्पताल तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के लिए बिजली की आपूर्ति दूसरे विद्युत् उप केन्द्रों से 8 अगस्त को ही चालू कर दी गयी थी। आटा चक्की और कोल्ड स्टोरेज को कुछ समय के लिए विद्युत् देने की व्यवस्था की गयी थी परन्तु उद्योगों को बिजली दे पाना सम्भव नहीं हो पाया था।
2--हुसैनगंज पावर हाउस का ट्रांसफार्मर जो अभी तक नहीं बन सका उसे शीघ्र बनाया जाय।	
3--एक माह तक जो आपूर्ति ठप रही है उसके बदले में आगे एक वर्ष तक नगर में कोई भी कटौती विद्युत् आपूर्ति में न की जाय।	3--परिषद् को विद्युत् के उत्पादन में अचानक कमी आ जाने पर कभी-कभी आकस्मिक कटौती करनी पड़ती है। अतः सीतापुर शहर की बिजली आपूर्ति में जो व्यवधान आया है उसके एवज में आगे एक वर्ष तक कटौती विद्युत् आपूर्ति में न की जाये, यह न तो उचित ही है और न व्यवहारिक ही है।
4--पावर हाउस जल जाने के कारण जितने दिन उद्योग को बिजली आपूर्ति रही है उसका प्रमाण पत्र उपभोक्ताओं को दिया जाय।	4--ट्रांसफारमर के जल जाने के कारण जिन दिनों विद्युत् आपूर्ति उद्योगों को ठप्प रही उसका प्रमाण-पत्र उन उपभोक्ताओं को दिया जा सकता है, जो इसको चाहते हैं। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधीक्षण, अभियन्ता विद्युत् वितरण मंडल, सीतापुर से वे सम्पर्क स्थापित करें और प्रमाण-पत्र हासिल करें। वैसे सभी उपभोक्ताओं को यह प्रमाण-पत्र देना व्यवहारिक व आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

1	2
5—भिन्न-भिन्न चार्ज इस अवधि का न लिया जाय ।	5—विद्युत् आपूर्ति में जो इस दौरान बाधा उत्पन्न हुई वह एक "फोर्स मेज्योर" कन्डीशन थी । अतः इस अवधि का कोई चार्ज न लिया जाये यह सम्भव नहीं है । साथ ही साथ यहां पर यह कहना उचित होगा कि "मिनिमम चार्ज" पूरे साल में "एडजेस्ट" होता है और यह केवल 1200 घंटे साल में प्रयोग करने से पूरा हो जाता है जो केवल साल में 13'8 प्रतिशत होता है ।
6—नगर में सब स्टेशनों के फैलाई गयी लाइनें गड़बड़ हैं जिनके कारण बार बार फाल्ट आता है उसको तुरन्त ठीक किया जाय ।	6—नगर के विद्युत् उप केन्द्रों और लाइनों को ठीक कराने के आदेश मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा पहले ही दिए जा चुके हैं और उन पर कार्य प्रगति पर है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 52 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर)

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश

क्षेत्रीय कार्यालय,

6 नवीन मार्केट,

कैसर बाग, लखनऊ।

दिनांक 7-1-83

सेवा में,

माननीय श्रम मंत्री महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय--यूनीवर्सल इन्सुलेटर्स एन्ड सिरेमिक्स लि0, रायबरेली का अधिग्रहण एवं रिसीवर नियुक्त करने के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त प्रतिष्ठान की दयनीय दशा के सन्दर्भ में निम्न निवेदन है।

1--प्रतिष्ठान में 200 से अधिक आदिवासी, वनवासी हरिजन व भूमिहीन तथा दूसरे प्रदेशों के महिला व पुरुष श्रमिक कार्य करते हैं।

2--श्रमिकों का जनवरी, 1982 से दिसम्बर 1982 तक का कई लाख रुपए का वेतन बाकी है जिसके देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

3--गरीब श्रमिकों ने कर्जा लेकर व अपना सामान बेचकर अब तक अपना खर्च चलाया है अब भुखमरी के शिकार हो रहे हैं।

4--नियोजकों ने अपने द्वारा लगाए हुए धन को उत्पादित माल बेचकर निकाल लिया है, अब अंश पूंजी व ऋण के रूप म उत्तर प्रदेश शासन व सिन्डीकेट बैंक का ही धन निकलना शेष है जो एक करोड़ रुपये से अधिक है।

5--प्रबन्ध निदेशक द्वारा अघोषित तालाबन्दी कर दी गयी है तथा उप श्रमायुक्त द्वारा वेतन भुगतान सम्बन्धी आदेश का अपने प्रभाव का उपयोग करके स्थगन आदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त कर लिया गया है। गरीब श्रमिक भूखों मर रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त प्रतिष्ठान का तत्काल अधिग्रहण करके रिसीवर नियुक्त करने की कृपा करें।

सधन्यवाद।

भवदीय,

प्रेमसागर मिश्र,

प्रादेशिक मंत्री।

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 81 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67 पर ।)

अपराध सं0 72 धारा 324/323 भा0 दं0 वि0 थाना घाटमपुर, कानपुर- देहात ।

तारीख घटना 30-1-83 समय करीब 13'00 बजे ।

तारीख सूचना 30-1-83 ।

घटनास्थल--मोहल्ला जवाहर नगर, कस्बा घाटमपुर, थाना घाटमपुर, कानपुर-देहात ।

वादी—श्री हरीलाल पुत्र भरोसा खटीक, स0 मु0 जवाहर नगर, कस्बा थाना घाटमपुर, कानपुर देहात ।

प्रतिवादी—1—बाबूलाल, राजाराम पुत्रगण मन्नीलाल, कमलेश पुत्र गंगाराम,

कुमारी सरला देवी पुत्री निवासी जवाहर नगर, कस्बा थाना घाटमपुर, कानपुर देहात ।

नकल तहरीर हिन्दी वादी

सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, थाना घाटमपुर, जिला कानपुर निवेदन है किये आज दिनांक 30-1-83 को मैं अपने आंगन की दीवार बना रहा था कि करीब एक बजे दिन बाबू लाल व राजाराम पुत्रगण श्री मन्नी लाल अपने घर से आ और गिरी दीवाल की ईंटें जमीन पर रखी थी उन्हें फेकन लगे कहने लगे कि मैं अपनी जगह में ईंटें नहीं रखने दूंगा तथा मेरी दीवाल की नींव के सहारे खोदने लग और अपनी नींव रखने लगे कि वाद विवाद होने लगा कि मुहल्ला के कमलेश को बुलाया कि यह ऐसे नहीं मानेगा । इस पर कमलेश चाकू लेकर दौड़कर आ गया और बाबू लाल व राजाराम को मारने के लिए लिपट गए कि मेरी भतीजियां कु0 शकुन्तला देवी व ज्ञानवती आदि बचाने आई तो मैं छुड़ा कर भागा इतने पर कमलेश ने मेरी दोनों भतीजियों कु0 शकुन्तला व ज्ञानवती पर चाकुओं से वार कर दिया इतने पर सरला देवी पुत्री श्री बाबूलाल भी आ गई और उसने भी शकुन्तला को हाथ में डंडा लेकर मारा कि हम लोगों के शोर पर श्री मूलचन्द्र पुत्र श्री सहुनी व फूलचन्द्र पुत्र श्री सोहन व बंशी पुत्र सैकादीन आकर बचाये और वह घटना आंखों देखी है मेरी रिपोर्ट लिखना उचित कार्यवाही करने की कृपा करें । प्रार्थी हरी लाल पुत्र भरोसा, जवाहर नगर, घाटमपुर, कानपुर दिनांक 30-1-83।

ज्ञानेन्द्र मिश्रा का0 क0,
30-1-83 ।

सत्य प्रतिलिपि
ह0/अपठनीय
पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात ।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 116 का उत्तर पीछे पृष्ठ 79 पर)

(1) "ब्रजगरिमा"

श्री विनोद कुमार चूड़ामणि,
सम्पादक, "ब्रजगरिमा",
ब्रज प्रिन्टर्स,
वाठपुरा,
मथुरा ।

(2) "जगत टाइम्स"

श्री मुरारी लाल अग्रवाल,
सम्पादक, "जगत टाइम्स",
चित्रा प्रेस,
गोवर्धन रोड,
मथुरा ।

(3) "कृष्ण भूमि"

श्री राम गोपाल सिंह चौधरी,
सम्पादक, "कृष्ण भूमि",
भरतपुर गेट, मथुरा ।

(4) "परशराम शक्ति"

श्री विनोद कुमार गर्ग,
सम्पादक, "परशराम शक्ति",
नेशनल प्रेस,
रामलीला मैदान, राया, मथुरा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 117 का उत्तर पीछे पृष्ठ 80 पर)

जनपद मथुरा में दिनांक 1-10-81 से 31-12-81 तक की अवधि में पुलिस मुठभेड़ में मारे गये डकैतों के अपराधिक इतिहास की तालिका

माह	मारे गए डकैत का नाम व पता	अपराधिक इतिहास
1	2	3
अक्तूबर, 1981	शून्य	शून्य।
नवम्बर, 198	बल्ला पुत्र प्रथमा जाट, नि0 थिरावली, थाना फरह, जिला मथुरा	1—अ0 सं0 69/79 धारा 147/323/452, थाना फरह।
		2—अ0 सं0 19/72 धारा 468/409/420 थाना फरह।
		3—अ0 सं0 7/73 धारा 395/397, थाना फरह।
		4—अ0 सं0 3/76 धारा 395/397, थाना फरह।
		5—अ0 सं0 165/76 धारा 147/148/149/307/332, थाना फरह।
		6—अ0 सं0 72/76 धारा 396, थाना फरह।
		7—अ0 सं0 166/76 धारा 25/27 आर्म्स ऐक्ट, थाना फरह।
		8—अ0 सं0 22/76 धारा 395/397, थाना फरह।
		9—अ0 सं0 22/78 धारा 395/397, थाना फरह।
		10—अ0 सं0 168/78 धारा 395/397, आर्म्स ऐक्ट, थाना फरह।
		11—अ0 सं0 170/78 धारा 399/402, थाना फरह।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
		12—अ0 सं0 173/78 धारा 4/25, आर्म्स ऐक्ट, थाना फरह ।
		13—अ0 सं0 160 धारा 147/148/149/307, थाना फरह ।
		14—अ0 सं0 37/79 धारा 392/397, थाना फरह ।
		15—अ0 सं0 104/81 धारा 307, थाना फरह ।
		16—अ0 सं0 108/81 धारा 302, थाना फरह ।
		17—अ0 सं0 27/81 धारा 147/148, 149/307, थाना फरह ।
		18—अ0 सं0 219/81 धारा 395/397, थाना फरह ।
दिसम्बर, 1981	रघुनाथ पुत्र खजान सिंह ठा0, नि0 रसगवा, थाना सहपऊ, मथुरा	1—अ0 सं0 86/76 धारा 395/397, थाना सहपऊ ।
		2—अ0 सं0 79/76 धारा 396, थाना सहपऊ ।
		3—अ0 सं0 100/76 धारा 395/397, थाना सहपऊ ।
		4—अ0 सं0 107/76 धारा 148/307, थाना सहपऊ ।
		5—अ0 सं0 90/75 धारा 25, आर्म्स ऐक्ट, थाना सहपऊ ।
		6—अ0 सं0 50/75 धारा 395/397, थाना सहपऊ ।
		7—अ0 सं0 191/80 धारा 395, थाना सहपऊ ।
		8—अ0 सं0 185/80 धारा 395/397, थाना सहपऊ ।
		9—अ0 सं0 3/81 धारा 395/397, थाना सहपऊ ।

उत्तर प्रदेश राज्य

1	2	3
		10—अ0 सं0 5/81 धारा 395/397, थाना सहपऊ।
		11—अ0 सं0 15/81 धारा 399/402, थाना सहपऊ।
		12—अ0 सं0 88/81 धारा 395/397, थाना सहपऊ।
		13—अ0 सं0 114/81 धारा 459, थाना सहपऊ।
		14—अ0 सं0 115/81 धारा 147/148/307, थाना सहपऊ।
		15—अ0 सं0 147/81 धारा 395/397, थाना सहपऊ।
		16—अ0 सं0 287/81 धारा 395/397, थाना सहपऊ।
		17—अ0 सं0 235/81 धारा 396, थाना जेवर, जिला बुलन्दशहर।
		18—अ0 सं0 80/81 धारा 395/397, थाना सहपऊ।
		19—अ0 सं0 287/81 धारा 395/397, थाना सादाबाद।
दिसम्बर, 1981	बिजेन्द्र पुत्र बेदराम, नि0 साधन, थाना अछनेरा, जिला आगरा	1—अ0 सं0 225/79 धारा 60 एक्स ऐक्ट, थाना अछनेरा, आगरा।
		2—अ0 सं0 119/80 धारा 379, थाना अछनेरा, आगरा।
		3—अ0 सं0 173/75 धारा 382, थाना फरह, मथुरा।
		4—अ0 सं0 122/79 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट, थाना अछनेरा, आगरा।
		5—अ0 सं0 221/80 धारा 395/397, थाना फरह, मथुरा।
		6—अ0 सं0 281/81 धारा 110 जा0 फौ0, थाना अछनेरा, आगरा।

1	2	3
दिसम्बर, 1981	लिखमी उर्फ हिप्पी पुत्र पुंजी जाट, नि0 होतेला, थाना राया, मथुरा	1—अ0 सं0 112/72 धारा 395/397, थाना इगलास, अलीगढ़। 2—अ0 सं0 128/80 धारा 396, थाना मुरसान, अलीगढ़। 3—अ0 सं0 215/80 धारा 395/397, थाना बलदेव, मथुरा। 4—अ0 सं0 150/80 धारा 395/397, थाना राया, मथुरा। 5—अ0 सं0 296/81 धारा 147/148/307, थाना राया, मथुरा। 6—अ0 सं0 297/81 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट, थाना राया, मथुरा। 7—अ0 सं0 279/81 धारा 395/397, थाना राया, मथुरा।
दिसम्बर, 1981	लाल सिंह पुत्र अंगने लाल, नि0 चमरपुरा, थाना सहपऊ, मथुरा	1—अ0 सं0 28/78 धारा 147/148/149/307, थाना सहपऊ, मथुरा। 2—अ0 सं0 62/78 धारा 399/402, थाना सहपऊ। 3—अ0 सं0 63/78 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट, थाना सहपऊ। 4—अ0 सं0 187/79 धारा 382, थाना सहपऊ। 5—अ0 सं0 9/80 धारा 395/397, थाना सहपऊ। 6—अ0 सं0 10/80 धारा 395/397, थाना सहपऊ। 7—अ0 सं0 197/80 धारा 395, थाना सहपऊ। 8—अ0 सं0 5/81 धारा 395/397, थाना सहपऊ, मथुरा। 9—अ0 सं0 51/69 धारा 396, थाना हसायन, अलीगढ़।

उत्तर प्रदेश पुलिस

1	2	3
		10--अ0 सं0 7/70 धारा 395/397, थाना हसायन, अलीगढ़।
		11--अ0 सं0 28 धारा 147/148/332/307, थाना हसायन, अलीगढ़।
		12--अ0 सं0 207/82 धारा 399/402, थाना सहपऊ, मथुरा।
		13--अ0 सं0 3/81 धारा 395/397, थाना सहपऊ, मथुरा।
		14--अ0 सं0 222/81 धारा 147/148/149/307, थाना सहपऊ, मथुरा।
		15--अ0 सं0 223/81 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट, थाना सहपऊ, मथुरा।
दिसम्बर, 1981	बादाम पुत्र उमराव, नि0 नगला बेबिया, मौजा बछगांव, थाना मगोर्रा, मथुरा	1--अ0 सं0 14/75 धारा 395/397, थाना मगोर्रा, मथुरा।
		2--अ0 सं0 15/75 धारा 395/397, थाना मगोर्रा, मथुरा।
		3--अ0 सं0 19 धारा 399/402, थाना मगोर्रा, मथुरा।
		4--अ0 सं0 32/75 धारा 395/397, थाना मगोर्रा, मथुरा।
		5--अ0 सं0 34/75 धारा 395/397, थाना मगोर्रा, मथुरा।
		6--अ0 सं0 39/75 धारा 307, थाना मगोर्रा, मथुरा।
		7--अ0 सं0 134/75 धारा 109 जा0 फौ, थाना गोवर्धन, मथुरा।
		8--अ0 सं0 38/80 धारा 395/397, थाना मगोर्रा, मथुरा।
		9--अ0 सं0 107/80 धारा 25-आर्म्स ऐक्ट, थाना मगोर्रा, मथुरा।
		10--अ0 सं0 56/80 धारा 399/402, थाना मगोर्रा, मथुरा।
		11--अ0 सं0 56/79 धारा 147/452/303/342, थाना मगोर्रा, मथुरा।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

1	2	3
दिसम्बर, 1981	कोमल जाट पुत्र बेदराम, नि0 नगला पेट एच0 ओ0 भदोरा, थाना सादाबाद, मथुरा	1—अ0 सं0 205/78 धारा 195/397, थाना सादाबाद, मथुरा । 2—अ0 सं0 222/81 धारा 195/397, थाना सादाबाद, मथुरा । 3—अ0 सं0 155/78 धारा 398, थाना खदौली, आगरा । 4—अ0 सं0 धारा 396, थाना खदौली, आगरा । 5—अ0 सं0 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट, थाना खदौली, आगरा । 6—अ0 सं0 धारा 307, थाना सादाबाद, मथुरा । 7—अ0 सं0 धारा 302/307, थाना राया, मथुरा । 8—अ0 सं0 धारा 60 एक्स ऐक्ट, थाना फतेहपुर सीकरी, आगरा । 9—अ0 सं0 171/81 धारा 395/397, थाना बल्देव, मथुरा । 10—अ0 सं0 245/82 धारा 396, थाना अछनेरा, आगरा । 11—अ0 सं0 धारा 395/397, थाना मलपुरा, आगरा । 12—अ0 सं0 धारा 395/397, थाना मलपुरा, आगरा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "झ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 118 का उत्तर पीछे पृष्ठ 80 पर ।)

क्रम संख्या	मार्ग का नाम योजना सहित	मार्ग की लम्बाई	वित्तीय प्रगति लाख रु0 में		भौतिक प्रगति कि0 मी0 में	टिप्पणी
			वित्तीय वर्ष 1981-82			
			प्राप्त अनुदान	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7
	1--चतुर्थ योजना से पूर्व के कार्य--					
1	मथुरा भरतपुर मार्ग का सुधार	26·535	0·15	0·15	..	0·38 कि0मी0 लम्बाई में रैम्प का कार्य शेष है। शेष मार्ग पूर्ण है।
	चतुर्थ योजना के कार्य--					
1	कोसी बठैन मार्ग	5·25	0·08	1·08	0·29 कि0मी टाप कोट	
2	कोसी शाहपुर मार्ग	8·00	2·94	2·94	2·00 कि0 मी0 टाप कोट 0·50 कि0 मी0 पी-1 0·80 कि0 मी0 पी-2	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत कार्य--				
1	बैरा जसरा से अकबरपुर टैंटीगांव खैर मार्ग	1·50	0.07	0·07	
	कैबनेट सब कमेटी के कार्य—				
1	पलसों महरोली मुड़सैरस	8·00	2·22	2·22	1·20 कि0 मी0 इन्टर कोट 0·30 कि0 मी0 टापकोट
2	बठैन कामर मार्ग	7·00	4·23	4·23	3·00 कि0 मी0 इन्टर कोट 3·00 कि0 मी0 टाप कोट
3	नरीगांव से राष्ट्रीय मार्ग	2·00	0·77	0·77	0·35 कि0 मी0 में मिट्टी सीलिंग इन्टरकोट व टाप 0·65 कि0 मी0, 1·00 कि0 मी0 पी--1
4	बाजना मानागढ़ी मार्ग	8.80	1·10	1·10	4·10 कि0 मी0 पी–2
5	बल्देव मई मार्ग	8·00	3·00	2·99	2·00 कि0 मी0 पी--1 1·00 कि0 मी0 पी--2
	नहर की पटरियों को पक्का करना--				
1	आंगई माइनर	6·80	1·63	1·63	1·00 कि0 मी0 इन्टर कोट 3·00 कि0 मी0 टाप कोट

कार्यपूर्ण ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
2	गांठोली माइनर	7·00	3·34	3·34	..	
	छूटी कड़ियों का निर्माण —					
1	जुगसरा से राया सादाबाद मार्ग	8·00	0·70	0·70	0·50 कि0 मी0 सोलिंग 0·50 कि0 मी0 इन्टरकोट	
2	राया नींव गांव से गोरई अली-गढ़ सीमा तक मार्ग	1·50	0·08	0·08	..	
3	रसूलपुर ओल मार्ग	3.00	0.30	0·30	पुलिया के निर्माण हेतु ट्यूम पाइप क्रय किये	
4	कामर लालपुर मार्ग	3·60	1·81	1·81	0·50 कि0 मी0 पी-1 व पी-2	
	खाद्यान्न योजना नं0-4 के मार्गों पर मिट्टी एवं पुलिया—					
1	विसावर फीडर से छत्ती का नगला	1·00	0·02	0·02	..	
2	राया सादाबाद से पचावर	5·00	0·40	0·40	..	
3	जुगसना से राया सादाबाद	3·50	0·01	0·01	..	
4	ऐदलगढ़ी से सल्ल मार्ग	3·00	0·01	0·01	..	
5	सुनरख से कीकी का नगला	3·50	0·56	0·56	पिछले वर्ष के दायित्व का भुगतान किया गया	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	खाद्यान्न योजना नं0-4 के कच्चे मार्गों पर खुरजा--				
1	विसावर फीडर से छत्ती का नगला	1·00	0·10	0·10	..
2	मगना सेहत मार्ग	8·00	1·62	1·62	4·00 कि0 मी0 पुलिया 2·00 कि0 मी0 सोलिंग 3·00 कि0 मी0 इन्टर कोट
3	राया सदाबाद से गुडेहरा	1·50	0·07	0·07	0·50 कि0 मी0 सोलिंग व इन्टरकोट
4	जाबरा जैसवा मार्ग	2·00	0·12	0·12	..
5	हसनपुर नावली पचहेरा	3.00	0·60	0·60	1·00 कि0 मी0 सीलिंग व इन्टरकोट
6	ऐदलगढ़ी सल्ल मार्ग	1·50	0·11	0.11	..
7	महरोली जानू मार्ग	2·50	0.44	0·44	0·25 कि0 मी0 इन्टरकोट
	600 कि0 मी0 मार्गों का सुदृढ़ीकरण --				
1	वृन्दाबन छटीकरा राल मार्ग के कि0 मी0 12, 13, 14 का सुधार	2·30	0·18	0·18	पिछले वर्ष के दायित्व का भुगतान किया गया
	खाद्यान्न योजना नं0-2 के मार्गों पर पेन्टिंग--				
1	अकबरपुर कराहरी मार्ग	2·50	0·03	0·03	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
	खाद्यान्न योजना नं0-3 के मार्गों पर पेंटिंग—					
1	लोहई से अकबरपुर टेंटी गांव खर मार्ग	2·50	0·53	0·53	2·50 कि0 मी0 टापकोट	
2	बुखरारी शाहपुर मार्ग	0·50	0·75	0·75	0.50 कि0 मी0 सलिंग इन्टर कोट टाप व पी-1, पी-2	कार्य पूर्ण हो गया है।
	खाद्यान्न योजना नं0-5 के मार्गों पर मिट्टी—					
1	सोंख बछगांव मार्ग	1.50	0·26	0·26	1·50 कि0 मी0 मिट्टी	कार्य पूर्ण।
2	बुखरारी शाहपुर मार्ग	7·00	0·08	0.08	2·34 कि0 मी0 मिट्टी	
3	शीशराम बोरवा	0·50	0.06	0·07	0·30 कि0 मी0 मिट्टी	
4	राधाकुन्ड कोनई	4·10	0·25	0 25	0·63 कि0 मी0 मिट्टी	
5	बाजना अहमदपुर	3·00	0·15	0·15	..	
6	नौहझील बरौठ बांगर	3·00	0.04	0·04	..	
	खाद्यान्न योजना नं0-5 के मार्गों पर पुलिया—					
1	नौहझील बरौठ बांगर	3·00	0·13	0·13	..	

अनुवाद विधान सभा

2	सुरीर भिडौनी अहवा मार्ग	3·00	0.20	0·20	1·00 कि0 मी0 पुलिया
3	राया बल्देव पंचावर नगलावाली	5·50	0·30	0·30	..
4	जादौपुर गढ़सौली नगला वाली	5·00	0·10	0·10	4·50 कि0 मी0 पुलिया
5	चई विलारा पमावरी पटलौनी	8·00	0·27	0·27	..
6	नौहझील रायपुर मार्ग	10·00	1·39	1·39	..
7.	राधाकुन्ड कोनई मार्ग	4·10	0·10	0·10	0·10 कि0 मी0 पुलिया
8	बुखरारी शाहपुर मार्ग	7·00	0·25	0·25	एक नं0 पुलिया
9	अकबरपुर तरौली शेरगढ़	4·70	0·31	0·31	पुलियों के निर्माण हेतु आवश्यक डामर ह्यूम पाइप क्रय किये गये।
	खाद्यान्न योजना नं0–5 के मार्गों पर खरंजा:—				
1	शहजादपुर पीगरी बड़ौदा मार्ग	5·00	1·85	1·85	2·75 कि0 मी0 सोलिंग 4·50 कि0 मी0 इन्टरकोट
2	राधाकुन्ड कोनई मार्ग	2·10	0·85	0·85	2·10 मि0 मी0 सोलिंग व इन्टरकोट
3	सोंख बछगांव मार्ग	1·50	0·91	0·91	1·50 कि0 मी0
4	बुखरारी शाहपुर मार्ग	7·00	0·98	0·98	1·00 कि0 मी0 सोलिंग इंटरकोट
5	अकबरपुर तरौली शेरगढ़	4·70	0·92	0·92	4·70 कि0 मी0 इन्टरकोट

1	2	3	4	5	6	7
6	बाजना अहमदपुर मार्ग	3·00	1·58	1·58	1·70 कि0 मी0 इन्टरकोट	
7	नौहझील बरौठ वागर मार्ग	3·00	0·48	0·48	1.00 कि0 मी0 सोलिंग व इन्टरकोट	कार्य पूर्ण हो गया।
8	सुरीर भिडौनी अहबा	3·00	0·48	0·48	पत्थर एकत्रीकरण	
9	बल्देव अरोठा पिपराई करसोडा	4.00	0·04	0·04	पुराने दायित्व का भुगतान	
10	राया बल्देव पचायर नगलावाली	5·50	0·54	0·54		
11	जादोपुर गाढ़सौला नगला वाली	4.00	1.80	1.80	3.50 कि0 मी0 सोलिंग इन्टर	
12	मई विलारा पचावरी पटलौनी	8.00	0.38	0.38	2.00 कि0 मी0 सोलिंग इन्टर	
13	नौह झील रायपुर	10.00	1.42	1.42	1.00 कि0 मी0 सोलिंग इन्टर	
	प्रदेश में 500 कि0 मीटर मार्गों का सुदृढ़ीकरण—					
1	राया सादाबाद मार्ग	20.00	1.00	1.00	2.50 कि0 मी0 पी–1 3.00 कि0 मी0 पी–2	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	प्रदेश में 500 कि0 मी0 राज्य तथा प्रमुख जिला मार्गों का चौड़ा करना--				
1	पीलीभीत, बरेली, मथुरा, भरतपुर मार्ग के कि0 मी0 248 से 261 को चौड़ा करना	14.00	4.25	4.25	मैटेरियल एकत्रीकरण
	जिला परिषद् के मार्गों का सुधार व पुनः निर्माण--				
1	छाता बरसाना मार्ग	13.00	8.37	8.37	6.00 कि0 मी0 पी-1 4.00 कि0 मी0 पी-2
2	छाता तरौली मार्ग	8.00	3.39	3.39	2.00 कि0 मी0 टापकोट 4.00 कि0 मी0 पी-1
3	अकबरपुर नौगांव	12.00	6.44	6.44	500 कि0 मी0 में टापकोट 7.50 कि0 मी0 पी-1
	खाद्यान्न योजना नं0 4 के अतिरिक्त 600 कि0 मी0 मार्गों पर मिट्टी, पुलिया व खरंजा लगाना--				
1	देवी अट्स-सकराया मार्ग	1.00	0.16	0.16	0.75 कि0 मी0 सोलिंग व इन्टर
2	तेहरा-बुर्जा से वृन्दावन	2.00	0.68	0.68	1.00 कि0 मी0 सोलिंग व इन्टर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
3	सुनरख से कोकी का नगला	1.50	0.75	0.75	1.50 कि0 मी0 सोलिंग व इन्टर	
4	राल से मछेरा	0.38	0.11	0.11	0.42 कि0 मी0 सोलिंग व इन्टर	
5	राधाकुण्ड से कोनई मार्ग	2.20	0.49	0.49	2.20 कि0 मी0 सोलिंग व इन्टर	
6	नन्दगांव गिडोह मार्ग	0.33	0.10	0.10	पत्थर एकत्रीकरण	
	2.000 कि0 मी0 नये ग्रामीण मार्ग पर मिट्टी व पुलिया—					
1	मथुरा—भरतपुर मार्ग से अडूंकी	2.70	0.49	0.49	1.00 कि0 मी0 मिट्टी व पुलिया	
2	फोगला आश्रम से शिवानन्द मुक्ताश्रम	0.54	0.12	0.12	0.27 कि0 मी0 मिट्टी व पुलिया	
3	कोसी—शेरगढ़ से फालौन	1.00	0.17	0.17	0.58 कि0 मी0 मिट्टी व पुलिया	
4	दौलना से चन्दोली मार्ग	2.00	0.49	0.49	1.90 कि0 मी0 मिट्टी व पुलिया	
5	अडींग भवनपुरा मार्ग	3.60	0.16	0.16	पुराने दायित्वों का भुगतान	
6	सकराया—बाबूगढ़ मार्ग	4.00	0.44	0.44	3.00 कि0 मी0 में मिट्टी	
7	देवी आटस से जौनई मार्ग	3.20	0.16	0.16	1.00 कि0 मी0 में मिट्टी	
8	पैगामपुर मंझोई मार्ग	9.00	0.40	0.40	1.25 कि0 मी0 में मिट्टी	
9	एदलगढ़ी से जटपुरा मार्ग	2.00	0.07	0.07		कार्य पूर्ण हो गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूखा ग्रस्त योजना के मार्गों पर
पुलिया का निर्माण--

1	अंडेग-शीशराम मार्ग	5.30	0.12	0.12	
2	अकबरपुर सिहाना पेलमू मार्ग	10.00	0.36	0.36	
3	जाजम पट्ठी से देवी का मन्दिर	3.00	0.14	0.14	
4	छटीकरा परखम से पैंगा का नगला	2.00	0.23	0.23	
5	देवी आटस से बिहारी का नगला	1.00	0.25	0.25	पुलियों के निर्माण हेतु आवश्यकता-नुसार ह्यूम क्रय किये गये
6	सकराया-बाबूगढ़ मार्ग	4.00	0.26	0.26	
7	देवी आटस से जोनई मार्ग	3.20	0.11	0.11	
8	एदलगढ़ी से जटपुरा मार्ग	2.00	0.05	0.05	
9	सिहोरा करवा मार्ग	3.00	0.05	0.05	
10	बल्देव-पटलौनी गढ़ी ख्याली मार्ग	9.00	0.24	0.24	दो कि0 मी0 पुलिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "अ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 135 का उत्तर पीछे पृष्ठ 86 पर)

क्रमांक	नया वेतनमान	अभ्युक्ति
	निदेशालय, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ—	
1	470–15–525–द0 रो0–15–650–17–701–द0 रो0–17–735	रु0 470–735 का नया वेतनमान वर्तमान धारक को वैयक्तिक रूप से दिया जाय। भविष्य में पद की न्यूनतम अर्हता स्नातक तथा पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण–पत्र निर्धारित की जाय और तदनुसार सेवा नियमावली में भी संशोधन किया जाय।
	विश्वविद्यालय सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र—	
2	470–15–575–द0 रो0–15–650–17–701–द0 रो0–17–735	भविष्य में पद की न्यूनतम अर्हता स्नातक एवं पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण–पत्र निर्धारित की जाय और तदनुसार सेवा नियमावली में भी संशोधन किया जाय।
	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान—	
3	(i) 470–15–575–द0 रो0–15–650–17–701–द0 रो0–17–735	1—(i) जो पदधारक स्नातक उपाधि के साथ पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण–पत्र की न्यूनतम अर्हता रखते हों, उन्हें रुपये 470–735 का नया वेतनमान अनुमन्य होगा।
	(ii) 354–10–424–द0 रो0–10–454–12–514–द0 रो0–12–550	(ii) अन्य पदधारक, जो उपर्युक्त अर्हतायें नहीं रखते, उन्हें रु0 354–550 का नया वेतनमान देय होगा।
		2—भविष्य में पद पर रु0 470–735 के वेतनमान में भर्ती हेतु स्नातक उपाधि के साथ पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण–पत्र की अर्हता निर्धारित की जाय और सेवा नियमावली भी तदनुसार संशोधित की जाय।

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 188 का उत्तर पीछे पृष्ठ 103 पर।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	नाम काश्तकार मय वल्दियत	दिनांक	धनराशि, जो दी गई
1	2	3	4
			रु0
	ढालोपुर—		
1	अब्दुल रऊफ पुत्र नजीर	19-4-79	2,333.37
2	नूनीर पुत्र रफीक	19-4-79	424.84
3	सुलेमान पुत्रगण बलीमुहम्मद	19-4-79	141.61
4	जलालुद्दीन ,,	19-4-79	141.62
5	सुलई ,,	19-4-79	141.62
6	रऊफ पुत्र नजीर	19-4-79	424.85
		सम्पूर्ण योग ..	3,607.91

1	2	3	4
	समुन्द्रपुर—		
1	अब्दुल हमीद पुत्रगण अफीजउल्ला	10-3-79	1,527.67
2	मुसलिम ,,	10-3-79	1,527.87
3	आबिदिन ,,	10-3-79	1,527.87
4	अब्बल ,,	10-3-79	1,527.86
5	अब्दुल अमीद पुत्र हफीजुल्ला	10-3-79	1,206.72
6	आबद ,,	10-3-79	1,115.89
7	अब्बल ,,	10-3-79	932.99
8	जालिम पुत्र हसरत	10-3-79	1,108.49
9	मुसलिम पुत्र हफीजुल्ला	10-3-79	674.72
10	अब्दुल लतीफ पुत्रगण हबीब खां	10-3-79	305.54
11	मुहम्मद सईद ,,	10-3-79	305.54
12	अब्दुल वहीब ,,	10-3-79	305.54
13	तैवहीद ,,	10-3-79	305.55
14	खुर्शीद पुत्र यार अली	10-3-79	1,180.95
15	अब्दुल सलीम पुत्र सफी	10-3-79	211.16
		सम्पूर्ण योग ..	13,764.56

पी0 एस0 यू0 पी0--89 विसभा0 —21-9-83—813 (पी0 डी0) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा